पंचदश माला, खंड 5, अंक 2

शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2009
29 कार्तिक, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Book No. 78
Acc. No.
Dated 25 Jan 2011

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डॉ. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनूबाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 2, शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2009/29 कार्तिक, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	2–91
अतारांकित प्रश्न संख्या 227 से 456	91–448
सभा पटल पर रखे गए पत्र	448–503
विधेयकों पर अनुमति	503–504
मंत्री द्वारा वक्तव्य	504
जयपुर राजस्थान के सांगानेर में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के पीओएल डिपो में आग की घटना	504–508
सभा का कार्य	508–511
समितियों के लिए निर्वाचन	512
(एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग की शासी परिषद	512
(दो) भारत की क्षय रोग संस्था की केंद्रीय समिति	511–512
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	513
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	513–518
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	519–520
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	519–520

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2009/29 कार्तिक, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल आरम्भ।

प्रश्न सं. 21, श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): अध्यक्ष महोदया, मैंने स्थगन-प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: मुझे श्री बसुदेव आचार्य और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी के स्थगन-प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं उनकी अनुमति नहीं दे रही हूं और प्रश्न-काल स्थगन का नोटिस भी मुझे मिला है। मैं उसकी भी अनुमति नहीं दे रही हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइए और प्रश्न-काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विदेशों में जमा धन

*21. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:***
श्री पी. लिंगम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के संबंधित कानूनों का उल्लंघन करके कथित रूप से विदेश स्थित बैंकों में जमा किए गए काले धन को वापस ला पाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) देश के संगत कानूनों का उल्लंघन करके विदेश स्थित बैंकों में तथाकथित रूप से जमा धन के बारे में कोई प्रमाणनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपनी जांच यूनिटों को देश से बाहर के बैंकों में अवैध रूप से जमा किसी अप्रकटित धन के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने हेतु सचेत किया है। इसके अलावा, जब कभी भी भारत में रह रहे किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी खातों के संदिग्ध अनधिकृत रख-रखाव/परिचालन का कोई विशिष्ट मामला प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में आता है, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के तहत यथापेक्षित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। उक्त निदेशालय द्वारा कोई अतिगामी जांच नहीं की जा सकती।

इसके अलावा, बाहर के देशों के साथ होने वाले भारत के दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों (सामान्य तौर पर जो कर संधियों के रूप में उल्लिखित होते हैं) में कर प्रयोजनों के लिए सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित उपबंध निहित होते हैं। जब कभी भी ऐसे उपबंधों के अनुसार कोई सूचना विदेश स्थित बैंकों में जमा किए गए धन के संबंध में प्राप्त होती है, तो आयकर अधिनियम,

1961 और धन कर अधिनियम, 1957 के उपबंधों के तहत आयकर विभाग द्वारा कर प्राधिकारियों के समक्ष प्रकट नहीं की गई आय एवं धन को कर के तहत लाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ की जाती है।

यदि उस देश के साथ हुई कर संधि में करों की वसूली में सहायता से संबंधित विशिष्ट उपबंध शामिल हों, तो हमारे कर संधि साझेदारों से कर दावे की वसूली में सहायता करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

भारत ने बैंक संबंधी गोपनीयता को समाप्त करने के लिए तथा उन क्षेत्राधिकारों/देशों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए, जो दूसरे देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने में पारदर्शी अथवा सहयोगकारी नहीं है, वैश्विक सामंजस्य तैयार करने में जी-20 के माध्यम से सक्रिया भाग लिया है। इसने भारत को उन कर संधियों के संबंध में, जिसमें बैंक से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित विशिष्ट बाध्यताएं नहीं हैं, कर प्रयोजनों के लिए सूचना के आदान-प्रदान के दायरे का विस्तार करने का अवसर दिया है। परिणामत: वित्त मंत्रालय ने कर संधियों में सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद पर पुन: संधिवार्ता करने के लिए, विशेष रूप से बैंक से संबंधित सूचना प्राप्त करने संबंधी उपबंधों को शामिल करने के लिए मौजूद संधि साझेदारी देशों से अनुरोध करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अथवा राजनयिक माध्यमों के जरिए मामले को उठाया है। इनमें से कुछ देशों से प्रतिक्रियाएं भी उनके प्रतिकूल प्रस्तावों के साथ हाल ही में प्राप्त हुई हैं। एक मामले में संधिवार्ता का पहला दौर पहले ही हो चुका है। इसके अतिरिक्त, संधि साझेदार देश,जिनके साथ हमारी संधियों में करों की वसूली में सहायता से संबंधित उपबंध नहीं हैं, उन्हें इस तरह के उपबंध को शामिल करने के लिए कहा गया है।

वर्तमान में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार, कर संधियों में देश के अंतरदेशीय कानूनों का उल्लंघन करके विदेश में जमा किए गए धन के देश-प्रत्यावर्तन चाहने के लिए उपबंध नहीं है।

बहुत से कर क्षेत्राधिकार जिन्हें करों के मामले में स्वर्ग माना गया है, प्रभुसत्ता सम्पन्न देश नहीं है। पूर्ववर्ती आयकर अधिनियम, गैर प्रभुसत्ता सम्पन्न क्षेत्राधिकारों के साथ कर संबंधी करार करने की अनुमति नहीं देता था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 को अब वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 के माध्यम से एक नये सूत्र के साथ प्रतिस्थापित किया गया है जिससे केन्द्र सरकार गैर प्रभुसत्ता वाले क्षेत्राधिकार के साथ कर संबंधी करार करने में समर्थ होगा।

मलिन बस्तियां

*22. **श्री एस. अलागिरी:**
श्री पन्ना लाल पुनिया:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को मलिन बस्ती रहित बनाने की समय-सीमा को बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राजीव आवास योजना को अंतिम रुप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) सरकार ने स्लमवासियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना नामक एक नई स्कीम घोषित की है। इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे राज्यों की सहायता करना है जो स्लमवासियों को सम्पत्ति अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हों। राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन के जरिए सरकार का प्रयास राज्यों को ऐसे कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करना होगा, जिससे कि यथा शीघ्र स्लम मुक्त भारत का निर्माण हो सके। स्कीम के मानकों पर अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व स्कीम के प्रारूप दिशानिर्देश राज्यों/संघ शासित राज्यों/केन्द्रीय मंत्रालयों इत्यादि को उनके सुझाव/टिप्पणियां आमन्त्रित करने के लिए परिचालित करते हुए विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है।

सस्ते आवास

*23. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 2007 के अंतर्गत सभी के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2020 तक बड़ोदरा सहित महानगर, बड़े और छोटे शहरों में आवासों की उपलब्धता के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी)-2007 का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को किफायती कीमतों पर भूमि, आश्रय और सेवाओं की एक समान आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश में पर्यावास के सतत विकास को प्रोत्साहन देना है। अत्यधिक आवासीय कमी और केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की बजटीय बाधाओं को देखते हुए इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहु हितबद्धियों, निजी क्षेत्र, सहाकरी क्षेत्र, औद्योगिकी क्षेत्र और सेवा/सांस्थानिक क्षेत्र का सहयोग लेना है।

(ख) और (ग) देश में शहरी आवास में कमी का आकलन करने के लिए वर्ष 2006 में मंत्रालय द्वारा एक तकनीकी दल का गठन किया गया। दल ने अनुमान लगाया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08) की समाप्ति पर देश में कुल आवास में कमी 24.71 मिलियन थी। उक्त दल ने आवासीय कमी को विभिन्न आय वर्गों में इस प्रकार बांटा है-

आय वर्ग	आय सीमा (प्रति मास रु.)	10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में आवासीय कमी (मिलियन में)
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यू एस)	3300रु. तक	21.78
निम्न आय वर्ग (एलआईजी)	3301-7300	2.89
मध्यम आय वर्ग (एम आई जी)	7301-14500	0.04
उच्च आय वर्ग (एमआई जी)	14501 और इससे अधिक	

इसके अलावा, 11वीं योजना अवधि के दौरान कुल आवासीय आवश्यकता को 26.53 मिलियन रिहायशी इकाइयों तक करते हुए 11वीं योजना हेतु 1.82 मिलियन रिहायशी इकाइयों की अतिरिक्त मांग दर्शाई गई है। कस्बा-वार अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न आवासीय क्षेत्र स्कीमों को सहायता प्रदान करने हेतु बजट में 223.99 करोड़ रु. का आवंटन किया गया था।

इसके अलावा, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं की स्कीम (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी सेवाएं सुलभ करने हेतु राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में आबंटन किया गया था, भागीदारी में किफायती आवास स्कीम तथा राजीव आवास योजना (आरएवाई) नामक स्कीम बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

पवन ऊर्जा उत्पादन

*24. **श्री वैजयंत पांडा:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में पवन ऊर्जा उत्पादन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में पवन से विद्युत उत्पादन करने की क्षमता के दोहन के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उद्यमियों को मिल रहे मौजूदा प्रोत्साहन इस क्षेत्र में उन्हें आकर्षित करने के लिए पार्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए औद्योगिकी क्षेत्र को कोई नए प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुला): (क) अब तक देश में कुल लगभग 11,000 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) देश में पवन विद्युत संभाव्यता लगभग 48,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है। नब्बे के दशक के आरंभ से सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे त्वरित मूल्यह्रास, पवन इलैक्ट्रिक जनरेटरों के कुछ संघटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से सृजित आय पर दस वर्ष का करावकाश और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र निवेश के माध्यम से वाणिज्यिक ग्रिड संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान के लिए मंत्रालय के पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त,

संभाव्यता वाले राज्यों में पवन ऊर्जा, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिमान्य शुल्क-दर (टैरिफ) उपलब्ध कराई जा रही है। 11वीं योजना अवधि के लिए 9,000 मेगावाट के पवन विद्युत का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) तथापि, पवन ऊर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों को आकर्षित करते हुए निवेशकर्ता आधार को बढ़ाने के लिए सरकार 11वीं योजना अवधि के अंत तक लगाए गए पवन टरबाईनों से ग्रिड को दी गई बिजली के लिए, संबंधित राज्यों द्वारा दी गई टैरिफ के अलावा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

मधुमेह के लिए अनिवार्य रक्त जांच

*25. **श्री गणेश सिंह**
श्री मधु गौड़ यास्खी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत भाग मधुमेह से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत के ग्रामीण लोगों के लिए मधुमेह की अनिवार्य रक्त जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों को मधुमेह की नि:शुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराने का है जिनकी जांच सकारात्मक पाई जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) भारत में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। तथापि, अनुमान विभिन्न जानपदिक रोग विज्ञानी अध्ययनों पर आधारित है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान बताते हैं कि भारत में 2004 में मधुमेह के 32 मिलियन रोगी थे और यह अनुमान है कि भारत में 2030 तक विश्व में सबसे अधिक संख्या में मधुमेह के रोगी हो जाएंगे।

मधुमेह की जांच की सुविधाएं जैसे रक्त शर्करा सामान्य तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है। तथापि, बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं रहती कि उन्हें मधुमेह का खतरा हो सकता है और वे इसकी जांच नहीं करवाते अथवा उपचार नहीं लेते हैं। इस कारण से भारत सरकार ने 10 राज्यों के 10 जिलों में प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय मधुमेह निवारण एवं नियंत्रण, हृदवाहिका रोग और आघात कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें अन्य के बीच इस रोग का शीघ्र पता लगाने को सुकर बनाने का प्रयास किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत 'अवसरवादी जांच' की कार्यनीति के अनुरूप है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनपीडीसीएस के लिए 1660.50 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है जिसमें अंतत: पूरा देश शामिल होगा।

भारतीय जनस्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस), जो विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्चा प्रदाय प्रणालियों के लिए जनस्वास्थ्य मानकों का एक सेट हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मधुमेह के लिए खाई जाने वाली औषधें तथा इन्सुलिन उपलब्ध की जानी चाहिए। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए ये औषधें मुफ्त दी जानी हैं अथवा नहीं दी जानी है इसके बारे में राज्यों को निर्णय करना है। तथापि, कुछ राज्यों से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार असम, केरल, उड़ीसा सरकार अपने रोगियों को इन्सुलिन और खाई जाने वाली औषधें दोनों मुफ्त दे रही है जबकि पंजाब, तमिलनाडु आर हरियाणा खाई जाने वाली औषधें मुफ्त दे रहे हैं।

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर

*26. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य देशों की तुलना में भारत में शिशु दर सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मातृ और शिशु मृत्यु के राज्य-वार कितने मामले जानकारी में आए हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008 के लिए प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात शिशु मृत्यु दर 53 होने का अनुमान है। गोवा राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 10) निम्नतम और मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 70) उच्चतम है। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन' रिपोर्ट, 2009 के अनुसार भारत की तुलना में 143 देशों की निम्नतर नवज़ात शिशु मृत्यु दर है। नवजात शिशु मृत्यु दर के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा किए गए 2001-03 की अवधि के मूल्यांकन के अनुसार नवजात शिशु मौतों के महत्वपूर्ण कारण प्रसवकालीन स्थितियां (46%), श्वसनी संक्रमण (22%), अतिसारीय रोग (10%), अन्य संक्रामक और परजीवी रोग (8%) और जन्मजात विकृतियां (3.1%) हैं। उच्च नवजात शिशु मृत्यु के कारण कम उम्र में विवाह करना, बार-बार गर्भधारण करना, घर में प्रसव कराना, बच्चों की बीमारी की पहचान करने में विलम्ब करना, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में देरी, अपर्याप्त पोषण, कार्मिक शक्ति की कमी, अल्प स्वास्थ्य अवसंरचना आदि है। इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने अनेक पहलें की हैं जैसे प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद माता और बच्चे की समय-समय पर जांच करने पर जोर देना, जननी सुरक्षा योजना, दक्ष जन्म परिचर प्रशिक्षण, नवजात और बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन में प्रशिक्षण, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और सहायक नर्सधात्री/प्रत्यायित समाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के जरिए स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति तथा स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार।

(ग) भारत के महापंजीयक द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए लगाए गए अनुमानों के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात में कमी दर्शाई है जो प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 301 (आरजीआई-एसआरएस, 2001-03) से घटकर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 254 (आरजीआई-एसआरएस, 2004-06) हो गया है। भारत में वर्ष 2007 के लिए शिशु मृत्यु दर अर्थात् 1 से 4 वर्ष की बीच की आयु के बच्चों की मौत की प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 16 होने की सूचना मिली है। वर्ष 2005-06 के लिए पांच वर्ष से नीचे की मृत्यु दर जिसका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा मूल्यांकन किया गया है, के प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 74 मौतें होने की सूचना मिली है। राज्यवार मातृ-मृत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर अनुमान संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसमें राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं; का उद्देश्य ग्रामीण लोगों विशेष रूप से गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए समान, वहनीय, उत्तरदायी और कारगर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा की पहुंच में सुधार करना है। इसमें उन 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिनके कमजोर जन्म स्वास्थ्य संकेतक और जिनकी कमजोर अवसंरचना है। इसमें नई स्वास्थ्य सुविधाओं का सृजन और मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन, दक्ष कार्मिक शक्ति किराए पर लेना और चल चिकित्सा एकक शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्यों की स्वास्थ्य अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करने, मानव संसाधनों में वृद्धि करने और सेवा प्रदानगी में सुधार करने में सहायता की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन निम्नलिखित प्रगति हुई है:-

(1) 28,686 स्वास्थ्य उप केन्द्रों, 5407 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 3140 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 444 जिला अस्पतालों में नया निर्माण/उन्नयन कार्य शुरू किया गया है।

(2) 7.31 लाख आशा का चयन किया गया है जिनमें से 5.25 लाख को अभिविन्यास प्रशिक्षण (चौथा मॉडयूल) दिया गया है और उनकी तैनाती गांवों में की गई है।

(3) लगभग 44,561 एएनएम, 24,494 स्टाफ नर्सो, 9874 चिकित्सा अधिकारियों और 2344 विशेषज्ञों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

(4) विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर 160 नए रूग्ण जन्म परिचर्चा एकक, 1592 स्थिरता एकक, 4797 रूग्ण नवजात परिचर्या कार्नर सृजित किए गए हैं।

(5) स्वास्थ्य संस्थाओं को अबद्ध अनुदान प्रदान किए गए हैं।

(6) लगभग 4.28 ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है।

(7) 354 जिलों में चल चिकित्सा एकक हैं।

(8) कार्यक्रम में सहायता करने के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन एकक स्थापित किए गए हैं।

जननी सुरक्षा योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है, को गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों की संख्या 2005-06 में 7.39 लाख से बढ़ कर 2008-09 में 83.84 लाख हो गई है।

प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यकलापों की अधिक कारगर ढंग से मानीटरिंग करने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच और बच्चों के रोग प्रतिरक्षण के लिए नाम आधारित जांच प्रणाली लागू करने के मुद्दे को आशा के साथ उठाया जा रहा है।

विवरण I

नवजात शिशु मृत्यु दर

स्रोत:- भारत का महापंजीयक

क्र.सं.	राज्य	2006	2007	2008
1	2	3	4	5
	अखिल भारत	57	55	53
1.	आंध्र प्रदेश	56	54	52
2.	असम	67	66	64
3.	बिहार	60	58	56
4.	छत्तीसगढ़	61	59	57
5.	गुजरात	53	52	50
6.	हरियाणा	57	55	50
7.	झारखंड	49	48	46
8.	कर्नाटक	48	47	45
9.	केरल	15	13	12
10.	मध्य प्रदेश	74	72	70
11.	महाराष्ट्र	35	34	33
12.	उड़ीसा	73	71	69
13.	पंजाब	44	43	41
14.	राजस्थान	67	65	63
15.	तमिलनाडु	37	35	31
16.	उत्तर प्रदेश	71	69	67
17.	पश्चिम बंगाल	38	37	35
18.	हिमाचल प्रदेश	50	47	44
19.	जम्मू एवं कश्मीर	52	51	49
20.	अरुणाचल प्रदेश	40	37	32
21.	दिल्ली	37	36	35
22.	गोवा	15	13	10
23.	मणिपुर	11	12	14
24.	मेघालय	53	56	58
25.	मिजोरम	25	23	37
26.	नागालैंड	20	21	26
27.	सिक्किम	33	34	33
28.	त्रिपुरा	36	39	34
29.	उत्तराखंड	43	48	44
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	31	34	31
31.	चंडीगढ़	23	27	28
32.	दादरा एवं नगर हवेली	35	34	34
33.	दमण एवं दीव	28	27	31
34.	लक्षद्वीप	25	24	31
35.	पुडुचेरी	28	25	25

विवरण II

मातृ मृत्यु अनुपात

भारत और राज्यवार

[स्रोत: भारत का महापंजीयक, (एसआरएस), 2001-03, 2004-06]

प्रमुख राज्य	एमएमआर (2001-03)	एमएमआर (2004-06)
1	2	3
भारत कुल*	301	254
असम	490	480
बिहार/झारखंड	371	312

1	2	3
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	379	335
उड़ीसा	358	303
राजस्थान	445	388
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	517	440
आंध्र प्रदेश	195	154
कर्नाटक	228	213
केरल	110	95
तमिलनाडु	134	111
गुजरात	172	160
हरियाणा	162	186
महाराष्ट्र	149	130
पंजाब	178	192
पश्चिम बंगाल	194	141
*अन्य	235	206

*:इसमें अन्य शामिल हैं

शिशु मृत्यु दर

क्र.सं.	भारत/प्रमुख राज्य	2005	2006	2007
1	2	3	4	5
	भारत	17.3	17.0	16.0
1.	आंध्र प्रदेश	14.8	15.2	14.6
2.	असम	19.7	19.7	18.2
3.	बिहार	20.1	18.5	18.9
4.	छत्तीसगढ़	20.2	18.4	16.9
5.	दिल्ली	8.3	9.3	8.4
6.	गुजरात	16.0	16.2	15.1
7.	हरियाणा	17.8	16.2	15.1
8.	हिमाचल प्रदेश	13.5	10.5	9.6
9.	जम्मू और कश्मीर	12.0	12.3	12.4
10.	झारखंड	16.1	15.4	13.7
11.	कर्नाटक	13.1	12.5	12.1
12.	केरल	3.4	3.2	2.8
13.	मध्य प्रदेश	24.6	24.3	23.5
14.	महाराष्ट्र	8.6	8.8	8.5
15.	उड़ीसा	21.4	22.0	20.0
16.	पंजाब	11.3	11.0	11.1
17.	राजस्थान	20.3	22.4	19.5
18.	तमिलनाडु	9.0	9.2	8.4
19.	उत्तर प्रदेश	24.7	23.9	22.3
20.	पश्चिम बंगाल	10.0	9.7	9.2

स्रोत: भारत का महापंजीयक

कुपोषण

***27. श्रीमती मेनका गांधी:**
श्री वरुण गांधी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड सहित देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण के स्तर का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) झारखंड सहित देश में राज्य-वार कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या और प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद बच्चों में कुपोषण की प्रतिशतता में कमी नहीं आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) भारत सरकार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराती है, जिनसे देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्प पोषण, जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखरेख इत्यादि के विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के अनुसार देश में पांच वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चों का प्रतिशत 42.5 है तथा 3 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चों का प्रतिशत 40.4 है। झारखंड राज्य में ये प्रतिशत क्रमशः 56.5 तथा 54.6 हैं। 5 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 32.7 और ग्रामीण क्षेत्रों में 45.6 है। झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चों के प्रतिशत संलग्न विवरण I में दर्शाए गए हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों के राज्य-वार प्रतिशत संलग्न विवरण II में दर्शाए गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट www.nfhsindia.orgèknfhs_3national_report.html पर उपलब्ध है।

(घ) से (च) 3 वर्ष से कम आयु, के अल्प पोषित बच्चों के प्रतिशत में कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2, 1998-99 के अनुसार यह प्रतिशत 43 था, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3, 2005-06 के अनुसार कम होकर 40 रह गया है। जन-समुदाय की पोषाहारीय स्थिति के पीछे कई परस्पर संबंधित और जटिल कारक होते हैं और इसीलिए किसी एक ही क्षेत्र या कार्यक्रम के प्रयासों से इस स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है। कुपोषण एक बहु-आयामी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली समस्या है, जिसके कारणों में पारिवारिक खाद्य असुरक्षा, विशेषकर महिलाओं में निरक्षरता और जागरूकता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कम उपलब्धता, सुरक्षित पेयजल की कम उपलब्धता, साफ-सफाई और पर्यावरण की दशा तथा क्रय शक्ति शामिल हैं। इनके अतिरिक्त बालिकाओं के कम आयु में विवाह, गर्भवती होने के परिणामस्वरूप जन्म के समय शिशुओं का वजन कम होने, स्तनपान की सही पद्धतियां न अपनाने, पूरक आहार देने की सही पद्धतियां न अपनाने, शिशुओं और छोटे बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों की जानकारी न होने तथा बार-बार संक्रमण होने से बच्चों में कुपोषण की समस्या और बढ़ जाती है। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कुपोषण के प्रभाव को सीमित करने के लिए कम आयु में विवाह के निवारण, दो बच्चों के जन्म के बीच उपयुक्त अंतर रखने, शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए आहार की बेहतर पद्धतियां अपनाने, जिनमें केवल स्तनपान कराना, आयु के अनुसार पूरक आहार देना शामिल हैं, साफ-सफाई की बेहतर स्थिति, प्रतिरक्षण, विटामिन 'ए' अनुपूरण, कीड़े मारने की दवाओं, दस्त के समय ओ. आर.एस. के घोल, जिंक अनुपूरण, गंभीर कुपोषण होने की दशा में समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आहार देने, किशोरियों हेतु बेहतर पोषण, गर्भावस्था एवं शिशुओं को स्तनपान कराने की अवधि के दौरान खून की कमी के निवारण, आहार की मात्र और गुणवत्ता में सुधार, पोषण संबंधी जरूरतों और व्यवहार के विषय में बेहतर जानकारी एवं जागरूकता तथा रोगों के नियंत्रण एवं निवारण को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इन सभी उपायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच कारगर समन्वय, संकेन्द्रण और केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवा प्रदायगी प्रणालियों में सुधार के द्वारा सर्वांगीण प्रयास किए जाने की जरूरत है।

विवरण I

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चों के राज्य-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	5 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चे		
		कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश	60.0	62.7	51.3
2.	झारखंड	56.5	60.7	38.8
3.	बिहार	55.9	57.0	47.8
4.	मेघालय	48.8	50.3	39.6
5.	छत्तीसगढ़	47.1	50.2	31.3
6.	गुजरात	44.6	47.9	39.2
7.	उत्तर प्रदेश	42.4	44.1	34.8
8.	उड़ीसा	40.7	42.3	29.7
9.	राजस्थान	39.9	42.3	29.7
10.	हरियाणा	39.9	42.5	30.1
11.	त्रिपुरा	39.6	40.8	32.2
12.	पश्चिम बंगाल	38.7	42.2	24.7
13.	उत्तरांचल	38.0	42.1	24.3
14.	कर्नाटक	37.6	41.1	30.7
15.	महाराष्ट्र	37.0	41.6	30.7

1	2	3	4	5
16.	हिमाचल प्रदेश	36.5	37.8	23.6
17.	असम	36.4	37.7	26.1
18.	अरुणाचल प्रदेश	32.5	36.3	21.0
19.	आंध्र प्रदेश	32.5	34.8	28.0
20.	तमिलनाडु	29.8	32.1	27.1
21.	दिल्ली	26.1	22.5	26.5
22.	जम्मू एवं कश्मीर	25.6	27.9	15.8
23.	गोवा	25.0	31.6	19.8
24.	पंजाब	24.9	26.8	21.4
25.	केरल	22.9	26.4	15.4
26.	मणिपुर	22.1	23.3	19.1
27.	मिजोरम	19.9	24.1	15.1
28.	सिक्किम	19.7	19.4	21.2
29.	नागालैंड	25.2	26.6	19.3
	भारत	42.5	45.6	32.7

विवरण II

राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-3 के अनुसार 3 वर्ष से कम आयु के कम वजनी बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत

राज्य	कुल	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4
भारत	40.4	30.1	43.7
आंध्र प्रदेश	29.8	23.9	33.0
अरुणाचल प्रदेश	29.5	15.9	34.9
असम	35.8	27.9	36.7
बिहार	54.9	45.1	56.3
छत्तीसगढ़	47.8	36.1	50.1
दिल्ली	24.9	34.8	*
गोवा	21.3	15.1	28.9
गुजरात	41.1	35.7	44.4
हरियाणा	38.2	36.7	38.7
हिमाचल प्रदेश	31.1	28.2	31.3
जम्मू व कश्मीर	24.0	14.5	26.4
झारखंड	54.6	40.7	58.0
कर्नाटक	33.2	26.4	37.0
केरल	21.0	15.3	24.0
महाराष्ट्र	32.7	27.1	36.8
मध्य प्रदेश	57.9	50.1	60.2
मणिपुर	19.5	17.1	20.3
मेघालय	42.8	31.9	44.6
मिजोरम	14.3	10.2	18.2
नागालैंड	23.7	18.1	25.0
उड़ीसा	39.6	28.4	41.2
पंजाब	23.6	19.6	25.9
राजस्थान	36.8	26.1	39.5
तमिलनाडु	25.9	22.6	28.7
त्रिपुरा	34.8	25.0	36.7
सिक्किम	17.3	16.7	17.4
उत्तरांचल	31.7	20.9	35.2
उत्तर प्रदेश	41.6	31.8	43.7
पश्चिम बंगाल	37.6	24.5	40.7

*नमूना आकार सीमित है।

[हिन्दी]

विद्युत कारबार लाइसेंस लौटाना

***28. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक कंपनियां जिन्हें विद्युत कारबार के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, इन लाइसेंसों को लौटा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने स्थिति का जायजा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/ की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ट्रेडिंग एक लाइसेंसकृत कार्यकलाप है। अधिनियम के अंतर्गत ट्रेडिंग को एक ऐसे कार्यकलाप के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पुन: विक्रय के लिए विद्युत का क्रय किया जाना शामिल है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, पावर ट्रेडिंग के रूप में पावर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, इसके लिए किए गए आवेदन पर लाइसेंस देना उपयुक्त आयोग का कार्य है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने सूचित किया है कि उसने विद्युत के अंतर-राज्यीय ट्रेडिंग के लिए अब तक 44 लाइसेंस प्रदान किए हैं। छह लाइसेंसधाारियों ने अपने लाइसेंस लौटा दिए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	लाइसेंसधारी का नाम	लाइसेंस जारी करने की तारीख	लौटाने की तिथि तथा इसके कारण
1.	एमएमटीसी लिमिटेड कोर-1, स्कोप काम्पलेक्स, 7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	23.7.2004 "बी" श्रेणी (अब श्रेणी-2)	8.6.2009. लाइसेंसधारी ने लाइसेंस लौटाने का कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया है।
2.	जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड जिन्दल सेंटर 12, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली।	2.11.2004 "ए" श्रेणी	12.2.2008. लाइसेंसधारी ने लाइसेंस लौटाने का कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया है।
3.	जीएमआर एनर्जी लि. स्किप हाऊस 25/1, म्यूजियम रोड बंगलौर-560025.	9.11.2004 "आई" श्रेणी	26.10.2006. उन्होंने बताया है कि वह पारेषण लाइसेंस के लिए बोली में प्रतिभागिता करना चाहता है।
4.	सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लि. इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सित्तारा, रायपुर-493111	3.11.2004 "ए" श्रेणी (अब श्रेणी-3)	31.7.2009. कैप्टिव विद्युत उत्पादन कंपनी होने के नाते, लाइसेंसधारी अंतरराज्यीय खुली पहुंच के माध्यम से सीधे ही अपनी विद्युत बेचना चाहता है जिसके लिए ट्रेडिंग लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।
5.	मां लक्ष्मी एनर्जी ट्रेडिंग प्रा.लि. मां लक्ष्मी हाऊस, 8-2 583/3, रोड नं. 9 बंजारा हिल्स, हैदराबाद दूरभाष: 040-23358953/54 फैक्स: 040-23358950	12.12.2006 "ए" श्रेणी (अब श्रेणी-3)	25.8.2009. लाइसेंसधारी ने बताया ने बताया है कि गंभीर आर्थिक मंदी के कारण वह विद्युत का कोई भी अंतरराज्यीय कारोबार करने में समर्थ नहीं है।
6.	बेसिस प्वाइंट कॉमोडिटी प्रा.लि. चौथा तल, 56, मोगरा विलेज लेन ऑफ ओल्ड नगरदास रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400069.	7.10.2008 "ए" (अब श्रेणी-3)	12.8.2009. लाइसेंसधारी ने बताया है कि मौजूदा श्रेणी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति तथा वैश्विक मंदी के कारण तथा साथ ही उच्च प्रतिस्पर्धात्मक पावर ट्रेडिंग व्यवसाय और कम विद्युत ट्रेडिंग मार्जिन के कारण, वह विद्युत का कोई भी अंतरराज्यीय ट्रेडिंग करने में समर्थ नहीं है।

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, पावर ट्रेडिंग लाइसेंस उपयुक्त आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। केंद्रीय आयोग के अनुसार, उपर्युक्त छह लाइसेंसधारियों ने अपने खुद के विभिन्न कारणों से अपने लाइसेंस लौटा दिए हैं।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार, ट्रेडिंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तों उनके विनियमों में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी लाइसेंस के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकता है। जिसे लाइसेंस लौटाना माना जाएगा। उक्त विनियम के नियम 14(2) के अनुसार, जब लाइसेंसधारी लाइसेंस के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन करता है तथा आयोग इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस के प्रतिसंहरण से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आयोग उन निबंधन एवं शर्तों पर, जिन्हें वह उपयुक्त समझता है, उसके लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर सकता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मेडिकल उत्पादों का विपणन

*29. **श्री जोस के. मणि:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मेडिकल उत्पादों के विपणन को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है/आचार संहिता बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेषज कंपनियों को मास मीडिया जैसे कि पत्रिकाओं और समाचारपत्रों के माध्यम से विनिर्दिष्ट औषधियों और शेड्यूल एच औषधियों को बढ़ावा देने की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो देश में ऐसी औषधियों के विज्ञापनों की अनुमति किन विनियमों के अन्तर्गत दी जाती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भेषजीय विभाग ने सूचित किया है कि भेषज कम्पनियों द्वारा किए जा रहे प्रचार संबंधी खर्चों के बारे में हाल ही में समाचार पत्रों में कुछ रिपोर्टें छपी थीं। इन रिपोर्टों में यह बताया गया है कि ये कुछ अनैतिक रूप से विपणन की पद्धतियां हैं जिन्हें कुछ भेषज कंपनियों द्वारा अपनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने इस मामले को उपभोक्ताओं/रोगियों के हित में उठाने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि डाक्टरों को दिए जा रहे ऐसे प्रचार संबंधी खर्चों का औषधों के मूल्य निर्धारण और इसकी वहनीयता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन मुद्दों पर भेषज संघों/उद्योग के साथ विचारविमर्श करने के बाद वह विभाग अधिकांश संघों को कुछ आचार-संहिता का पालन करने के लिए सहमत करने में समर्थ रहा है। आगे यह कथनीय है कि औषधों के विनिर्माण और बिक्री को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई औषध प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अधीन विनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रयोजनों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की शर्तों के अंतर्गत और उनके अनुसार ही किसी औषध का बिक्री अथवा वितरण के लिए विनिर्माण करेगा अथवा उसे बेचेगा अथवा भंडारण करेगा अथवा बिक्री के लिए उसका प्रदर्शन अथवा पेशकश करेगा अथवा वितरण करेगा।

(ग) और (घ) औषधों के विज्ञापन को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित औषध और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियम के अधीन कुछ बीमारियों और विकारों के लिए औषधों के विज्ञापन पर प्रतिबंध है। तथापि, केन्द्र सरकार जन हित में राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट औषधियों अथवा औषधों की श्रेणी के विज्ञापन की अनुमति प्रदान करती है चाहे ये औषधें चिकित्सकों द्वारा लिखी गई हों अथवा अनुसूचित औषधियों में आती हों।

विकास दर

*30. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था विशेषकर अमरीका और यूरोप के भारी मंदी के पश्चात् एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक यूरोप और अमरीका की तुलना में देश की विकास दर का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित किया है; और

(ङ) भविष्य में विकास दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होने के आरंभिक संकेत दिखाई दे रहे हैं जिसे एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के जबर्दस्त निष्पादन और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हुए सुधार से बल मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

ने, वर्ष 2009 के लिए विकास की संभावनाओं में अधोगामी संशोधन, जिसे जुलाई, 2008 में 3.9 प्रतिशत से कम करके जुलाई, 2009 में (-) 1.4 प्रतिशत पर लाया गया, के क्रमिक दौर के बाद पहली बार वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अक्टूबर, 2009 में विकास के पूर्वानुमान को बढ़ाकर (-) 1.1 किया। वर्ष 2010 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमानों में वृद्धि करके उसे अक्टूबर, 2009 के डब्ल्यूईओ के अनुसार 3.1 प्रतिशत कर दिया है, जबकि डब्ल्यूईओ जुलाई, 2009 में 2.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। एक समूह के रूप में विकसित देशों (संयुक्त राज्य अमरीका और यूरो क्षेत्र सहित) का जुलाई, 2009 के 0.6 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले 2010 में 1.3 प्रतिशत पर बढ़ने की संभावना है, जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

मद	वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, जुलाई, 2009 (प्रतिशत)			वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर, 2009 (प्रतिशत)		
	2008	2009 अनुमान	2010 अनुमान	2008	2009 अनुमान	2010 अनुमान
वैश्विक उत्पाद	3.1	-1.4	2.5	3.0	-1.14	3.1
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	0.8	-3.8	0.6	0.6	-3.4	1.3
संयुक्त राज्य अमरीका	1.1	-2.6	0.8	0.4	-2.7	1.5
यूरो क्षेत्र	0.8	-4.8	-0.3	0.7	-4.2	0.3
यूरोपीय संघ	1.1	-4.7	-0.1	1.0	-4.2	0.5

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अनुसार पिछले तीन वर्षों में यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका के संदर्भ में भारत की विकास दर का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

देश	विकास दर (प्रतिशत)		
	2006	2007	2008
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.8	2.1	0.4
यूरो क्षेत्र	2.8	2.7	0.7
यूरोपीय संघ	3.3	3.1	1.0
भारत	9.8	9.4	7.3

स्रोत: आईएमएफ, वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, नवम्बर, 2008 और अक्टूबर, 2009

तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2006-07 में 9.7 प्रतिशत, 2007-08 में 9.0 प्रतिशत और 2008-09 में 6.7 प्रतिशत थी।

(घ) वैश्विक वित्तीय संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को आरंभ में पूंजी-प्रवाहों मे आए धीमेपन और उनके प्रतिवर्तन के रूप में झटका दिया, जिससे स्टाक बाजार और विनियम दरें प्रभावित हुई। इसके बाद, विशेषकर सितम्बर, 2008 के बाद निर्यातों में आई मंदी, निवेश संबंधी कार्यकलाप के कम होने और आमतौर पर जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप स्थावर अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई।

(ङ) वैश्विक मंदी के परिणामों पर काबू पाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने विकास की रफ्तार बहाल करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपाय किए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक और ऋण संबंधी उपाय पर्याप्त नकदी और ऋण सुपुर्दगी की व्यवस्था करने नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत संकेतक रेपो दर में क्रमिक कमी करने, बैंकों के लिए आरक्षित नकदी और सांविधिक नकदी अनुपातों (सीआरआर और एसएलआर) में कमी किए जाने से संबंधित है। इन उपायों को निर्यातों, आवास-निर्माण, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा अवसंरचना के लिए क्षेत्रक-विशिष्ट ऋण संबंधी उपाय करके बल दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने मांग को बढ़ावा देने के लिए कर-राहत और रोजगार एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियां निर्मित करने के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं पर अधिक व्यय के रूप में पर्याप्त राजकोषीय विस्तार की व्यवस्था करके अपनी कार्रवाई की है।

इन वित्तीय/मौद्रिक प्रोत्साहन उपायों तथा सरकार द्वारा किए गए सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2008) में गिरकर 5.8 प्रतिशत पर आ गई थी, चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2009) में उसी स्तर पर स्थिर रही और वित्त वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2009) में बेहतर होकर 6.1 प्रतिशत पर आ गई है।

स्वाइन फ्लू के मामले

*31. श्री प्रदीप माझी:
श्री निलेश नारायण राणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्वाइन फ्लू के मामलों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है तथा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और लिंग-वार अब तक कितने मामले जानकारी में आए हैं और उनमें से कितने व्यक्ति ठीक हो गए हैं या उनकी मृत्यु हुई है;

(ग) स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक राज्य-वार क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो मरीजों के लिए जांच और परीक्षण माड्यूल स्पष्ट करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) स्वाइन फ्लू की शीघ्र पहचान करने और इससे निपटने में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) विश्वमारी इन्फुलन्जा ए एच1 एन1 के रोगियों और उसके कारण होने वाली मौतों का राज्यवार और लिंगवार (8 नवम्बर, 2009) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। गैर प्रभावित राज्यों से जैसे ही समुदाय में इसके प्रकोप की सूचना मिलनी शुरू होगी रोगियों की संख्या बढ़ सकती है।

(ग) केन्द्र सरकार ने अब तक इस पर 332.92 करोड़ रु. खर्च किए हैं/निधियां रखी हैं। राज्यों को ओसलटामिवीर की आपूर्ति के रूप में तथा प्रशिक्षण के लिए सीधे वित्तीय सहायता दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

तकनीकी मागीनिर्देश तैयार किए गए हैं तथा सभी राज्यों को इन्हें भेज दिया गया है। राज्य/जिला स्तरीय योजना को सुलभ बनाने के लिए एक योजना चेकलिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है। क्लीनिकल नमूनों के परीक्षण हेतु देशभर में 41 प्रयोगशालाओं को कार्यात्मक बनाया गया है। दीर्घकालिक मीडिया योजना लागू की जा रही है। सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण सामग्री का 14 भाषाओं में अनुवाद करके राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया गया है। विश्वमारी को रोकने/शमन करने के लिए केन्द्रीय तीव्र कार्रवाई दलों द्वारा पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में बड़ी संख्या में मामलों की सूचना देने वाले केरल और राजस्थान राज्यों में केन्द्रीय दल दौरा कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) संशोधित मार्गनिर्देशों का लक्ष्य, इन्फुलन्जा की तरह की बीमारी वाले रोगियों को समर्पित जांच केन्द्रों तक पहुंच उपलब्ध कराकर विश्वमारी का शमन करना, जोखिम और रोग की गम्भीरता के आधार पर घर पर परिचर्या अथवा अस्पताल में परिचर्या के लिए वर्गीकृत करना तथा बिना परीक्षण के उपचार करना है। मार्गनिर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण III में दी गई है। यह हमारी वेबसाइट http://kmohfw-hlnl.nic.in. पर भी उपलब्ध है।

(च) सभी राज्यों से जिला स्तर पर गम्भीर परिचर्या सुविधाओं सहित राज्य मशीनरी को तेज करने और पृथकीकरण सुविधाओं को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है। इन्फुलन्जा ए एच1 एन1 के उपचार के लिए औषधों (ओस्लटावीमीर और जानावीमिर) के सीमित विक्रय को प्राइवेट केमिस्टों के माध्यम से खरीदने की अनुमति दी गई है। रोग की गम्भीर परिस्थितियों में इसे अनुसूची एच औषध के रूप में वितरित करने की अनुमति दे दी जाएगी।

संचार अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग शुरू में रोग के लक्षणों को पहचान सकें तथा यथाशीघ्र जांच केन्द्रों में सम्पर्क करने के लिए स्वास्थ्यकर आचरण में परिवर्तन ला सकें।

विवरण I

भारत में इन्फलुएन्जा ए एच1एन1 के कारण रोगी और मौतें (8 नवम्बर, 2009 को)

क्र.सं.	राज्य	रोगी			मौतें		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	2329	1524	3853	7	12	19
2.	आंध्र प्रदेश	376	310	686	23	23	46

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	कर्नाटक	874	639	1513	54	65	119
4.	तमिलनाडु	944	721	1665	1	1	2
5.	महाराष्ट्र	2349	1379	3728	110	102	212
6.	केरल	649	447	1096	7	15	22
7.	पंजाब	20	6	26	1	0	1
8.	हरियाणा	428	311	739	2	4	6
9.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	13	4	17	0	0	0
10.	गोवा	33	12	45	2	2	4
11.	पश्चिम बंगाल	81	43	124	0	0	0
12.	उत्तराखंड	44	19	63	1	2	3
13.	हिमाचल प्रदेश	2	4	6	0	1	1
14.	जम्मू व कश्मीर	35	10	45	0	0	0
15.	गुजरात	181	99	280	24	19	43
16.	मणिपुर	0	1	1	0	0	0
17.	मेघालय	7	1	8	0	0	0
18.	मिजोरम	2	1	3	0	0	0
19.	असम	19	1	20	0	0	0
20.	झारखंड	1	0	1	0	0	0
21.	राजस्थान	197	165	362	10	10	20
22.	बिहार	6	1	7	1	0	1
23.	उत्तर प्रदेश	324	186	510	0	1	1
24.	पुडुचेरी	33	26	59	4	0	4
25.	छत्तीसगढ़	10	3	13	1	0	1
26.	मध्य प्रदेश	6	6	12	0	0	0
27.	दमन और द्वीव	1	0	1	0	0	0
28.	उड़ीसा	8	12	20	0	1	1
29.	नागालैंड	3	0	3	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	2	24	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
33.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
35.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
	कुल	8997	5933	14930	248	258	506

जिला स्तर के प्रशिक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान किया गया धन

क्र.सं.	राज्य का नाम	धनराशि (भारतीय रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	821700
2.	अरुणाचल प्रदेश	547800
3.	असम	821700
4.	बिहार	1095600
5.	छत्तीसगढ़	547800
6.	गोवा	273900
7.	हरियाणा	821700
8.	हिमाचल प्रदेश	547800
9.	जम्मू और कश्मीर	547800
10.	झारखंड	821700
11.	कर्नाटक	821700
12.	केरल	547800
13.	मध्य प्रदेश	1643400
14.	महाराष्ट्र	1095600
15.	मणिपुर	273900
16.	मेघालय	273900
17.	मिजोरम	273900
18.	उड़ीसा	1095600
19.	नागालैंड	273900
20.	राजस्थान	1095600
21.	सिक्किम	273900
22.	उत्तराखंड	547800
23.	उत्तर प्रदेश	2191200
24.	पश्चिम बंगाल %	547800
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	273900
26.	दिल्ली %	273900
27.	लक्षद्वीप	273900
28.	पुडुचेरी	273900
29.	गुजरात	564000
30.	त्रिपुरा	1378800
31.	तमिलनाडु	1970700
32.	पंजाब	1467000

विवरण II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को प्रदान किए गए ओसेल्टामिविर कैप्सूलों/सस्पेंशन पर व्यय

क्र.सं.	राज्य	व्यय (रुपए में)
1	2	3
1.	तमिलनाडु	2,99,75,134.00
2.	कर्नाटक	2,62,06,476.00
3.	केरल	2,11,34,302.00
4.	आंध्र प्रदेश	2,48,45,690.00
5.	गोवा	1,33,89,72.00
6.	पुदुचेरी	24,53,688.00
7.	महाराष्ट्र	9,91,42,424.00
8.	राजस्थान	2,07,29,484.00
9.	उत्तर प्रदेश	4,78,67,926.00
10.	दिल्ली	1,87,59,764.00
11.	पश्चिम बंगाल	2,11,85,074.00
12.	जम्मू और कश्मीर	1,39,36,035.20
13.	हिमाचल प्रदेश	74,64,730.00
14.	झारखंड	1,61,00,932.00
15.	गुजरात	2,15,43,562.00
16.	उत्तराखंड	81,08,026.00
17.	मणिपुर	59,16,238.00
18.	मिजोरम	53,01,320.00
19.	नागालैंड	67,30,316.00
20.	अरुणाचल प्रदेश	97,47,636.00
21.	मेघालय	43,16,460.00
22.	सिक्किम	25,06,068.00
23.	असम	1,63,85,740.00
24.	त्रिपुरा	25,06,068.00
25.	पंजाब	1,40,04,740.80
26.	हरियाणा	1,35,27,748.00
27.	मध्य प्रदेश	3,30,77,588.00
28.	बिहार	2,41,79,486.00
29.	छत्तीसगढ़	1,09,54,564.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18,10,392.00
31.	दमन और द्वीव	12,06,928.00
32.	दादरा और नगर हवेली	6,03,464.00
33.	चंडीगढ़	6,03,464.00
34.	लक्षद्वीप	6,03,464.00
35.	उड़ीसा	1,84,58,032.00

विवरण III

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
विश्वमारी इन्फलुएन्जा ए (एच 1एन 1)

घर पर अलग रखने, परीक्षण उपचार और अस्पताल में दाखिल करने के लिए जांच के दौरान इन्फलुएन्जा ए एच1 एन1 के रोगियों के श्रेणीकर के बारे में दिशा-निर्देश।

(05.10.09 को संशोधित)

जांच, परीक्षण और पृथक्करण के लिए इन्फलुएन्जा ए एच1 एन1 विषाणु के प्रकोप की रोकथाम करने और नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा:-

प्रथमत: फ्लू जैसे लक्षणों के लिए परामर्श प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों की डाक्टर द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं सरकारी और निजी दोनों में जांच की जानी चाहिए और इनका इस प्रकार श्रेणीकरण किया जाएगा:-

श्रेणी-क

* हल्के ज्वर तथा इसके साथ खांसी/गले में दर्द वाले रोगी अथवा शरीर के दर्द, सिर दर्द, अतिसार और उल्टी करने वाले अथवा इनके बिना वाले रोगियों को श्रेणी-क में श्रेणीबद्ध किया जाएगा उनको ओसेल्टामिविर की आवश्यकता नहीं है और उनका उपर्युक्त लक्षणों के

लिए उपचार किया जाएगा। रोगियों को उनकी प्रगति के लिए मानीटर डाक्टर द्वारा उनका 24 से 48 घंटे पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

* एच। एन। के लिए रोगी के किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

* रोगियों को अपने आपको घर पर ही रखना चाहिए और जनता तथा परिवार में उच्च जोखिम वाले सदस्यों के साथ मिलने-जुलने से बचना चाहिए।

श्रेणी-ख

(1) श्रेणी-क के अंतर्गत उल्लिखित सभी चिन्हों और लक्षणों के अतिरिक्त, यदि रोगी को उच्च ग्रेड का ज्वर और गले में जोरदार दर्द हो तो उसको घर पर अलग रहने की और ओसेल्टामिविर की आवश्यकता है;

(2) श्रेणी-क के अंतर्गत उल्लिखित सभी चिन्हों और लक्षणों के अतिरिक्त, एक अथवा इससे अधिक निम्नलिखित उच्च जोखिम वाली स्थितियों के व्यक्तियों का ओसेल्टामिविर से उपचार किया जाएगा:

* हल्की बीमारी वाले बच्चे परन्तु पहले से ही प्रवृत्त जोखिम घटकों वाले;

* गर्भवती महिलाएं;

* 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु वाले व्यक्ति;

* फेफडे के रोगों, हृदय रोग, जिगर के रोग, गुर्दे के रोग, रक्त विकारों, मधुमेह, तंत्रिकाविज्ञानीय विकारों, कैंसर और एचआईवी/एड्स के रोग वाले रोगियों;

* दीर्घकालिक कोर्टिसोन चिकित्सा पर रखे गए रोगी।

* श्रेणी-ख (1) और (2) के लिए एच 1 एन 1 के लिए किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

* श्रेणी-ख (1) और (2) के सभी रोगियों को अपने-आपको घर पर ही रखना चाहिए और जनता तथा परिवार में उच्च जोखिम वाले सदस्यों के साथ मिलने-जुलने से बचना चाहिए।

श्रेणी-ग

श्रेणी-क और ख के उपर्युक्त चिन्हों और लक्षणों के अतिरिक्त, यदि रोगी को निम्नलिखित में से एक अथवा इससे अधिक लक्षण हों:

* श्वासहीनता, छाती में दर्द, उनींदापन, रक्तदान में गिरावट, रक्त से मिश्रित थूक, नाखूनों में नीला धब्बा;

* इन्फलुएन्जा जैसी बीमारी से युक्त बच्चे जिनको कोई गम्भीर रोग था जैसाकि लाल झंडे के चिन्हों से प्रदर्शित हो (निद्रालुता, उच्च और लगातार ज्वर, अच्छी तरह से खिलाने में असमर्थता, ऐंठन, हॉफना, सांस लेने से कठिनाई इत्यादि)

* अध:स्थ चिरकारी स्थितियों का बिगड़ना।

श्रेणी-ग में उपर्युक्त इन सभी रोगियों को परीक्षण, तत्काल अस्पताल में दाखिल करवाने और उपचार की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

बीमा एजेंटों को कमीशन

***32. श्री सज्जन वर्मा:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''स्वरूप समिति'' और ''एन.एम. गोवर्धन समिति'' ने बीमा एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन के संबंध में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) क्या उन सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में बीमा एजेंटों के प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) स्वरूप समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियुक्त की गई एन.एम. गोवर्धन समिति ने अप्रैल 2008 में अपनी रिपोर्ट आईआरडीए को सौंपी थी। समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। तदन्तर, आईआरडीए ने बैंक एश्योरेंस के संबंध में विद्यमान विनियामक संरचना की जांच करने के लिए 4 मई, 2009 को एक और समिति का गठन किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गोवर्धन समिति की सिफारिशों की और भी जांच की जाएगी।

विवरण

एन.एम. गोवर्धन समिति की प्रमुख सिफारिशें

1. प्रथम पांच वर्षों में, बीमाकर्ताओं को बीमा अधिनियम की धारा 40क (1) की अधिकतम सीमा के भीतर देय कमीशन की दर निर्धारित करने का विवेक होना चाहिए। यह सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था कि ब्रोकर को भी उसी दर पर भुगतान किया जाना चाहिए जिस दर पर कारपोरेट एजेंट को किया जाता है।

2. देय कमीशन वितरण माध्यमों में तथा बीमा उत्पाद की श्रेणियों में अलग-अलग हो सकती है, परन्तु यह बीमा अधिनियम की धारा 40क के अंतर्गत समग्र सीमा के भीतर होगी। धारा 40क के अनुसार समग्र सीमा में एजेंट/मध्यवर्ती अथवा इससे संबद्ध व्यक्ति को प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: किए गए किसी भुगतान को शामिल किया जाना चाहिए।

3. विपणन, विज्ञापन, संवर्धन समग्री, संपार्श्विक, पारितोषिक एवं प्रतियोगिता, ग्राहक सम्पर्क कार्यक्रम, सेमीनार, स्थलेतर प्रशिक्षण एवं चैनल एक्टीवेशन कार्यक्रम जैसे पहचान कार्यक्रम अनुसंधान, लीड जेनरेशन, रेफेरल कार्यक्रम, अधिग्रहण से जुड़े व्यय, पहले प्रीमियम का प्रतिधारण तथा समाहरण के अंतर्गत किए गए व्यय, वितरण की समग्र लागत का हिस्सा होना चाहिए। इसे लेखापरीक्षकों, नियुक्त बीमांकिक तथा कंपनी के सीईओ द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है। प्रबंधन-व्यय, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40ख के द्वारा सीमित किया जाना चाहिए।

4. मध्यवर्ती/परिचयकर्ता की सभी लागत बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40क के अंतर्गत निर्धारित समग्र अधिकतम सीमा तक सीमित होनी चाहिए।

5. एजेंट के कानूनी उत्तराधिकारी एजेंट की मृत्यु होने पर नवीकरण कमीशन के हकदार तभी होने चाहिए जब वे पालिसियां करनी जारी रखते हैं। यह इन दिशानिर्देशों के प्रभावी होने की तारीख के बाद नियुक्त किए गए नए एजेंटों पर लागू होना चाहिए। कानूनी उत्तराधिकारी को, द्वारा अंतरण के अनुमोदन के अध्यधीन, कारबार की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है।

6. यह सिफारिश की गई थी कि उन सभी मामलों (पूर्व बीमाकर्ता के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य की अवधि को ध्यान में रखे बिना) में जिनमें एजेंट त्यागपत्र देता है और दूसरे बीमाकर्ता के लिए कार्य करता है, नवीकरण कमीशन की जब्ती को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 44 में संशोधन किया जाना चाहिए।

साधारण बीमा एजेंटों/मध्यवर्तियों के लिए विशिष्ट

7. यह प्रस्ताव किया जाता है कि उत्पाद एवं चैनल के आधार पर कमीशन दरों संबंधी वर्तमान अधिकतम सीमा को हटा दिया जाए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि विनियमन के अनुसार अधिकतम सीमा सभी उत्पादों के लिए एक समान होनी चाहिए। यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 40(2) के अंतर्गत यथा निर्धारित कमीशन की सीमा सभी उत्पादों के लिए उदारीकृत हो। कमीशन पर उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत अनुमत सीमा पर निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी वितरण चैनलों में समानता होनी चाहिए। यह संरचना मोटर तृतीय पक्ष पालिसी के अंतर्गत प्रीमियम पर भी लागू होगी।

8. कम प्रीमियम वाले उत्पादों के लिए कारबार करने हेतु एजेंटों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि मध्यवर्ती को, उत्पाद के आकार पर ध्यान दिए बिना, 100 रुपए तक की कमीशन देय हो।

9. साधारण बीमा में कैरियर बनाने के लिए योग्य व्यावसायिकों (प्रशिक्षार्थी) को प्रोत्साहित करने की जरुरत है। हम ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं जिसमें बीमा कंपनियां प्रशिक्षार्थी को एक निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। इस प्रशिक्षण अवधि के जरिए, प्रशिक्षार्थी, कंपनी के विद्यमान एजेंट/अधिकारी के साथ जुड़ा रहेगा। यह अवधि प्रशिक्षार्थी को गैर-जीवन बीमा की जानकारी अर्जित करने और उसकी पद्धति जानने में समर्थ करेगी। यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस अवधि के दौरान, बीमा कंपनी द्वारा गुजारा भत्ता अदा किया जाए। इस अवधि के समाप्त होने पर, प्रशिक्षार्थी खुदरा एजेंट के लिए योग्य हो जाएगा और विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एजेंसी कमीशन के लिए पात्र होगा।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन लक्ष्य

*33. **श्री आनंदराव अडसुल:***
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत की क्षमता में वृद्धि के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभावित उपलब्धि का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समय-सीमा से पीछे चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या लक्षित क्षमता संवर्धन हासिल करने के लिए किसी मध्यावधि योजना, सुधारात्मक कार्यनीति का प्रस्ताव किया गया है; और

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के 78,700 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) द्वारा हाल ही में किए आकलन के अनुसार, 62,374 मेगावाट की कुल क्षमता, जिसमें पहले से ही चालू हो चुकी 18,859 मेगावाट क्षमता शामिल है, के ''निसंदेह'' तथा 12,590 मेगावाट की क्षमता'' सर्वोत्तम प्रयास आधार'' पर जुड़ने की आशा है।

(ग) समय अनुसूची से पीछे चल रही विद्युत परियोजनाओं के विवरण तथा परियोजनावार कारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संलग्न विवरण I पर एवं ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए संलग्न विवरण II पर दिए गए हैं।

(घ) 11वीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(1) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की, केंद्रीय विद्युत मंत्री, विद्युत राज्य मंत्री, सचिव (विद्युत) तथा अध्यक्ष, सीईए द्वारा उच्चतम स्तर पर गहन मॉनीटरिंग।

(2) 11वीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की समीक्षा हेतु तथा चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सामने आ रहे जटिल मुद्दों तथा कठिनाईयों के समाधान के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन दो बार आयोजित किया गया।

(3) चल रही परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन पर परामर्श देने के लिए विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय के सेवानिवृत्त सचिवों तथा उद्योग प्रतिनिधियों का एक परामर्शक समूह भी गठित किया गया है।

(4) प्रत्येक चल रही परियोजना की स्थल पर निगरानी करने के लिए सीईए में एक नोडल अधिकारी है जो नियमित दौरों तथा परियोजना विकासकर्ताओं के साथ निरंतर बातचीत करने के माध्यम से निगरानी करता है।

(5) चल रही परियोजनाओं की गहन मॉनीटरिंग इस उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर गठित विद्युत परियोजना मॉनीटरिंग पैनल (पीपीएमपी) द्वारा की जा रही है।

(6) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा मुख्य संयंत्र उपकरण निर्माण क्षमता को बढ़ाना तथा भेल द्वारा आउटसोर्सिंग के द्वारा विक्रेता आधार को विस्तृत करना।

(7) विभिन्न विद्युत संयंत्र उपकरणों के निर्माण, के लिए एनटीपीसी लि. तथा बीएचईएल, मैसर्स एलएण्डटी एवं एमएचआई, जापान, मैसर्स जेएसडब्ल्यू एंड तोशीबा, मैसर्स भारत फोर्ज एंड अल्सटॉम तथा मैसर्स बी. बी. इंजीनियरिंग एवं अनसाल्डो द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन।

(8) विक्रेता आधार को बढ़ाने हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स को सुग्राह्य बनान करना ताकि संयंत्र की शेष (बीओपी) आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(9) कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा ''आई.टी.आई. अपनाओं'' पहल की गई है।

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(1) उपलब्ध स्त्रोतों से उत्पादन क्षमता बढ़ाना जिसमें तरल ईंधन पर गैस आधारित विद्युत केंद्रों की अनपेक्षित क्षमता का उपयोग करना शामिल है।

(2) घरेलू कोयले उपलब्धता तथा कोयले की आवश्यकता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कोयला का आयात।

(3) अधिशेष कैप्टिव विद्युत को ग्रिड में भेजना।

(4) पुरानी और गैर-प्रभावी उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(5) अधिक विद्युत क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत अंतरण के लिए अंतर-राज्य और अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढ़ीकरण।

विवरण I

जल विद्युत परियोजनाएं जिनके 11वीं योजना के मूल लक्ष्य से सरकने की संभावना है

क्र.सं.	क्षेत्र/परियोजना	लाभ (मेगावाट)	सरकने के कारण
1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	पार्बती चरण-2 एनएचपीसी, हि.प्र. 4x200=800 मेगावाट	800	* संशोधित वन मंजूरी में विलंब। * खराब भूगर्भीय स्थिति के कारण एचआरटी की धीमी प्रगति। * फरवरी, 07 में विद्युत गृह क्षेत्र में स्खलन।
2.	रामपुर एसजेवीएनएल, हि.प्र. 6x68.67=412 मेगावाट	412	* खराब भूगर्भीय स्थिति के कारण एचआरटी की धीमी प्रगति।
3.	लोहरीनागपाला एनटीपीसी, उत्तराखंड 4x150=600 मेगावाट	600	* पर्यावरणीय कारणों से कार्य निलंबित। * हेलगू एडिट तक संपर्क मार्ग के लिए वन मंजूरी में विलंब।
4.	तपोवन विष्णुगाड एनटीपीसी, उत्तराखंड 4x130=520 मेगावाट	520	* सिविल ठेकेदार द्वारा टनल बोरिंग मशीन के प्रापण/लगाने में लिलंब के कारण एचआरटी के सिविल कार्य। * विद्युत गृह में खराब चट्टानी संस्तर मिला।
5.	सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी, अरुणाचल प्रदेश 8x250=2000 मेगावाट	2000	* अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा काम को बार-बार बंद करना। * राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर।
6.	कामेंग नीपको, अरुणाचल प्रदेश 4x150=600 मेगावाट	600	* प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति जिसके कारण एचआरटी में धीमी प्रगति हुई, 28.10.2008 को अचानक आई बाढ़ ने भी कुछ कार्यों को भारी क्षति पहुंचाई।
	उप जोड़ (केंद्रीय क्षेत्र):	4932	
	राज्य क्षेत्र		
7.	उहल-III एचपीजेवीवीएनएल, हि.प्र. 3x33.3=100 मेगावाट	100	* धीमी प्रगति के कारण एचआरटी तथा खड्ड की संविदा का रद्दीकरण। * नया अवार्ड अक्टूबर 2008 को दिया गया। * एचआरटी में खराब भूगर्भीय स्थिति।
8.	लोअर जुराला एपीजेनको, आ.प्र. 6x40=240 मेगावाट	120	* ई एंड एम कार्यों का आदेश जनवरी, 2008 में चीनी फर्म सीएमईसी (एल 1) को दिया गया जिसने विनियम उतार-चढ़ाव के कारण करार पर हस्ताक्षर नहीं किए। * नया आदेश मै. एल्सटॉम इंडिया लि. को दिया गया जिसमें 3 यूनिटों को दिसंबर, 2011 तक तथा शेष तीन यूनिटों को 12वीं योजना में चालू करना है।
9.	सवारा कुड्डू पीवीसी, हि.प्र. 3x36.67=110 मेगावाट	110	* पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मंजूरी के कारण प्रारंभिक विलंब, मंजूरी 17.05.2007 को प्राप्त।

1	2	3	4
			* सिविल तथा ई. एंड एम पैकेज अवार्ड करने में विलंब। एचआरटी का सिविल पैकेज जून, 2007 में अवार्ड किया गया था तथा ई एंड एम पैकेज फरवरी, 09 में प्रदान किया गया।
10.	पल्लीवसल केएसईबी, केरल 3x20=60 मेगावाट	60	* भूमि अधिग्रहण में विलंब। * सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
	उप जोड़ (राज्य क्षेत्र)	390	
	कुल (आगे सरकीं):	5322 मेगावाट	

विवरण II

ताप विद्युत परियोजनाएं जिनके 11वीं योजना के मूल लक्ष्य से सरकने की संभावना है।

क्र.सं.	क्षेत्र/परियोजना	लाभ (मेगावाट)	सरकने के कारण
1	2	3	4
	केंद्रीय क्षेत्र		
1.	बाढ़ एसटीपीपी-1, एनटीपीसी बिहार	यू-1, 660	संविदात्मक मामले (पावर मशीन, रूस तथा एनटीपीसी के बीच विवाद)
		यू-2, 660	
		यू-3, 660	
2.	बाढ़ एसटीपीपी-2, एनटीपीसी बिहार	यू-1, 660	मुख्य संयंत्र आदेश देने में विलंब। आदेश 03/08 में दिया गया।
3.	नबीनगर टीपीसी, 3x350, एनटीपीसी और रेलवे का संयुक्त उद्यम	यू-1, 250	शून्य तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है।
		यू-2, 250	परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अभी किया जाता है।
		यू-3, 250	
4.	बोकारों टीपीएस-ए विस्तार डीवीसी, झारखंड	यू-1, 500	बॉथलर स्थापना के लिए कार्य करने के लिए भूमिगत सीडब्ल्यू चैनल को खोला जाना।
5.	मौदा टीपीसी, एनटीपीसी, महाराष्ट्र	यू-2, 500	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। आदेश 11/08 में दिया गया।
6.	तूतीकोरिन जेबी, एनएलसी, तमिलनाडु	यू-1, 500	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। आदेश 01/09 में दिया गया।
		यू-2, 500	

1	2	3	4
7.	त्रिपुरा गैस, ओएनजीसी, त्रिपुरा	मॉडयूल-1, 375	मुख्य संयंत्र कार्यों तथा लॉजिस्टिक्स के लिए आदेश भेल द्वारा दिए जाने हैं। पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन मंजूरी अभी मिलनी है। भारी उपकरणों के परिवहन के लिए सड़कें अभी चौड़ी की जानी हैं।
		मॉडयूल-2, 375	
	उप जोड़	6140	
	राज्य क्षेत्र		
8.	काकतिया टीपीसी विस्तार एपीजेनको, आंध्र प्रदेश	यू-1, 500	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। आदेश 10/08 में दिया गया।
9.	कोरबा वेस्ट चरण-III सीएसईबी, छत्तीसगढ़	यू-5, 500	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। आदेश 04/08 में दिया गया।
10.	मारवा टीपीसी, सीएसईबी छत्तीसगढ़	यू-1, 500	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। आदेश 03/08 में दिया गया।
		यू-2, 500	
11.	सिक्का टीपीसी विस्तार जीएसईसीएल, गुजरात	यू-3, 250	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सशर्त पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए निर्माण कार्य रुका। बीओपी के आदेश को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
		यू-4, 250	
12.	मालवा टीपीसी एमपीजेनको, मध्य प्रदेश	यू-1, 500	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। आदेश 12/08 में दिया गया। बीओपी के आदेशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
		यू-2, 500	
13.	सतपुड़ा टीपीसी विस्तार एमपीपीजीएल, मध्य प्रदेश	यू-2, 250	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। कोयला लिंकेज अनुपलब्ध। सिविल कार्य अभी शुरू होने हैं। बीओपी के आदेश अभी दिए जाने हैं।
14.	कालीसिंघ टीपीएस आरआरवीयूएनएल, राजस्थान	यू-1, 500	मुख्य संयंत्र के लिए आदेश देने में विलंब। आदेश 07/08 में दिया गया। बीओपी के आदेशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
15.	अनपरा डी यूपीआरवीयूएनएल, उत्तर प्रदेश	यू-2, 500	सिविल कार्यों हेतु एजेंसी का चयन किया जाना है।
	उप जोड़	4750	
	कुल 11वीं योजना	10890	

मानसून की कमी का प्रभाव

*34. **श्री गुरूदास दासगुप्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छ: महीनों के दौरान भारत में मानसून में कितनी कमी रही;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप इस वर्ष कृषि उत्पादन और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की सूचना के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून 2009 (1.6.2009 से 30.9.2009 तक) के दौरान देश में 892.2 मि.मी. की सामान्य औसत वर्षा के मुकाबले कुल मिलाकर 689. 8 मि.मी. वर्षा हुई जो -23% के विचलन की द्योतक है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित सारणी में कृषि उत्पादन के 2008-09 के चौथे अग्रिम अनुमानों की तुलना में कृषि मंत्रालय द्वारा 3.11.2009 को जारी 2009-10 के प्रथम अग्रिम अनुमान दिए गए हैं:

सारणी: खरीफ उत्पादन (मिलियन टन)

फसल	2009-10 प्रथम अग्रिम अनुमान	2008-09 चौथे अग्रिम अनुमान	अंतर
चावल	69.45	84.58	-15.13
मोटे अनाज	22.76	28.34	-5.58
कुल खरीफ दालें	4.42	4.78	-0.36
कुल खाद्यान्न	96.63	117.70	-21.07
तिलहन	15.23	17.88	-2.65
गन्ना	249.48	273.93	-24.45
कपास$	23.66	23.16	0.50
पटसन एवं मेस्ता$$	10.25	10.40	-0.15

$उत्पादन प्रति 170 कि.ग्रा. की हजार गांठें

$$उत्पादन प्रति 180 कि.ग्रा. की हजार गांठें

सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दरें केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित की जाती हैं। वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) अनुमान यह दर्शाते हैं कि कृषि में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खरीफ 2009-10 के दौरान कृषि उत्पादन में आई कमी का स. घ.उ. पर पड़ने वाला असर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा मौसम की प्रासंगिक तिमाही की स.घ.उ. की विकास दरें प्रकाशित किए जाने के पश्चात ही ज्ञात होगा।

भारत सरकार ने खड़ी फसलें बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि निविष्टियों के अभाव में कोई भूमि बिना बोआई के न रहे ताकि खरीफ में हुई हानि को रबी मौसम में अधिक उत्पादन करके आंशिक रूप से पूरा किया जा सके। वर्षा में हुई कमी के असर को कम करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे बोआई न किए गए/अंकुरण न हुए क्षेत्रों में कम अवधि की/वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए वैकल्पिक योजना बनाए।

(2) सरकारी कार्यक्रमों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के अंतर्गत ट्रुथफुली लेबल्ड (टीएल) बीजों के प्रयोग, बीज की किस्मों के लिए अवधि की छूट और मिनिकिटों के वितरण की अनुमति दी गई।

(3) केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत धनराशि उपलब्ध कराई गई ताकि कृषि पुनर्निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जा सके।

(4) सूखा ग्रस्त राज्यों को सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) के तहत गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) श्रेणी के लिए अक्टूबर से दिसम्बर, 2009 तक खाद्यान्नों का अतिरिक्त तदर्थ मासिक आवंटन किया गया।

(5) 15 जुलाई, 2009 की स्थिति के अनुसार 50% से भी अधिक की वर्षा की कमी वाले सूखा-ग्रस्त राज्यों और जिलों के लिए, सूखा एवं कम वर्षा के प्रभावित क्षेत्रों हेतु डीजल सब्सिडी की योजना 30.9.09 तक की अवधि के लिए घोषित की गई थी। बाद में इस योजना में ढील दी गई ताकि कम वर्षा (-60% या अधिक) वाले क्षेत्रों के लिए इसमें 15.7.2009 से शुरू होने वाली लगातार 15 दिन तक की सूखा-अवधि वाले क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

*35. श्री रमेश राठौड़:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले और घाटे में चलने वाले उपक्रमों के विनिवेश के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान विनिवेश किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले में कितना विनिवेश करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) विनिवेश संबंधी नीति को 04 जून, 2009 को राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण और 06 जुलाई, 2009 को वित्त मंत्री के बजट भाषण में स्पष्ट किया गया है और इसमें केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संपदा और समृद्धि में भागीदारी करने के लिए ''जन-स्वामित्व'' को बढ़ावा देने और अधिकांश शेयरधारिता तथा नियंत्रण सरकार के पास बनाए रखने की अपेक्षा की गई है। यह उद्देश्य लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रासंगिक है, चूंकि केवल ये ही ऐसे उद्यम हैं जो समृद्धि में भागीदारी के लिए निवेशकों की रूचि स्थायी रूप से बनाए रखेंगे।

इस नीतिगत घोषणा के अनुसार, सरकार ने निर्णय किया है कि: (1) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम, जो अनिवार्यत: 10 प्रतिशत की आम जनमानस की भागीदारी की शर्त को पूरा नहीं करते, उनमें इस शर्त का पालन किया जाए; और (2) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के वे उपक्रम जिनका निवल मूल्य सकारात्मक है, और जिनका संचित घाटा नहीं है तथा जो पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ कमा रहे हैं; उनमें सरकार की शेयरधारिता में से सार्वजनिक पेशकश या कंपनी द्वारा इक्विटी के नए निर्गम या दोनों के जरिए उन्हें सूचीबद्ध किया जाए।

(ख) विनिवेश विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि इक्विटी के नए निर्गम के माध्यम से उन उद्यमों की पूंजी व्यय संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके। विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक मामले पर विनिवेश नीति के अनुसार सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

नकली औषधियां

*36. श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लंदन स्थित इंटरनेशनल पॉलिसी नेटवर्क और बिजनेस मानीटर इंटरनेशनल की रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें भारत को नकली औषधियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कौन-कौन सी कंपनियां और व्यक्ति ऐसी औषधियों के विनिर्माण और बिक्री के लिए दोषी पाये गये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) नकली औषधियों के विनिर्माताओं और व्यापारियों की जांच करने, उनका पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय नीति (इंटरनेशनल पालिसी) नेटवर्क रिपोर्ट विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नकली औषधों की उपलब्धता के संबंध में है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह एसोचेम की रिपोर्ट के संदर्भ में है।

(ख) एसोचेम की रिपोर्ट किसी सर्वेक्षण किसी सर्वेक्षण या निष्कर्षों पर आधारित नहीं है बल्कि इसमें वास्तविक विनिर्माताओं के वार्षिक टर्नओवर में लगभग 25 प्रतिशत की कमी ध्यान में रखा गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में जांचें गए औषध नमूनों से पता चला कि प्रतिवर्ष जांचे गए लगभग 40,000 नमूनों के लगभग 0.3 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत नमूने नकली पए गए। देश में नकली औषधों की सही मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, हैदराबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए सांख्यिकी सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा किए गए हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि नकली औषधों की मात्रा इस स्तर से और भी कम है (लगभग 0.45 प्रतिशत)।

(ग) वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान राज्य लाइसेन्सिंग प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार जांचे गए नमूनों की संख्या, नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई औषधों के लगभग मूल्य से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। वर्ष 2008-09 से संबंधित सूचना राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त हुई है और यह संलग्न विवरण II में दी गई है।

(घ) देश में घटिया एवं नकली औषधों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठए गए हैं:-

1. औषध एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 को औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत संशोधित किया गया है जिसे संसद द्वारा 5 दिसम्बर, 2008 को पारित किया गया है और यह 10 अगस्त, 2009 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत नकली एवं संज्ञेय एवं गैर-जमानती बनाया गया है।

2. देश में नकली औषधों की आवाजाही का पता लगाने के लिए सजग लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रभावी नीति (विसॅल ब्लोवर पॉलिसी) घोषित की गई है। इस नीति के अंतर्गत विनियामक प्राधिकरियों को नकली औषधों की आवाजाही के बारे में सही सूचना प्रदान करने के लिए सूचनाकर्ताओं को समुचित पुरस्कार दिया जाएगा।

3. केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के पत्तन एवं आंचलिक कार्यालय देश में नकली औषधों के मामलों का पता लगाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

4. देश में नकली औषधों के आयात के बारे में संबंधित विभागों को विषय से अवगत कराने और नकली औषधों के आयात के मामलों में पूर्ण अधिग्रहण एवं अभियोजन के लिए कार्रवाई करने हेतु राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा शुल्क आयुक्त और सभी पत्तन अधिकारियों के साथ एक बैठक दिनांक 23.6.2009 को आयोजित की गई।

5. औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, औषध परामर्शी समिति में राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे देश में नकली औषधों की मात्रा का मूल्यांकन करने में सक्रिय भूमिका अदा करें।

6. औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत बढ़ाए गए दंडों के आलोक में नकली या घटिया घोषित किए गए नमूनों पर कार्रवाई करने हेतु मार्गनिर्देशों को देश में औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के समरूप कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए अपनाया गया। इन मार्गनिर्देशों को केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की बेवसाइट पर रखा गया है।

7. विश्व बैंक के जरिए क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत जांच सुविधाएं उन्नत करने और बड़ी संख्या में नमूनों की संख्या की जांच करने के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने हेतु नई औषध जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 23 राज्यों और 6 केन्द्रीय औषध प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।

8. चीन से अपंजीकृत स्रोतों से ठोस औषधों के आयात के मामलों का हाल में पता चला है जिनमें निम्नलिखित भारतीय कंपनियां शामिल हैं और जिनको आगे की जांच पड़ताल के लिए पहले ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है:-

   i. मैसर्स जे.बी. खोखानी एवं कंपनी

   ii. मैसर्स इन्वी ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड

   iii. मैसर्स शीतल फार्मा

   iv. मैसर्स सी जे शाह एवं कंपनी

9. ऐसे ही तीन अन्य मामलों, जिनमें निम्नलिखित भारतीय कंपनियां शामिल हैं, के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय लिया गया है:-

   i. मैसर्स कंवर लाल एवं कंपनी

   ii. मैसर्स एडकॉड इन्ग्राम लिमिटेड

10. चीनी कंपनी द्वारा विनिर्मित एवं वी एच बी लाइफ साइंसेस लिमिटेड, मुम्बई द्वारा आयात किए गए एवं वितरण किए गए नकली इविग्लोब इन्जेक्शन की बिक्री के लिए श्री विनायमक ट्रेडिंग कंपनी, मुम्बई के शामिल होने से संबंधित एक अन्य मामले का पता लगाया गया है।

11. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र) के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.11.2009 को छापा मारा गया और भागीरथ पैलेस, नई दिल्ली में 12 दुकानों पर छापे मारे गए।

विवरण I

राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजन की संख्या और निर्णय किए गए मामलों की संख्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई औषधों का अनुमानित मूल्य

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांचे गए औषध नमूनों की संख्या	घटिया गुणवत्ता घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए शुरु किए गए अभियोजन की सं.	निर्णय किए गए मामलों की संख्या (जैसाकि पूर्व के कॉलम में उल्लिखित है)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधों का लगभग मूल्य (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4502	45	11	10	6	शून्य	2,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश							
3.	असम	416	23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	1119	53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	141	18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	2900	379	21	10	शून्य	9	5,50,000
7.	हरियाणा	1974	129	3	32	57	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	775	6	2	6	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	508	41	शून्य	6	शून्य	शून्य	5,18,000
10.	कर्नाटक	2942	219	46	4	शून्य	1	2,58,60,000
11.	केरल	3998	75	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	3524	143	1	4	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	6210	723	14	175	26	12	
14.	मणिपुर							
15.	मेघालय	196	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	4	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	52	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	1491	120	7	1	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	2073	185	8	2	1	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	1246	153	8	8		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	सिक्किम	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
22.	तमिलनाडु	3457	262	9	5	1		शून्य
23.	त्रिपुरा	569	2	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1817	103	3	17	2	2	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	882	95	1	16	शून्य	3	30,00,000
26.	पुडुचेरी	12	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	229	9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	1081	47	5	3	शून्य	4	शून्य
30.	दादर और नगर हवेली	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	60	3	2	2	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षदीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	166	26	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	708	63	9	9		2	
35.	उत्तराखंड	66	5	शून्य	4			
	कुल	43138	2934	152	316	94	35	3,01,28,600

राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या, शुरू किए गए अभियोजन की संख्या और निर्णय किए गए मामलों की संख्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई औषधों का अनुमानित मूल्य

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांचे गए औषध नमूनों की संख्या	घटिया गुणवत्ता घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए शुरु किए गए अभियोजन की सं.	निर्णय किए गए मामलों की संख्या (जैसाकि पूर्व के कॉलम में उल्लिखित है)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधों का लगभग मूल्य (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3539	35	6	6	3	शून्य	1,00,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश							
3.	असम	416	21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	1220	54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	54	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	2955	385	17	10	2	शून्य	1,25,000
7.	हरियाणा	2146	138	2	41	76	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	420	6	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	772	39	1	13	शून्य	शून्य	2,50,000
10.	कर्नाटक	2583	217	शून्य	5	शून्य	1	15,000
11.	केरल	3984	218	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	मध्य प्रदेश	2041	100	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र							
14.	मणिपुर							
15.	मेघालय	255	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	7	1	शून्य	–	1	5	शून्य
17.	नागालैंड	40	शून्य	–	शून्य	–	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	976	91	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	2897	111	7	10	6	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	2732	135	5	4		शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
22.	तमिलनाडु	3255	213	2	2	1	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	449	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	1475	48	5	7	शून्य	1	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	764	81	4	16	शून्य	5	1,00,000,00
26.	पुडुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	166	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	619	31	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	दमन और दीव	35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षदीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	304	44	2	1	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	351	24	3	सदर थाना, मेदिनीनगर में प्राथमिकी दर्ज की गई	–	–	
35.	उत्तराखंड	254	7	शून्य	4	2	–	–
	कुल	34738	2024	58	115	89	12	20390000

राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान जांच किए गए नमूनों की संख्या, उन नमूनों की संख्या जिन्हें मानक गुणवत्ता का घोषित नहीं किया गया, शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या, निर्णय किए गए मामलों की संख्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई औषधों के अनुमानित मूल्य का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जांचे गए औषध नमूनों की संख्या	घटिया गुणवत्ता घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित घोषित किए गए औषध नमूनों की संख्या	नकली/अपमिश्रित औषधों के विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण के लिए शुरु किए गए अभियोजन की सं.	निर्णय किए गए मामलों की संख्या (जैसाकि पूर्व के कॉलम में उल्लिखित है)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई औषधों का लगभग मूल्य (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3962	82	5	1	1	शून्य	2,50,000
2.	अरुणाचल प्रदेश							
3.	असम	237	21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	1471	36	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	164	32	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	1984	269	4	5	शून्य	शून्य	14,000
7.	हरियाणा	1913	108	शून्य	27	43	2	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	623	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	696	39	शून्य	शून्य	9	शून्य	4,10,000
10.	कर्नाटक	3094	224	01(वेट)	24	शून्य	शून्य	13,24,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	केरल	4228	222	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1848	59	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	7038	633	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर							
15.	मेघालय	276	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	46	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	1133	77	2	1	शून्य	4	शून्य
19.	पंजाब	914	30	6	4	1	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	1805	126	2	2	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
22.	तमिलनाडु	1988	260	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	381	14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	3548	74	16	28	4	64	7,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	855	66	7	11	शून्य	7	1,10,000,00
26.	पुडुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	90	2	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	52	4	1	2	शून्य	8	शून्य
30.	दादर और नगर हवेली	19	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	41	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षदीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	283	31	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	131	9	4	–	–		
35.	उत्तराखंड	273	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	39117	2429	46	115	54	85	26,98,000

विवरण II

नकली औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण में शामिल व्यक्तियों/कंपनियों के ब्यौरे के संबंध में सूचना दर्शाने वाला विवरण (2008-09)

क्र.सं.	राज्य	नकली घोषित किए गए नमूनों की संख्या	नकली औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	नकली औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए आरोप तय किए व्यक्तियों की संख्या	नकली औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण में शामिल व्यक्तियों/कंपनियों का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1			1
2.	अरुणाचल प्रदेश	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
3.	असम	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
4.	बिहार	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	6	1	शून्य	4
7.	हरियाणा	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
8.	हिमाचल प्रदेश	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	14	13	शून्य	14
14.	मणिपुर	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
15.	मेघालय	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
18.	उड़ीसा	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
19.	पंजाब	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए			
20.	राजस्थान	8	3		8

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
22.	तमिलनाडु	2	शून्य	1	2
23.	त्रिपुरा	4	शून्य	शून्य	1
24.	उत्तर प्रदेश		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
25.	पश्चिम बंगाल		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
26.	पुडुचेरी		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
29.	दिल्ली		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
30.	दादरा और नगर हवेली		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
31.	दमन और दीव		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
34.	झारखंड		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		
35.	उत्तराखंड		आंकड़े प्राप्त नहीं हुए		

[अनुवाद]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

*37. **श्री निशिकांत दुबे:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में अधिकतम मांग और कम मांग वाले घंटों के दौरान विद्युत की राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्रवार प्रति व्यक्ति मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत का उत्पादन देश में विद्युत की बढ़ती मांग के अनुरूप रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय स्तर पर औसत संयंत्र भार क्षमता की तुलना में राज्य क्षेत्र के अनेक विद्युत संयंत्रों की संयंत्र भार क्षमता कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आगामी वर्षों में देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) पिछले 3 वर्षों अर्थात 2006-07, 2007-08 के दौरान राज्यवार/यू.टी. वार प्रति व्यक्ति कि. वाट घंटा/व्यक्ति/वर्ष की ऊर्जा आवश्यकता तथा उपलब्धता एवं अधिकतम मांग एवं अधिकतम पूरी की गई मांग (कि.वा.घं./व्यक्ति/वर्ष) संलग्न विवरण I पर दी गई है।

(ख) और (ग) देश में विद्युत की कुल आवश्यकता की तुलना में देश में विद्युत उत्पादन कम रहा है जिसका मुख्य कारण,

विद्युत की मांग की बढ़ोत्तरी के अनुरूप क्षमता अभिवृद्धि में बढ़ोत्तरी न हो पाना है। देश में ऊर्जा तथा व्यस्ततमकालीन विद्युत के संबंध में, पिछले तीन वर्षों (एवं चालू वर्ष (अक्टूबर, 2009 तक) की वृद्धि दरों सहित समग्र विद्युत आपूर्ति स्थिति नीचे दी गई है-

ऊर्जा

वर्ष	आवश्यकता		उपलब्धता		किमी.	
	(मि.यू.)	% वृद्धि	(मि.यू.)	% वृद्धि	(मि.यू)	%
2006-07	6,90,587	9.3	6,24,495	7.9	66,092	9.6
2007-08	7,39,343	7.1	6,66,007	6.6	73,336	9.9
2008-09	777,039	5.1	691,038	3.8	86,001	11.1
2009-10 (अक्टू 09 तक)*	485,864	7.5	438,027	8.5	47,837	9.8

व्यस्ततमकालीन

	मांग		पूर्ति		कमी	
	(मेगावाट)	% वृद्धि	(मेगावाट)	% वृद्धि	(मेगावाट)	%
2006-07	100,715	8.0	86,818	6.1	13,897	13.8
2007-08	108,866	8.1	90,793	4.6	18,073	16.6
2008-09	109,809	0.9	96,785	6.6	13,024	11.9
2009-10 (अक्टू 09 तक)*	116,281	5.9	101,609	7.4	14,672	12.6

*अनंतिम

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अक्टूबर, 2009 तक) के दौरान, पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में ऊर्जा की मांग में वृद्धि, विद्युत ऊर्जा उपलब्धता के राज्य ब्यौरा संलग्न विवरण II पर दिए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि कुछ राज्यों/संघ क्षेत्र के संबंध में विद्युत की वास्तविक उपलब्धता में, इसकी मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है और इसमें भी वर्ष-दर-वर्ष अंतर है। विद्युत की कमी के मुख्य कारण हैं (1) अपर्याप्त क्षमता अभिवृद्धि, (2) जलाशयों तथा जल विद्युत परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में विलंबित तथा अपर्याप्त वर्षा, (3) कुछ ताप इकाईयों, जोकि अधिकतर राज्य क्षेत्र में है, का निम्न संयंत्र भार कारक (4) गैस, नाभिकीय ईंधन एवं कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता, (5) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस तथा नापथा की बहुत ज्यादा कीमतें इन ईंधनों को अवहनीय कर रही हैं, (6) विद्युत की चोरी सहित उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियां, तथा (7) राज्य यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति, पर्याप्त उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली तैयार करने के लिए अपेक्षित निवेश करने हेतु आवश्यक संसाधनों को जुटाने में उनके लिए कठिनाई बन रही है।

(घ) और (ङ) पिछले वर्ष 2008-09 तथा चालू वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर, 09) के दौरान राज्य क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों के औसत संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) तथा साथ ही साथ औसत राष्ट्रीय पीएलएफ निम्नानुसार है;

वर्ष	पीएलएफ (%)	
	राष्ट्रीय औसत	राज्य क्षेत्र
2008-09	77.22	71.20
2009-10 (अप्रैल-अक्टूबर 09)*	75.79	69.18

*आंकड़े अनंतिम

राज्य क्षेत्र में विद्युत केन्द्रों के निम्न पीएलएफ के मुख्य कारण पुरानी तथा छोटे आकार की उत्पादक इकाईयां, कोयले की कमी, कोयले की निम्न गुणवत्ता, विद्युत केन्द्रों में सहायक प्रणालियों की बाधाएं, मरम्मत के लिए इकाईयों की लंबी अवधि तक बंदी (मजबूरन बंदी तथा नियोजित रख-रखाव) हैं।

(च) योजना आयोग ने देश की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए 11वीं योजना के दौरान 78,700 मेगावाट का क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया है। लगभग कुल 18,859 मेगावाट की परियोजनाएं 9 नवंबर, 2009 तक चालू हो चुकी हैं तथा कुल 43,515 मेगावाट क्षमता 11वीं योजना की शेष अवधि के दौरान चालू होने की पूर्ण आशा है।

आने वाले वर्षों में, देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम निम्नानुसार हैं:-

- चल रही विद्युत उत्पादक परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन मॉनीटरिंग।
- प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से 4000 मेगावाट (प्रत्येक) की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।
- अधिशेष कैप्टिव विद्युत को ग्रिड में भेजना।
- अंतर्राष्ट्रीय सभाओं तथा क्षेत्रीय कार्यशालाओं इत्यादि का आयोजन के द्वारा, बढ़ती निर्माण क्षमता तथा मुख्य संयंत्र उपकरण तथा संयंत्र शेष जैसे कोयला हैंडलिंग संयंत्र, राख हैंडलिंग संयंत्र, जल उपचार संयंत्र आदि के लिए विक्रेता आधार बढ़ाने की आवश्यकताओं के प्रति को संवेदनशील बनाना। अन्य क्षेत्रों यथा-निर्माण से पहले जटिल सामग्री का अग्रिम प्रापण तथा आवश्यक निधियों की व्यवस्था का भी समाधान किया जा रहा है।
- घरेलू कोयले की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात।
- गैस आधारित केन्द्रों से उत्पादन वृद्धि करने के लिए विद्युत क्षेत्र को केजी बेसिन से गैस का आबंटन।

विवरण I

प्रति व्यक्ति ऊर्जा आवश्यकता और उपलब्धता (कि.वा.घं. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007		2008		2009	
		प्रति व्यक्ति ऊर्जा आवश्यकता	प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता	प्रति व्यक्ति ऊर्जा आवश्यकता	प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता	प्रति व्यक्ति ऊर्जा आवश्यकता	प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	1,277	1,275	1,341	1,341	1,281	1,281
2.	दिल्ली	1,328	1,306	1,291	1,283	1,250	1,243
3.	हरियाणा	1,111	979	1,224	1,070	1,195	1,094
4.	हिमाचल प्रदेश	787	766	910	883	942	939
5.	जम्मू और कश्मीर	961	654	935	663	882	669
6.	पंजाब	1,460	1,316	1,583	1,450	1,539	1,376
7.	राजस्थान	518	494	563	545	570	564
8.	उत्तर प्रदेश	303	255	325	266	352	277
9.	उत्तराखंड	631	593	736	715	807	799
10.	छत्तीसगढ़	599	561	590	562	613	597

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	गुजरात	1,114	964	1,209	1,013	1,171	1,056
12.	मध्य प्रदेश	563	477	594	510	591	489
13.	महाराष्ट्र	1,035	838	1,067	871	1,118	878
14.	दमन और दीव	8,613	7,570	9,288	8,272	9,215	8,082
15.	दादरा और नगर हवेली	11,286	11,116	12,689	12,629	12,949	12,525
16.	गोवा	1,632	1,621	1,655	1,635	1,645	1,617
17.	आंध्र प्रदेश	745	712	776	744	856	798
18.	कर्नाटक	714	699	698	679	740	695
19.	केरल	441	432	455	444	508	448
20.	तमिलनाडु	930	914	986	959	1,036	955
21.	पुडुचेरी	1,694	1,694	1,697	1,687	1,833	1,609
22.	लक्षद्वीप	362	362	338	338	338	338
23.	बिहार	90	83	97	84	110	92
24.	डीवीसी	146	139	170	147	175	167
25.	झारखंड	430	423	470	461	506	499
26.	उड़ीसा	304	297	328	315	350	339
27.	पश्चिम बंगाल	377	369	475	446	567	545
28.	सिक्किम	588	466	577	433	555	433
29.	अरुणाचल प्रदेश	240	217	323	250	348	222
30.	असम	144	134	160	146	167	149
31.	मणिपुर	173	164	200	189	208	178
32.	मेघालय	542	421	634	482	663	536
33.	मिजोरम	241	227	292	249	330	269
34.	नागालैंड	158	151	171	152	213	196
35.	त्रिपुरा	230	209	220	194	224	203
	भारत	632	572	667	601	692	615

प्रति व्यक्ति व्यस्ततमकालीन मांग और व्यस्ततमकालीन आपूर्ति (कि.वा.घं. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007		2008		2009	
		प्रति व्यक्ति व्यस्ततमकालीन मांग	प्रति व्यक्ति व्यस्ततमकालीन आपूर्ति	प्रति व्यक्ति व्यस्ततमकालीन मांग	प्रति व्यक्ति व्यस्ततमकालनी आपूर्ति	प्रति व्यक्ति व्यस्ततमकालीन मांग	प्रति व्यक्ति व्यस्ततमकालीन आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चंडीगढ़	251	235	255	255	253	253
2.	दिल्ली	237	222	234	232	225	225
3.	हरियाणा	205	178	207	201	227	197
4.	हिमाचल प्रदेश	134	134	161	153	159	153
5.	जम्मू और कश्मीर	125	107	155	114	163	106
6.	पंजाब	339	248	324	274	321	270
7.	राजस्थान	90	77	98	85	95	92
8.	उत्तर प्रदेश	48	40	58	44	54	42
9.	उत्तराखंड	117	105	125	120	130	130
10.	छत्तीसगढ़	112	81	101	92	119	117
11.	गुजरात	207	145	213	156	205	155
12.	मध्य प्रदेश	118	93	103	92	106	96
13.	महाराष्ट्र	164	119	171	126	166	126
14.	दमन और दीव	1,129	1,016	1,257	1,126	1,231	1,103
15.	दादरा और नगर हवेली	1,602	1,498	1,723	1,588	1,826	1,605
16.	गोवा	285	261	276	246	274	243
17.	आंध्र प्रदेश	125	106	122	111	133	120
18.	कर्नाटक	109	102	114	96	118	112
19.	केरल	82	80	85	79	92	79
20.	तमिलनाडु	134	130	155	130	146	137
21.	पुडुचेरी	248	248	254	254	276	250
22.	लक्षद्वीप	87	87	85	85	85	85
23.	बिहार	15	12	20	13	19	14
24.	डीवीसी	23	22	29	26	29	29

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	झारखंड	68	66	78	72	76	74
26.	उड़ीसा	55	53	60	56	60	60
27.	पश्चिम बंगाल	76	76	115	110	160	157
28.	सिक्किम	98	78	96	77	94	89
29.	अरुणाचल प्रदेश	73	64	84	62	106	65
30.	असम	26	23	28	25	31	26
31.	मणिपुर	41	39	45	37	48	35
32.	मेघालय	159	107	178	109	177	113
33.	मिजोरम	85	82	98	59	100	64
34.	नागालैंड	36	36	41	40	43	39
35.	त्रिपुरा	48	41	48	40	47	44
	भारत	92	79	98	82	98	86

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा आवश्यकता व ऊर्जा उपलब्धता में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10*	
	ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि (%)	ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि (%)	ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि (%)	ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि (%)	ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि (%)	ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि (%)	ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि (%)	ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	6.6	6.6	7.7	7.8	-2.2	-2.2	11.5	8.6
दिल्ली	3.7	3.4	0.2	1.3	-0.2	-0.1	8.8	8.4
हरियाणा	10.3	6.9	11.8	10.9	-0.9	3.8	20.4	26
हिमाचल प्रदेश	19.4	17.3	16.7	16.4	4.5	7.3	9.8	6.4
जम्मू और कश्मीर	29.3	4.1	0.5	4.7	-2.7	4	16.4	18.2
पंजाब	8.3	6.9	9.7	11.4	-1.7	-4	13.4	6.5
राजस्थान	3.7	2.7	10.5	12.2	2.9	5	17.4	14.5
उत्तर प्रदेश	3.2	9.8	9	6.1	10.5	5.8	14.7	10.4
उत्तराखंड	15.6	11.8	18.3	22.3	11.3	13.4	14.2	9.6
उत्तरी क्षेत्र	**7.2**	**6.7**	**8.7**	**9**	**3.3**	**3**	**14.9**	**12.2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
छत्तीसगढ़	8.1	5	0.1	1.8	5.6	7.9	-16.1	-16
गुजरात	9.3	3.1	10.1	6.5	-1.8	5.6	-0.4	12.2
मध्य प्रदेश	5.1	3.8	7.4	8.7	1.2	-2.4	7.2	2.1
महाराष्ट्र	7	6	4.4	5.3	6.1	2	3.4	6.7
दमन और दीव	19	6.4	10.7	12.2	1.3	-0.3	8.7	11.4
दादरा और नगर हवेली	15.1	13.7	15.9	17.1	5.5	2.5	8.8	5.1
गोवा	12.2	11.5	4.4	3.9	2.2	1.7	8.7	7.3
पश्चिमी क्षेत्र	**7.6**	**4.9**	**6.4**	**6.2**	**3**	**2.6**	**1.9**	**6**
आंध्र प्रदेश	15	11.4	5.2	5.5	11.5	8.4	11.3	11.3
कर्नाटक	17.9	16.2	-1.2	-1.8	7.1	3.4	4.9	3.4
केरल	9.9	8.4	4.3	3.9	12.7	1.8	-1.5	8.1
तमिलनाडु	13.5	12.2	7	5.8	5.9	0.4	5	7.2
पुडुचेरी	7.7	7.7	1.8	1.8	9.7	-3.7	4.7	8.6
लक्षद्वीप	4.2	4.2	-4	-4	0	0	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**14.6**	**12.5**	**4.2**	**3.8**	**8.7**	**3.8**	**6.6**	**7.9**
बिहार	5.9	7.2	8.7	2.5	15	10.9	12.7	12.7
डीवीसी	15.4	14.3	16	15.3	4.6	5.1	5.2	4.8
झारखंड	8.3	7.4	17.6	7.3	4.3	14.6	9.3	10.5
उड़ीसा	12.4	11.9	10.2	10.1	8.9	9.3	4.6	5.1
पश्चिम बंगाल	6.4	5.9	9.4	7.5	7.8	8.6	7.8	8.5
सिक्किम	5.2	3.8	27.4	22.5	20.8	23.6	28.9	8.1
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	13.1	0	-5.3	-1.7	2.2	2.9	-3.7
पूर्वी क्षेत्र	**9.4**	**9**	**11.2**	**8.9**	**8.2**	**8.8**	**7.4**	**7.6**
अरुणाचल प्रदेश	37.5	25.7	36.7	16.6	9	-10.3	-19.1	9
असम	6.1	5.5	12.1	10.7	6	3.5	-0.8	1.5
मणिपुर	-11.6	-12.3	17.5	16.8	4.9	-4.8	-14.7	-25
मेघालय	-1	-7.1	18.4	15.9	5.7	12.5	-18.8	-12.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मिजोरम	2.2	2.3	22.6	11.3	14.6	9.3	7	2
नागालैंड	-15.9	-15.7	9.9	1.8	26	30.5	25.2	7.9
त्रिपुरा	7.7	9.3	-3.1	-5.8	3	6.1	10.1	5.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3.3**	**1.8**	**13.1**	**10**	**6.9**	**5.5**	**-3.8**	**-1.6**
अखिल भारत	**9.3**	**7.9**	**7.1**	**6.6**	**5.1**	**3.8**	**7.5**	**8.5**

*अप्रैल-अक्टूबर, 2009, आंकड़े अनंतिम हैं।

नई कर संहिता

***38. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित नई प्रत्यक्ष कर संहिता की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) संशोधित व्यपाक कराधार प्रस्तावों के साथ नई दरें राजस्व के मौजूदा स्तर को किस सीमा तक प्राप्त कर लेंगी;

(ग) क्या सरकार ने देश में नई कर संहिता को अंतिम रूप दिए जाने से पहले लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) नई प्रत्यक्ष कर संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

* प्रस्तावित नई कर संहिता आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगी और यह मौजूदा कानून का संशोधन नहीं है।
* इसका प्रारूप ऐसी सरल भाषा में तैयार किया गया है जो स्पष्टता, अभिप्राय, कार्यक्षेत्र तथा कानूनी उपबंधों के विस्तार का बोध करायेगी। इससे करदाताओं की ओर से स्वैच्छिक अनुपालन में मदद मिलेगी।
* इससे व्याख्या में संदिग्धता दूर होगी और इस प्रकार विवाद की संभावना कम होगी।
* इसकी संरचना ऐसे तरीके से की गई है जो बारंबार होने वाले संशोधनों का समाधान किए बिना बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करने में सक्षम है।
* नई कर संहिता में छूटों तथा कटौतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है ताकि कर लगाने वाली संविधि को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। इससे प्रक्रिया काफी सरल हुई है।
* इसमें कर दरों में स्थायित्व लाने का प्रयास किया गया है।

(ख) इस संहिता में निर्देशात्मक कर दरों तथा कर आधार का प्रस्ताव किया गया है जिसका उद्देश्य अधिक अथवा कम से कम राजस्व के मौजूदा स्तर को प्राप्त करना है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार ने प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी प्रारूप प्रस्ताव जारी करके वित्त मंत्रालय की वेबसाइट directtaxescode-rev@nic.in पर लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों ने कई संगोष्ठियों में भाग लिया और कई प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया। उनके सुझाव प्राप्त हो गए हैं और प्रारूप विधेयक को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा उनकी जांच की जा रही है।

जनजातियों का विस्थापन

***39. श्री भक्त चरण दास:**
श्री के.डी. देशमुख:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन/अभयारण्य क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के अधिकारों को शासित करने वाले कानूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा सहित राज्यों में बाघ/वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में घोषित क्षेत्रों में जनजातियों के अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित ओर सुरक्षित रखा जाता है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जनजातियों के उनके मूल पर्यावरण से विस्थापन के मामले जानकारी में लाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं, परन्तु जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, के अधिकारों की पहचान एवं उन्हें प्रदान करने के लिए तथा इस प्रकार से प्रदान गए वन अधिकारों को रिकार्ड करने हेतु रूपरेखा प्रदान करने के लिए और इस वन भूमि के संबंध में इस प्रकार की पहचान और उन्हें प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक साक्ष्यों की प्रकृति के लिए संसद ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नामक अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम को दिनांक 31 दिसम्बर 2007 से प्रचालन हेतु अधिसूचित कर दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता, है, को 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(ख) इस अधिनियम की धारा 2(घ) के अनुसार "वन भूमि" शब्द का आशय किसी भी किस्म की भूमि से है जो वन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है तथा जिसमें अवर्गीकृत वन, असीमांकित वन, विद्यमान या डीम्ड वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क शामिल हैं। इसलिए, उड़ीसा सहित सभी राज्यों में बाघ/वन्य जीव अभ्यारण्यों के रूप में घोषित क्षेत्रों में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को भी दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित किए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यदि पात्र हैं तो उन्हें इस अधिनियम के तहत पहचाना जाता है और प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, जनजातीय समुदायों को वन भूमि से बेदखली के आरोपों वाली प्राप्त की गई शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता

***40. श्री जगदीश शर्मा:**
श्री राजनाथ सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों और अब तक हासिल की गई वास्तविक उपलब्धियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को उक्त अवधि के दौरान हांसिल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान शुरू किए जाने की आशा है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) दिनांक 17.11.2009 के अनुसार वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजित करने में अब तक क्षेत्रवार निर्धारित लक्ष्य और प्रप्त की गई वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं-

(मेगावाट में)

क्षेत्र	थर्मल		हाइड्रो		न्यूक्लीयर		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
केंद्रीय	2490	1000	252	–	660	–	3402	1000
राज्य	4679	1979	262	39	–	–	4941	2018
निजी	5833	3124	331	–	–	–	6164	3124
कुल	13002	6103	845	39	660	–	14507	6142

(ख) से (घ) 14507 मेगावाट के लक्ष्य में से 11269 मेगावाट उत्पादन क्षमता संयोजना वर्ष 2009-10 में ही प्राप्त होने की संभावना है। निर्धारित लक्ष्यों, के परियोजना-वार ब्यौरे, अब तक प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियां और वर्ष 2009-10 में पिछड़ने वाली परियोजनाओं के संबंध में विलंब के कारणों संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

2009-10 के दौरान निर्धारित/चालू परियोजनाएं (वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	थर्मल							
क	सुनिश्चितता							
	केन्द्रीय							
1.	कहलगांव एसटीपीएस-II (फेज-1 और II) यू-7*	एनटीपीसी	500	500	बीएचईएल	31.07.09 (ए)	चालू	
2.	भिलाई टीपीपी यू-2	एनटीपीसी एवं सेल जेवी	250	250	बीएचईएल	12.07.09 (ए)	250	चालू
3.	चंद्रपुरा टीपीएल विस्तार यू-7	डीबीसी	250	250	बीएचईएल	4.11.09 (ए)	250	चालू
4.	चंद्रपुरा टीपीएस विस्तार यू-6	डीबीसी	250	0	बीएचईएल	स्लीपिंग		जीटी निर्माण की धीमी प्रगति। बॉयलर सामग्री की आपूर्ति एवं निर्माण में विलंब
5.	बरसिंगसार लिग्नाईट यू-1	एनएलसी	125	125	बीएचईएल	फरवरी-10		27.10.09 को समकालिकता
6.	एनसीपी प्रोजेक्ट स्टेज-II यू-5	एनटीपीसी	490	490	बीएचईएल	दिसंबर-09		
	उप जोड़		1865	1615			1000	
	राज्य क्षेत्र							
7.	विजयवाड़ा टीपीसी-iv यू-1	एपीजेनको	500	500	बीएचईएल	08.10.09	500	चालू
8.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार यू-4	बीएचईएल	75	75	बीएचईएल	01.10.09	75	चालू
9.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी विस्तार यू-3	जीआईपीसीएल	125	125	बीएचईएल	दिसंबर 09		
10.	उतरन सीसीपीपी विस्तार जीटी	जीएसईबीएल	240	240	अन्य	08.08.09 (ए)	240	चालू
11.	उतरल सीसीपीपी विस्तार जीटी	जीएसईबीएल	134	134	अन्य	10.10.09 (ए)	134	चालू
12.	राजीव गांधी टीपीएल, हिसार यू-1	एचपीजीसीएल	600	600	चाईनीज	जनवरी-10		
13.	न्यू पाली टीपीपी यू-2	एमएसपीजीसीएल	250	250	बीएचईएल	जनवरी-10		
14.	पारस टीपीएस विस्तार यू-2	एमएसपीजीसीएल	250	250	बीएचईएल	फरवरी-10		
15.	छबरा टीपीएस यू-1	आरआरवीयूएनएल	250	250	बीएचईएल	30.10.09 (ए)	250	चालू
16.	जिराल लिग्नाइट-II यू-2	आरअरबीयूएनएल	125	125	बीएचईएल	6.11.09 (ए)	125	चालू

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	कोटा टीपीपी यू-7	आरआरबीयूएनएल	195	195	बीएचईएल	31.08.09 (ए)	195	चालू
18.	सुरतगढ़ टीपीपी-IV यू-6	आरआरबीयूएनएल	250	250	बीएचईएल	29.08.09 (ए)	250	चालू
19.	बकरेश्वर टीपीएस-II यू-5	डब्लूबीपीडीसीएल	210	210	बीएचईएल	07.06.09 (ए)	210	चालू
	उप-जोड़		3204	3204			1979	
	निजी क्षेत्र							
20.	गौतमी सीसीपीसी जीटी-1	गौतमी पावर	145	145	अन्य	03.05.09 (ए)	145	चालू
21.	गौतमी सीसीपीपी जीटी-1	गौतमी पावर	145	145	अन्य	03.05.09 (ए)	145	चालू
22.	गौतमी सीसीपीपी एसटी	गौतमी पावर	174	174	अन्य	03.05.09 (ए)	174	चालू
23.	कोनासीमा सीसीपीपी जीटी-1	कोनासीमा ईपीएस	140	140	अन्य	05.2009 (ए)	140	चालू
24.	कोनसीमा सीसीपीपी जीटी-2	कोनसीमा ईपीएस	140	140	अन्य	05.2009 (ए)	140	चालू
25.	कोनासीमा सीसीपीपी एसटी	,,	165	165	अन्य	नवंबर, 09		
26.	लैंनको कोडापल्ली फेज-II जीटी	लैनकों कोंडापल्ली पावर प्रा.लि.	233	233	अन्य	नवंबर, 09		
27.	लैंनको कोडापल्ली विस्तार फेज-II जीटी	लैंको कोडाल्ली पावर प्रा.लि.	133	133	अन्य	मार्च-10		
28.	पाथाडी टीपीएस फेस-1 यू-1	लैंको अमरकंटक पावर	300	300	चाईनीज	04.06.09 (ए)	300	चालू
29.	पाथाडी टीपीएस फेस-I यू-2		300	300	चाईनीज			
30.	मुद्रा टीपीपी फेस-I यू-1	अदानी पावर लि.	330	330	चाईनीज	04.08.09 (ए)	330	चालू
31.	मुद्रा टीपीपी फेस-I यू-2	अदानी पावर लि.	330	330	चाईनीज	जनवरी-10		
32.	सुपेन सीसीपीपी बीएलके-II*	टॉरेंट पावर	382.5	382.5	अन्य	07.05.09 (ए)	382.5	चालू
33.	सुपेन सीसीपीपी बीएलके-II*	टॉरेंट पावर	382.5	382.5	अन्य	08.06.09 (ए)	382.5	चालू
34.	तेरंगालू विस्तार यू-1	जेएसडब्लू इनर्जी लि.	300	300	चाईनीज	27.04.09 (ए)	300	चालू
35.	तोरंगालू विस्तार यू-2	जेएसडब्लू इनर्जी लि.	300	300	चाईनीज	2.08.09 (ए)	300	चालू
36.	स्टलाईट टीपीपी यू-1	एसटरलाइट इनर्जी लि.	600	600	चाईनीज	फरवरी-10		
37.	जलिपा-कापूरडी टीपीपी यू-1	राज वेस्ट पावर लि.	135	135	चाईनीज	16.10.09 (ए)	135	चालू
38.	जलिपा-कापूरडी टीपीपी यू-3	राज वेस्ट पावर लि.	135	0	चाईनीज	स्लीपिंग		स्थल पर कार्य धीमी गति से चल रहा है। लिग्नाइट खनन के विकास में विलंब।
40.	जलिपा कापरूडी टीपीपी यू-4	राज वेस्ट पावर लि.	135	0	चाईनीज स्लीपिंग			
41.	बज-बज टीपीएस-III यू-3	सीईएससी लि.	250	250	बीएचईएल	29.09.09 (ए)	250	चालू
	उप जोड़		5290	5020			3124	
	कुल एचडीसी		10359	9839			6103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ख.	प्रयास सहित							
	केन्द्रीय क्षेत्र							
42.	बरसिंगसार लिग्नाइट	एनएलसी	126	0	बीएचईएल	स्लीपिंग		मुख्य संयंत्र और बीओपी की आपूर्ति ओर निर्माण में विलंब अपर्याप्त श्रमशक्ति का उपयोग
43.	मेजिया टीपीएस विस्तार यू-1	डीवीसी	500	0	बीएचईएल	स्लीपिंग		एनडीसीटी-I की धीमी प्रगति, मुख्य नियंत्रण कक्ष तथा फ्लू गैस डक्ट को पूरा करना
	मेजिया टीपीएस विस्तार यू-1		625					
	उप जोड़							
	राज्य क्षेत्र	एपीजेनको	500	0	बीएचईएल	10-11 से स्लीपिंग		सिविल कार्यों को पूरा करने में विलम्ब, अपर्याप्त श्रमशक्ति का उपयोग, कोयला खान के विकास में विलंब
44.	सुरत लिग्नाइट टीपीपी विस्तार यू-4	जीआईपीसीएल	125	0	बीएचईएल	स्लीपिंग		समकालिकता और आरंभ हेतु अपेक्षित लंबित देयताएं।
45.	राजीव गांधी टपीएस, हिस्सार यू-2	एचपीजीसीएल	600	0	चाईनीज	स्लीपिंग		चीन के विशेषताओं के लिए बीजा में समस्या
46.	छाबरा टीपीएस यू-2	आरआरवीयूएनएल	250	0	बीएचईएल	स्लीपिंग		बायलर सामग्री की आपूर्ति एवं निर्माण में विलंब
	उप जोड़		1475	0				
	निजी क्षेत्र							
47.	रीठाला: सीसीपीपी जीटी+एसटी	एनटीपीएल	108	0	चाईनीज	स्लीपिंग		रोटर में पाई गई त्रुटि और इसे दुबई को मरम्मत के लिए भेज दिया गया है।
48.	जलीपा-कपूरडी टीपीपी यू-5	राज वेस्ट पावर लि.	135	0	चाईनीज	स्लीपिंग		स्थल पर कार्य धीमी गति सेचल रहा है। लिग्नाइट खनन के विकास में विलम्ब।
49.	रोसा टीपीपी फेज-I यू-1	रोजा पीएससीएल	300	300	चाईनीज	जनवरी-10		
	उप जोड़		543	300				
	प्रयासों सहित सकल		2643	300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग	वर्ष में चालू अतिरिक्त परियोजा के लिए प्रयास किया जा रहा है।							
	निजी क्षेत्र							
53.	रत्नागिरी यू-1	जेएसडब्लू		300	चाईनीज	मार्च-10		
	योग			300				
	अतिरिक्त जोड़		0	300				
					सारांस थर्मल			
	एचडीसी		10359	9839			6103	
	प्रयासां के साथ		2643	300			0	
	अतिरिक्त के लिए प्रयास किया जा रहा है		0	300			0	
	जोड़ थर्मल		13002	10439			6103	
2.	हाइड्रो							
ए	सुनिश्चिता							
	केन्द्रीय क्षेत्र							
1.	सेवा-II एचईपी, यू-1	एनएचपीसी	40	40	बीएचईएल	जनवरी-10		
2.	सेवा-II एचईपी, यू-2	एनएचपीसी	40	40	बीएचईएल	फरवरी-10		
3.	सेवा-II एचईपी, यू-3	एनएचपीसी	40	40	बीएचईएल	मार्च-10		
4.	तीस्ता लो डैम-III एचईपी, यू-1	एनएचपीसी	33	0	बीए टेक	10-11 से स्लीपींग		जीजेएम आंदोलन के कारण श्रम बल का नियमित पलायन। 25/26 मई 2009 को तीस्ता घाटी की अपस्ट्रीम रीच में होने वाली वर्षा वाले साइक्लोनिक प्रभावों (एआईएलए) के कारण अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम डाइवर्जन डाइक में अंतर आ गया औरपानी 2010-11 में छुटने वाले निर्माणाधीन स्पिलवे में प्रवेश कर गया।
5.	तीस्ता लो डैम-III एचईपी, यू-2	एनएचपीसी	33	0	बीए टेक	10-11 से स्लीपिंग		
6.	तीस्ता लो डैम-III एचईपी यू-3	एनएचपीसी	33	0	बीए टेक	10-11 से स्लीपिंग		
7.	तीस्ता लो डैम-III एचईपी, यू-4	एनएचपीसी	33	0	बीए टेक	10-11 से स्लीपिंग		
	उप जोड़		252	120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राज्य क्षेत्र							
8.	प्रियदर्शनी जुराला एचईपी यू-3	एपीजेनको	39	39	चाईनीज	27.06.09 (ए)	39	
9.	प्रियदर्शनी जुराला एचईपी यू-4	एपीजेनको	39	39	चाईनीज	जनवरी-10		
10.	प्रियदर्शनी जुराला एचईपी यू-5	एपीजेनको	39	0	चाईनीज	10-11 से स्लीपिंग		कार्यों में विलंब स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार चीनी ठेकेदार द्वारा सिंगल शिफ्ट कार्य तथा स्थल से चीनी अभियंताओं की वापसी के कारण हुआ। यूनिट-5 वर्ष 2010-11 से छूटा।
11.	कुट्टियादी अतिरिक्त विस्तार एचईसी	केएसईबी	50	0	बीएचईएल	10-11 से स्लीपिंग		पेनस्टाक के निर्माण को पूरा करना खराब मौसम तथा ढलान के कारण विलम्बित हुआ है।
12.	कुट्टियादी अतिरिक्त विस्तार एचईपी	केएसईबी	50	0	बीएचईएल	10-11 से स्लीपिंग		
13.	मिंटडू (लिस्क) चरण-I एचईपी, यू-1	एमईएसईबी	42	0	बीए टेक	10-11 से स्लीपिंग		अक्टूबर 2009 के दूसरे सप्ताह में विद्युत घर की बाढ़ के कारण, यूनिटों के शुरू करने में विलंब हो सकता है। परियोजना प्राधिकारियों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
14.	मिंटडू (लिस्का) चरण-I एचईपी, यू-2	एमईएसईबी	42	0	बीए टेक	10-11 से स्लीपिंग		
	उप जोड़		301	78			39	
	निजी क्षेत्र							
15.	अलेन दुहांगन एचईपी यू-1	एडीएचपीएल	96	96	बीएचईएल	फरवरी-10		विद्युत निकासी प्रणाली समय से पीछे रह गई है।
16.	अलेन दुहांगन एचईपी यू-2	एडीएचपीएल	96	96	बीएचईएल	मार्च-10		
17.	मलाना-II इएईपी, यू-1	ईपीपीएल	50	0	चाईनीज	10-11 से स्लीपिंग		220 के बी स्विचयार्ड सहित विद्युत निकासी व्यवस्था के कारण एचआरटी खराब है तथा समय से पीछे हैं। सभी यूनिट वर्ष 2010-11 से छूट गए है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मलाना-II इएईपी, यू-2	ईपीपीएल	50	2	चाईंजीज	10-11 से स्लीपींग		
	उप जोड़		292	192				
	कुल हाइड्रो		845	390			39	
3.	न्यूक्लीयर							
1.	राप यू-5	एनपीसीआई एल	220	220	अन्य	जनवरी-10		
2.	राप यू-6	एनपीसीआई एल	220	220	अन्य	मार्च-10.		
3.	कैगा यू-3	एनपीसीआई एल	220	0	अन्य	10-11 से स्लीपींगईंधन कमी		
	कुल न्यूक्लीयर		660	440			0	
			सारांश					
	थर्मल		13002	10439			6103	
	हाइड्रो		845	390			39	
	न्यूक्लीयर		660	440			0	
	जोड़ 2009-10		14507	11269			6142	

दवाइयों की खरीद

227. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी अस्पतालों के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भेषज कंपनियों से दवा खरीदना अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का मेडिकल स्टोर संगठन जो केन्द्रीय तौर पर अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए औषधियों को संसाधित करता है, 102 औषधियों (यदि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा मांग की गई हो) की भारत सरकार की क्रय प्राथमिकता नीति के अनुसार अभिज्ञात केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से खरीद करता है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के गैर-अर्थक्षम उद्यम

228. **श्रीमती जे. शांता:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिकी और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में सितम्बर 2009 तक पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के गैर-अर्थक्षम उद्यमों का उद्यम-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अनुसार सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करने और उन पर विचार करने के बाद और साथ ही सभी संबंधित पक्षों को सुने जाने का अवसर देने के बाद, यदि बोर्ड की राय हो कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी अपने सभी वित्तीय दायित्वों को पूरा करते हुए समुचित समय के भीतर अपनी शुद्ध मालियत को संचयी घाटों से अधिक नहीं कर पाएगी और इसके परिणामस्वरूप उसके भविष्य में उसके अर्थक्षम होने की संभावना नहीं है तो बोर्ड अपने निष्कर्षों को रिकार्ड करता है और संबंधित उच्च न्यायालय को अपनी राय भेजता है। बोर्ड की राय के आधार पर, संबंधित उच्च न्यायालय कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बंद करने का आदेश देता है।

सितम्बर 2009 तक उन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ब्यौरों की सूची संलग्न विवरण में है, जिनके संबंध में बोर्ड ने संबंधित उच्च न्यायालय को यह सूचित करते हुए अपनी राय भेजी है कि इन उद्यमों के भविष्य में अर्थक्षम होने की संभावना नहीं है।

संबंधित उच्च न्यायलय को अपनी यह राय की सरकारी क्षेत्र के उद्यम के भविष्य में अर्थक्षम होने की संभावना नहीं है, अग्रेषित करने के पश्चात बोर्ड द्वारा ऐसी गैर-अर्थक्षम इकाइयों को पुन: अर्थक्षम बनाने के लिए आगे कोई कदम उठाया जाना अपेक्षित नहीं है।

विवरण

बीआईएफआर

सितम्बर 2009 तक बीआईएफआर में पंजीकृत सरकारी क्षेत्र के गैर-अर्थक्षम उद्यम

(लाख में)

क्र.सं.	मामला सं.	कंपनी का नाम	पंजीकरण की तारीख	प्रधान कार्यालय का पता	राज्य	शुद्ध मालियत	संचयी घाटे	अंतिम आदेश की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	505/1992	भारत गोल्ड माइन्स लि.	30.06.1992	सुवर्ण भवन, ओरगम केजीएफ-536120, कर्नाटक	कर्नाटक	4664	9409	12.06.2000
2.	506/1992	तन्नेरी एंड फुटवियर्स कं.लि.	30.06.1992	13/400, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	1549	14053	14.02.1995
3.	507/1992	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि.	30.06.1992	नैनी इलाहाबाद-211010, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	949	2283	05.06.2003
4.	508/1992	साइकिल कार्पो, आफ इंडिया लि.	30.06.1992	मिडिल्टन स्ट्रीट, कलकत्ता-700071	पश्चिम बंगाल	1187	15605	10.07.2000
5.	510/1992	माइनिंग एंड अलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि.	30.06.1992		पश्चिम बंगाल	3844	13518	29.06.2001
6.	511/1992	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.	30.06.1992	प्लांट प्लाजा रोड, धुवा, रांची-834004, बिहार	झारखंड	2124	48718	06.07.2004
7.	513/1992	नेशनल बाईसाइकिल कार्पो. आफ इंडिया लि.	30.06.1992	250, वर्ली, पोस्ट आफिस प्रभा देवी, मुम्बई-400025	महाराष्ट्र	565	7950	20.12.1993
8.	514/1992	उड़ीसा ड्रग एंड कैमिकल्स लि.	30.06.1992	1, मंकेश्वर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर-751010	उड़ीसा	180	230	08.04.2003
9.	515/1992	फर्टीलाइजर कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	30.06.1992	मधुबन 55, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019	बिहार	61639	161189	02.04.2004
10.	520/1992	भारत प्रोसेस एंड मकेनिकल इंजीनियरिंग	06.07.1992	4, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-7000041	पश्चिम बंगाल	486	5052	22.07.1996
11.	522/1992	मंडया नेशनल पेपर लि.	06.07.1992	श्री बी.के. मूर्ति, एमडी बेलागुला-571606, कर्नाटक	कर्नाटक	1775	6873	30.11.1996
12.	524/1992	वेगबर्ड इंडिया लि.	06.07.1992	चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग 4, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001	पश्चिम बंगाल	26	824	17.02.1997
13.	526/1992	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि.	06.07.1992	22, गोहरा रोड, कलकत्ता-700014	पश्चिम बंगाल	410	1799	27.09.2002
14.	527/1992	कॉनपोर टेक्सटाइल लि.	06.07.1992	85/20, कूपरगंज, कानपुर-208003	उत्तर प्रदेश	75	2812	19.01.1995
15.	529/1992	स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्माक्यूटिकल लि.	30.09.1992	18, कान्वेंट रोड, कलकत्ता-700014	पश्चिम बंगाल	616	2313	03.12.2001
16.	532/1992	भारत ओपथालमिक ग्लास लि.	03.11.1992		पश्चिम बंगाल	667	7764	19.06.2003
17.	605/1992	केलट्रान रेक्टीफायर्स लि.	30.06.1992	शोरनार रोड, मुल्लागुन्नमाथकवा, त्रिचूर-680581, केरल	केरल	274	741	06.05.2002
18.	606/1992	केलट्रान पावर डिवाइसिस लि.	30.06.1992	शोरनार रोड, मुल्लागुन्नमाथकवा, त्रिचुर-680581, केरल	केरल	410	1296	30.05.2001
19.	607/1992	यू.पी. स्टेट सीमेंट कार्पो. लि.	06.07.1992	चूर्क-23206, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	6828	18013	02.07.1997

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	609/1992	यू.पी. टायर्स एंड ट्यूब्स लि.	06.07.1992	ए-4 एंड 5, अमवा रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया एस्टेट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	226	769	18.07.1994
21.	611/1992	यू.पी. कार्बाइड एंड केमिकल्स	14.08.1992	101/8, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	659	1786	09.05.1994
22.	613/1992	ए.पी. स्टील्स लि.	24.08.1992	पोलोन्वा-507115, पोस्ट बाक्स नं. 9, खम्मन जिला, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	210	596	01.02.1995
23.	618/1992	भदोही वूलन्स लि.	30.09.1992	बी-2, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	384	740	27.11.1995
24.	619/1992	केलट्रान काउंटर्स लि.	30.09.1992	केलट्रान हाऊस, विल्लेअंबालोन, तिरुवनंतपुरम, केरल	केरल	394	720	07.11.2001
25.	621/1992	केरल स्टेट डिटर्जेंट एंड केमिकल्स लि.	16.10.1992		केरल	155	1298	18.11.2003
26.	631/1992	हैदराबाद आलविन लि.	24.12.1992	ऑलविन भवन, संतनगर, हैदराबाद-500011, ए.पी.	आंध्र प्रदेश	3267	9112	12.04.2006
27.	601/1993	ए.पी. स्कूटर लि.	06.01.1993	18-ए, आईडीए, पंतचेरु-502319, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	1073	3078	30.09.1993
28.	605/1993	रिपब्लिक फोर्ज	09.02.1993	मौला अली, हैदराबाद-500040, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	693	2370	30.10.1995
29.	608/1993	कर्नाटक इंप्लीमेंट एंड मशीनरी कं.लि.	26.02.1993	मैसूर रोड, बंगलोर-560026, कर्नाटक	कर्नाटक	485	1968	29.07.1993
30.	613/1993	ओरिचेम लि.	23.03.1993	160, शहीद नगर, भुवनेश्वर-751007, उड़ीसा	उड़ीसा	191	342	15.05.2002
31.	614/1993	उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स	29.03.1993	पी.ओ. चौदवार, जिला कटक, उड़ीसा	उड़ीसा	110	5155	12.03.2001
32.	615/1993	गुजरात स्टेट टेक्सटाइल कार्पो. लि.	31.03.1993	फर्स्ट फ्लोर, प्रेमा चैम्बर्स, एसपी नगर रोड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात	गुजरात	4647	24743	21.08.1996
33.	616/1993	शायादी ग्लास वर्क्स लि.	22.04.1993	डेवलपमेंट कार्पो. आफ कोपनल्ली वार्डन हाऊस, पांचवी मंजिल, श्री पीएम रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001	महाराष्ट्र	45	871	30.11.1993
34.	617/1993	त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लि.	05.05.1993	बलरामपुरम, तिरुवनंतपुरम, केरल	केरल	271	638	06.03.2002
35.	624/1993	दि प्रताप स्पि. विवि. एंड मैन्यू. कं. लि.	06.09.1993	प्रतापनगर, अमाबनेर-425401, जिला जलगांव, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	120	1038	08.04.1996
36.	625/1993	पुलगांव काटन मिल्स लि.	07.09.1993	59, बाम्बे समाचार मार्ग, बाम्बे-400023	महाराष्ट्र	70	675	21.12.1995
37.	503/1994	इसको उज्जैन पाइप एंड फाउन्ड्री कं. लि.	18.04.1994	इसको हाऊस, 50, चावड़ी घी रोड, कलकात्ता-7000071	मध्य प्रदेश	311	496	31.03.2000
38.	504/1994	साउई पेस्टीसाइड कार्पो. लि.	24.06.1994	10.5.3/2.2, मसाब पार्क, हैदराबाद-500028	आंध्र प्रदेश	349	671	01.11.2001
39.	506/1994	रेरोल बर्न लि.	21.07.1994		पश्चिम बंगाल	152	737	13.07.2001
40.	602/1994	एनजीईएफ लि.	21.03.1994	श्री बी. आर. संत कुमार, आईअप्पानल्ली, ओल्ड मद्रास रोड, बंगलोर-560038	कर्नाटक	2287	3069	02.08.2002
41.	603/1994	पंजाब स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लि.	30.03.1994	डबवाली रोड, भटिण्डा, पंजाब	पंजाब	240	1801	19.02.2001
42.	604/1994	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग	04.05.1994		बिहार	217	365	08.03.1996
43.	608/1994	पंजाब पावर पैक्स लि.	12.09.1994	आर-98, फेज-8, सासनगर, मोहाली, पंजाब	पंजाब	197	244	01.01.2001
44.	501/1995	स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्यू. कं. लि.	02.01.1995	16/14, स्वदेशी हाऊस, सिविल लाइन, कानपुर	उत्तर प्रदेश	198	291	01.07.1996
45.	503/1995	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू. कं. लि.	01.12.1995	इंदु नगर, उध्दामंडलम, ऊटी-643005, तमिलनाडु	तमिलनाडु	19630	21603	30.01.2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	601/1995	मरीन एंड कम्यूनिकेशन इलेक्ट्रानिक (I)	13.02.1995	ए.पी.आई.ई., आटोनगर, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश-530012	आंध्र प्रदेश	189	719	18.03.1996
47.	605/1995	साउदर्न ट्रांसफार्मर्स एंड इले. लि.	06.06.1995	रेमीगुटा, चित्तौड़ जिला, ए.पी.	आंध्र प्रदेश	75	538	31.03.1997
48.	606/1995	कर्नाटक स्टेट टेक्सटाइल्स लि.	09.06.1995	छठी मंजिल, डीजेसी कांप्लेक्स,	कर्नाटक	50	394	06.07.1998
49.	607/1995	घतमपुर शुगर कंपनी लि.	09.06.1995	कित्तूर रानी चेनम्मा सर्कल, बंगलोर घाटमपुर, कानपुर (देहात), उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	963	1561	25.08.1998
50.	611/1995	हरियाणा कॉनकास्ट लि.	27.09.1995	पी.ओ. सतरोड, हिसार-125033, हरियाणा	हरियाणा	692	1038	16.04.1999
51.	612/1995	तमिलनाडु मैग्नेशियम एंड मरीन केमिकल्स	22.11.1995		तमिलनाडु	362	1592	22.09.1997
52.	605/1996	दि मैसूर लैम्प वर्क्स लि.	20.12.1996	पोस्ट बाक्स नं. 5557, मलेश्वरम, वेस्ट बंगलोर-560052	कर्नाटक	401	739	18.07.2000
53.	603/1997	कर्नाटक टेलीकाम लि.	15.12.1997	केएससीएफ कांप्लेक्स नं. 8, कनिंघम रोड, बंगलोर'560052	कर्नाटक	326	886	25.01.1999
54.	602/1998	इडकोल पाइपिंग एंड इंजी. वर्क्स लि.	29.06.1998		उड़ीसा	700	4246	27.07.2000
55.	606/1998	इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स पंजाब लि.	21.12.1998		पंजाब	213	2376	24.05.2004
56.	503/1999	पाइराइट्स, फास्फेट एंड केमिकल्स लि.	24.12.1999	12-ए, सेक्टर-24, नोएडा, उत्तर प्रदेश	झारखण्ड	9540	17531	20.11.2002
57.	602/1999	कर्नाटक स्टेट वनिर्स लि.	22.02.1999		कर्नाटक	100	108	25.03.2003
58.	603/1999	दि मैसूर एसिटेट एंड केमिकल्स कं.लि.	08.04.1999		कर्नाटक	889	1123	11.07.2000
59.	603/2002	गुजरात कम्यूनिकेशन इले. लि.	20.03.2002	तीसरी मंजिल, अनुराग कामर्शियल सेन्टर, रेसकोर्स, बड़ौदा-390005	गुजरात	1245	10473	25.02.2003
60.	603/2005	ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लि.	24.11.2005	ई-1, न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया नं. 2, मंडी डूप, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश-462046	मध्य प्रदेश	6850	7073	26.12.2007

[हिन्दी]

मानव अंगों का अवैध व्यापार

229. **श्री अंजनकुमार एम. यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मानव अंगों के अवैध व्यापार में कितने लोगों को दोषी पाया गया है;

(ख) क्या उक्त अवैध गतिविधि में संलिप्त लोग दण्डाभाव के कारण अपने घिनौने कृत्यों में लगे हुए हैं तथा सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राज्य सरकारों/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/दिल्ली पुलिस से प्राप्त ब्यौरे को दर्शाने वाला *विवरण* संलग्न है।

(ख) से (घ) मानव अंगों की खरीद फरोख्त पर मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले से ही प्रतिबंध है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त किए गए समीचीन प्राधिकारी को मानव अंगों की खरीद फरोख्त से संबंधित प्रावधानों सहित अधिनियम के

प्रावधानों के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार होता है। इस अधिनियम में प्राधिकार के बगैर मानव अंग निकालने तथा मानव अंगों का वाणिज्यिक प्रयोग करने के लिए सजा देने के कड़े प्रावधान पहले ही मौजूद हैं।

विवरण

विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध वृक्क और अन्य अंग प्रतिरोपणों के मामलों का ब्यौरा और की गई कार्रवाई-विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथा प्राप्त

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित मामलों का ब्यौरा
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	दिल्ली पुलिस ने रिसर्च और रेफरल अस्पताल, नई दिल्ली, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली और कक्कड़ अस्पताल, अमृतसर में अवैध वृक्क प्रतिरोपण के संबंध में छह प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस द्वारा दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि जनवरी, 2004 में डा. एस.पी. त्रिवेदी आफ बोम्बे अस्पताल, मुम्बई पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप संबंधी अभियोजन चलाया गया है जो मानव अंगों के अवैध व्यापार से संबंधित है।
3.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि प्रतिरोपरण के लिए मानव अंगों मुख्यतया वृक्क की बिक्री राज्य में विशेष जांच दल की जांच चल रही है। जांच के परिणामस्वरूप अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल, अर्थात राम सरन दास किशोरी लाल चेरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, अमृतसर का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। तथापि, राज्य में अंग प्रतिरोपण के नाम पर गरीबों का बड़े पैमाने पर शोषण नहीं होता है।

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अंगों की वाणिज्यिक बिक्री की कोई सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस लाभार्थी

230. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीजीएचएस लाभार्थियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सीजीएचएस लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से नए प्लास्टिक कार्ड दिए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए कार्डधारक देश में कही भी सीजीएचएस की सुविधाएं लेने के हकदार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) 31.3.2008 तक की स्थिति के अनुसार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी हां। दिल्ली में सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को आज तक की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत प्लास्टिक कार्ड दिए जा रहे हैं।

(ग) सीजीएचएस सुविधा केन्द्रों का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत प्लास्टिक कार्ड पहचान-पत्र हैं और ये सभी पात्र सीजीएचएस लाभार्थियों को जारी किए जाते हैं। व्यक्तिगत प्लास्टिक कार्ड कार्ड के शीर्ष पर रंगीन कोड के साथ जारी किए जाते हैं जो सेवारत कर्मचारियों के लिए नीला, पेंशनर के लिए हरा, स्वायत्त निकायों के लिए पीला तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए लाल होता है। कार्ड पर अनन्य लाभार्थी आईडी (बेन आईडी), लाभार्थी की जन्म तिथि, रक्त समूह, फोटो तथा पहचान पत्र की वैधता होती है। इसके अलावा, एक बार कोड होता है। व्यक्तिगत प्लास्टिक कार्ड अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं जिसके बाद पात्र लाभार्थियों के लिए नए कार्ड पुन: जारी किए जाते हैं। सीजीएचएस कार्डों पर प्लास्टिक डाटा का प्रयोग कम्प्यूटरों में डाटा बेस तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां, व्यक्तिगत प्लास्टिक पहचान पत्रों से सीजीएचएस लाभार्थी देश में कहीं भी सीजीएचएस में शामिल शहरों में सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। तथापि, फिलहाल यह सुविधा शुरू नहीं की गई है।

विवरण

31.03.08 तक की स्थिति के अनुसार सीजीएचएस के अंतर्गत शहरवार कार्डधारकों एवं लाभार्थियों को ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	शहर	कार्डधारकों की श्रेणियां									लाभार्थियों की श्रेणियां								
		सेवारत	पेंशनर	सांसद	पूर्व सांसद	स्वतंत्रता सेनानी	पत्रकार	आम जनता	अन्य	कुल	सेवारत	पेंशनर	सांसद	पूर्व सांसद	स्वतंत्रता सेनानी	पत्रकार	आम जनता	अन्य	कुल
1.	अहमदाबाद	7074	1727	0	29	90	0	0	0	8920	27043	3873	0	54	119	0	0	0	31089
2.	इलाहाबाद	16934	4951	0	4	8	0	0	0	21897	90622	12220	0	13	12	0	0	0	102867
3.	बेंगलोर	27439	11119	0	36	340	0	0	150	39084	97995	20265	0	63	397	0	0	377	119097
4.	भोपाल	2820	1135	0	3	11	0	0	0	3969	11280	4540	0	6	22	0	0	0	15848
5.	भुवनेश्वर	2448	659	0	24	40	0	0	0	3171	11135	1931	0	56	70	0	0	0	13192
6.	चंडीगढ़	3241	2721	0	6	1	0	0	0	5969	12035	5740	0	12	2	0	0	0	17789
7.	चेन्नई	30806	15513	0	92	1049	0	0	120	47580	132821	34345	0	258	1866	0	0	132	169422
8.	देहरादुन	407	1406	0	2	2	0	0	0	1817	1488	3153	0	3	3	0	0	0	4647
9.	गुवाहाटी	11338	727	0	15	59	0	0	100	12239	44297	1880	0	43	102	0	0	185	46507
10.	हैदराबाद	38970	17587	4	86	5412	0	0	8	62067	181294	45876	12	303	7262	0	0	17	234764
11.	जबलपुर	15201	10123	0	5	81	0	0	0	25410	79056	25905	0	6	154	0	0	0	105121
12.	जयपुर	3975	3174	2	14	13	0	0	10	7188	13982	3706	6	24	28	0	0	36	17782
13.	कानपुर	19960	7934	0	10	13	0	0	88	28005	99983	3706	0	19	13	0	0	313	104034
14.	कोलकाता	40956	23805	0	33	2672	0	0	0	67466	148398	54484	0	76	4459	0	0	0	207417
15.	लखनऊ	20430	4639	0	21	82	0	0	6	25178	114817	21246	0	23	156	0	0	13	136255
16.	मेरठ	6140	4107	0	1	2	0	0	69	10319	27691	10670	0	3	3	0	0	316	38683
17.	मुम्बई	39950	11028	26	0	145	0	0	0	51149	160998	27636	62	0	226	0	0	0	188922
18.	नागपुर	16395	9064	0	6	90	0	0	0	25555	70279	22458	0	10	147	0	0	0	92894
19.	पटना	9837	2334	0	14	1112	0	0	35	13332	49006	7137	0	44	2078	0	0	45	58310
20.	पुणे	21307	19311	0	14	184	0	0	0	40816	100821	38129	0	36	340	0	0	0	139326
21.	रांची	2604	1316	0	1	8	0	0	0	3929	11482	3647	0	7	12	0	0	0	15148
22.	शिलांग	1415	175	0	0	1	0	0	4	1595	4924	459	0	0	3	0	0	9	5395
23.	तिरुवनन्तमपुरम	9833	5807	0	32	201	0	0	0	16873	36182	14764	0	44	281	0	0	0	51271
24.	दिल्ली	233860	95588	566	687	206	234	874	2339	334344	1079316	198920	2203	2171	404	526	2491	7993	1294024
	कुल	583340	256950	598	1135	11822	234	874	2929	857872	2606945	566690	2283	3274	18159	526	2491	9436	3209804

कर्नाटक को कृषि ऋण

231. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से 25,000 रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने के कारण 1080 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार ऋण माफी योजना, 2007 के अंतर्गत उसके द्वारा माफ की गई। 1880 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। इस मामले की जांच की गई तथा यह पाया गया कि कर्नाटक सरकार का प्रतिपूर्ति संबंधी अनुरोध, भारत सरकार के कृषि ऋण राहत योजना, 2008 (एडीडब्ल्यूडीआर) के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रेल कारीडोर

232. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजन बोर्ड (एनपीआरपीबी) की 28 अक्टूबर, 2009 को हुई बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में परिकल्पित रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तर्ज पर दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ और दिल्ली-गाजियाबाद-हापुड़ के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रेल कॉरीडोर (एनसीआरआरसी) नामक परियोजना को अनुमति को अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अनुमानित व्यय कितना होगा, निधियों का स्रोत क्या है और इसके पूरा होने की निर्धारित समय-सीमा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त "क" के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

जेएनएनयूआरएम के अधीन निधियों का आबंटन

233. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन गुजरात सरकार को मात्र 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इस आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) जी, नहीं। जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन के लिए गुजरात राज्य हेतु 7 वर्षीय नियतन 2078.81 करोड़ रु. है।

वर्ष 2008-09 में गुजरात सहित सभी मिशन शहरों के लिए अतिरिक्त नियतन का प्रावधान किया गया था। उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत सभी मिलियन प्लस शहरों और राज्य राजधानियों के लिए 100 करोड़ रु. तथा अन्य शहरों के लिए 50.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि का नियतन किया गया था।

[हिन्दी]

अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए निधियां

234. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विभिन्न वाणिज्यिक पाठयक्रमों को अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उदिष्ट छात्रावास शुल्क तथा अन्य अनुदानों का भुगतान नहीं किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी नहीं, इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किसी योजना के अंतर्गत विभिन्न वाणिज्यिक पाठयक्रमों में अध्ययन करने

वाले अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु छात्रवास शुल्क एवं अन्य अनुदानों के भुगतान न होने के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में आवासीय विद्यालय

235. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार द्वारा आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार को यह सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त किए गए अनुदानों के माध्यम से राज्यों को आबंटित की गई निधियों से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को निधि पोषित किया जाता है; इस प्रकार की निधियां प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राज्यवार आबंटित की जाती हैं। कार्यक्रम के तहत 2009-10 के दौरान, केरल राज्य को 387.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। केरल राज्य सरकार ने 759.77 लाख रुपए की सहायता से ई. एम.आर. एस स्थापित करने हेतु प्रस्ताव सहित, 2009-10 के दौरान कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। परियोजना को प्राथमिकता से करना राज्य सरकार का कार्य है। कार्यक्रम के तहत राज्य को किए गए 387.00 लाख रुपए के आबंटन में से वर्तमान वर्ष के दौरान 134. 92 लाख रुपए की राशि पहले ही निर्मुक्त कर दी गई है। इस प्रकार वर्तमान वर्ष के दौरान ई.एम.आर.एस के लिए निधियों को निर्मुक्त किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के लिए धनराशि

236. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम (आरएचएमपी) तथा सहायक नर्स और मिडवाइफ, एएनएम स्कूलों की स्थापना के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के लिए संस्वीकृत राशि कितनी है और देश में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे स्कूलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इस संबंध में सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) गुजरात सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूर कुल धनराशि वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन 11586.34 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, एएनएम स्कूलों की स्थापना हेतु अलग से निधियां जारी नहीं की जा रही हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त गतिविधियों के तहत क्रियाकलापों का भाग है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम अमल योजनाओं में उनके द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले क्रियाकलापों को प्रदर्शित करना होता है और उन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मंत्रालय में विचार करके उन्हें अनुमोदित किया जाता है। एएनएम स्कूल की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

भारत सरकार मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण

237. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्थित विभिन्न सरकार मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के लिए कोई पायलट परियोजना शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत सरकार मुद्रणालयों का कार्यकरण कर्मचारियों की कमी के कारण गंभीर रुप से प्रभावित हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित भारत सरकार मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण पूरा हो गया है। भारत सरकार मुद्रणालयों में समग्र रिक्तियों का पुन: आकलन किया जा रहा है। पुन: प्रवर्तित करने का अनुमोदन लेने के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉक की कमी के कारण मुद्रणालय के प्रदर्शन अथवा उसकी समग्र कार्यप्रणाली में कोई सार्थक कमी आने की कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

वैश्विक मंदी

238. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक मंदी के निपटने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों के प्रभावों का अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक उपायों और सरकार के राजकोषीय उपाय अपना प्रभाव छोड़ने के लिए कई क्षेत्रकों से जुड़े होते हैं, जिनकी अलग-अलग समय-सीमाएं होती हैं, इसलिए इन उपायों के प्रभाव का ठीक-ठीक आकलन करना कठिन है। तथापि, इन राजकोषीय/मौद्रिक प्रोत्साहनों एवं सरकार के सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) की वृद्धि जा तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2008) में गिरकर 5.8 प्रतिशत पर आ गई थी, चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2009) में उसी स्तर पर स्थिर बनी रही और वित्त वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून, 2009) में बेहतर होकर 6.1 प्रतिशत पर आ गई।

(ग) हालांकि मौद्रिक नीतिगत उपायों में परिवर्तन करना भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र के अधीन है, सरकार ने पहले ही संकेत किया है कि वित्तीय प्रोत्साहन के उपाय चालू वित्त वर्ष 2009-10 में जारी रहेंगे।

[अनुवाद]

एटीएम को नुकसान

239. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) को नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप बैंकिंग क्षेत्र को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दक्षिणी राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ के कारण स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) को हुए नुकसान तथा इससे बैंकिंग क्षेत्र को हुई अनुमानित हानि से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बैंकों ने सूचित किया है कि क्षतिग्रस्त एटीएम को बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के दक्षिणी बैंक का नाम	राज्यों में हाल में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए एटीएम की संख्या	अनुमानित हानि (रुपए लाख में)
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	शून्य	लागू नहीं
आंध्रा बैंक	तीन	19.96
बैंक आफ बड़ौदा	शून्य	लागू नहीं
बैंक आफ इंडिया	शून्य	लागू नहीं
बैंक आफ महाराष्ट्र	शून्य	लागू नहीं
केनरा बैंक	एक	6.11
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	एक	6.00
कार्पोरेशन बैंक	शून्य	लागू नहीं
देना बैंक	शून्य	लागू नहीं
इंडियन बैंक	एक	6.50
इण्डियन ओवरसीज बैंक	शून्य	लागू नहीं
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	एक	5.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	शून्य	लागू नहीं
पंजाब नैशनल बैंक	शून्य	लागू नहीं

1	2	3
सिंडिकेट बैंक	एक	4.80
यूको बैंक	शून्य	लागू नहीं
यूनियन बैंक आफ इंडिया	एक	5.53
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	शून्य	लागू नहीं
विजया बैंक	शून्य	लागू नहीं
भारतीय स्टेट बैंक	तीन	3.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	शून्य	लागू नहीं
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	दो	7.64
स्टेट बैंक आफ मैसूर	शून्य	लागू नहीं
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	शून्य	लागू नहीं
स्टेट बैंक आफ पटियाला	शून्य	लागू नहीं
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	शून्य	लागू नहीं
आईडीबीआई	शून्य	लागू नहीं

राज्यों के ऋण माफ करना

240. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान दिए जाने के फार्मूले की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य-वार राज्यों के ऊपर कुल ऋण कितना है;

(ख) इस सिद्धांत को शुरू किए जाने का क्या कारण है;

(ग) राज्यों के ऋण माफ करने की योजना के अधीन कितनी राशि का ऋण माफ किया गया है;

(घ) क्या सरकार इस सिद्धांत को रेलवे, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी लागू करना चाहेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) दिनांक 31.03.2009/31.10.2009 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(ख) गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान देने के सिद्धांत का प्रतिपादन अप्रैल, 1959 में राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के आधार पर किया गया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए हुआ क्योंकि यह कुछ हद तक राज्यों के योजना परिव्ययों के राजस्व व पूंजीगत घटकों के सामान्यत: देखे गए पैटर्न के अनुकूल था।

(ग) बारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण माफी संबंधी स्कीम के अंतर्गत राज्यों का 21573.07 करोड़ रुपए तक का ऋण (आज तक) माफ कर दिया गया है।

(घ) वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(ङ) राज्यों को ऋण माफी बारहवें वित्त आयोग की केवल राज्यों के ऋण से संबंध रखने वाली सिफारिशों के आधार पर प्रदान की गई थी।

विवरण

31.10.2009 की स्थिति के अनुसार 28 राज्य सरकारों के ऋण की स्थिति

(हजार रुपए)

क्र.सं	राज्यों के नाम	02-12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समेकित ऋण	02-राज्य योजना स्कीम 101 ब्लॉक ऋण	आज तक समेकित नहीं किए गए राज्य सरकारों के ऋण	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण	31.10.2009 तक जारी किए गए ऋण	31.10.2009 की स्थिति के अनुसार कुल ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	108244330	36926936		14517266	1732307000	1877478266
2.	अरुणाचल प्रदेश	3233284	606296		38339580	0	3839580
3.	असम	16865581	3438044		20303625	142958000	163261625

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	615895581	17742968		79332487	74739000	154071487
5.	छत्तीसगढ़	14103412	7726047		21829459	1376292000	1398121459
6.	गोवा	3435027	764850		4199877	10316000	14515877
7.	गुजरात	72373083	29304315		101677398	469628000	571305398
8.	हरियाणा	15466437	4019583		19486020	42935000	62421020
9.	हिमाचल प्रदेश	7007011	2135606		9142617	96865000	1060076117
10.	जम्मू और कश्मीर	14486511	3224133		17710644	90329000	108039644
11.	झारखंड	18891920	4811070		23703000	50168000	73871000
12.	कर्नाटक	54296148	39775805		94072953	3062871000	3156943953
13.	केरल	33413554	25693637		59107191	2281674000	2340781191
14.	मध्य प्रदेश	54934856	37979381		92914237	7035943000	7128856237
15.	महाराष्ट्र	54395278	27606756		82002034	2645485000	2727487034
16.	मणिपुर	6006493	786693		6793186	0	6793186
17.	मेघालय	2533528	446509		29800037	3801000	6781037
18.	मिजोरम	2197660	729478		2927138	58853000	61780138
19.	नागालैंड	2539136	521717		3060853	0	3060853
20.	उड़ीसा	57633267	25714279		83347546	779959000	863406546
21.	पंजाब	23993922	8971605		32965527	182682000	215647527
22.	राजस्थान	46760422	26829692		73590114	1323275000	1396865114
23.	सिक्किम		1591949	41651	1633600	0	1633600
24.	तमिलनाडु	39778231	34521185		74299416	4812967000	4887266416
25.	त्रिपुरा	3559664	753404		4313068	2224000	6537068
26.	उत्तरांचल	2092642	1589323		3681965	145983000	149664965
27.	उत्तर प्रदेश	160368057	39304280		198672337	1565834000	1765506337
28.	पश्चिम बंगाल		112899438	19710281	13260719	2182657000	2315266719
	कुल	880198983	496415979	19751932	136466894	30170745000	3156711894

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में कर्मचारियों की कमी

241. **श्री ई.जी.सुगावनम:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) में प्रचालन तथा रख-रखाव विंग दोनों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): दिनांक 31.10.2009 की स्थिति के अनुसार प्रचालन तथा रखरखाव विंग दोनों में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा सूचित कुल कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है:–

प्रचालन विंग	1523
रखरखाव विंग	2355
कुल	3878

(ग) डीएमआरसी में रिक्त पद सरकार नहीं भरती है। कर्मचारियों की भर्ती कारपोरेशन द्वारा उनके भर्ती के अनुसार किया जाता है। डीएमआरसी ने सूचित किया है कि वर्तमान में वे कर्मचारियों की कमी का सामना नहीं कर रहे हैं।

कर्नाटक से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

242. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सुजाला-III परियोजना के वित्त पोषण के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार ने सुजाला-III परियोजना विश्व बैंक की सहायता के लिए अगस्त 2008 में भेजी थी। परियोजना की अनुमानित लागत 495.30 करोड़ रुपए है जिसमें से विश्व बैंक की सहायता के रूप में 400 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। परियोजना को कर्नाटक के छह जिलों अर्थात् बीदर, गुलबर्गा, गड़ग, कोप्पल, चमराज नगर, देवनगिरी के 4 लाख हैक्टर क्षेत्र में विस्तारित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने वित्त पोषण के इस प्रस्ताव के लिए विश्व बैंक को 12 जून, 2009 को पहले ही सिफारिश कर दी है।

डाक्टरों को प्रलोभन

243. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों को कुछ औषधि विनिर्माण कंपनियों द्वारा अपनी दवाईयों को बढ़ावा देने और उन्हें डाक्टर द्वारा नुस्खे में लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जहां तक दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, ऐसी किसी घटना की सूचना इस मंत्रालय को नहीं मिली है।

अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी

244. **श्री के.सी. सिंह 'बाबा':** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस पर निजी उद्यमियों की क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारुख अब्दुल्ला): (क) से (ग) सरकार द्वारा राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहनों को मिलाकर और अन्य नीतिगत/विनियामक उपायों के माध्यम से अपारंपरिक/अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्याह्रास और शून्य/स्थियती उत्पाद और सीमा शुल्क शामिल हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक प्राधिकरणों के लिए स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए अक्षय स्त्रोतों से बिजली

की खरीद के लिए एक न्यूनतम प्रतिशतता निर्धारित करना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 और राष्ट्रीय शुल्कदर नीति, 2006 के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुवर्तन में संभाव्यता वाले अधिकांश राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क दर दी जा रही है। ऐसी अधिमान्य शुल्क दरों के निर्धारण हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा हाल ही में एक समान दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। त्वरित अवमूल्यन का लाभ न लेने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादाकों द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सौर विद्युत हेतु प्रायोगिक आधार पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम भी आरंभ की गई है।

(घ) उपर्युक्त संवर्धनात्मक प्रयासों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2006-07 (2,138 मेवा), 2007-08 (2, 146 मेवा), और 2008-09 (2, 083 मेवा), के दौरान लगभग 6367 मेवा. ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान दिनांक 31.10. 2009 तक लगभग 1,056 मेवा. कि क्षमता और बढ़ी है। 14,000 मेवा, के योजना लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31.10.2009 तक 7,423 मेवा. की कुल क्षमता में वृद्धि हुई है और यह उपलब्धि अधिकांशत: निजी निवेशों के कारण प्राप्त हुई है जिसके 30,000 करोड़ रु. से भी अधिक होने का अनुमान है।

जनजातीय छात्रावास

245. श्री जयराम पांगी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और आज तक अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु आबंटित/जारी निधि का उड़ीसा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा कितनी निधियों की मांग की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) "अनुसूचित जनजाति लड़कियों तथा लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास" योजना के तहत निधियां राज्यवार आबंटित की जाती हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पूर्व वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वास्तविक प्रगति रिपोर्ट एवं पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। विगत दो वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में आबंटन इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु.)
1.	2007-08	37.00
2.	2008-09	65.00
3.	2009-10	64.00

विगत दो वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वित्त के वर्ष दौरान आज, की तिथि तक निर्मुक्त निधियों तथा वर्ष 2009-10 में राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जनजाति लड़कियों तथा लड़कों हेतु छात्रावास योजना के तहत 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (दिनांक 17.11.2009) के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान तथा वर्ष 2009-10 हेतु राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई निधियां।

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/यूटी/विश्वविद्यालय	2007-08 अवमुक्त राशि	2008-09 अवमुक्त राशि	2009-10 दिनांक 17.11.2009 तक अवमुक्त राशि	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.000	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.000	0	377.00
3.	असम	0.00	601.390	0	0
4.	बिहार	0.00	0.000	0	577.50

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	0.00	803.830	830.83	***2531.37
6.	गोवा	0.00	0.000	0	0
7.	गुजरात	0.00	0.000	0	1307.27
8.	हिमाचल प्रदेश	48.75	200.000	0	236.05
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.000	0	417.00
10.	झारखंड	224.35	128.685	0	***857.17
11.	कर्नाटक	150.00	125.010	0	250.00
12.	केरल	0.00	0.000	0	282.00
13.	मध्य प्रदेश	0.00	255.000	0	***2901.00
14.	महाराष्ट्र	0.00	889.560	0	0
15.	मणिपुर	*564.61	0.000	0	0
16.	मेघालय	0.00	0.000	0	330.00
17.	मिजोरम	0.00	0.000	0	0
18.	नागालैंड	**86.50	87.500	0	2904.53
19.	उड़ीसा	1197.00	87.600	0	*** 38692.50
20.	राजस्थान	0.00	1240.525	0	2298.00
21.	सिक्किम	0.00	0.000	0	0
22.	तमिलनाडु	0.00	0.000	0	400.00
23.	त्रिपुरा	228.79	1380.900	0	3165.30
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.000	0	*** 359.55
25.	उत्तराखंड	0.00	100.000	0	319.99
26.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.000	0	171.12
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.000	0	0
28.	दमन और दीव	0.00	0.000	0	0
29.	दादरा और नगर हवेली	600.00	0.000	0	0
30.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	195.00	73.730	0	0
31.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	145.00	0.000	0	0

1	2	3	4	5	6
32.	जे.एन.यू./आई.आई.टी. दिल्ली	0.00	0.000	0	0
33.	दिल्ली विश्वविद्यालय	160.00	0.000	0	0
34.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	0.00	0.000	0	0
35.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, (शिलोंग कैम्पस) हैदराबाद (ए.पी.)	..00	526.270	0	0
	कुल	3700.00	6500.000	830.83	58377.35

*मणिपुर विश्वविद्यालय हेतु निर्मुक्त 296.61 लाख रु.

**नागालैंड विश्वविद्यालय हेतु निर्मुक्त 186.67 लाख रु.

***नक्सल प्रभावित जिलों के लिए "अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" से मांगे गए अनुदान सहित

घरेलू पर्यटन

246. श्री ए. सम्पत: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण करने वाले घरेलू पर्यटकों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इससे राज्य-वार और वर्ष-वार अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का भ्रमन करने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से अर्जित राजस्व के राज्य-वार आंकड़े संकलित नहीं करता है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय पर्यटन संवर्धन निजी क्षेत्र में निवेशों को प्रोत्साहन देने, घरेलू बाजारों में संवर्धनात्मक एवं मार्केटिंग प्रयासों को सुदृढ़ करने, और पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति संसाधन प्रदान करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सरकारों के प्रयासों को समन्वित और अनुपूरण करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी मार्केटिंग विकास सहायता योजना के अंतर्गत देश में घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2006-2007 के दौरान घरेलू पर्यटन आगमन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006	2007	2008
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	118580	136015	123914
आंध्र प्रदेश	111715376	127933333	132684906
अरुणाचल प्रदेश	80137	91100	149292
असम	3268657	3436833	3617306
बिहार	7774732	10352887	11889611
चंडीगढ़	704531	928159	908569
छत्तीसगढ़ *	363759	414322	442910
दादर एवं नगर हवेली	478000	473489	505380
दमन एवं दीव	420628	446490	465033
दिल्ली**	2237130	2388330	2132970
गोवा	2098654	2208986	2020416

1	2	3	4
गुजरात	11936957	13477316	15505264
हरियाणा	6019927	6252945	5973123
हिमाचल प्रदेश	7671902	8481988	9372697
जम्मू एंव कश्मीर	7646274	7915271	7638977
झारखंड	2138685	4906394	6030028
कर्नाटक	36195907	37825953	12797937
केरल	6271724	6642941	7591250
लक्षद्वीप	22941	16642	1571
मध्य प्रदेश	11062640	13894500	22088927
महाराष्ट्र*	16880348	19226716	20553360
मणिपुर	116984	101484	112151
मेघालय	401529	457685	549936
मिजोरम	50987	43161	55924
नागालैंड	15850	22085	46513
उड़ीसा	5239896	5944890	6358445
पंजाब	353907	368593	509428
पुडुचेरी	652735	798528	827799
राजस्थान	23483287	25920529	28358918
सिक्किम	292486	329075	368451
तमिलनाडु	58340008	70254972	98285121
त्रिपुरा	230645	244795	245438
उत्तर प्रदेश	105549478	116244008	124843242
उत्तराखंड	16666525	19803280	20546323
पश्चिम बंगाल	15808371	18580669	19314440
कुल	462310177	526564364	562915569

*सम्पूर्ण भारत की वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाया गया।
**दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए गये सैम्पल होटलों के पर्यटक आगमन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए अनुमान लगाया गया।

[हिन्दी]

शहरी गरीबों को सर्वेक्षण

247. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरु किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अधीन सर्वेक्षण धर्म और जाति के आधार पर किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह योजना किस तिथि को शुरू की गयी थी;

(ङ) उक्त सर्वेक्षण किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है;

(च) इस संबंध में कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (छ) शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग द्वारा मुहैया कराए गए राज्य विशिष्ट गरीबी लाइन के आधार पर किया जाता है। जहां तक आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन स्कीम-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत कुछ आर्थिक/गैर पैरामीटरों के आधार पर शहरी बीपीएल जनसंख्या में से स्कीम के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण करवाया जाता है।

हाल ही में, उचित परियोजनाओं की तैयारी के संदर्भ में तथा उन्हें जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत प्राथमिकता प्रदान करने के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने मानव संसाधन एवं मूल्यांकन हेतु शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए) स्कीम के तहत फ्रोफाइल के विकास तथा स्लमवासियों के परिवार प्रोफाइल हेतु राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान किया है। इस प्रयोजनार्थ कुछ माडल सर्वेक्षण प्रारूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है। तथापि, राज्य अपनी आवश्यकताओं एंव शहरी गरीबी का पता लगाने के आधार पर परिवर्धन एवं परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

सड़क परियोजनाओं हेतु धनराशि

248. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने गत तीन वर्षों के दौरान सड़क परियोजनाओं हेतु धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक राज्यों में नाबार्ड के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सड़क परियोजनाओं के लिए निधि जारी की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान (30 सितम्बर, 2009 तक), विभिन्न राज्य सरकारों को स्वीकृत ग्रामीण सड़क परियोजना की संख्या, संस्वीकृत और जारी की गई राशि (संवितरण) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नाबार्ड ने सूचित किया है। कि कोई भी परियोजना मंजूरी के लिए लंबित नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2006-07, 2007-08 एवं 2008-09) में ग्रामीण सड़कों के लिए संस्वीकृत आर आई डीएफ ऋण का राज्य-वार ब्यौरा- 30 सितम्बर, 2009 तक

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आरआईडीएफ-XII (2006-07)			आरआईडीएफ-XIII (2007-08)			आरआईडीएफ-XIV (2008-09)		
		परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति	संवितरण	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति	संवितरण	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	490	286.94	223.77	674	616.23	338.58	456	504.36	156.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	96.35	उ.न.	1	7.61	उ.न.	6	56.51	उ.न.
3.	असम	5	3.06	1.54						
4.	बिहार	78	76.32	55.84	226	332.93	254.57	30	130.01	34.95
5.	छत्तीसगढ़									
6.	गोवा									
7.	गुजरात	220	73.29	56.26	786	335.90	369.14	2023	942.57	307.05
8.	हरियाणा				3	20.03	18.40	15	106.52	29.01
9.	हिमाचल प्रदेश	86	111.51	61.57	99	129.82	55.12	61	124.78	41.02
10.	जम्मू और कश्मीर	192	398.45	271.23	200	420.19	182.12	166	283.99	94.34
11.	झारखंड	236	180.14	147.44	178	167.30	121.75	107	177.49	71.04
12.	कर्नाटक	627	232.41	199.27	545	263.70	138.55	355	232.14	
13.	केरल	69	65.85	37.34	38	35.73	15.60			
14.	मध्य प्रदेश	40	107.00	90.58	80	153.10	117.65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	महराष्ट्र	866	331.74	263.38	423	191.92	95.43	507	277.22	67.55
16.	मणिपुर									
17.	मेघालय				80	39.98	32.03	45	29.72	8.41
18.	मिजोरम				1	15.12	10.75			
19.	नागालैंड							9	5.53	1.78
20.	उड़ीसा	43	162.46	102.16	30	154.37	31.57	32	177.91	7.63
21.	पंजाब	94	266.26	253.61	20	59.84	56.10	125	242.95	165.68
22.	राजस्थान	1212	328.80	277.86	745	226.37	187.89	940	250.16	169.06
23.	सिक्किम	2	1.20	0.87	6	12.61	10.02	13	41.76	5.63
24.	तमिलनाडु	1740	254.24	221.89	1849	455.52	376.55	1241	331.36	194.15
25.	त्रिपुरा	0								
26.	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र						1	1.30		
27.	उत्तर प्रदेश	459	132.23	111.36				606	185.32	116.03
28.	उत्तराखंड				10	11.99	6.76	59	133.64	40.09
29.	पश्चिम बंगाल	102	185.55	132.89	430	259.77	121.52	137	377.29	100.86
	कुल	6472	3293.80	2508.86	6424	3910.03	2440.10	6934.00	4612.53	1610.48

स्वास्थ्य पर्यटन

249. श्री पी. बलराम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री (एसोचैम) ने यह अनुमान लगाया है कि आंध्र प्रदेश सहित देश में स्वास्थ्य पर्यटन 2012 तक 8000 करोड़ रुपए लाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सरकारी, निजी क्षेत्र और एनजीओ से सहायता प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) देश में चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें विदेशी बाजारों में चिकित्सा पर्यटन के संवर्धन, चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों हेतु "चिकित्सा वीजा" की अतिरिक्त श्रेणी शुरू करना, चिकित्सा पर्यटन के ऊपर प्रचार सामग्री तैयार करना और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट एवं भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से चिकित्सा पर्यटन पर जानकारी का प्रसार करने हेतु चिकित्सा/बेहतर स्वास्थ्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं और चिकित्सा/बेहतर स्वास्थ्य पर्यटन फैसिलिटेटर्स को बाजार विकास सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया करना शामिल है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों/उत्सवों में भागीदारी द्वारा विदेशी बाजारों में भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विशेष संवर्धन भी किए जा रहे हैं।

स्वाईन फ्लू के मरीजों द्वारा बीमा दावा

250. श्री मिलिंद देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि स्वाईन फ्लू के मारीजों द्वारा खर्च की गई धनराशि को मेडीक्लेम योजना के तहत वापस किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई अन्य बीमा कंपनी/बैंक ऐसी उदार योजना लेकर आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों की वर्तमान स्वास्थ्य बीमा पालिसियां जैसे मेडिक्लेम पालिसी अथवा दि ओवरसीज मेडिक्लेम पालिसी, स्वाइन फ्लू के कारण अस्पताल भर्ती को अपवर्जित नहीं करती है। इसलिए, स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के अंतर्गत बीमित व्यक्ति, स्वाइन फ्लू के कारण अस्पताल भर्ती के लिए इस बीमा सुरक्षा के अंतर्गत बने रहेंगे।

[हिन्दी]

शेयरों के मूल्यों में कमी

251. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के अंतर्गत सूचीबद्ध कितनी कंपनियां हैं जिनके शेयरों का भाव कम हुआ है;

(ख) उन कंपनियों को ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान विभिन्न अवैध/अनुचित माध्यमों से शेयर बाजार के द्वारा धन अर्जित किया है;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है; और

(घ) लोगों का पैसा लेकर भागने वाली इन कंपनियों द्वारा बाजार से कितनी धनराशि अर्जित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) 9 नवम्बर, 2007 से 9 नवम्बर, 2009 की अवधि के दौरान, बीएसई में कारोबारित 3405 स्क्रिपों में से 2116 स्क्रिपों (जो 62.14 प्रतिशत बैठती) के मूल्य गिर गए हैं।

(ख) बाजार विनियामक-भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) बाजार में सतत् निगरानी करता है तथा किसी असामान्यता की स्थिति में संबंधित निकायों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करता है। सुरक्षित, पारदर्शी तथा सझम बाजार का संवर्धन करने एवं बाजार की निष्ठा की रक्षा करने के लिए प्रणालियां निर्धारित की गई हैं। संस्थापित प्रणालियों में उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रक्रम, जिसमें ऑन लाइन मानीटरिंग तथा निगरानी शामिल है, स्थितियों संबंधी विभिन्न सीमाएं, मार्जिन अपेक्षाएं, सर्किट फिल्टर आदि शामिल हैं। प्रणालियों तथा पद्धतियों की निरंतर समीक्षा की जाती है तथा उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनमें आशोधन किया जाता है। सेबी के पास उन कंपनियों के संबंध में सूचना नहीं है। जिन्होंने विभिन्न अवैध/अनुचित साधनों के माध्यम से शेयर बाजार से धनराशि अर्जित की है।

(ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एससीए) ने सूचित किया है कि लुप्त हो रही कंपनियों की पहचान के लिए समन्वयन और अनुवीक्षण समिति (सीएमसी), जो सेबी और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के बीच स्थापित एक संयुक्त तंत्र है, द्वारा विशिष्ट मानदंड अपनाए गए हैं। सीएससी का उद्देश्य दोषी कंपनियों/प्रवर्तकों/निदेशकों के संबंध में नीतिगत मुद्दों का निपटान करना और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई की प्रगति का अनुवीक्षण करना है। 1992-2005 की अवधि के दौरान आईपीओ निकालने वाली कंपनियों में से, कुल 238 कंपनियों की पहचान लुप्त हो रही कंपनियों के रूप में की गई है। इनमें से, 117 कंपनियों की पहचान हो चुकी है, चूंकि ये नियमित तौर पर सांविधिक विवरणियां आदि फाईल कर रही थीं। इसके अतिरिक्त, विशेष मानदंड के आधार पर, ऐसी कोई भी कंपनी की पहचान लुप्त हो रही कंपनी के रूप में नहीं की गई है जिसने पिछले दो वर्षों के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से निधियां जुटाई हैं।

(घ) उपुर्यक्त (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट

252. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट हेतु बोली लगाने की मांग की प्रक्रिया पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इन विद्युत परियोजनाओं को कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप विद्युत परियोजनाओं को कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप विद्युत सृजन क्षमता में बढ़ोतरी होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) केंद्र सरकार की पहल के तहत मूलत: परिकल्पित नौ (9) यूएमपीपी में से, चार यूएमपीपी अर्थात मध्य प्रदेश में

सासन, गुजरात में मूंद्रा, आन्ध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखंड में तिलैया चिहिन्त विकासकर्ताओं को पहले ही अवॉर्ड कर दी गई हैं तथा एसपीवी अभिनिर्धारित विकासकर्ताओं को स्थानांतरित कर दिए गए हैं और ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

शेष पांच यूएमपीपी अर्थात तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के संबंध में बोली प्रक्रिया शुरू करना संबंधित राज्य सरकारों से भूमि तथा जल उपलब्धता सहित विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियों की उपलब्धता पर निर्भर है। मूलत: चिन्हित की गई 9 यूएमपीपी के अलावा उड़ीसा में दो अतिरिक्त यूएसपीपी तथा गुजरात व आंध्र प्रदेश में एक-एक यूएमपीपी हेतु, संबंधित राज्य सरकारों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं के पूरे लाभ 12वीं योजना में मिलने की परिकल्पना है, हालांकि संशोधित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार सासन व मूंद्रा में एक-एक यूनिट अर्थात् दो यूनिटें 11वीं योजना में आने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

जननी सुरक्षा योजना

253. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
श्री वरूण गांधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना का लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जननी सुरक्षा योजना, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है, को गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें प्रसव परिचर्चा के उपरान्त नगद सहायता को शामिल किया गया है।

पिछले चार वर्षों के दौरान योजना के अधीन लाभार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि दर्शायी गई है जो नीचे दी गई है:-

	2005-06	2006-07	2008-09	2009-10
भौतिक उपलब्धि (लाखों में)	7.39	31.58	73.30	84.26
योजना पर व्यय (करोड़ रुपए में)	38.29	256.24	880.17	1241.35

[अनुवाद]

एटीएम लेन-देन से संबंधित शिकायतें

254. **श्री पी.टी.थामस:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) से लेन-देन के दौरान रुपए गुम होने की शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों के पास लंबित शिकायतों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा इन शिकायतों के निपटान में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) गैर निपटान संबंधी मामलों में धन का हिसाब किस प्रकार रखा जाता है;

(घ) क्या इस संबंध में उचित लेखा परीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित डाटा बेस, अपेक्षित प्रकार की सूचना का सृजन नहीं करता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि एटीम की संख्या में वृद्धि, प्रतिदिन प्रति एटीएम के लेन-देन में वृद्धि के कारण से और इस कारण से भी कि किसी बैंक का ग्राहक, किसी अन्य बैंक की एटीएम से लेन-देन कर सकता है, स्वचालित गणक यंत्र (एटीएम) से संबंधित शिकायतें बढ़ गई हैं। शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 11वीं फरवरी, 2009 को अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे ग्राहकों को असफल लेन-देन के कारण गलती से उनके खातों में नामे की गयी राशि की शिकायत प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 12 दिनों के अंदर खाते में वापस नहीं की जाती है तो बैंक 100 रु. प्रतिदिन की दर से पीड़ित ग्राहक को क्षतिपूर्ति को भुगतान करेगा।

यह क्षतिपूर्ति ग्राहक के बिना उनके दावा खाते में उसी दिन, जिस दिन बैंक असफल एटीएम लेन-देन की राशि वापस करता है, स्वत: जमा हो जाएगी।

(ग) से (ङ) बैंकों और ग्राहकों के बीच विवाद समाधान व्यवस्था नियंत्रणधीन लेन-देनों-टी+1 आधार मिलान पर एटीएम में नकदी अधिशेष/कोई अधिशेष नहीं स्थितियों को साथ-साथ रखने पर सफल बनाम असफल लेन-देनों की तुलनात्मक स्थिति हैं। यह लेन-देन समाधान, प्रत्येक बैंक के सामान्य आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन होता है।

[हिन्दी]

डीएमआरसी की परियोजनाओं में दुर्घटनाएं

255. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री हुक्मदेव नारायण यादव:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की परियोजनाओं में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों के दौरान आज की तारीख के अनुसार ऐसी हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा घटना-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी घटनाओं में घायल हुए तथा मारे गए लोगों की घटना-वार संख्या कितनी है तथा उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) ऐसी घटनाओं के लिए दिए गए जांच आदेशों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले तथा ऐसी चूकों के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या निरोधात्मक उपाए किए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) लि. ने यह बताया है कि भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में कारपोरेशन द्वारा व्यापक मात्रा में किए गए कार्य को देखते हुए, कुछ दुर्घटनाएं घटी हैं, यद्यपि सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(ख) और (ग) डीएमआरसी द्वारा दी गई सूचना अनुसार गत 6 माह के दौरान हुई ऐसी दुर्घटनाओं, मृत व्यक्तियों की संख्या, घायल व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें भुगतान किए गए मुआवजे का दुर्घटनावार ब्यौरा क्रमश: विवरण I, II व III में संलग्न है।

(घ) दिनांक 12.7.2009 को जमरुदपुर में हुई दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए डीएमआरसी द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं:-

(i) कैंन्टीलीवर आर्म के डिजाइन में गंभीर खामियां; तथा

(ii) संभवत: कंक्रीट की पर्याप्त तराई न होने के कारण कंक्रीट में पर्याप्त मजबूती नहीं आई।

डीएमआरसी द्वारा जांच रिपोर्ट से साथ-साथ ऐसी सभी दुर्घटनाओं, चोट व संघात के मामलों की भी सूचना दी जा रही है। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से घायल और मृत व्यक्तियों के बारे में भी जांच की गई है।

डीएमआरसी ने ऐसी चूक के दोषी पाए गए कार्मिकों/कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

* मैसर्ज आर्क कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा. लि. को 5 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया गया है।
* मैसर्ज टंडन कंसलटेंट को 2 वर्ष की अवधि के लिए डीएमआरसी कार्य से बहिष्कृत किया गया है।
* मैसर्ज गैमन इंडिया लि. को 2 वर्षों के लिए काली सूची में डालने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है।
* एक निदेशक को भारतीय रेल को प्रत्यावर्तित किया गया है।
* दो उप मुख्य इंजीनियरों को उनके मूल कार्यालय को प्रत्यावर्तित किया गया है और दो विभाग अध्यक्ष स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया गया है।
* एक सामान्य परामर्शदाता का गुणवत्ता विशेषज्ञ, जो छोड़कर चला गया था, उसे निकाल दिया गया है।
* 10 दुर्घटनाओं में ठेकेदारों पर शास्तियां लगाई गई हैं।

(ङ) निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं:-

* डीएमआरसी न अब तक निर्मित सभी कैंटीलीवर खंभों की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, और उनके डिजाइनों की एक विख्यात डिजाइन कंसलटेंट

मैसर्ज शिरीश पटेल एंड एसोसिएट्स द्वारा पुनः जांच की गई है। उनके परामर्श के आधार पर, डीएमआरसी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है कि सभी कैंटीलीवर खंभे सुरक्षित रहे।

* डीएमआरसी ने सामान्य परामर्शदाताओं अथवा एक बाहर के कंसलटेंट से भविष्य में सभी डिजाइनों की जांच कराने का भी निर्णय लिया है। डीएमआरसी के डिजाइन विंग को पूर्ण रूप से सुदृढ़ बनाया गया है।

* डीएमआरसी द्वारा डीएमआरसी स्थलों पर कार्यरत सभी ठेकेदारों के कामगारों व पर्यवेक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए जुलाई, 2009 के अंत में एक विशेष अभियान चलाया गया था। सभी निर्माण कंपनियों को उप ठेकेदार कामगारों सहित स्थल पर कार्यरत अपने सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम तीन दिन की अवधि का एक तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा समकक्ष 18 घंटे के प्रशिक्षण प्रदर्शन की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था। इस विशेष अभियान के अंतर्गत 25,000 से अधिक कामगारों को प्रशिक्षित किया गया है।

* सरकार ने दिनांक 11.9.2009 को, सभी मैट्रो प्राधिकारियों तथा संबंधित मुख्य सचिवों, जहां पर मैट्रो रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; दिनांक 12.9.2009 को डीएमआरसी स्थल पर हुई दुर्घटना की जानकारी दी और सुनिश्चित करने के लिए अपना परामर्श पुनः दोहराया है कि पर्याप्त निवारक उपास किए जाएं।

विवरण I

गत 6 माह के दौरान दिल्ली मैट्रो में हुई दुर्घटनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना की प्रकृति	ठेकेदार और दुर्घटना का स्थान
1.	10.5.2009	सामग्री गिर गई	कंवरजी कंस्ट्रक्शन सुलतानपुर डिपो
2.	16.5.2009	बिजली का करंट लगा	एलएन्डीटी साकेत
3.	15.6.2009	नुकीली वस्तु से चोट लगी	सेनबो कृषि भवन
4.	9.7.2009	सामग्री गिर गई	ऐश जेवी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
5.	12.7.2009	कैन्टीलीवर खंभे में त्रुटि के कारण लांचर गिरा	गैमन इंडिया लि. जमरुदपुर
6.	13.7.2009	क्रेन की विफलता	गैमन इंडिया लि. जमरुदपुर
7.	22.7.2009	गिरते सामान से चोट लगी	आईडीईबी-एसयूसीजी (जेवी)
8.	29.8.2009	ऊंचाई से गिरा	गैमन इंडिया लि.
9.	3.10.2009	ऊंचाई से गिरा	कालिंदी रेल निर्माण (इंजीनियरिंग) लि.
10.	28.10.2009	सामान से टक्कर लगी	एलपाईन सेमसंग-एचसीसी-जेवी
11.	29.10.2009	ट्रांजिंग मिक्सर से टक्कर लगी और ऊपर से गुजर गया	सीईसी-सोमा जेवी

विवरण II

पिछले छह माह से दिल्ली मेट्रो में हुई दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों को दी गई मुआवजा राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	मृतक कर्मी का नाम	ठेकेदार का नाम	दुर्घटना की तिथि	कामगार क्षति पूर्ति	डीएसआरसी मजदूर कल्याण कोष क्षतिपूर्ति
1	2	3	4	5	6
1.	गुलमोहम्मद	कंवरजी कंस्ट्रक्शन सुलतानपुर डिपो	10.5.2009	अनुग्रह राशि- 1,50,000/- कामगार क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन	2,50,000/-

1	2	3	4	5	6
2.	गनपतराय	एलएन्डटी साकेत	16.5.2009	4,27,140	2,70,000/-
3.	नाजिर अलियास नहीरुल मंडल	सेनबो कृषि भवन	15.6.2009	प्रक्रियाधीन	50,000/- रु. की अंतरिम सहायता प्रदान की गई है।
4.	सनत मरांडी	एलपाइन-एचसीसी-सेमसंग	9.7.2009	4,48,000/-	2,50,000/-
5.	अंशुमान प्रतीहार	गैमन जमरुदपुर	12.7.2009	4,23,580/-	5,00,000/-
6.	निरंजन यादव	गैमन जमरुदपुर	12.7.2009	4,52,760/-	**50,000/- रु. की राशि का भुगतान किया गया और लाभार्थी के बैंक ब्यौरे मिलने पर 4.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाना है।
7.	बदन सिंह	गैमन जमरुदपुर	12.7.2009	3,94,120	5,00,00/-
8.	अमीत कुमार	गैमन जमरुदपुर	12.7.2009	4,15,960	5,00,000/-
9.	पप्पू यादव	गैमन जमरुदपुर	12.7.2009	4,33,820	5,00,000/-
10.	भान सिंह	गैमन जमरुदपुर	12.7.2009	4,07,700	5,00,000/-
11.	अमर सिंह	गैमन जमरुदपुर	12.7.2009	4,07,700	5,00,000/-
12.	विक्की सिंह	आईडीईबी-एसयूवीजी-जेवी (उप ठेकेदार)	22.7.2009	ठेकेदार द्वारा 70000 रु. का भुगतान किया गया, कामगार क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन	50,000 रु. की अंरिम सहायता का भुगतान किया गया है।
13.	अरुण गोवाला	गैमन, बीसी-30आर	29.8.2009	प्रक्रियाधीन	ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।
14.	सरवर अली	सीईसी-सोमा, आई एनए स्टेशन	29.10.2009	प्रक्रियाधीन	50,000 रु. की अंतरिम सहायता का भुगतान किया गया है।

विवरण III

पिछले छह माह से दिल्ली मेट्रो में हुई दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों और दी गई मुआवजा राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	घायल कर्मी का नाम	ठेकेदार का नाम	दुर्घटना की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	प्रकाश	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।

1	2	3	4	5
2.	चाबीराज	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।
3.	मुस्ताक अहमद	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।
4.	महादेव	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।
5.	अनिल यादव	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।
6.	अमरनाथ चौधरी	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।
7.	गोपाल सेन	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
8.	रविन्द्र कुमार	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
9.	हरिपद साहू	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
10.	पप्पू	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
11.	धनंजय पांडे	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
12.	बिरजू यादव	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
13.	दलीप कुमार	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।

1	2	3	4	5
14.	मनोज सिंह	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
15.	तरविन्द्र सिंह	गैमन इंडिया लि.	12.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।
16.	अतीकउर रहमान	गैमन इंडिया लि.	13.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
17.	मनीष दत्ता	गैमन इंडिया लि.	13.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और भुगतान लेने के लिए के लिए नहीं आया।
18.	सतनाम सिंह	गैमन इंडिया लि.	13.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
19.	केदार सिंह	गैमन इंडिया लि.	13.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 10,000 रुपए का भुगतान किया गया।
20.	सतनाम सिंह	गैमन इंडिया लि.	13.7.2009	इलाज के दौरान कुल मजदूरी और चिकित्सा खर्चा ठेकेदार द्वारा वहन किया गया और डीएमआरसी द्वारा 50,000 रुपए का भुगतान किया गया।
21.	भुवन भूनिया	कालिंदी रेल निर्माण (इंजीरियरिंग) लि.	3.10.2009	इलाज के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा खर्चा वहन किया गया।
22.	विनोद प्रसाद	एलपाईन-एचसीसी-सेमसंग-जेवी	28.10.2009	इलाज के दौरान ठेकेदार द्वारा पूरी मजदूरी और चिकित्सा खर्चा वहन किया गया।

[अनुवाद]

दक्षिण के राज्यों में बिजली की कमी

256. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के दक्षिण के राज्यों को बिजली की काफी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिणी के राज्यों में बिजली की मांग और आपूर्ति राज्य-वार कितनी है;

(ग) इन राज्यों में बिजली की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) दक्षिण के राज्यों में उन गैस आधारित, कोयला आधारित और पन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो निष्क्रिय पड़े हैं अथवा जहां बिजली का उत्पादन क्षमता से कम है;

(ङ) इसके कारण क्या हैं; और

(च) इन राज्यों में बिजली की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) अप्रैल-अक्टूबर, 2009 की अवधि के दौरान दक्षिण क्षेत्र में ऊर्जा और अधिकतम कमी 7964 मिलियन यूनिट (6.3%) और 2771 मेगावाट (9.5%) थी। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार है।

ऊर्जा

राज्य/संघ क्षेत्र	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (मि.यू.)	(%)
आंध्र प्रदेश	45,478	42,230	3,248	7.1
कर्नाटक	25,158	23,415	1,743	6.9
केरल	10,039	9,745	294	2.9
तमिलनाडु	44,824	42,258	2,566	5.7
पुडुचेरी	1,275	1,162	113	8.9
दक्षिणी क्षेत्र	1,26774	1,18810	7,964	6.3

एम. यू.-मिलियन यूनिट

व्यस्ततमकालीन

राज्य/संघ क्षेत्र	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (मि.यू.)	(%)
आंध्र प्रदेश	11,325	10,294	1,031	9.1
कर्नाटक	7,196	6,352	844	11.7
केरल	3,045	2,852	193	6.3
तमिलनाडु	10,158	9,675	483	4.8
पुडुचेरी	325	281	44	13.5
दक्षिणी क्षेत्र	29,216	26,445	2771	9.5

एम. डब्लू रु=मेगावाट

(ग) दक्षिणी राज्यों में विद्युत की कमी का मुख्य कारण यह है कि विद्युत की मांग विद्युत क्षमता वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत रूप में तेज बढ़ रही है। यहां तक कि विद्यमान केन्द्रों से वास्तविक विद्युत उत्पादन लक्ष्य से कम है।

(घ) जल विद्युत व ताप विद्युत संयंत्रों की सूची जहां विद्युत उत्पादन अप्रैल से अक्टूबर, 2009 की अवधि के लिए तय लक्ष्य के 90% से कम थी, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में कमी होने के कारण निम्न है:-

* कोयले में कमी।
* कोयले की खराब गुणवत्ता।
* सुधार के लिए इकाईयों को दीर्घावधि के लिए बंद करना (जबरन बंदी व योजनागत रखरखाव)।
* नदियों में कम आवेग/जलाशय से नियंत्रित जल को छोड़ना।
* नदियों में कम आवेग/जलाशय से नियंत्रित जल को छोड़ना।
* नाभिकीय ईधन की कमी।
* दक्षिणी क्षेत्र में हाल में आई बाढ़ से जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करना पड़ा जिससे उत्पादन में हानि हुई।

(च) दक्षिण राज्यों में विद्युत की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में निम्न शामिल है:

(i) 11वीं योजना में दक्षिणी क्षेत्र में 14920 मे. वा. की अतिरिक्त क्षमता उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 6,440 मे.वा. शामिल है।

(ii) आंध्र प्रदेश के संयंत्रों को छोड़कर दक्षिणी क्षेत्र के गैस आधारित विद्युत केन्द्र को 70% प्लाट लोड फैक्टर (पीएलएफ) का प्रचालन करने के लिए केजी बेसिन (डी6) से गैस आबंटित की गई है आंध्र प्रदेश के गैस आधारित केन्द्रों को 75% पीएलएफ पर करने के लिए गैस आबंटित की गई। इसके अतिरिक्त 12 विद्युत संयंत्रों का एसएमएससीएमडी गैस भी उपलब्ध कराई गई जिसमें दक्षिण क्षेत्र के विद्युत संयंत्र फाल बैंक आधार पर शामिल है।

(iii) 4000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का विकास।

(iv) सरपल्स कैप्टिव पावर को ग्रिड में डालना।

(v) घरेलू स्रोतों से कोयले की आवश्यकता और कोयले की उपलब्धता की कमी पूरा करने के लिए कोयले का आयात करना।

(vi) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंव सी) हानियों को कम करने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के

अधीन राज्यों में उप-पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करना और सुधार करना।

(vii) मांग आधारित प्रबंधन, ऊर्जा कुशलता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना।

विवरण

दक्षिणी राज्यों में 2009-10 (अप्रैल 09-अक्टू 09) के दौरान थर्मल, हाइडेल संयंत्रों की सूची जिनका उत्पादन लक्ष्य स कम रहा*

राज्य	क्षेत्र	श्रेणी	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेवा)	प्रोग (एमयू)	वास्तविक (एमयू)	प्राप्ति (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	केंद्र	थर्मल	रामागुंडम एसटीपीएस	2600	12087	12073	99.9
	राज्य	थर्मल	कोथागुडम टीपीएस	720	2994.44	2712	90.6
			रायलसीमा टीपीएस	840	3802.88	3541	93.1
		हाइड्रो	लोअर सिलेरू एचपीएस	460	635	383	60.3
			नागार्जुन सागर एचपीएस	815.6	1157	962	83.1
			नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	60	48	15	31.0
			नागार्जुन सागर आरबीएस एचपीएस	90	81	43	52.9
			पोचमपाद एचपीएस	27	42	0	
			प्रियदर्शनी जुराला एचपीएस	117	365	195	53.6
			श्रीसेलम एचपीएस	770	1209	846	70.0
			श्रीसेल एलबी एचपीएस	900	1483	641	43.2
			टी बी डैम एचपीएस	36	104	72	69.2
			अपर सीलेरू एचपीएस	240	271	127	46.7
	निजी	थर्मल	कोनासीमा सीसीपीपी	280	768.96	680	88.5
			पेड्डापुरम सीसीपीपी	220	924	793	85.8
कर्नाटक	राज्य	थर्मल	बेल्लारी टीपीएस	500	1831.2	1446	79.0
			रायचुर टीपीएस	1470	6215	5864	94.4
		हाइड्रो	अलमाती डीपीएस एचपीएस	290	505	375	74.3
			भादरा एचपीएस	39.2	38	30	78.1
			घाट प्रभा एचपीएस	32	37	28	76.4
			कालीनदी एचपीएस	855	1494	1218	81.5
			कालीनदी सुपा एचपीएस	100	177	152	86.0

1	2	3	4	5	6	7	8
			कोडासाली एचपीएस	120	195	193	99.2
			लिगनामक्की एचपीएस	55	124	120	96.9
			शरावती एचपीएस	1035	2887	2629	91.1
केरल	राज्य	थर्मल	कोझीकोड डीजी	128	323.8	190	58.8
		हाइड्रो	इडामलयार एचपीएस	75	222	178	80.1
			इडुक्की एचपीएस	780	1202	1028	85.5
			काकड़ एचपीएस	50	138	129	93.8
			कुट्टीयादी एचपीएस	125	432	401	92.1
			लोअर पेरियार एचपीएस	180	430	392	91.1
			नरीमंगलम एक्स एचपीएस	25	190	0	0.0
			पन्नीआर एचपीएस	30	75	66	87.8
			पोरींगालकुट्टू एचपीएस	32	170	100	58.7
			साबरीगीरी एचपीएस	300	797	739	92.8
			सेनगुलम एचपीएस	48	108	105	97.6
	निजी	थर्मल	कोचीन सीसीपीपी (लि.)	174	468	442	94.5
पुडुचेरी	राज्य	थर्मल	करैकाल सीसीपीपी	3205	148.6	134	89.8
तमिलनाडु	राज्य	थर्मल	बेसीन ब्रीज जीटी (लि.)	120	141	74	52.6
			इन्नौर टीपीएस	450	1252	892	71.3
			कोवीकलप्पल सीसीपीपी	107	463	283	61.0
			कुट्टलम सीसीपीपी	100	402	400	99.5
			तुतीकोरीन टीपीएस	1050	4932	4217	85.5
		हाइड्रो	भवानी कट्टाल	30	58	36	62.6
			कोडयार एचपीएस	100	142	133	93.7
			कुंदा एचपीएस	555	931	909	97.6
			लोअर मेटूर एचपीएस	120	254	240	94.4
			मेटूर डैम एचपीएस	40	331	72	21.7
			पेरीयार एचपीएस	70.2	73	47	64.0
			पइकारा एचपीएस	70.2	73	47	64.0

1	2	3	4	5	6	7	8
			सरकारपथी एचपीएस	30	68	61	90.1
			सुरुलियार एचपीएस	35	55	37	67.9
	निजी	थर्मल	बी. ब्रीज डीजी	200	822	767	93.3
			करुपुर सीसीपीपी	119.8	502	416	82.9
			नेवेली टीपीएस (जेड)	250	1058	1045	98.8
			पी.नल्लूर सीसीपीपी	330.5	1310	1224	93.5
			सामलपट्टी डीजी	105.7	405	294	72.5
			समयानल्लूर डीजी	106	411	294	71.5
			वलंथारवी सीसीपीपी	52.8	239	191	79.8

*परिवर्तनीय

दक्षिणी राज्यों में 2009-10 (अप्रैल 09-अक्टू 09) के दौरान थर्मल, हाइडेल संयंत्रों की सूची जिनका उत्पादन 90% से कम था*

राज्य	क्षेत्र	श्रेणी	स्टेशन का नाम	क्षमता (मेवा)	प्रोग (एमयू)	वास्तविक (एमयू)	प्राप्ति (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	लोअर सिलेरू एचपीएस	460	635	383	60.3
			माचुकुंड एचपीएस	114.75	427	319	74.8
			नागार्जुन सागर एचपीएस	815.6	1157	962	83.1
			नागार्जुन सागर एलबीसी एचपीएस	60	48	15	31.0
			नागार्जुन सागर आरबीसी एचपीएस	90	81	43	52.9
			प्रियदर्शनी जुराला एचपीएस	117	365	195	53.6
			श्रीसेलम एचपीएस	770	1209	846	70.0
			श्रीसेलम एचपीएस	900	1483	641	43.2
			टीबी डैम एचपीएस	36	104	72	69.2
			अपर सीलेरू एचपीएस	240	271	127	46.7
	निजी	थर्मल	कोनासीमा सीसीपीपी	280	768.96	680	88.5
			पेड्डापुरम सीसीपीपी	220	924	793	85.8
कर्नाटक	राज्य	थर्मल	बेल्लारी टीपीएस	500	1831.2	1446	79.0

1	2	3	4	5	6	7	8
		हाइड्रो	अलमाटी डीपीएस एचपीएस	290	505	375	74.3
			भादरा एचपीएस	39.2	38	30	78.1
			घाट प्रभा एचपीएस	32	37	28	76.4
			कालीनदी एचपीएस	855	1494	1218	81.5
			कालीनदी एचपीएस	100	177	152	86.0
केरल	राज्य	थर्मल	कोझीकोड डीजी	128	323.8	190	58.8
		हाइड्रो	इदामलयार एचपीएस	75	222	178	80.1
			इडुक्की एचपीएस	780	1202	1028	85.5
			पन्नीयार एचपीएस	30	75	66	87.8
			पोरीगालकुट्टू एचपीएस	32	170	100	58.7
पुडुचेरी	राज्य	थर्मल	करैकाल सीसीपीपी	32.5	148.6	134	89.8
तमिलनाडु	राज्य	थर्मल	बेसिन ब्रीज जीटी (लि.)	120	141	74	52.6
			इन्नौर टीपीएस	450	1252	892	71.3
			कोविकलप्पल सीसीपीपी	107	463	283	61.0
			तूतीकोरीन टीपीएस	1050	4932	4317	85.5
		हाइड्रो	भवानी कट्टाल	30	58	36	62.6
			मेटूर डैम एचपीएस	40	331	72	21.7
			पेरियार एचपीएस	140	238	200	84.0
			पईकारा एचपीएस	70.2	73	47	64.0
			सुरूलियार एचपीएस	35	55	37	67.9
	निजी	थर्मल	करुपुर सीसीपीपी	119.8	502	416	82.9
			सामलपट्टी डीजी	105.7	405	294	72.5
			समयालनुर डीजी	106	411	294	71.5
			वेलन्थारवी सीसीपीपी	52.8	239	191	79.8

*परिवर्तनीय

बिजली की कमी

257. **श्री आर. थामराईसेलवन:**
श्री के.डी. देशमुख:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली की भीषण कमी है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में मंदी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिजली की कमी का सामना करने वाले राज्यों को और अधिक धनराशि आवंटित/जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में बिजली की कमी को पूरा करने तथा विद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) ऊर्जा और अधिकतम विद्युत के संबंध में में देश तथा सभी राज्यों में विद्युत की समग्र कमी है। ये कमियां विद्युत की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करते हुए माह दर माह, दिन प्रति दिन तथा घंटने दर घन्टे प्रत्येक राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं। वर्ष 2009-10 (अप्रैल से अक्टूबर 2009) के दौरान देश में ऊर्जा और अधिकतम कमी क्रमश: 9.8% तथा 12.6% थी। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विद्युत की कमी का मुख्य कारण राज्यों में विद्युत उत्पादन तथा क्षमता अभिवृद्धि में वृद्धि से अधिक विद्युत हेतु मांग में वृद्धि का होना है। अन्य कारण निम्नवत हैं। (i) जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के कैचमेंट क्षेत्रों में देरी से तथा अपर्याप्त वर्षा होना (ii) थर्मल उत्पादन यूनिटों, मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में, कुछेक कम का संयंत्र भार घटक (iii) गैस, न्यूक्लीयर ईंधन तथा कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता (iv) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और नैफ्था की बहुत अधिक कीमतें जिसमें ये ईंधन समर्थ नहीं हो सके हैं। (v) बिजली की चोरी सहित अधिक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (ए टी एंड सी) और (vi) राज्य यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति जिससे पर्याप्त उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणली के सृजन हेतु उन्हें अपेक्षित निवेश करने के लिए अनिवार्य संसाधन जुटाना कठिन हो गया है।

(ग) और (घ) विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा राज्यों को कोई निधि प्रदान नहीं की जाती है। राज्यों से विभिन्न उपायों के माध्यम से विद्युत के लिए बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने की अपेक्षा की जाती है और अपेक्षित निधियां यदि कोई है तो उसकी व्यवस्था उनके द्वारा की जानी होती है।

(ङ) देश में उत्पादन को बढ़ाने तथा बिजली की कमी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में 11वीं योजना के दौरान परिकल्पित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में बढ़ोतरी, प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास, ग्रिड में अतिरिक्त कैप्टिव विद्युत को प्रयोग में लाना, कोयले का आयात, के जी बेसिन से गैस की पर्याप्त उपलब्धता, देश में इलैक्ट्रिक विद्युत के लिए उपस्कार की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि, मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय आदि शामिल है।

विवरण

व्यस्ततमकालीन मांग और व्यस्ततमकालीन पूर्ति (अनंतिम)

आंकड़े मेगावाट निवल में

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अक्टूबर, 2009				अप्रैल से अक्टूबर, 2009			
	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकलीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)	व्यस्ततमकलीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकलीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	249	249	0	0.0	308	308	0	0.0
दिल्ली	3,935	3,815	-120	-3.0	4,502	4,408	-94	-2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	5,693	4,922	-771	-13.5	6,133	5,678	-455	-7.4
हिमाचल प्रदेश	960	915	-45	-4.7	960	915	-45	-4.7
जम्मू और कश्मीर	1,493	1,493	0	0.0	2,000	1,493	-507	-25.4
पंजाब	7,857	6,096	-1,761	-22.4	9,786	7,407	-2,379	-24.3
राजस्थान	5,553	5,203	-350	-6.3	6,497	5,500	-987	-15.2
उत्तर प्रदेश	9,785	8,254	-1,531	-15.6	10,856	8,563	-2,293	-21.1
उत्तराखंड	1,414	1,186	-228	-16.1	1,414	1,313	-101	-7.1
उत्तरी क्षेत्र	**34,724**	**30,240**	**-4,484**	**-12.9**	**37,159**	**31,439**	**-5,720**	**-15.4**
छत्तीसगढ़	2,714	2,600	-114	-4.2	2,819	2,703	-116	-4.1
गुजरात	10,406	9,515	-891	-8.6	10,406	9,515	-891	-8.6
मध्य प्रदेश	6,766	5,943	-823	-12.2	6,766	5,970	-796	-11.8
महाराष्ट्र	18,168	13,795	-4,373	-24.1	18,981	14,292	-4,689	-24.7
दमन और दीव	249	237	-12	-4.8	280	255	-25	-8.9
दादरा और नगर हवेली	492	438	-54	-11.0	509	461	-48	-9.4
गोवा	450	410	-40	-8.9	455	410	-45	-9.9
पश्चिमी क्षेत्र*	**37,084**	**31,178**	**-5,906**	**-15.9**	**37,190**	**31,178**	**-6,012**	**-16.2**
आंध्र प्रदेश	10,684	9,849	-835	-7.8	11,325	10,294	-1,031	-9.1
कर्नाटक	6,729	5,877	-852	-12.7	7,196	6,352	-844	-11.7
केरल	2,986	2,852	-116	-3.9	3,045	2,852	-193	-6.3
तमिलनाडु	10,047	9,218	-829	-8.3	10,158	9,675	-483	-4.8
पुडुचेरी	313	279	-34	-10.9	325	281	-44	-13.5
लक्षद्वीप#	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**28,787**	**26,030**	**-2,757**	**-9.6**	**29,216**	**26,445**	**-2,771**	**-9.5**
बिहार	2,053	1,495	-558	-27.2	2,249	1,495	-754	-33.5
डीवीसी	1,932	1,904	-28	-1.4	1,932	1,904	-28	-1.4
झारखंड	800	790	-10	-1.3	1,088	947	-141	-13.0
उड़ीसा	3,050	3,041	-9	-0.3	3,188	3,120	-68	-2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	5,381	5,349	-32	-0.6	5,381	5,349	-32	-0.6
सिक्किम	80	80	0	0.0	84	84	0	0.0
#अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40	32	-8	-20	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	**12,909**	**12,290**	**-619**	**-4.8**	**12,980**	**12,384**	**-596**	**-4.6**
अरुणाचल प्रदेश	90	72	-18	-20.0	95	78	-17	-17.9
असम	864	845	-19	-202	920	845	-75	-8.2
मणिपुर	100	97	-3	-3.0	111	97	-14	-12.6
मेघालय	250	211	-39	-15.6	270	238	-32	-11.9
मिजोरम	65	58	-7	-10.8	66	64	-2	-3.0
नागालैंड	91	89	-2	-2.2	95	94	-1	-1.1
त्रिपुरा	159	158	-1	-0.6	176	173	-3	-1.7
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,609**	**1,445**	**-164**	**-10.2**	**1,760**	**1,445**	**-315**	**-17.9**
अखिल भारत	**115,113**	**101,183**	**-13,930**	**-12.1**	**116,281**	**101,609**	**-14,672**	**-12.6**

*डब्ल्यूआरपीसी के अनुसार-डब्ल्यूआर घटकों के ये आंकड़े डब्ल्यूएलडीसी द्वारा प्रदत्त दैनिक आंकड़ों पर आधारित है। अंतरिम विद्युत आपूर्ति की स्थिति तैयारी के अंतर्गत है क्योंकि क्षेत्रीय घटकों में पूरे आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं।

#लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय मांग एवं उलब्धता का भाग नहीं है।

अधिकतम पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में शुद्ध उपभोग (पारेषण हानियों सहित) का प्रतिनिधित्व करती हैं। शुद्ध निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों के उपभोग में की गई है।

विद्युत आपूर्ति की स्थिति

आंकड़े मि.यू. निवल में

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अक्टूबर, 2009				अप्रैल से अक्टूबर, 2009			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	116	116	0	0.0	1,031	1,005	-26	-2.5
दिल्ली	1,912	1,902	-10	-0.5	16,079	15,929	-150	-0.9
हरियाणा	2,936	2,746	-190	-6.5	21,143	20,173	-970	-4.6
हिमाचल प्रदेश	580	553	-27	-4.7	3,955	3,825	-130	-3.3
जम्मू और कश्मीर	876	876	0	0.0	7,120	5,537	-1,583	-22.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	3,722	3,155	-567	-15.2	31,034	26,335	-4,699	-15.1
राजस्थान	3,702	3,672	-30	-0.8	23,968	23,023	-945	-3.9
उत्तर प्रदेश	6,162	4,731	-1,431	-23.2	45,445	35,228	-10,217	-22.5
उत्तराखंड	706	668	-38	-5.4	5,168	4,929	-239	-4.6
उत्तरी क्षेत्र	**20,712**	**18,419**	**-2,293**	**-11.1**	**154,941**	**135,980**	**-18,961**	**-12.2**
छत्तीसगढ़	866	842	-24	-2.8	7,601	7,390	-211	-2.8
गुजरात	6,018	5,958	-60	-1.0	39,624	39,038	-586	-1.5
मध्य प्रदेश	3,533	3,009	-524	-14.8	22,816	18,629	-4,187	-18.4
महाराष्ट्र	10,205	8,491	-1,714	-16.8	71,065	58,604	-12,461	-17.5
दमन और दीव	154	145	-9	-5.8	1,139	1,024	-115	-10.1
दादरा और नगर हवेली	309	296	-13	-4.2	2,279	2,133	-143	-6.4
गोवा	253	250	-3	-1.2	1,760	1,709	-51	-2.9
पश्चिमी क्षेत्र*	**21,338**	**18,991**	**-2,347**	**-11.0**	**146,285**	**128,528**	**-17,757**	**-12.1**
आंध्र प्रदेश	6,715	6,267	-448	-6.7	45,478	42,230	-3,248	-7.1
कर्नाटक	3,679	3,366	-313	-8.5	25,158	23,415	-1,743	-6.9
केरल	1,471	1,438	-33	-2.2	10,039	9,745	-294	-2.9
तमिलनाडु	6,720	6,201	-519	-7.7	44,824	42,258	-2,566	-5.7
पुडुचेरी	174	168	-6	-3.4	1,275	1,162	-113	-8.9
लक्षद्वीप#	2	2	0	0	14	14	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**18,759**	**17,440**	**-1,319**	**-7.0**	**126,774**	**118,810**	**-7,964**	**-6.3**
बिहार	1,152	853	-299	-26.0	7,029	5,876	-1,153	-16.4
डीवीसी	1,224	1,202	-22	-1.8	8,611	8,367	-244	-2.8
झारखंड	493	452	-41	-8.3	3,322	3,146	-176	-5.3
उड़ीसा	1,784	1,753	-31	-1.7	12,550	12,395	-155	-1.2
पश्चिम बंगाल	2,943	2,856	-87	-3.0	20,547	19,882	-665	-3.2
सिक्किम	31	31	0	0.0	214	174	-40	-18.7
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह#	20	15	-5	-25	140	105	-35	-25.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी क्षेत्र	**7,627**	**7,147**	**-480**	**-6.3**	**52,273**	**49,840**	**-2,433**	**-4.7**
अरुणाचल प्रदेश	38	30	-8	-21.1	228	181	-47	-20.6
असम	479	433	-46	-9.6	3,153	2,827	-326	-10.3
मणिपुर	47	43	-4	-8.5	290	228	-62	-21.4
मेघालय	126	110	-16	-12.7	896	757	-139	-15.5
मिजोरम	29	23	-6	-20.7	196	155	-44	-22.1
नागालैंड	35	32	-3	-8.6	293	247	-46	-15.7
त्रिपुरा	75	68	-7	-9.3	533	473	-60	-11.3
पूवोत्तर क्षेत्र	**829**	**739**	**-90**	**-10.9**	**5,591**	**4,869**	**-722**	**-12.9**
अखिल भारत	**69,265**	**62,736**	**-6,529**	**-9.4**	**485,864**	**438,027**	**-47,837**	**-9.8**

*डब्ल्यूआरपीसी के अनुसार-डब्ल्यूआर घटकों के ये आंकड़े डब्ल्यूआरएलडीसी द्वारा प्रदान दैनिक आंकड़ों पर आधारित है। अंतरिम विद्युत आपूर्ति की स्थिति तैयारी के अंतर्गत है क्योंकि क्षेत्रीय घटकों में पूरे आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं।

#लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय मांग एवं उपलब्धता का भाग नहीं है।

अधिकतम पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में शुद्ध उपभोग (पारेषण हानियों सहित) का प्रतिनिधित्व करती हैं। शुद्ध निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों के उपभोग में की गई है।

दंत, आयुर्वेद और युनानी महाविद्यालयों की स्थापना

258. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में 150 मेडिकल, दंत, आयुर्वेद और युनानी महाविद्यालयों की स्थापना की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009 में देश में 11 (ग्यारह) मेडिकल कॉलेजों, 10 (दस) डेंटल कॉलेजों, 5 (पांच) आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और 1 (एक) यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए अनुमति दे दी है। ऐसे कॉलेजों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मेडिकल कॉलेजों की सूची

क्र.सं.	आवेदनकर्ता का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3
1.	आदानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज सोसायटी द्वारा गुजरात आदानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, जी.के. हॉस्पिटल, भुज, गुजरात	150
2.	के.जे. मेहता टीबी हॉस्पिटल द्वारा के.जे. मेहता टीबी हॉस्पिटल एंड कालेज ऑफ मेडिकल सांइसेज, भावनगर, गुजरात	150

1	2	3
3.	अहमदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन मेडिकल कॉलेज सोसायटी द्वारा एएमसी मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात	150
4.	शारदा एजुकेशन ट्रस्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश द्वारा हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एंड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	100
5.	हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा हिंद इंस्टीट्यूट मेडिकल सांइसेज, बाराबांकी, उत्तर प्रदेश	100
6.	गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्रीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, चालक्का, एर्नाकुलम, केरल	100
7.	करपगा विनायगा एजुकेशनल ट्रस्ट, तमिलनाडु द्वारा करपगा विनायगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एंड रिसर्च सेन्टर, कांचीपुरम, तमिलनाडु	100
8.	एसआरएम विश्वविद्यालय द्वारा चेन्नई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	150
9.	एचके कालचुरी एजुकेशनल ट्रस्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा एलएन मेडिकल कालेज एंड रिसर्च सेन्टर, भोपाल, मध्य प्रदेश	150
10.	क्वीलोन मेडिकल ट्रस्ट, कोल्लम, केरल द्वारा त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज, कोल्लम, केरल	100
11.	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर मेडिकल कॉलेज, सागर, मध्य प्रदेश	100
	कुल	1350

डेंटल कॉलेजों की सूची

क्र.सं.	डेंटल कॉलेज का नाम	सीटों की संख्या
1.	फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	50
2.	सत्यभामा यूनिवर्सिटी डेंटल कॉलेज, चैन्नई, तमिलनाडु	100
3.	कॉलेज ऑफ डेंटल सांइसेज, श्री के.जे. मेहता टीबी हॉस्पिटल, अमरगढ़, भावनगर, गुजरात	100
4.	एएमसी डेंटल कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात	100
5.	महे इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल सांइसेज एंड हॉस्पिटल, महे, पुडुचेरी	100
6.	गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, बर्दवान, पश्चिम बंगाल	100
7.	शहीद करतार सिंह सराभा डेंटल कॉलेज, सराभा, लुधियाना, पंजाब	50
8.	वैदिक डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेन्टर, दमन	100
9.	डी वाई पाटिल डेंटल कॉलेज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	100
10.	गार्जियन कॉलेज ऑफ डेंटल सांइस एंड रिसर्च, थाणे, महाराष्ट्र	100
	कुल	900

आयुर्वेद और यूनानी मेडिकल कॉलेजों की सूची

क्र.सं.	आयुर्वेद और यूनानी कॉलेज का नाम	सीटों की संख्या
1.	भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुज्जफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	50
2.	यूनुस फजलानी यूनानी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	50
3.	शेखावती आयुर्वेदिक कॉलेज, पिलानी, राजस्थान	50
4.	पतंजली भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार, उत्तराखंड	50
5.	धन्वंतरि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मथुरा, उत्तर प्रदेश	50
6.	गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, कोट्टार, नागेरकोयल, तमिलनाडु	50
	कुल	300

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्र

259. **श्री विश्व मोहन कुमार:**
श्री पूर्णमासी राम:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री जयराम पांगी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने तथा पुराने केन्द्रों को बनाए रखने के विद्यमान मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन एवं विकास के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये आंगनवाड़ी केन्द्र अप्रैल, 2004 में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वर्ष में 300 दिन पोषक खाद्य आहार की आपूर्ति कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या घर ले जाने के लिए राशन (टीएचआर) हेतु निधियों का दुर्विनियोजन किया गया है तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई साक्ष्य/रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित जनसंख्या मानकों के अनुसार खोला जाता है। ये मानक इस प्रकार हैं:-

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए

जनसंख्या	
400-800	1 आंगनवाड़ी केंद्र
800-1600	2 आंगनवाड़ी केंद्र
1600-2400	3 आंगनवाड़ी केंद्र

इसके आगे हर 800 जनसंख्या के लिए 1 आंगनवाड़ी केंद्र

लघु आंगनवाड़ी केंद्र के लिए

जनसंख्या	
150-400	1 लघु आंगनवाड़ी केंद्र

जनजातीय/नदी-तटीय/मरूस्थलीय, पर्वतीय और अन्य कठिन क्षेत्रों/परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए

जनसंख्या	
300-800	1 आंगनवाड़ी केंद्र

लघु आंगनवाड़ी केंद्र के लिए

जनसंख्या	
150-300	1 लघु आंगनवाड़ी केंद्र

मांग पर आंगनवाड़ी

यदि किसी भी बस्ती में कम से कम 40 बच्चे हों और कोई आंगनवाड़ी केंद्र न हो तो मांग पर आंगनवाड़ी की जा सकती है।

आई.सी.डी.एस. निरंतर चलाई जा रही एक ऐसी स्कीम है, जिसके अंतर्गत, अब तक स्कीम के लाभ से वंचित बस्तियों को भी लाभान्वित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में समय-समय पर बढ़ोत्तरी की जाती रही है।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण, उन्नयन और विकास के लिए इस समय कोई घटक नहीं है। राज्यों के संसाधनों तथा पंचायती राज, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक मामले, जनजातीय मामले इत्यादि जैसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न स्कीमों के साथ संकेद्रण के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और उनमें अवसंरचना का विकास किया जाता है। अन्य उपायों में मौजूदा सुविधाओं जैसे कि वजन करने की मशीनों, उपकरण और फर्नीचर, स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों के वित्तीय मानकों में वृद्धि किया जाना शामिल है।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय ने 29 अप्रैल, 2004 को पारित अपने आदेश में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश दिया कि वे सभी संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में साल भर में 300 दिन के लिए बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती एवं शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं को पोषाहार/पूरक पोषण प्रदान करने की व्यवस्था करें। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस विषय में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।

समेकित बाल विकास सेवा एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से चलाया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहारीय मानकों के अनुसार पूरक पोषण दिया जाता है।

भारत सरकार ने 24.2.2009 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पोषण एवं आहार मानकों के विषय में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को घर ले जाए जाने वाले राशन के रूप में पूरक पोषण प्रदान करें। इसी प्रकार, उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि वे 3-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सुबह का नाश्ता और एक बार गर्म पकाया हुआ भोजन प्रदान करें। उच्चतम न्यायालय ने भी 22.4.2009 के अपने आदेश में इन मानकों का समर्थन किया। इस आदेश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया गया कि वे भारत सरकार के 24.2.2009 के पत्र में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान करने की व्यवस्था यथासंभव 31.12.2009 तक कर दें।

राज्य सरकारें किशोरी शक्ति योजना और किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम, जिन 51 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, के माध्यम से किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने 22.4.2009 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया कि इस आदेश की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर किशोरियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम' नामक व्यापक स्कीम चलाए जाने तक किशोरियों को किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना के लाभ दिए जाते रहें। इस स्कीम को अभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(च) और (छ) विशेष रूप से घर ले जाने वाले राशन के संबंध में निधियों के दुर्विनियोजन की कोई सूचना इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

कैंसर के मामलों में वृद्धि

260. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कैंसर द्वारा कितनी मृत्यु हुई हैं;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (आईसीएमआर) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष पुरूषों में कैंसर के नए मामले 5.34 लाख तक बढ़ सकते हैं तथा वर्ष 2020 तक देश में 87000 अतिरिक्त मामले सामने आयेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या देश में सभी कैंसर मामलों के लगभग 30% मामले धूम्रपान या तंबाकू के कारण होते हैं जिससे फेफड़ों या मुंह का कैंसर होता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कैंसर निधि स्थापित की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा देश से बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए और क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.गांधीसेलवन): (क) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, के आकलनों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2008 एवं 2009 में भारत में कैंसर के कारण क्रमशः करीब 4.62 लाख एवं 4.71 लाख मौतें हुई (आज की स्थिति के अनुसार)।

(ख) और (ग) कैंसर की घटना की दरों में समयगत रूझान (1982-2005) के संबंध में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, के अनुसार, पुरूषों एवं महिलाओं के लिए वर्ष 2008 के दौरान कैंसर रोगियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 4.47 लाख तक बढ़ने का अनुमान है। तद्नुसार वर्ष 2020 के दौरान रोगियों की अनुमानित संख्या पुरूषों एवं महिलाओं के लिए क्रमशः 5.34 लाख एवं 6.14 लाख है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, की अस्पताल एवं जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से संबंधित हाल की रिपोर्टों (2004-2006) के अनुसार देश में सभी कैंसर मामलों का करीब 30% तम्बाकू के धूम्रपान से उत्पन्न होता है। तम्बाकू फेफड़ों एवं मुख के कैंसर सहित कैंसर उत्पन्न करने से जुड़ा हुआ है।

(ङ) से (छ) चूकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए यह सुनिश्चित करना विभिन्न राज्य सरकारों का काम है कि कैंसर की शुरू में ही पहचान, निदान एवं उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। केन्द्र सरकार उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में रेडियोथिरेपी एकक की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरित भी कर रही है। इसके अलावा, संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में जांच सुविधाओं सहित व्यापक कैंसर पहचान एवं उपचार सुविधाएं देशभर के 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाती है। सरकारी संस्थाओं में कैंसर का उपचार या तो मुफ्त है अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त है। सरकार ने निर्धनता रेखा से नीचे के कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "स्वास्थ्य मंत्री की कैंसर रोगी निधि (सी पी एफ)" स्थापित की है।

विद्युत संयंत्रों से बिजली की आपूर्ति

261. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादक संयंत्रों से यह उपेक्षा की गयी है कि वे 10 किमी की परिधि में गांवों/शहरों को बिजली की आपूर्ति करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (ग) सरकार ने केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केंद्रों से 5 किमी. के क्षेत्र के भीतर के गांवों के ग्रामीण परिवारों के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के कार्यान्वयन के तौर-तरीके राज्यों के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं।

निवेशकों को प्रोत्साहन

262. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) शेयर बाजार में सामान्य निवेशकों के हितों के सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में उठाए गए नए कदम क्या हैं अथवा राज्य द्वारा संचालित कंपनियों के पब्लिक इश्यु में आवेदन को प्रोत्साहन देने हेतु की गई घोषणा यदि कोई हो तो क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के उपबंधों के अधीन सेबी का कर्तव्य है कि वह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करें और प्रतिभूति बाजार के विकास का संवर्धन तथा विनियमन करे। सेबी अधिनियम, 1992, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 तथा निक्षेपागार अधिनियम 1996 के तहत अपने सांविधिक कर्तव्य के निष्पादन में सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की रक्षा हेतु विभिन्न विनियमन/दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सेबी निवेशकों की रक्षा के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका फोकस त्वरित निवेशक परिवाद निपटान, निवेशकों को संसूचित निवेश निर्णय लेने

हेतु सक्षम बनाने के लिए शिक्षित करने, दोषी कंपनियों के विरूद्ध निवारक प्रवर्तन कार्रवाई करने, चूक की स्थिति में निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने और निवेशक के परिवादों के सर्वांगी कारणों की पहचान करने तथा उनका सुधार करने पर है।

(ख) सेबी ने इस संबंध में कुछ नए कदम उठाए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) 1,00,000 रुपए तक की आवेदन राशि के लिए आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत कर्मचारियों को निर्गम मूल्य में 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करना।

(ii) फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स के लिए, बही रखने की एक अतिरिक्त प्रणाली, जिसमें बोली लगाने वाले आधार मूल्य से ऊपर किसी भी मूल्य पर बोली लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे और आबंटन मूल्य प्राथमिकता आधार और विभेदक मूल्यों पर किया जाएगा। ऐसे मामलों में खुदरा व्यष्टि निवेशकों को आधार मूल्य पर शेयर आबंटित किए जाएंगे।

सेबी द्वारा उपर्युक्तपनुसार किए गए विनियामक उपाय/कदम समान रूप से प्रयोज्य हैं और राज्य चालित कंपनियों सहित सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिए हितकारी हैं।

भूमिगत जल निकास सुविधाएं/स्टोर्म वाटर जल निकास तंत्र

263. श्री एल. राजगोपाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने शहरी अवसंरचना और गवर्नेंस प्रोजेक्ट (यूआईएण्डजी) के अंतर्गत भूमिगत जल निकास सुविधाएं/स्टोर्म वाटर जल निकास तंत्र उपलब्ध करवाने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस हेतु आवंटित और जारी की गई धनराशि परियोजना-वार कितनी है; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत भूमिगत जल निकास सुविधाएं (यूजीडी) और वर्षा जल निकास प्रणाली (एसडब्ल्यूडी) उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत की है जिनका इस मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया गया है। यूजीडी हेतु दिनांक 31.10.2009 तक यूआईजी के अंतर्गत केन्द्रीय संस्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा 62 डीपीआर अनुमोदित की गई है तथा एसडब्ल्यूडी हेतु सीएसएमसी द्वारा 105 डीपीआर अनुमोदित की गई हैं। वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा परियोजना-वार जारी निधियां संलग्न विवरण में दी गयी है। जिन परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की गई हैं वे कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

विवरण

क्र.सं	राज्य	शहर	क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (लाख रु. में)	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निकास/वर्षा जल निकास	वर्षा जल निकासी की रिमाडलिंग-मुर्कीनाला सेकन्ड्री ड्रेनस	4231.00	1480.85	740.00
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निकास/वर्षा जल निकास	वर्षा जल निकासी की रिमाडलिंग-मुर्कीनाला पी-11, पी-12	3299.00	1154.65	288.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निकास/वर्षा जल	वर्षा जल निकासी की (बेगमपेट) नाला-पी-7	3136.00	1097.60	548.00
4.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निकास/वर्षा जल निकास	बलकापुर चैनल	3579.00	1252.65	313.00
5.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निकास/वर्षा जल निकास	एनसीएच क्षेत्र के जोन-1 एव 2 में बरसाती पानी निकास का सुधार	12410.00	4344.00	1086.00
6.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	निकास/वर्षा जल निकास	ऑनसर्वड क्षेत्रों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं प्रदान करना	5656.00	2828.00	2121.00
7.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	निकास/वर्षा जल निकास	सर्किल-1,2,3 और बीएमसी के एमजी रोड में अनकवर्ड क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी प्रणाली	4912.00	2456.00	1228.00
8.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	निकास/वर्षा जल निकास	विजयवाड़ा में मंगलगीरी में बरसाती पानी नाली मुहैया कराना	3016.00	1508.00	377.00
9.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	निकास/वर्षा जल निकास	एसएल नहर का रेगुलराइजेशन	339.00	169.50	126.90
10.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	निकास/वर्षा जल निकास	बैंच ड्रेन्स सहित येरीगेड्डा वर्षा जल निकास का सुधार	921.00	460.50	460.00
11.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	निकास/वर्षा जल निकास	ग्रेटर विशाखापट्टनम शहर (गागुलाहेड्डा और येरीगाडा ब्रांच केनाल) के जोन-8 के लिए वर्षा जल निकास का सुधार	7227.00	3613.50	903.37
12.	असम	गुवाहाटी	निकास/वर्षा जल निकास	बहनी और नूनमती बसीन्स के लिए वर्ष जल निकास परियोजना	12536.00	9000.00	0.00
13.	गुजरात	अहमदाबाद	निकास/वर्षा जल निकास	एएमसी क्षेत्र के पश्चिमी जोन हेतु बरसाती पानी निकास प्रणाली	5914.00	2069.90	1552.41
14.	गुजरात	अहमदाबाद	निकास/वर्षा जल निकास	एएमसी क्षेत्र अहमदाबाद के दक्षिण एवं केन्द्रीय जोन हेतु बरसाती पानी निकास	12088.00	4230.80	3173.10

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	गुजरात	अहमदाबाद	निकास/वर्षा जल निकास	एएमसी क्षेत्र अहमदाबाद के उत्तर एवं पूर्व जोन हेतु बरसाती पानी निकास	12283.00	4299.05	3224.28
16.	गुजरात	अहमदाबाद	निकास/वर्षा जल निकास	जल निकाय विकास एवं बाढ़ सहायता परियोजना हेतु केशमेंट विकास एवं ड्रेनेज	10475.43	3666.40	1833.20
17.	गुजरात	राजकोट	निकास/वर्षा जल निकास	भूमिगत निकास-फेज-2 एवं फेज-3 (भाग-1) (सीवरेज निपटान नेटवर्क एवं एसटीपी)	7542.00	3771.00	3770.80
18.	गुजरात	सूरत	निकास/वर्षा जल निकास	बरसाती पानी निकास वेसू क्षेत्र	4995.00	2497.50	1873.14
19.	गुजरात	सूरत	निकास/वर्षा जल निकास	सूरत शहर के एसएमसी क्षेत्र हेतु वर्षा जल निकास प्रणाली	11662.87	5831.44	3345.62
20.	गुजरात	सूरत	निकास/वर्षा जल निकास	नये जोन हेतु बरसाती पानी निपटान प्रणाली	3426.82	1713.41	1285.05
21.	गुजरात	वड़ोदरा	निकास/वर्षा जल निकास	वड़ोदरा सिटी का बरसाती पानी निकास	14594.56	7297.28	5472.96
22.	हरियाणा	फरीदाबाद	निकास/वर्षा जल निकास	ओल्ड फरीदाबाद जोन में अवस्थापना विकास कार्य	3064.70	1532.35	766.18
23.	कर्नाटक	बंगलौर	निकास/वर्षा जल निकास	केथामरनहल्ली और अरकावती माइनरभेली-1 और कठरीगुप्पा माइनभेली-3 (3 डीपीआर सहित) ब्रुसभावती घाटी में बंगलौर शहर में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	22826.00	7989.10	5991.81
24.	कर्नाटक	बंगलौर	निकास/वर्षा जल निकास	बंगलौर सिटी चाला घट्टा वेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11857.00	4149.95	2074.96
25.	कर्नाटक	बंगलौर	निकास/वर्षा जल निकास	बंगलौर सिटी कोरमंगलभेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	11149.00	3902.15	2926.59
26.	कर्नाटक	बंगलौर	निकास/वर्षा जल निकास	बंगलौर सिटी हैब्बर भेली में प्राथमिक और द्वितीय वर्षा जल निकासी को ठीक करना	18474.00	6465.90	4849.41

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	कर्नाटक	बंगलौर	निकास/वर्षा जल निकास	ब्यातरायनपुरा के लिए भूमिगत निकास कार्य	12517.00	4380.95	1095.23
28.	कर्नाटक	बंगलौर	निकास/वर्षा जल निकास	आरआर नगर सीएमसी हेतु भूमिगत निकास प्रणाली तथा सड़क सुधार	4153.80	1453.83	363.46
29.	कर्नाटक	मैसूर	निकास/वर्षा जल निकास	मैसूर में बरसाती पानी निकास प्रणाली की रीमाडलिंग	38460.00	10000.00	2500.00
30.	कर्नाटक	बंगलौर	निकास/वर्षा जल निकास	बोमाना हल्ली सिटी नगर पालिका परिषद में भूमिगत निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क सुधार	23175.00	8111.25	2025.81
31.	केरल	कोचीन	निकास/वर्षा जल निकास	कोच्ची के सेन्ट्रल एरिया की सतह जल निकास प्रणाली का उन्नयन	978.00	489.00	122.25
32.	केरल	तिरुवंतपुरम	निकास/वर्षा जल निकास	तिरुवंनतमपुरम के जोन-2 में बरसाती पानी निकास का सुधार	4039.00	3231.20	807.80
33.	मध्य प्रदेश	भोपाल	निकास/वर्षा जल निकास	नाले का चेनलाइजेशन (वर्षा जल निकास)	3057.00	1528.50	764.26
34.	महराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकास/वर्षा जल निकास	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-2	11659.00	4080.65	2040.32
35.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकास/वर्षा जल निकास	थाणे के लिए एकीकृत नाला विकास फेज-1	9239.00	3233.65	1616.82
36.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकास/वर्षा जल निकास	बरसाती पानी-निकास	5540.26	1939.09	969.54
37.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	निकास/वर्षा जल निकास	थाणे नगर निगम के कल्सवा तथा मुम्बरा क्षेत्र हेतु एकीकृत नाला विकास फेज-3	5789.27	2026.24	506.56
38.	महाराष्ट्र	नाशिक	निकास/वर्षा जल निकास	नासिक नगर निगम हेतु बरसाती पानी निकासी	31031.00	15515.50	3878.75
39.	महाराष्ट्र	पुणे	निकास/वर्षा जल निकास	सीवरेज शौधन प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की वृद्धि और अध्ययन	8613.00	4306.50	3229.86
40.	महाराष्ट्र	नाशिक	निकास/वर्षा जल निकास	नालों का निर्माण और विकास	9996.00	4998.00	2499.00
41.	महाराष्ट्र	पुणे	निकास/वर्षा जल निकास	पुणे में सीवरेज एवं जल निकास का नवीकरण एवं प्रबंधन (वेरीस को बढ़ाना, झीलों का पुनरूद्धार, बायो रीमेडिएसन तथा नाला एवं नदियों का भू-विन्यास)	9778.00	4889.00	3666.75

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	महाराष्ट्र	पुणे	निकास/वर्षा जल निकास	पीसीएमसी-बरसाती पानी नाली (फेज-1)	11630.24	5815.12	1453.78
43.	महाराष्ट्र	पुणे	निकास/वर्षा जल निकास	पुणे सिटी फेज-1 हेतु बरसाती पानी निकास परियोजना	39967.18	10000.00	2500.00
44.	महाराष्ट्र	नांदेड़	निकास/वर्षा जल निकास	वर्षा जल निपटान और प्रबंधन परियोजना, (नार्थ जोन, नांदेड़)	4573.00	3658.47	914.62
45.	मेघालय	शिलांग	निकास/वर्षा जल निकास	शिलांग हेतु ड्रेनेज मास्टर प्लान (फेज-1)	2446.00	2201.40	550.35
46.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	निकास/वर्षा जल निकास	भुवनेश्वर हेतु बरसाती पानी निकास	6833.00	5466.40	1366.60
47.	उड़ीसा	पुरी	निकास/वर्षा जल निकास	पुरी टाऊन हेतु बरसाती पानी निकास प्रणाली	7182.00	4500.00	1125.00
48.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	निकास/वर्षा जल निकास	बरसाती पानी नाली	6108.00	4886.00	1221.50
49.	तमिलनाडु	चेन्नई	निकास/वर्षा जल निकास	चैन्नई के उत्तरी बैसिंग में बरसाती पानी ड्रेन का सुधार	35986.39	12595.23	1260.00
50.	तमिलनाडु	चेन्नई	निकास/वर्षा जल निकास	चैन्नई के सेंट्रल बैसिन में छोटे व बड़े निकास का सुधार	34500.00	12075.00	3018.75
51.	तमिलनाडु	मदुरै	निकास/वर्षा जल निकास	बरसाती पानी नाली एवं प्राकृतिक ड्रेनस की डीसिल्टिंग (बरसाती पानी नाली का सुधार एवं निर्माण)	25181.00	12590.50	6295.26
52.	तमिलनाडु	चेन्नई	निकास/वर्षा जल निकास	चेन्नई पूर्वी बेसिन में बरसाती पानी नाली का सुधार	44407.00	15542.45	3885.81
53.	तमिलनाडु	चेन्नई	निकास/वर्षा जल निकासी	चेन्नई दक्षिणी बेसिंग में बरसाती पानी नाली का सुधार	29897.57	10464.15	5232.08
54.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	निकास/वर्षा जल निकास	कोयम्बटूर नगर निगम में वर्षा जल निकास प्रणाली (फेज-1)	22675.00	9000.00	0.00
55.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	निकास/वर्षा जल निकास	लखनऊ शहर के लिए वर्षा जल निकास	31521.00	16261.00	3252.20
56.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	निकास/वर्षा जल निकास	मथुरा कस्बे हेतु बरसाती पानी निकास	8720.00	6976.00	1395.00
57.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	निकास/वर्षा जल निकास	वाराणसी हू बरसाती पानी निकास कार्य	19162.00	9581.00	2395.25

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	निकास/वर्षा जल निकास	खरदा, पानी हाटी, नॉर्थ दमदम, दमदम एवं साउथ दमदम के भीतर जल निकास की रूकावट को हटाने के लिए अंतर म्यूनिसिपल स्कीम	4530.14	1585.55	1188.87
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	निकास/वर्षा जल निकास	हावड़ा में जल निकास का सुधार	9338.03	3268.31	1634.16
60.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	निकास/वर्षा जल निकास	हुगली चिनसूरा नगर निगम क्षेत्र में बरसाती पानी निकास स्कीम	3881.96	1358.68	339.67
61.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	निकास/वर्षा जल निकास	बांसबेरिया नगर निगम हेतु बरसाती पानी निकास	2979.36	1042.78	260.70
62.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	निकास/वर्षा जल निकास	कोलकाता यूए-चंदन नगर नगर निगम क्षेत्र में बरसाती पानी निकास स्कीम	6189.45	2166.30	541.57
	कुल				747348.11	309999.18	116248.16

क्र.सं	राज्य	शहर	क्षेत्र	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	वचनबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (लाख रु. में)	जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सीवरेज	साउथ ऑफ ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणली को पुन: स्थापित करना और सुदृढ़ करना (जाने-1 में कैचमेंट एस 1 से एस 6, एस 12, एस-14)	14881.00	5208.35	1302.08
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सीवरेज	साउथ ऑफ ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली को पुन: स्थापित करना और सुदृढ़ करना (जोन-2 में कैचमेंट एस 7 से एस 11, एस 13, एस-15)	25125.00	8793.75	2198.44
3.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सीवरेज	सिरीलिंगमपल्ली नगरपालिका में सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	20038.00	7013.30	490.93

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	विजयवाड़ा के कृष्णलंका क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	743.00	371.50	185.74
5.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	सिंहनगर (यूएएसबीआर) (से. 8) में सीवरेज शोधन संयंत्र मुहैया करवाना	949.00	474.50	118.63
6.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	हाउसिंग बोर्ड कालोनी गुंडाला, देवीनगर केदाररेसवरपेट इत्यादि सहित वीएमसी के अनसर्वड क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा मुहैया कराना	1985.00	992.50	494.28
7.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	सीवरेज	विशाखापट्टनम के ओल्ड सिटी क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	3708.00	1854.00	1390.50
8.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	सीवरेज	विशाखापट्टनम शहर के सेंट्रल भाग में सीवरेज प्रणाली मुहैया करवाना	24444.00	12222.00	9166.00
9.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सीवरेज	हैदराबाद यूए में राजेन्द्र नगरपालिका में सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	33507.00	10000.00	2500.00
10.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सीवरेज	विजयवाड़ा शहर के उत्तर भाग हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना	17815.00	8908.00	2227.00
11.	बिहार	बोध गया	सीवरेज	बोध गया नगर पंचायत के लिए सीवरेज स्कीम	9594.34	7675.47	1918.87
12.	दिल्ली	दिल्ली	सीवरेज	निलोठी और पप्पनकला प्रत्येक में 20 एमजीडी एसटीपी की स्थापना	24544.00	8590.00	0.00
13.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	पिराना में मौजूदा सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	6922.00	2422.70	2422.72
14.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	वसना में सीवरेज शोधन संयंत्र का नवीकरण	1135.00	397.25	297.93
15.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	ईस्ट एयूडीए क्षेत्र हेतु बिन्जोल क्षेत्र के पास टर्मिनल सीवरेज पंपिग स्टेशन पंपिंग मेन एंड सीवरेज शोधन संयंत्र	3681.26	1288.44	644.22
16.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	वसना के पास वेस्ट एयूडीए एरिया टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और सीवरेज शोधन संयंत्र	10692.01	3742.20	1871.10
17.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	वेस्ट एयूडीए का सीवरेज नेटवर्क	23541.00	8239.00	823.00
18.	गुजरात	अहमदाबाद	सीवरेज	ईस्ट एयूडीए क्षेत्र का सीवरेज नेटवर्क	7765.00	2718.00	271.00
19.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	अंजना सीवेज शोधन संयंत्र का उन्नयन	1098.00	549.00	549.00

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	अदाजन सीवरेज की शुरूआत	1193.00	596.50	596.50
21.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	भीसन सीवेज शोधन संयंत्र की शुरूआत	1509.00	754.50	754.50
22.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	बामरोली में द्वितीय सीवेज शोधन संयंत्र	1322.47	661.24	661.23
23.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	वीसु क्षेत्र हेतु सीवरेज डिस्पोजल नेटवर्क और एसटीपी	3437.00	1718.50	1288.89
24.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	पल-पालनपुर क्षेत्र हेतु सीवरेज डिस्पोजल नेटवर्क और एसटीपी	2128.00	1064.00	1064.00
25.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	न्यू ईस्ट जोन क्षेत्र हेतु सीवरेज और सीवेट शोधन प्रणाली	11065.73	5532.86	2766.42
26.	गुजरात	सूरत	सीवरेज	सूरत नगर निगम के मौजूदा पंपिंग स्टेशन और एसटीपी का ऑटोमेशन/एससीडीए	3063.43	1537.71	382.93
27.	गुजरात	सूरत	सवीरेज	एसएमसी के न्यू नार्दन ड्रेनेज जोन हेतु सीवरेज प्रणाली	18404.35	9202.18	2300.52
28.	गुजरात	वडोदरा	सीवरेज	वडोदरा शहर हेतु सीवरेज प्रणाली	10514.93	5257.47	3943.11
29.	गुजरात	वडोदरा	सीवरेज	वडोदरा शहर हेतु सीवरेज प्रणाली फेज-2	6055.74	3027.87	756.96
30.	गुजरात	राजकोट	सीवरेज	राजकोट शहर के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-2, भाग-2	19195.12	9000.00	2250.00
31.	हरियाणा	फरीदाबाद	सीवरेज	फरीदाबाद में सीवरेज प्रणाली और सीवरेज शोधन कार्य की विंम्पिंग	10383.00	5191.50	3893.64
32.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	सीवरेज	ग्रेटर जम्मू के डिवीजन ए हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम	12923.00	11630.70	2907.68
33.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	सीवरेज	ग्रेटर श्रीनगर के जोन 3 (से. 1) हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम	13292.00	11962.80	2990.70
34.	कर्नाटक	बंगलौर	सीवरेज	मौजूदा सीवरेज प्रणाली का एनवायरमेंटल एक्शन प्लान रिपलेशमेंट रिहैबिलेशन	17675.00	6186.25	1546.56
35.	कर्नाटक	बंगलौर	सीवरेज	येलहनका में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	1500.63	525.22	131.30
36.	कर्नाटक	बंगलौर	सीवरेज	केनगिरी में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क	1878.36	656.73	164.18

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	कर्नाटक	बंगलौर	सीवरेज	अर्स्टव्हाइल दर्शरहल्ली शहर नगरपालिका परिसर ड्रेजन जोन 7-8 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	13657.00	4780.00	1195.00
38.	कर्नाटक	बंगलौर	सीवरेज	के आर पुरम सिटी नगरपलिका ड्रेनेज जोन-3 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	8789.00	3077.00	769.00
39.	कर्नाटक	बंगलौर	सीवरेज	महादेव पुरा सिटी नगरपरिषद ड्रेनेज सिस्टम और रोड रीस्टोरेशन	11018.00	3856.00	964.00
40.	केरल	कोचीन	सीवरेज	कोच्ची के 6 डीवीजन और वार्डो (43,49,50,51,54 और 56) को शामिल करते हुए सेंट्रल जोन के लिए सीवरेज स्कीम	7841.00	3920.50	935.13
41.	केरल	तिरुवनंतपुरम	सीवरेज	तिरुवनंतपुरम नगर निगम हेतु सीवरेज स्कीम का सुधार	21541.00	17232.80	4308.20
42.	केरल	तिरुवनंतपुरम	सीवरेज	तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी क्षेत्र सीवरेज तंत्र एफ एंड जी ब्लॉक का विस्तार और सीवरेज तंत्र का सुधार, सीवर सफाई मशीनों की खरीद, अट्टाकल क्षेत्र हेतु सीवरेज तंत्र, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज तिरुवनंतपुरम हेतु एसटीपी	12115.00	9692.00	0.00
43.	मध्य प्रदेश	इंदौर	सीवरेज	इंदौर सीवरेज प्रयोगशाला	30717.00	15358.50	7679.24
44.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज	सीवरेज और सीवेज शोधन परियोजना फेज-1	7801.00	3900.50	975.00
45.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	सीवरेज	सीवरेज और सीवरेज शोधन परियोजना फेज-2	7081.00	3540.50	885.00
46.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	मुम्बई सीवेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट स्टेज 2 प्रायोरिटी वर्क	36447.00	12756.45	6378.22
47.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	थाणे हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम फेज-1	14956.79	5234.88	1308.72
48.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	डिसेंट्रलाइज प्रणाली पर आधारित मीरा-भयंदर-अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना	33142.27	11599.80	2899.95
49.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	थाणे हेतु सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-2	14009.00	4903.15	1225.79

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	थाणे हेतु सीवरेज प्रणाली परियोजना फेज-3	4181.00	1463.35	365.84
51.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	केडीएमसी के भाग हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज	16963.35	5937.17	1484.29
52.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	कुलगांव-दबलापुर-अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम	15146.18	5301.16	1325.29
53.	महाराष्ट्र	नागपुर	सीवरेज	खराब जल का रिसाइकिल और पुनर्उपयोग	13011.00	6506.50	1626.38
54.	महाराष्ट्र	नांदेड़	सीवरेज	नार्थ नांदेड, जोन-1 में सीवरेज प्रणाली	4025.00	3220.00	1610.00
55.	महाराष्ट्र	नांदेड़	सीवरेज	नार्थ नांदेड़, जोन-2 में सीवरेज प्रणाली	4889.00	3911.20	977.75
56.	महाराष्ट्र	नांदेड़	सीवरेज	नार्थ नांदेड़, जोन-3 में सीवरेज प्रणाली	3931.00	3144.80	786.25
57.	महाराष्ट्र	नांदेड़	सीवरेज	अंडरग्राउंड सीवेरज और सीवेज शोधन (नांदेड़-साउथ)	4093.00	3274.40	2455.80
58.	महाराष्ट्र	नासिक	सीवरेज	नासिक शहर फेज-1 हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना	14846.00	7423.00	5567.25
59.	महाराष्ट्र	पुणे	सीवरेज	पिंपरी चिंचवाड हेतु सीवरेज प्रस्ताव	11938.88	5969.44	4477.08
60.	महाराष्ट्र	पुणे	सीवरेज	पीसीएमसी हेतु सीवरेज प्रणाली (फेज-2)	12070.45	6035.23	3017.60
61.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	सीवरेज	नवीं मुंबई-नवीं मुंबई हेतु भूमिगत सीवरेज तंत्र	35366.52	12378.28	3094.57
62.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	सीवरेज	एकीकृत सीवरेज परियोजना	49891.35	39913.08	9978.27
63.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	सीवरेज	पुडुचेरी शहरी क्षेत्रों हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम	20340.00	16272.00	4068.00
64.	पंजाब	अमृतसर	सीवरेज	वाल्ड सिटी क्षेत्र फेज-2 हेतु मौजूदा सीवरेज प्रणाली का पुनर्स्थापन	3690.00	1845.00	461.25
65.	पंजाब	लुधियाना	सीवरेज	सीवरेज और सीवेज शोधन संयंत्र मुहैया करवाना	24139.00	12069.50	3017.37
66.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	सीवरेज	सीवरेज परियोजना	11208.00	5200.00	1300.00
67.	राजस्थान	जयपुर	सीवरेज	जयपुर हेतु सीवरेज प्रणाली फेज-1	7495.97	3747.99	2811.00
68.	राजस्थान	जयपुर	सीवरेज	जयपुर सीवरेज परियोजना फेज-2	11086.00	5543.00	4107.25
69.	सिक्किम	गंगटोक	सीवरेज	गंगटोक में सीवरों का पुनर्स्थापन	2392.01	2152.81	1076.40
70.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगुड़ी में अतिरिक्त सीवरेज शोधन संयंत्र 54 एमएलडी का निर्माण	3147.98	1101.79	550.90

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पुजहूथीवक्कम (उल्लागरम) हेतु सीवरेज सुविधाएं	2808.05	982.80	99.75
72.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	अवेडी नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया कराना	15805.41	5531.89	276.59
73.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	अम्बट्टूर नगरपालिका हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया करवाना फेज-3	13091.00	4581.85	1145.46
74.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	चेन्नई, मदुरावयल नगरपालिका हेतु सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराना	5745.50	2011.00	503.00
75.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पोरूप टाउन पंचायत के लिए सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराना	3829.00	1340.15	335.03
76.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	नेसापक्कम, चेन्नई में 54 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र	5457.00	1910.00	478.00
77.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	सीवरेज	व्यापक अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम	37712.88	18856.44	9428.22
78.	तमिलनाडु	मदुरै	सीवरेज	फेज-3 क्षेत्र हेतु अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम और मौजूदा सीवरेज प्रणाली का नवीकरण	22934.00	11467.00	5733.50
79.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	तमबरम नगरपालिका हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	16096.59	5633.80	1408.45
80.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगुड़ी टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	2019.24	706.73	176.68
81.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	थिरुमझिसाय टाउन पंचायत व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	2047.32	716.56	179.14
82.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगलथूर टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	4761.00	1666.00	415.00
83.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगलथूर टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	5861.00	2051.00	512.00
84.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगलथूर टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	2129.00	745.00	186.00
85.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगलथूर टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	2759.00	966.00	241.00
86.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगलथूर टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	6182.00	2164.00	541.00
87.	तमिलनाडु	चेन्नई	सीवरेज	पेरुनगलथूर टाउन पंचायत हेतु व्यापक सीवरेज स्कीम मुहैया करवाना	5445.00	1906.00	477.00
88.	उत्तर प्रदेश	आगरा	सीवरेज	ब्रांच हेतु यमुना एक्शन प्लान फेज-2 जोन में लेटरल सीवर लाइन	2162.00	1081.00	810.75

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	सीवरेज	कानपुर शहर हेतु सीवरेज कार्य (इनरकोर एरिया)	19088.22	9544.11	4772.06
90.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	सीवरेज	कानपुर शहर के लिए सीवेज शोधन	10100.45	5050.22	1262.55
91.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सीवरेज	लखनऊ शहर के लिए सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 खंड-1-2	23623.00	11811.50	5905.74
92.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सीवरेज	लखनऊ शहर के लिए सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 भाग-1	26216.09	13108.00	3277.00
93.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सीवरेज	लखनऊ शहर के लिए सीवरेज कार्य-सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 भाग-2	21443.00	10722.00	2681.00
94.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	सीवरेज	वाराणसी ट्रांस वरुणा क्षेत्र के लिए सीवरेज कार्य	30912.00	15456.00	3091.00
95.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	सीवरेज	इलाहाबाद शहर (जोन डी) फेज-1 की सीवरेज प्रणाली	35598.00	17799.00	4449.75
96.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	सीवरेज	कानपुर शहर के डिस्ट्रिक्ट-4 में सीवरेज कार्य	20736.00	10000.00	2500.00
97.	उत्तर प्रदेश	आगरा	सीवरेज	आगरा सीवरेज स्कीम फेज-1(भाग-1)	19592.00	9000.00	2250.00
98.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	सीवरेज	मेरठ शहर के सीवरेज जोन-5 और 7 में सीवरेज कार्य	18589.00	9000.00	2250.00
99.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	सीवरेज	मथुरा शहर के सीवरेज जोन-2 में सीवरेज कार्य हेतु डीपीआर	6035.77	4500.00	0.00
100.	उत्तराखंड	नैनीताल	सीवरेज	नैनीताल सीवरेज का पुन: नवीकरण और विस्तार	1960.00	1570.00	392.50
101.	उत्तराखंड	देहरादून	सीवरेज	देहरादून सीवरेज स्कीम	5465.00	4372.00	1092.75
102.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	सीवरेज	रानीगंज नगर पालिका के लिए सीवरेज परियोजना	4008.82	2004.41	501.10
103.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सीवरेज	कोलकाता फेज-1 में सीवर प्रणाली का उन्नयन	9712.00	3399.20	1699.60
104.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सीवरेज	कोलकाता हेतु मैन एंटी ब्रिक सीवर प्रणाली (भाग का उन्नयन)	40291.00	14101.85	7050.92
105.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सीवरेज	साल्ट लेक में नाबा डिगांटा इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी के तहत से.-5 (भाग 2 सीवरेज प्रणाली) मे जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	3407.15	1192.50	596.26

संक्रमित रक्त की बिक्री

264. **श्री इन्दर सिंह नामधारी:**
श्री नवीन जिन्दल:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न स्थानों पर संक्रमित और अप्रमाणिक रक्त की बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त अस्पतालों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में उनके विरूद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य में रक्त घोटाले की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य से संक्रमित रक्त एवं कम हिमोग्लोबिन वाले रक्त की बिक्री के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) से (ङ) राज्य औषध नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित मामलों का पता चला:

1. 13.05.2009 को वरिष्ठ औषध निरीक्षक, कानपुर मंडल एवं औषध निरीक्षक कानुपर के एक दल ने मैसर्स सी एल मेमोरियल अस्पताल, कानपुर के प्रागंण पर छापा मारा और रक्त के नमूने एकत्रित किए और उन्हें जांच के लिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेजों, कानपुर को भेजा। रक्त के सभी नमूनों में हिमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई गई उक्त रक्त बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।

2. 22.08.2009 को पुलिस ने लखनऊ में दो जगहों पर छापा मारा और मानव रक्त, प्लाज्मा और प्लेटलैट्स की कुल 80 थैलियां पकड़ी। आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और 22.08.2009 को पुलिस थाना ठाकुरगंज, लखनऊ में एक मामला दर्ज किया गया। पकड़े गए रक्त एवं उसके अवयवों के नमूनों को एसजीपीजीआई, लखनऊ को भेजा गया था। सभी नमूने बैक्टीरिया से संदूषित पाए गए और कुछ नमूने हैपेटाइटिस बी और हैपेटाइटिस सी के एलिजा टेस्ट में रिएक्टिव पाए गए।

   गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने पूछताछ करने पर बताया कि विभिन्न नर्सिंग होमों में जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त की आपूर्ति की गई थी। मामले की अभी भी जांच चल रही है।

3. इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश से औषध निरीक्षकों के एक दल ने 01.09.2009 को मैसर्स उमराव अस्पताल एवं रक्त बैंक, आशियाना, लखनऊ के प्रांगण पर छापा मारा और एकत्रित किए गए नमूने जांच के लिए एसजीपीजीआई, लखनऊ को भेजे गए। रक्त के सभी नमूने बैक्टीरिया से संदूषित पाए गए। रक्त बैंक की कार्य प्रणाली को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22 (1) (डी) के तहत रोक दिया गया है और उक्त रक्त बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

(च) उत्तर प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 2009 से सभी रक्त बैंकों पर कई छापे/निरीक्षण की कार्रवाई की है। अब तक विभिन्न रक्त बैंकों को कुल 40 कारण बताओं नोटिस पहले से ही जारी किए गए हैं।

पी.एन. के द्वारा निवेश

265. **श्री अमरनाथ प्रधान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्टूबर, 2009 के अंत तक पार्टिसिपेटरी नोट्स (पीएन) के द्वारा देश में कुल कितने निवेश का आगम हुआ है;

(ख) क्या सरकार द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स (पीएन) द्वारा निवेश को हतोत्साहित करने हेतु कोई नए कदम उठाए गए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सेबी, विदेशी संस्थागत निवेशकों, (एफआईआई) द्वारा जारी पार्टिसिपेटरी नोट्स की प्रमात्रा का अनुवीक्षण करता है। अक्टूबर, 2009 के माह के लिए बकाया पीएन प्रास्थिति 124575 करोड़ रुपए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाना

266. श्री हसन खान: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लद्दाख की कुल जनसंख्या में से लद्दाख (लेह तथा कारगिल) में रहने वाले जनजातीय लोगों का अनुपात कितना है;

(ख) क्या क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र को कब तक जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) केवल जिलावार उपलब्ध, 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लेह (लद्दाख) जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वहां की कुल 117232 जनसंख्या में से 96174 है और कारगिल जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वहां की कुल 119307 जनसंख्या में से 105377 है।

(ख) से (घ) लद्दाख को संविधान के अनुच्छेद 244 के सन्दर्भ में जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इस संबंध में मंत्रालय को भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

एनटीपीसी द्वारा विद्युत परियोजनाएं

267. **श्री अशोक कुमार रावत:**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख के अनुसार कार्यरत नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) की विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनटीपीसी का विचार विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार सहित देश में और तापीय, जल तथा गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) आज की तारीख में देश में कार्यरत नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) की विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:

(आंकड़े मेगावाट में)

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	31.10.2009 की क्षमतानुसार
1	2	3	4
1.	**कोल आधारित विद्युत परियोजनाएं**		
1.	रामागुंडम 1,2 एवं 3	आंध्र प्रदेश	26000
2.	सिम्हाद्री-1	आंध्र प्रदेश	1000
3.	कहलगांव-1 एवं 2 (फेज-1 एवं 2)	बिहार	2340
4.	कोरबा 1 एवं 2	छत्तीसगढ़	2100
5.	सिपत-2	छत्तीसगढ़	1000
6.	बदरपुर	दिल्ली	705
7.	विन्ध्याचल-1, 2 एवं 3	मध्य प्रदेश	3260
8.	तालचेर 1 एवं 2	उड़ीसा	3000
9.	तालचेर टीपीएस	उड़ीसा	460
10.	सिंगरौली 1 एवं 2	उत्तर प्रदेश	2000
11.	रिहंद-1 एवं 2	उत्तर प्रदेश	2000
12.	एनसीटीपीपी-1, दादरी	उत्तर प्रदेश	840
13.	ऊंचाहार-1, 2 एवं 3	उत्तर प्रदेश	1050
14.	टांडा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	440
15.	फरक्का-1 एवं 2	प. बंगाल	1600
	कुल (कोयला)		24395
2.	**कम्बाइन्ड साइकिल विद्युत परियोजनाएं (गैस/लिक्विड फ्यूल)**		
1.	झनौर-गंधार-1	गुजरात	648
2.	कवास-1	गुजरात	645
3.	फरीदाबाद	हरियाणा	430

1	2	3	4
4.	आरजीसीसीपीपी-1, कायमकुलम	केरल	350
5.	अंता	राजस्थान	413
6.	औरया	उत्तर प्रदेश	652
7.	दादरी	उत्तर प्रदेश	817
	कुल (गैस)		3955
3.	**संयुक्त उद्यम परियोजनाएं**		
1.	भिलाई	छत्तीसगढ़	574
2.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	1480
3.	राउरकेला	उड़ीसा	120
4.	दुर्गापुर	प. बंगाल	120
	कुल (जीवी)	2294	
	कुल योग	30644	

(ख) और (ग) जी हां। इस समय देश में बिहार एवं उत्तर प्रदेश सहित एनटीपीसी की कुल 17,930 मेगावाट क्षमता की 18 परियोजनाएं 16 स्थानों पर निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी की कुल 8962 मेगावाट क्षमता की 10 परियोजनाएं वर्तमान में बोली प्रक्रिया के अंतर्गत हैं और कुल 6830 मेगावाट क्षमता वाली 6 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया है। इन परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एनटीपीसी की वे निर्माणाधीन एवं नई परियोजनाएं जिनके लिए बोली प्रक्रिया अथवा एफ/डीपीआर अनुमादित हो गया है का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना के नाम	राज्य	ईंधन के प्रकार	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5
क.	**निर्माणाधीन परियोजनाएं**			
1.	सिम्हाद्रि-2	आंध्र प्रदेश	कोयला	1000
2.	बोंगाई गांव	असम	कोयला	750
3.	बरह-1	बिहार	कोयला	1980
4.	बरह-2	बिहार	कोयला	1320
5.	नबीनगर-जेवी रेलवे	बिहार	कोयला	1320
6.	सिपाट-1	छत्तीसगढ़	कोयला	1980
7.	कोरबा-3	छत्तीसगढ़	कोयला	500
8.	इंदिरा गांधी एसटीपीपी, झज्जर-जेवी एपीसीएल एंड आईपीसीएल	हरियाणा	कोयला	1500
9.	कोलदम	हिमाचल प्रदेश	जल	800
10.	विन्ध्यांचल-4	मध्य प्रदेश	कोयला	1000
11.	मोदा-1	महाराष्ट्र	कोयला	1000
12.	वैलूर स्टेज-1, पीएच-1-जेवी टीएनईबी	तमिलनाडु	कोयला	1000
13.	वैलूर स्टेज-1, पीएच-2- जेवी टीएनईबी	तमिलनाडु	कोयला	500
14.	लोहारीनागपाला	उत्तराखंड	जल	600
15.	तपोवन विष्णुगाड	उत्तराखंड	जल	520
16.	एनसीटीपीपी-2	उत्तर प्रदेश	कोयला	980
17.	रिहंद-3	उत्तर प्रदेश	कोयला	1000
18.	फरक्का-3	प. बंगाल	कोयला	500
	कुल-क			17930
ख-नई परियोजनाएं				
ख.1	**परियोजनाएं, जिनके लिए मुख्य संयंत्र की बोलियां प्राप्त हो गई हैं/आमंत्रित की गई हैं**			
1.	मुज्जफ्फरपुर विस्तार-जेवी बीएसईबी	बिहार	कोयला	390
2.	नवीनगर जीवी बीएसईबी	बिहार	कोयला	1980
3.	उत्तरी करनपुरा	झारखंड	कोयला	1980
4.	सोलापुर	महाराष्ट्र	कोयला	1320

1	2	3	4	5
5.	मोदा-2	महाराष्ट्र	कोयला	1320
6.	लता तपोवन*	उत्तराखंड	जल	171
7.	रूपसियाबागर खासियाबारा	उत्तराखंड	जल	261
8.	मेजा-जीवी यूपीआरवीयूएनएल	उत्तर प्रदेश	कोयला	1320
9.	राममास-3*	प. बंगाल	जल	120
10.	100 मे.वा. वायु विद्युत परियोजना	@	हवा	100
	उप जोड़ ख 1			8962
ख2.	**परियोजनाएं जिनके लिए एक आर/डीपीआर अनुमोदित किया जाता है**			
1.	कवास-2	गुजरात	गैस	1300
2.	झानोर गंधार-2	गुजरात	गैस	1300
3.	आरजीसीसीपीपी-2 कायामकुलम	केरल	गैस	1950
4.	कोलोडीन-2	मिजोरम	जल	460
5.	सिंगरॉली-3	उत्तर प्रदेश	कोयला	500
6.	टांडा-2	उत्तर प्रदेश	कोयला	1320
	उप जोड़ ख 2			6830
	कुल : ख			15792
	कुल जोड़ क+ख			33722

*एनटीपीसी हाइड्रो लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की गई, एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

#ईंधन सुनिश्चित हो जाने के बाद एफ आर को अद्यतन बनाया जाएगा।

@चयनित बोली के आधार पर स्थान को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

268. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाओं के विस्तार को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम में शामिल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन परियोजनाओं द्वारा कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किए जाने की संभावना है तथा यह किस हद तक राज्य की विद्युत मांग को पूरा कर पाएगा;

(च) क्या उक्त उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (छ) केन्द्र सरकार विद्युत परियोजना के गठन या विस्तार के लिए कोई वित्तीय सहायता या मंजूरी नहीं प्रदान करती है। वर्तमान में निम्नलिखित ताप परियोजनाएं महाराष्ट्र में निर्माणाधीन हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ईकाई	क्षमता(मेवा)	क्षेत्र	परियोजना लागत (लाख में)	चालू होने का वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	पारस टीपीएस एक्स. यूनिट-2	250	राज्य	122400	2009-10
2.	खापरखेड़ा टीपीएस एक्स. यूनिट-5	500	राज्य	21700	2010-11
3.	भुसावल टीपीएस एक्स. यूनिट-4 एवं 2	2x500	राज्य	412400	2010-11 और 12

1	2	3	4	5	6
4.	चंद्रापुर टीपीएस एक्स.यूनिट-1 एंव 2	2x500	राज्य	550000	2012-13
5.	नई पारली टीपीपी एक्स.यूनिट-2	250	राज्य	109100	2009-10
6.	मौदा टीपीपी, यूनिट-1 एवं 2, एनटीपीसी	2x500	केंद्र	545928	2012-13
7.	जेएसडब्लू इनर्जी (रत्नागिरी) टीपीपी, यू-1 से 4	4x300	निजी	450000	2009-10 और 11
8.	तीरोरा टीपीपी, फेज-1 एवं 2, यू-1,2 एवं 3	3x660	निजी	926300	2011-12
	कुल	7180 मेवा		3313128	

कोई भी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में निर्माणाधीन नहीं है। इन परियोजनाओं के चालू होने से राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 7180 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी।

सिल्चर में स्टार्म वाटर निकासी योजना

269. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिल्चर में स्टार्म वाटर निकासी योजना के लिए निधियां संस्वीकृत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) द्वारा आरंभ किए गए कार्य को रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(घ) कार्य के कब तक पुन: आरंभ किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने सिल्चर, असम में वर्षा जल निकास स्कीम के लिए निधियां संस्वीकृत की हैं। कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा शुरू किया गया था, परन्तु स्थानीय परिचालन की कठिनाईयों के कारण जारी नहीं रखा जा सका। राज्य सरकार के अनुरोध पर, परियोजना एनबीसीसी से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थीं। राज्य सरकार इस परियोजना को तीन वर्षों में पूरा करेगी।

जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

270. **श्री प्रबोध पांडा:**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री सी. शिवासामी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री मनोहर तिरकी:
श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री जयराम पांगी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार जनजातीय जनसंख्या कितनी है;

(ख) मौजूदा वित्तीय वर्ष में आवंटित निधियों तथा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सहित प्रत्येक राज्य में इसी अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ङ) क्या उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों को विशेष पैकेज प्रदान करने का है; और

(ज) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) सूचना संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ख) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान जनजातीय उपयोजना के तहत आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II पर है। वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित निधियों तथा जनजातीय उपयोजना के तहत उपयोगिता के विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रम/योजनाओं के तहत राज्यवार निर्मुक्त तथा उपलब्ध निधियों को विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 में दिए गए हैं, जिसे tribal.gov.in पर देखा जा सकता है।

(ङ) और (च) इस योजना की निगरानी एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में अपनाई गई प्रणाली निम्न प्रकार है:-

1. निधियों की निर्मुक्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर बल देना एक पूर्व शर्त है।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में सांवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।
3. जनजातीय कार्य मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का स्थल दौरा करते हैं।
4. जनजातीय कल्याण तथा विकास विभागों के राज्य मंत्रियों तथा राज्य सचिवों की बैठक/सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं ताकि प्रस्तावों को समय से प्रस्तुत किया जा सके, योजनाओं/कार्यक्रमों के शीघ्र क्रियान्वयन तथा उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हो सके;
5. राज्य तथा क्षेत्र स्तर पर, जनजातीय सलाहकार परिषद, आई.टी.डी.पी की परियोजना क्रियान्वयन समिति तथा पंचायत समितियां भी योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निधियों के सामयिक व्यय की निगरानी करती हैं।

(छ) और (ज) जनजातियों के कल्याण हेतु उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु सहित किसी राज्य को कोई विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि विभिन्न आबंटित निधियां राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात और विभिन्न योजनाओं के लिए प्रचलित दिशा-निर्देशों के प्रावधान, जो भी लागू हो, पर आधारित होती है।

विवरण I

अनुसूचित जनजाति की राज्यवार जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य	2001 की जनगणाना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5,024,104
2.	अरुणाचल प्रदेश	705,158
3.	असम	3,308,570
4.	बिहार	758,351
5.	छत्तीसगढ़	6,616,596
6.	गोवा	566
7.	गुजरात	7,481,160
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	244,587
10.	जम्मू और कश्मीर	1,105,979
11.	झारखंड	7,087,068
12.	कर्नाटक	3,463,986
13.	केरल	364,189
14.	मध्य प्रदेश	12,233,474
15.	महाराष्ट्र	8,577,276

1	2	3
16.	मणिपुर	741,141
17.	मेघालय	1,992,862
18.	मिजोरम	839,310
19.	नागालैंड	1,774,026
20.	उड़ीसा	8,145,081
21.	पंजाब	0
22.	राजस्थान	7,097,706
23.	सिक्किम	111,405
24.	तमिलनाडु	651,321
25.	त्रिपुरा	993,426
26.	उत्तराखंड	256,129
27.	उत्तर प्रदेश	107,963
28.	पश्चिम बंगाल	4,406,794
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29,469
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	137,225
32.	दमन और दीव	13,997
33.	दिल्ली	एन.एस.टी.
34.	लक्षद्वीप	57,321
35.	पुडुचेरी	0

विवरण II

2008-09 के दौरान जनजातीय उपयोजना को राज्यवार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत (जनगणना-2001)	कुल स्वीकृत व्यय/वार्षिक योजना 2008-09	जनजातीय उपयोजनाओं को आबंटन	जनजातीय उपयोजना को आबंटन का प्रशित
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6.60	44000.00	3331.96	7.57
2.	असम	12.40	5011.51	621.33	12.40
3.	बिहार	0.90	13000.00	117.00	0.90
4.	छत्तीसगढ़	32.40	9600.00	3052.80	31.80
5.	गोवा	12.10	1737.65	212.00	12.20
6.	गुजरात	14.80	21000.00	255.00	1.21
7.	हिमाचल प्रदेश	5.60	2400.00	96.00	4.00
8.	जम्मू और कश्मीर	10.90	4500.00	20.00	0.44
9.	झारखंड	26.30	8015.00	4082.39	50.93

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	6.60	26188.83	1263.90	4.83
11.	केरल	1.10	7700.00	84.70	1.10
12.	मध्य प्रदेश	20.30	14182.61	2979.00	20.30
13.	महाराष्ट्र	8.90	21577.86	1920.43	8.90
14.	मणिपुर	34.20	1660.00	567.72	34.20
15.	उड़ीसा	22.10	7500.00	1699.73	22.66
16.	राजस्थान	12.60	13879.00	1748.75	12.60
17.	सिक्किम	20.60	852.00	83.62	9.81
18.	तमिलनाडु	1.00	16000.00	160.00	1.00
19.	त्रिपुरा	31.10	1450.00	501.34	34.58
20.	उत्तर प्रदेश	3.00	35000.00	–	–
21.	उत्तराखंड	0.10	4775.00	143.25	3.00
22.	पश्चिम बंगाल	5.50	11602.38	638.13	5.50
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.30	829.19	2.68	0.32
24.	दमन और दीव		155.00	2.54	1.64
	सम्पूर्ण भारत		272616.03	23484.27	8.61

(स्रोतः योजना आयोग)

स्वाईन फ्लू के लिए दवा

271. **श्री एस. सेम्मलईः**
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
डॉ. थोकचोम मैन्याः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्वाईन फ्लू का मुकाबला करने के लिए एंटीवायरल दवा ओसेल्टामीवीर की खरीद और बिक्री पर कोई पाबंदी है;

(ख) यदि हां, तो दवा की आपूर्ति में इस प्रकार का एकाधिकार बनाने के क्या कारण है;

(ग) देश में इस प्रकार की एंटीवायरल दवा की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों या खुदरा बिक्री केन्द्रों को प्राधिकृत किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वाईन फ्लू की दवा के मूल्य में कमी लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा बाजार में इस प्रकार की दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। इस देश में ओसेल्टामिविर की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध है।

(ख) ओसेल्टामिविर के अप्रतिबंधित प्रयोग का परिणाम इन्फ्लुएंजा ए एच1 एन1 (स्वाईन फ्लू) के प्रति प्रभावी एकमात्र मुखसेव्य औषध के प्रति प्रतिरोध विकसित होने में निकलेगा।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट औषधों की बिक्री, भण्डारण अथवा संवितरण हेतु लाइसेंस धारी कोई भी खुदरा कंपनी अथवा खुदरा बिक्री केन्द्र ओसेल्टामिविर बेच सकता है। भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में अनुसूची '10' खुदरा/थोक लाइसेंस धारी लगभग 10500 कैमिस्ट की दुकानें हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ओसेल्टामिविर औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डी पी सी ओ) 1995 की पहली सूची के अंतर्गत नहीं आती है।

(च) फार्मास्युटिकल्स विभाग उपलब्धता के अनुवीक्षण के लिए संबंधित कंपनियों कंपनियों के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित कर रहा है।

एनआरएचएम के तहत वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

272. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा योजनाओं के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के महत चिन्हित अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां इस प्रकार का सर्वेक्षण आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) इस सर्वेक्षण के परिणाम कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को निधियां आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सर्वेक्षण से केन्द्र सरकार को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भविष्य के लिए रूपरेखा हेतु योजना बनाने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में वार्षिक आधार पर जिला स्वास्थ्य की स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराने का अनुमोदन किया है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण पैनल आधारित सर्वेक्षण के रूप में कराया जा रहा है जिसमें नमूने का अनुवर्तन सालों-साल किया जाता है। डाटा एकत्रण, डाटा विधि मान्यकरण, डाटा प्रक्रमण, प्रतिवेदन लेखन आदि सहित सर्वेक्षण-क्रियाकलापों में आमतौर पर एक साल लग जाता है। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन का अभिन्न अंग है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना है और निधियां भारत के महापंजीयक को उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए राज्यों के लिए निधिगत आबंटन नहीं होगा।

(च) अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर जैसे मुख्य संकेतकों और कार्यक्रम के अन्य संकेतकों के अनुमान जिला स्तर पर कार्यक्रमों के कारगर अनुवीक्षण में उपयोगी हैं। फिलहाल ये अनुमान राज्य स्तर पर ही उपलब्ध हैं।

आरआरबी कर्मचारियों को पेंशन लाभ

273. **श्री नीरज शेखर:**
श्रीमती दीपा दासमुंशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि 'पेंशन लाभ' को 'आस्थगित वेतन' माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को अपने प्रायोजित बैंकों के समकक्ष पेंशन लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ने भी सरकार को "वेतन का भुगतान करने की क्षमता" के किसी संदर्भ के बिना उद्योग-वार भुगतान के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को एक समान वेतन देने का निदेश दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में सीवर तंत्र

274. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कुछ भागों में सीवर तंत्र का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि दिल्ली के बिना सीवर वाले क्षेत्रों में अधिकांशत: (1) 44 अधिकृत/नियमित कालोनियां, (2) 27 शहरी गांव, (3) 1583 अनधिकृत कालोनियां, (4) 189 ग्रामीण गांव (5) 1080 झुग्गी बस्तियां हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि 39 ग्रामीण गांवों व 45 कालोनियों के लिए सीवरेज प्रणाली प्रदान की जा रही है। कई अन्य बिना सीवर वाले क्षेत्रों में सीवर प्रणाली का नियोजन या निष्पादन कार्य विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

एन्फ्लूऐन्जा ए एच1एन1 के लिए यात्रा परामर्श

275. श्री एम.के. राघवन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत ने एन्फ्लूऐन्जा ए एच1एन1 के प्रसार को देखते हुए भारतीयों को कुछ देशों में यात्रा न करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस एन्फ्लूऐन्जा का प्रसार रोकने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने प्रभावित देशों में गैर-जरूरी यात्रा को अस्थगित करने के लिए 29.04.2009 को यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की।

(ग) भारत सरकार ने अनेक कार्रवाइयां कीं। दिशानिर्देशों एवं मानक प्रचालन क्रियाविधियों सहित एक व्यापक योजना कार्यान्वित की गई। प्रवेश के समय यात्रियों की जांच 22 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों एवं 5 अन्तर्राष्ट्रीय जांच स्थलों पर जारी है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 28 थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं।

इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के समूहों का पता लगाने के लिए समेकित रोग निगरानी परियोजना के जरिए सामुदायिक निगरानी की जा रही है। प्रयोगशाला नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है। नैदानिक नमूनों की जांच करने वाली इकतालिस प्रयोगशालाएं (23 सरकारी क्षेत्र में तथा 18 निजी क्षेत्र में) हैं।

भारत सरकार ने 40 मिलियन कैप्सूलों तथा ओसेल्टामिविर, जो एच1एन1 फ्लू का उपचार करने की औषध है, के 4 लाख बोतलों का प्रापण किया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18 मिलियन दिए गए हैं। ओसेल्टामिविर की प्रतिबंधित बिक्री अनुसूची एक्स की औषध को बेचने का लाइसेंस रखने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए अनुमत है। वैयक्तिक संरक्षण उपस्करों का पर्याप्त भंडार रखा गया है। तीन भारतीय वैक्सीन विनिर्माताओं को एच1एन1 वैक्सीन का विनिर्माण करने के लिए सहायता दी जा रही है। उच्चतर जोखिम समूह का टीकाकरण करने के लिए चार मिलियन खुराकों का आयात किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जिला स्तरीय दलों को प्रशिक्षण में सहायता दी जा रही है। निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए आई एम ए को निधियां दी गई हैं।

सभी राज्यों से राज्य के तंत्र को दुरूस्त करने, बड़ी संख्या में जांच केन्द्रों को खोलने तथा जिला स्तर पर आपातकालीन परिचर्या सुविधाओं सहित पृथक्करण सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ करने का अनुरोध किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक कार्य दल मीडिया प्लान का कार्यान्वयन कर रहा है। भय को कम करने तथा डर का परिहार करने के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी, करने और न करने योग्य बातों तथा अन्य संगत सूचना का व्यापक रूप से प्रकाशन किया गया है। प्रचार-माध्यम को दैनिक आधार पर सूचना दी जाती है। ऐसी सभी सूचनाएं वेबसाइट http://mohfw-hlnl.nic.in पर भी उपलब्ध है।

विश्वमारी संबंधी तैयारी एवं अनुक्रिया के लिए स्वास्थ्य से परे क्षेत्रों में कार्रवाइयां अपेक्षित हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ऐसी कार्रवइयों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पर्यटन क्षेत्र को घाटा

276. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण पर्यटन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्ष के अंतिम छह माह के मुकाबले पिछले छह माह में पर्यटकों की आवक कम हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा भारत को एक आकर्षक पर्यटन स्थान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) पिछले छह माह, अर्थात मई-अक्टूबर, 2009 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक, आगमन की अनुमानित संख्या 2.19 मिलियन है, जो कि वर्ष 2008 के इसी अवधि के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन की तुलना में 2.4 प्रतिशत कम है। हाल के महीनों में विदेशी पर्यटक आगमन में कमी एच। एन। महामारी, वैश्विक मंदी, आदि सहित विभिन्न कारणों की वजह से हो सकती है।

(ग) भारत को एक आकर्षक पर्यटक गंतव्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* अन्य मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से पर्यटक स्थलों में अवसंरचना का विकास;
* होटल अवसंरचना, विशेष रूप से बजट होटलों की वृद्धि पर फोकस करना;
* प्रमुख पर्यटक गंतव्यों में सड़क अवसंरचना में सुधार और वायुयान सीट क्षमता में वृद्धि कर संपर्क में बढ़ोत्तरी करना;
* 'अतिथि देवो भव:' जैसे सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू करना; और
* आतिथ्य क्षेत्र के लिए दक्ष जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना।

[हिन्दी]

ऋणों की संस्वीकृति तथा वसूली हेतु नीति

277. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गरीबों और वंचित लोगों, बेराजगार युवकों, कामगारों तथा किसानों के कल्याण के लिए ऋणों की संस्वीकृति तथा उनकी वसूली के संबंध में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की नीति की समीक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) कृषि क्षेत्र और कमजोर वर्ग को ऋण बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का एक भाग है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि 25,000/- रुपए की ऋण सीमा के लिए ऋण आवेदन पत्रों का निपटान 15 दिनों के अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण-सीमा के लिए 8 से 9 सप्ताह के अंदर कर दें।

चुकौती कार्यक्रम निरन्तर आवश्यकताओं, अधिशेष सृजन क्षमता, लाभ-अलाभ बिन्दु, आस्तियों की अवधि आदि को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए चुकौती के संबंध में कुछ रियायतें पहले से ही निर्धारित की गई हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा विभिन्न मंचों जैसे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) में आवधिक रूप से की जाती है।

आरआईडीएफ के अंतर्गत निधियों का आवंटन

278. **श्री महेश जोशी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से राज्य-वार और परियोजना-वार आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार आरआईडीएफ के तहत लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

(आरआईडीएफ) से आवंटित तथा संवितरित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	आवंटन	संस्वीकृति	संवितरण
2006-07	10,000.00	10,412.29	6,222.58
2007-08	12,000.00	12,707.86	8,034.93
2008-09	14,000.00	14,704.84	10,458.64
कुल	36,000.00	37,824.99	24,716.15

विगत तीन वर्षों के लिए संस्वीकृति और संवितरण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है तथा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ख) नाबार्ड द्वारा संस्वीकृति के लिए कोई परियोजना लंबित नहीं है। तथापि, राज्य सरकार स्तर पर क्रियान्वयन किए जाने के लिए शुरू नहीं की गई परियोजनाएं लम्बित हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू नहीं की गई परियोजनाओं को ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(ग) आरआईडीएफ श्रृंखलाओं के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का चरण 3 से 4 वर्षों तक अनुमत है और संवितरण, राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाता है। आरआईडीएफ के अन्तर्गत संस्वीकृत परियोजनओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन गति की समीक्षा, डेस्क एण्ड फील्ड निगरानी जैसे निगरानी वस्त्र तथा संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा त्रैमासिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार संस्वीकृत और संवितरण

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	आरआईएफ XII (2006-07)		आरआईडीएफ XIII (2007-08)		आरआईडीएफ XIV (2008-09)	
	संस्वीकृत	संवितरण	संस्वीकृत	संवितरण	संस्वीकृत	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	753.64	714.24	1277.09	1009.79	1315.21	1081.00
अरुणाचल प्रदेश	139.21	54.10	29.22	62.28	122.09	84.84
असम	282.74	150.00	88.49	188.00	113.23	200.00
बिहार	589.80	201.13	589.04	296.96	752.23	495.17
छत्तीसगढ़	53.17	116.15	66.29	59.66	71.88	113.19
गोवा	0.00	0.00	27.27	5.35	85.50	65.50
गुजरात	829.29	879.01	649.03	712.05	1084.93	884.54
हरियाणा	251.52	186.89	258.45	220.31	287.94	285.62
हिमाचल प्रदेश	273.48	140.38	299.27	200.00	425.12	220.00
जम्मू और कश्मीर	461.05	182.71	602.13	250.63	342.43	410.64
झारखंड	331.03	154.86	406.86	218.27	630.76	320.00
कर्नाटक	497.30	292.56	960.70	333.57	659.05	453.87
केरल	260.50	240.21	298.30	191.21	500.71	205.91

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	728.72	499.20	1264.97	652.70	974.92	752.21
महाराष्ट्र	513.09	146.49	1083.71	523.79	1122.66	874.29
मणिपुर	15.74	1.56		4.12	0.00	1.40
मेघालय	23.70	21.25	56.85	29.26	66.15	41.40
मिजोरम	8.19	14.00	22.33	14.00	1.07	14.00
नागालैंड	24.60	26.08	14.57	27.00	239.72	57.18
उड़ीसा	497.93	187.06	508.96	230.65	849.25	366.30
पंजाब	552.66	283.05	335.62	382.54	525.20	450.00
राजस्थान	766.99	350.75	824.97	500.00	1099.71	700.00
सिक्किम	16.21	7.53	42.16	14.54	99.27	40.00
तमिलनाडु	799.21	466.41	956.83	801.69	905.42	846.07
त्रिपुरा	161.30	28.03	153.69	30.99	305.03	47.54
संघ राज्य पुडुचेरी					54.57	
उत्तर प्रदेश	1035.38	381.53	1091.59	549.69	952.29	729.77
उत्तराखंड	32.48	122.75	138.41	149.42	300.08	192.13
पश्चिम बंगाल	513.36	374.65	661.06	376.47	818.42	526.07
सकल योग	10412.29	6222.58	12707.86	8034.93	14704.84	10458.64

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार आरआईडीएफ के अन्तर्गत

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	आरआईडीएफ XII (2006-07)		आरआईडीएफ XIII (2007-08)		आरआईडीएफ XIV (2008-09)	
		संस्वीकृत	संवितरण	संस्वीकृत	संवितरण	संस्वीकृत	संवितरण
1.	सिंचाई	3140.72	1910.41	4718.82	2869.00	4138.42	3251.99
2.	ग्रामीण संपर्क	4016.81	3075.83	4709.38	3154.92	6741.86	4487.03
3.	सामाजिक क्षेत्र	1964.91	667.84	1598.20	1373.25	2667.48	1610.35
4.	ऊर्जा क्षेत्र	13.26	85.86	148.37	192.94	231.74	105.69
5.	अन्य	1276.59	482.64	1533.09	444.82	924.34	1003.58
	कुल	10412.29	6222.58	12707.86	8034.93	14704.84	10458.64

विवरण III

30 सितम्बर 2009 की स्थिति के अनुसार शुरु न की गई परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं	राज्य	आरआईडीएफ XII (2006-07)		आरआईडीएफ XIII (2007-08)		आरआईडीएफ XIV (2008-09)		कुल	
		संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	शुरू न की गई परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	शुरू न की गई परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	शुरू न की गई परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	शुरू न की गई परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2119	31	3471	400	3355	2714	8945	3145
2.	बिहार	204	76	1681	3	76	0	1961	79
3.	छत्तीसगढ़	23	6	13	7	13	2	49	15
4.	गोवा	0	0	3	0	1	0	4	0
5.	गुजरात	245	0	789	0	4027	0	5061	0
6.	हरियाणा	224	0	130	81	111	69	465	150
7.	हिमाचल प्रदेश	651	20	369	117	1786	0	2806	137
8.	जम्मू और कश्मीर	256	0	382	64	199	95	837	159
9.	झारखण्ड	398	2	2893	0	348	0	3639	2
10.	कर्नाटक	3203	1237	5300	3962	2581	28	11084	5227
11.	केरल	163	38	401	59	95	0	659	97
12.	मध्य प्रदेश	83	0	165	2	2	0	250	2
13.	महाराष्ट्र	1215	57	8717	3336	831	669	10763	4062
14.	उड़ीसा	16635	985	2037	104	29271	30	47943	1119
15.	पंजाब	390	0	456	1	978	0	1824	1
16.	राजस्थान	2772	111	2405	1093	957	1	6134	1205
17.	तमिलनाडु	2857	0	2906	303	2972	1230	8735	1533
18.	उत्तर प्रदेश	6713	58	781	45	12572	0	20066	103
19.	उत्तराखंड	50	0	137	0	671	0	858	0
20.	पश्चिम बंगाल	3315	526	3437	133	23896	484	30648	1143
21.	अरुणाचल प्रदेश	15	0	2	0	15	0	32	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	असम	150	47	84	84	112	0	346	131
23.	मणिपुर	1		0		0		1	0
24.	मेघालय	26	0	116	0	79	0	221	0
25.	मिजोरम	9	0	23	0	3	0	35	0
26.	नागालैंड	102	0	11	0	19	0	132	0
27.	सिक्किम	62	0	117	0	294	0	473	0
28.	त्रिपुरा	304	0	84	0	176	0	564	0
	कुल	42185	3194	36910	9794	85440	5322	164535	18310

बचत योजनाएं

279. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बचतों पर ब्याज दर बढ़ा कर बचत योजनाओं को अधिक आकर्षित बनाने हेतु कोई योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) जी, नहीं। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें प्रशासित ब्याज दरें होती हैं। प्रशासित ब्याज दरों की उच्च दरों के राजकोषीय निहितार्थ होते हैं और इसलिए इसे केन्द्र सरकार द्वारा ली गई उधारों की लागत से जोड़ने की आवश्यकता है। वर्ष 2001 में, भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में लघु बचत खातों को उन्हें बाजार निर्धारित दरों से अधिक निकटता से लाने हेतु प्रशासित ब्याज दरों की बैंचमार्किंग के मुद्दे की जांच की और अन्य बातों के साथ सिफारिश की थी कि प्रशासित ब्याज दरें जिनमें लघु बचत योजनाएं भी शामिल हैं, द्वितीयक बाजार में तुलनीय परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत वार्षिक प्राप्ति के संबंध में बैंचमार्क की जाए जो बैंचमार्क प्राप्ति की तुलना में 50 आधार बिन्दुओं की अधिकतम उपयुक्त विस्तार के अधीन होंगी तथा लिखत की परिपक्वता और नकदी पर निर्भर करेंगी।

जनजातीय अधिकार

280. श्री दत्ता मेघे:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वनों में निवास करने वाले जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है;

(ख) वनों के संबंध में जनजातियों के अधिकारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) जनजातियों के लिए किस प्रकार राज्य-वार यह अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के अधिकारों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या जनजातियां अपनी ही भूमि पर पराई बन गई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य-वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) यदि नहीं, तो भूमि के स्वामित्व के अधिकारों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों तथा अपने समुदायों से बाहर से अतिक्रमण के विशेष संदर्भ में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) जनजातियों को कब तक सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा लाभ प्राप्त हो जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) देश में वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के संबंध में जनसांख्यिकी विवरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रखा जाता है।

(ख) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है तथा इसका लक्ष्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं, परन्तु जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, के वन अधिकारों की पहचान एवं उन्हें प्रदान करना है। वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकार जिनकी पहचान की जानी है तथा जिन्हें प्रदान किया जाना है का विशेष उल्लेख अधिनियम की धारा 3 में किया गया है।

(ग) इस अधिनियम के तहत वन अधिकारों की पहचान एवं इन्हें प्रदान किए जाने की प्रक्रिया, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 जिसे दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित किया गया है, में निर्धारित की गई है। इन नियमों के अनुसार, दावेदारों को इस अधिनियम के तहत अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में ग्राम सभा में जमा कराने होते हैं। ग्राम सभा, जिसकी सहायता वन अधिकार समिति द्वारा की जाती हैं, को इन दावों की सिफारिश उप मण्डल स्तरीय समिति को करनी होती है, जिसके पश्चात जिला स्तरीय समिति को वन अधिकारों का अनुमोदन/प्रदान करना होता है।

(घ) और (ङ) जैसा सभी योजनाओं में होता है, कभी-कभी अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रचालनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परन्तु राज्य प्रशासन द्वारा उनका हल ढुंढा जाता है।

(च) और (छ) "भूमि और इसका प्रबन्धन" राज्य का विषय है। इसलिए, भूमि से संबंधित मुद्दे केवल राज्य के वैधानिक और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से, (1) सरकार द्वारा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के माध्यम से उनकी भूमि का अधिग्रहण करके या (2) हस्तांतरण इत्यादि के माध्यम से गैर-जनजातीय लोगों, द्वारा अन्य सक्रमित किया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग ने अनुसूचित जनजातीय परिवारों सहित परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए "राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2007" (एन.आर.आर.पी-2007) अधिसूचित की है। जहां तक गैर जनजातियों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों की भूमि के अन्य संक्रमण का संबंध है, बहुत से राज्यों ने जनजातियों की भूमि के इस प्रकार के अन्य-संक्रमण को रोकने के लिए तथा मूल जनजातीय मालिकों को ऐसी भूमि को वापिस कराने के लिए कानून/नियम अधिनियमित किए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास इस प्रकार के भूमि-अन्य संक्रमण के ब्यौरे की सूचना नहीं है।

(ज) इस प्रकार के आंकड़े जनजातीय कार्य मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(झ) देश में सभी जनजातीय लोगों की सामाजिक सुरक्षा एवं उन्हें बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

उत्प्रेरक पैकेज

281. श्री मनीष तिवारी:
श्री राजनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उत्प्रेरक उपायों के प्रभाव का कोई अध्ययन कराया है जो केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर, 2008 के बाद में शुरू किया गया है;

(ख) सटीक आंकड़ों में ये उपाय अर्थव्यवस्था को किस हद तक गति देने में सक्षम हुए हैं;

(ग) सरकार राजस्व और व्यय के बीच सही तालमेल बिठाने के लिए कब तक कठोर उपाय शुरू करने में सक्षम होगी;

(घ) क्या सरकार के निर्धारित राजकोषीय घाटा बैंचमार्क को प्राप्त कर लिए जाने पर सुधारात्मक उपाय स्वत: ही आरंभ हो जायेंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या 30 सितम्बर, 2009 की स्थितिनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटे को बजट-प्राक्कलन के 45 प्रतिशत तक करने के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम द्वारा यथा-अधिदेशित लक्ष्य का पालन किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या माननीय वित्त मंत्री अधिनियम में यथा-अधिदेशित के संबंध में सदन में वक्तव्य देंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) वर्ष 2008-09 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक घटनाओं के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए अनेक उपाए किए गए थे, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपाय और सरकार की विस्तारवादी रजाकोषीय नीति शामिल हैं। सरकार द्वारा दिसम्बर 2008 और जनवरी 2009 में घोषित प्रोत्साहन उपाय क्षेत्रक विशिष्ट और वृहद अर्थव्यवस्थाव्यापी स्वरूप के थे। इन प्रोत्साहन पैकेजों के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। इस विस्तारवादी नीति का प्रभाव मोटे तौर पर मांग के तीन मुख्य संघटकों नामत: तुलनात्मक हिस्सा, विकास और विकास में बिंदु अंशदान के संदर्भ में आंका जा सकता है। वर्ष 2007-08 में निजी उपभोग का हिस्सा 57.2 प्रतिशत था और सरकारी उपभोग का हिस्सा चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का 9.8 प्रतिशत था। वर्ष 2008-09 में निजी उपभोग मांग की वृद्धि में तीव्र गिरावट हुई जो 2007-08 के 8.5 प्रतिशत के स्तर से कम होकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई। इस विस्तारवादी राजकोषीय नीति के परिणामस्वरूप सरकारी उपभोग व्यय में बढ़ोतरी हुई जो 2007-08 के 7.4 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2008-09 में 20.2 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद में निजी उपभोग का बिंदु अंशदान 2007-08 के 53.9 प्रतिशत के स्तर से आधा रह कर 2008-09 में 27.0 प्रतिशत पर आ गया और सरकारी उपभोग व्यय का अंशदान बढ़कर 2008-09 में 32.5 प्रतिशत (2007-08 में 8 प्रतिशत की तुलना में) हो गया। इससे 2008-09 में 6.7 प्रतिशत की समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्राप्त करने में सहायता मिली।

(ग) यह विस्तारवादी राजकोषीय दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था में मांग में आई कमी के निदान के लिए अपनाया गया एक अल्पावधिक उपाय है। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2009-10 में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया शुरू का इरादा जताया गया है जिसमें राजकोषीय घाटे को 2010-11 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत और 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत रखा गया है।

(घ) से (छ) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 7 के अंतर्गत सरकार से अपेक्षित है कि यदि तीन राजकोषीय संकेतकों नामत: बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में ऋण-भिन्न प्राप्तियों, बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में राजस्व घाटे और बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे की कतिपय अंरावर्ष प्रारंभिक सीमाओं का उल्लंघन हो तो वह उचित उपाय करे। इस नियमावली में यह अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री दूसरी तिमाही की समाप्ति के तत्काल बाद सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में स्थिति का ब्यौरा देते हुए वक्तव्य दें। चालू वर्ष में, दो प्रारंभिक सीमाओं नामत: बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में राजस्व घाटे और बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे का उल्लंघन हुआ है और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में एक विवरण संसद के चालू सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

मेनिन्जाइटिस के मामलों में वृद्धि

282. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में मेनिन्जाइटिस के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) इस बीमारी के फैलने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद): (क) और (ख) मेंनिगकोक्कल मेनिंजाइटिस सहित मेनिंजाइटिस एक प्रकोप-प्रवण रोग है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मेनिंजाइटिस के मामलों में वृद्धि अथवा कमी देश के राज्यों में एक समान नहीं है। 2007 की तुलना में हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मेनिंजाइटिस के सूचित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उसी अवधि के दौरान सूचित रोगियों में कमी, दर्ज की गई है। वर्ष 2007 एवं 2008 के दौरान सूचित रोगियों की संख्या से संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) मेंनिगकोक्कल मेनिंजाइटिस सहित मेनिंजाइटिस में एक सुसिद्ध मौसमी एवं चक्रीय प्रवृत्ति होती है और यह वर्ष के शुष्क एवं ठंडे मौसमों में अधिक होता है। भीड़भाड़ एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण पूर्वप्रवण कारक हैं। यह रोग वायु के जरिए व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क से भी होता है।

(घ) देश के विभिन्न भागों में रोग के प्रकोपों की सूचना मिलने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय त्वरित अनुक्रिया दलों को रोग का

एक आन-साइट मूल्यांकन करने तथा जांच करने एवं राज्य के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को नियंत्रण उपाय शुरू करने में मदद करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया। प्रभावित राज्यों/जिलों में एक नियमित निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

रोग के संबंध में तकनीकी प्रकाशन सामग्री 'सी डी एलर्ट' तैयार की गई है और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्चा कार्मिकों के इस्तेमाल के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

विवरण

वर्ष 2007 एवं 2008 के दौरान सूचित मेनिंजाइटिस के राज्यवार रोगी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	745	609
2.	अरुणाचल प्रदेश	सूचित नहीं	12
3.	असम	0	0
4.	बिहार	सूचित नहीं	सूचित नहीं
5.	छत्तीसगढ़	40	14
6.	गोवा	0	1
7.	गुजरात	63	15
8.	हरियाणा	4	23
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0
11.	झारखंड	35	90
12.	कर्नाटक	655	1218
13.	केरल	23	230
14.	मध्य प्रदेश	908	310
15.	महाराष्ट्र	205	201
16.	मणिपुर	19	2
17.	मेघालय	4	389
18.	मिजोरम	51	67
19.	नागालैंड	4	0
20.	उड़ीसा	44	142
21.	पंजाब	65	104
22.	राजस्थान	46	5
23.	सिक्किम	3	6
24.	तमिलनाडु	31	69
25	त्रिपुरा	15	9
26.	उत्तराखंड	65	76
27.	उत्तर प्रदेश	111	45
28.	पश्चिम बंगाल	1324	1910
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	9
30.	चंडीगढ़	21	सूचित नहीं
31.	दादरा और नगर हवेली	47	6
32.	दमन और दीव	0	12
33.	दिल्ली	361	324
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुडुचेरी	171	78
	कुल	5077	5976

एन.आर.एच.एम. के तहत लाभान्वित व्यक्ति

283. श्री रामकिशुन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की पात्रता शर्तों में छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पात्रता शर्तों में छूट देने की कोई योजना है ताकि इसे गरीब किसानों, भूमिहीन गरीब लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों के लिए लाभकारी बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद): (क) से (ग) सरकार देश के सभी नागरिकों को वहनीय आधार पर गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों के साथ सहभागिता करके जन स्वास्थ्य प्रणाली का व्यापक पुनरूत्थान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का प्रयास सुदूरतम ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों के लिए सुगम, वहनीय एवं उत्तरदायी गुण्वत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत असंतोषजनक स्वास्थ्य संकेतकों वाले दुर्गम क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया जिससे कि जहां कहीं सर्वाधिक ध्यान आवश्यक हो, वहां इसे सुनिश्चित किया जा सके। मिशन का बल सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय सामभिरूपता पर भी है जिससे कि स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों जैसे कि पानी, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक एवं लैंगिक समानता पर समकालिक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के जरिए प्रदत्त सेवाएं देश के हरेक नागरिक के लिए हैं और देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब किसानों, भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को सेवा प्रदानगी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत परियोजना प्रस्ताव

284. श्री पी. कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेष रू. से तमिलनाडु सरकार से इन शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान लागू करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जुएनएनयूआरएम) के तहत कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके तहत राज्य-वार और परियोजना-वार कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोआ रिगपा औषधि पद्धति

285. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सोआ रिगपा औषधि पद्धति को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कतिपय चिकित्सा कॉलेजों द्वारा इसका पाठ्यक्रम आरंभ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस चिकित्सा पद्धति को विकसित करने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) जी, हां।

(ख) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सोआ-रिगपा चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने हेतु भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के प्रयोजनार्थ अनुमोदन प्रदान किया है। इस संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) का लेह में एक अनुसंधान एकांश है जो सोआ रिगपा (आमची) अनुसंधान केंद्र के रूप में क्रियाशील होने के साथ-साथ स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाओं के अलावा सोआ रिगपा साहित्य, औषधि विकास, नैदानिक परीक्षण आदि पर अनुसंधान कार्य भी संचालित करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पर्यटन पैकेज

286. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान पर्यटकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पर्यटन पैकेज आरंभ करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित देश में इस प्रयोजनार्थ चिन्हित पर्यटन केन्द्रों की संख्या कितनी हैं; और

(ङ) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) जी, हां। 19वें राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली-2010 की आयोजन समिति ने एक 'गेम्स ट्रेवल आफिस' (जीटीओ) स्थापित किया है, जो पर्यटन मंत्रालय और अन्य स्टेकाहोल्डरों के साथ समन्वय से खेलों के दौरान पर्यटन अपेक्षाओं और पर्यटन पैकेजों को केटर करेगा।

[हिन्दी]

प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना

287. श्री रमेश बैस: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उस प्रयोजनार्थ एक पृथक कॉलेज की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत दो स्वायत संगठन अर्थात् केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे नैदानिक और साहित्यिक अनुसंधान, कार्यशालाएं/सम्मेलन/संगोष्ठियां/व्याख्यान/अभिविन्यास कार्यक्रम, नि:शुल्क परामर्श सेवाएं एवं ओपीडी सेवाएं संचालित करता है तथा इन सेवाओं में संलग्न गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

288. श्री रूद्रमाधव राय:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान उड़ीसा सहित राज्यों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या पर्याप्त निधियों के अभाव में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संख्या तथा अधिकतम क्षमता जिस पर वे राजसहायता प्राप्त कर सकते हैं पर अधिकतम सीमा लगाई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सीमा लगाए जाने के परिणामस्वरूप देश में सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं जैसी बड़ी कार्यकुशल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हतोस्साहित होती हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कमद उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूख अब्दुल्ला): (क) सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और वर्तमान वर्ष के दौरान दिनांक 31.10.2009 तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में मंत्रालय द्वारा उड़ीसा की राज्य एजेंसी को 78.68 लाख रु. सहित विभिन्न राज्यों को लगभग 290.16 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) देश में 50 मे.वा. की कुल क्षमता के लिए सौर ऊर्जा तापीय और प्रकाशवोल्टीय, दोनों प्रौद्योगिकियों पर आधारित मेगावाट आकार की ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत परियोजनाओं की सहायता करने के लिए मंत्रालय ने एक प्रदर्शन कार्यक्रम की

घोषणा की है। प्रत्येक 1 मे.वा. की न्यूनतम क्षमता की एकल परियोजना अथवा बहुल परियोजनाओं के माध्यम से 5 मे.वा. की अधिकतम समग्र क्षमता के साथ किसी भी परियोजना विकासकर्ता से प्राप्त प्रस्ताव विचार किए जाने के लिए उपयुक्त हैं। एक राज्य में अधिकतम 10 मे.वा. क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है। मंत्रालय के प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) के लिए अब तक लिनियर फ्रेन्सल रिफ्लेक्टर (एलएफआर) पर आधारित 1 मे.वा. क्षमता की एक सौर तापीय विद्युत परियोजना और पैराबोलिक ट्रफ संग्राहकों (पीटीसी) पर आधारित प्रत्येक 5 मे.वा. क्षमता की दो परियोजनाएं उपयुक्त पाई गई हैं।

मुद्रास्फीति

289. **श्री नामा नागेश्वर राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में प्राप्त मुद्रास्फीति की दरों के आंकड़ों का रखरखाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह माह का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारत सरकार केवल भारत की मुद्रास्फीति दर के आंकड़े रखती है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों की मुद्रास्फीति दरों से संबंधित आंकड़े रखती हैं।

(ख) और (ग) भारत में आधार 1993-94 के साथ थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित पिछले छह महीनों के दौरान वर्षानुवर्ष आधार पर दर्ज मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें निम्नलिखित हैं-

मई, 09	जून, 09	जुलाई, 09	अगस्त, 09	सितम्बर, 09	अक्टूबर, 09
1.38	-1.01	-0.67	-0.17	0.50	1.34

समग्र थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले छह महीनों में काफी नियंत्रित रही है और जून से अगस्त, 2009 में ऋणात्मक परिधि में भी रही है। प्राथमिक और विनिर्मित दोनों प्रकार की खाद्य-वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर और 8-16 प्रतिशत के बीच रही है। खाद्य-वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर काबू पाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें गेहूं, दालों, मक्का, कच्ची चीनी इत्यादि पर आयात शुल्क कम करना; धान, चावल, दालों, चीनी इत्यादि के मामले में स्टाक सीमाएं लागू करना; और गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं।

स्वास्थ्य परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से सहायता

290. **श्री पी.आर. नटराजन:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से देश में क्रियान्वित की जा रही स्वास्थ्य परियोजनाओं की संख्याओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय परियोजनाओं के कोष प्रबंधन में भारी अनियमितताओं संबंधी हाल की रिपोर्ट सरकार की जानकारी में आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विश्व बैंक द्वारा सहायताप्राप्त चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) 14 नवम्बर, 2008 को विश्व बैंक द्वारा 2009-2012 की अवधि के लिए प्रकाशित भारत देश की कार्यनीति में उल्लेख है कि विश्व बैंक के इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी डिपार्टमेंट द्वारा पांच स्वास्थ्य क्षेत्र प्रचालनों की गई विस्तृत कार्यान्वयन समीक्षा में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की प्रभावकारिता एवं विकास प्रभाव में सुधार लाने के लिए शासन संबंधी मुद्दों पर और अधिक क्रमबद्ध रूप से ध्यान देने की अवाश्यकता हुई। हालांकि इस रिपोर्ट में निहित अनेक निष्कर्ष पूर्वअवधारणाओं पर आधारित है। तथापि, कार्यान्यन समीक्षा के प्रत्युत्तर में, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों जो ध्यान दिए जाने के पात्र हैं, की जांच करने के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत तेज कर दी। गठित समूहों तथा चल रही परियोजनाओं के कार्यक्रम प्रमुखों के इनपुट के आधार पर विश्व बैंक के साथ पारस्परिक परामर्श करके एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की गई थी जिसे विश्व बैंक को उनके द्वारा की गई विस्तृत कार्यान्वयन समीक्षा की कार्यप्रणाली में दोषों के संबंध में भारत सरकार के उत्तर के साथ भेजा गया है।

विवरण

स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा

राशि यू एस मिलियन डालर में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन क्षेत्र	आई डी ए सहायता	करार की तारीख	समाप्ति की तारीख	2006-07 के दौरान अदायगी	2007-08 के दौरान अदायगी	2008-09 के दौरान अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना (सी आर न. 4227-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	360	16.10.2006	31.03.2010	–	39.995	107.55
2.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना चरण-2 (सी आर नं. 4228-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	170	16.10.2006	20.09.2011	8.763	22.382	74.43
3.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास एवं सुधार परियोजना (सी आर नं. 4299-आई एन)	कर्नाटक	141.83	16.10.2006	30.09.2011	–	26.539	38.285
4.	राष्ट्रीय एच आई वी/एड्स नियंत्रण परियोजना-2 (सी आर नं. 4299-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	250	05.07.2007	30.09.2012	–	35	28.271
5.	समेकित रोग निगरानी परियोजना (सी आर सं. 3952-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	68.00	23.09.2004	31.03.2010	2.008	4.923	5.780
6.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी आर सं. 3867-आई एन)	राजस्थान	89.00	03.06.2004	30.09.2011	12.038	17.7	12.426
7.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना (सी आर सं. 4018-आई एन)	तमिलनाडु	110.83 (119 मिलियन यू एस डी की अतिरिक्त सहायता मांगी गई-डी ई ए ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।)	05.01.2005	31.03.2010	4.378	10.909	20.185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	वेक्टर जनित रोग नियंत्रण एवं पोलियो उन्मूलन कार्यक्र	राष्ट्रव्यापी	521	13.02.2009	30.04.2014	–	–	5.00
9.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना (सी आर न. 2964)	राष्ट्रव्यापी	108.3	30.07.1997	31.3.2005	4.795	–	–
10.	यू पी स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी आर नं. 9338-आई एन)	उत्तर प्रदेश	89.52	26.07.2000	31.12.2008	8.825	9.396	9.092
11.	खाद्य एवं औषध क्षमता निर्माण परियोजना (सी आर नं. 3777 आई एन)	राष्ट्रव्यापी	54.03	29.09.2003	30.06.2008	6.097	5.156	1.851

इंटरनेट सुविधा वाली एल.आई.सी. शाखाएं

291. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) की सभी शाखाएं इंटरनेट प्रणाली से जुड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एल.आई.सी की कितनी शाखाएं इंटरनेट प्रणाली से नहीं जुड़ी हुई हैं; और

(घ) एल.आई.सी. सभी शाखाओं को इंटरनेट से कब तक जोड़ दिये जाने का संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि एलआईसी की किसी भी शाखा को इन्टरनेट कनेक्शन (इंटरनेट सुविधा) नहीं दिया गया है। तथापि, कॉरपोरेट हलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल)और अन्य कार्यालय प्रयोग के लिए सभी 2048 शाखाओं को एलआईसी के नेटवर्क के द्वारा इन्ट्रानेट सुविधाएं दी गयी हैं।

विदेशी ऋण

292. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 और 2008-2009 के दौरान भारत पर कितना विदेशी ऋण है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारत का कुल बकाया विदेशी ऋण मार्चान्त 2008 में 223. 3 बिलियन अमरीकी डालर (892, 912 करोड़ रुपये) तथा मार्चान्त 2009 में 224.0 बिलियन अमरीकी डालर (1, 139, 350 करोड़ रुपये) (अनन्तिम) था।

(ख) और (ग) स.घ.उ. के संदर्भ में विदेशी ऋण का अनुपात मार्चान्त 2008 तथा मार्चान्त 2009 में क्रमश: 18.9 प्रतिशत और 21.4 प्रतिशत था। ऋण शोधन अनुपात 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान क्रमश: 4.8 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत था। विदेशी ऋण संकेतक नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर ही है।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की आवक

293. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों की आवक संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में पर्यटन की आवक में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जम्मू और कश्मीर में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवक बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (घ) वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या और इस अवधि की वृद्धि दर निम्नानुसार है:–

वर्ष	घरेलू पर्यटक आगमन लाख में	वृद्धि	विदेशी पर्यटक आगमन लाख में	वृद्धि
2006	76.46	–	0.46	–
2007	79.15	–3.5%	0.53	14.5%
2008	76.39	–3.5%	0.55	3.7%

यद्यपि वर्ष, 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में जम्मू एवं कश्मीर में विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि हुई थी, इसी अवधि के दौरान घरेलू पर्यटक आगमन की संख्या 3.5% तक कम हुई।

(ङ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में घरेलू एवं विदेशी दोनों पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) राज्य पर्यटन विभाग ने देश और देश के बाहर अनेक कार्यक्रमों, यात्रा मेलों, सम्मेलनों और समागमों में अपनी भागीदारी बढ़ाई।

(ii) राज्य से संबंधित साहित्य को विभिन्न भाषाओं में छापा गया और देश और देश के बाहर वितरित किया गया।

(iii) राज्य में पर्यटकों को आमंत्रित करते हुए प्रिंट के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रचार अभियान चलाए गए।

(iv) राज्य के पर्यटन, कला और संस्कृति को दर्शाते हुए राज्य के सभी तीनों क्षेत्रों में कई मेलों और उत्सवों का आयोजन किया गया।

(v) राज्य पर्यटन विभाग ने वर्तमान वर्ष के साथ साथ गत वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्हाइट वाटर राफटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया।

(vi) वर्तमान वर्ष के दौरान कश्मीर स्नो फेस्टिवल, टूलीप फेस्टिवल, द्वितीय गुलमर्ग विश्व डरबी चैम्पियनशिप का भी आयोजन किया गया।

[हिन्दी]

कें.स.स्वा.यो. अस्पताल और औषधालय

294. श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों और औषधालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सहित देश में सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के मद्देजर इस प्रकार के अस्पतालों और औषधालयों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव इस प्रकार के अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने के लिए निजी अस्पतालों को के.स.स्वा.यो. के दायरे में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जरिए प्रदान की जा रही सेवाएं पूरी करने के लिए निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों का पैनल बनाया जा रहा है। पैनलबद्ध अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की शहरवार संख्या निम्नवत है:–

शहर	निजी अस्पताल	निजी नैदानिक केन्द्र
मेरठ	8	3
इलाहाबाद	12	3
लखनऊ	15	11
कानपुर	21	12

विवरण

स्वीकृत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का श्रेणीवार ब्यौरा 31.03.2008 की स्थिति

क्र.सं.	शहर	कार्यकरण की तारीख	ऐलोपैथी	आयुर्वेद	होम्योपैथी	यूनानी	सिद्ध	योगा	कुल	पोली क्लिनिक	प्रयोगशाला	दंत चिकि.एकक	प्रा.सहा केन्द्र
1.	अहमदाबाद	मार्च-79	5	1	1	0	0	0	7	0	1	1	0
2.	इलाहाबाद	1969	7	1	1	0	0	0	9	1	1	0	0
3.	बंगलौर	16-2-76	10	2	1	1	0	0	14	1	4	1	0
4.	भोपाल	2-मार्च	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0
5.	भुवनेश्वर	अगस्त-88	2	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0
6.	चंडीगढ़	19-03-02	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7.	चेन्नई	25-05-75	14	1	1	0	2	0	18	2	4	1	0
8.	देहरादून	5-जुलाई	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9.	गुवाहाटी	1996	3	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0
10.	हैदराबाद	फरवरी-76	13	2	2	2	0	0	19	2	1	0	2
11.	जबलपुर	अक्टूबर-91	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
12.	जयपुर	जून-78	5	1	1	0	0	0	7	0	4	1	0
13.	कानपुर	1972	9	1	2	0	0	0	12	1	3	1	0
14.	कोलकाता	अगस्त-72	18	1	2	1	0	0	22	1	5	1	0
15.	लखनऊ	1979	6	1	1	1	0	0	9	1	2	1	0
16.	मेरठ	19-07-1977	6	1	1	0	0	0	8	0	2	1	0
17.	मुंबई	8-11-1973	28	2	3	0	0	0	33	2	4	3	0
18.	नागपुर	अक्टूबर-83	10	2	1	0	0	0	13	1	1	1	0
19.	पटना	5-मई	5	1	1	0	0	0	7	1	1	1	0
20.	पुणे	जुलाई-78	7	1	2	0	0	0	10	1	2	1	0
21.	रांची	1972	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
22.	शिलांग	17-06-2002	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23.	त्रिवेंद्रम	1996	3	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0
24.	दिल्ली	1954	87	15	14	5	1	2	124	4	34	5	5
	कुल		247	35	37	11	3	2	335	18	72	19	8

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भण्डार

295. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के हिस्से सहित भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भण्डारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सामान्यतता भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियों में और विशेषकर स्वर्ण भण्डार में कमी/वृद्धि के कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक स्वर्ण खरीदने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) पिछले वर्षों के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

बिलियन अमरीकी डालर

क्र.सं.	वर्ष	एफसीए*	स्वर्ण	एसडीआर	अं.मु.को.में आरटीपी	कुल विदेशी मुद्रा भंडार
1.	2006-07	191.19	6.8	0.002	0.469	199.2
		(96.36)	(3.41)	(0.001)	(0.24)	
2.	2007-08	299.2	10.0	0.018	0.436	309.7
		(96.61)	(3.24)	(0.006)	(0.14)	
3.	2008-09	241.4	9.6	0.001	0.981	252.0
		(95.79)	(3.80)	(0.0004)	(0.39)	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सा दर्शाते हैं।
टिप्पणी: एफसीए: विदेशी परिसंपत्तियां, एसडीआर: विशेष आहरण अधिकार; अं.मु.को. में आरटीपी: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित ट्रांश स्थिति।
*एफसीए में आईआईएफसी (यूके) द्वारा 20 मार्च, 2009 से जारी किए गए विदेशी मुद्रा में मूल्यावर्गित बांडों में निवेशित 0.250 बिलियन अमरीकी डालर शामिल नहीं हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर मुख्यत: विनियम दर की अस्थिरता को कम करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में किए गए हस्तक्षेप और विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमीरीकी डालर के मूल्य में हुई घट-बढ़ के कारण हुए मूल्यन परिवर्तनों का परिणाम होता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सीमित स्वर्ण बिक्री कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 200 मीट्रिक टन स्वर्ण की खरीद की है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। यह खरीद सरकारी क्षेत्र की गैर-बाजार लेन-देन के रूप में थी और यह बाजार मूल्यों पर 19-30 अक्टूबर, 2009 के दौरान दो सप्ताह की अवधि में की गई थी।

देश में स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र

296. **श्री संजय धोत्रे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रमों हेतु विश्व बैंक सहित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त की गयी और उपयोग की गयी राशि का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव विश्व बैंक की सहायता से और ज्यादा स्वास्थ्य परियोजनाएं प्रारंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में, विशेषकर देश के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में और ज्यादा स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त 5173. 67 करोड़ रुपए के कुल अनुदान में से इसी अवधि के दौरान 3643. 61 करोड़ रुपए की धनराशि उपयोग की गई है जोकि प्राप्त अनुदान का 70.43% दर्शाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि और प्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा राज्यवार, परियोजनावार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के चरण-II के लिए विश्व बैंक से 200 मिलियन यू एस डालर की सहायता संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकाधिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए लचरता प्रदान की गई है। आज की स्थिति के अनुसार 28,686 उप केन्द्रों (एस सीज़), 5,407 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सीज), 3140 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी एच सीज) और 438 जिला अस्पतालों में नया निर्माण कार्य/उन्नयन संबंधी कार्य शुरू किया गया है। पूरे देश को मूलभूत स्वास्थ्य परिचर्चा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू हुआ एन आर एन एम ग्यारवीं योजनावधि की शेष अवधि के दौरान प्रचालन में रहेगा।

विवरण

स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा

राशि यू एस मिलियन डालर में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन क्षेत्र	आई डी ए सहायता	करार की तारीख	समाप्ति की तारीख	2006-07 के दौरान अदायगी	2007-08 के दौरान अदायगी	2008-09 के दौरान अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना (सी आर न. 4227-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	360	16.10.2006	31.03.2010	–	39.995	107.55
2.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना चरण-2 (सी आर नं. 4228-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	170	16.10.2006	20.09.2011	8.763	22.382	74.43
3.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास एवं सुधार परियोजना (सी आर नं. 4299-आई एन)	कर्नाटक	141.83	16.10.2006	30.09.2011	–	26.539	38.285
4.	राष्ट्रीय एच आई वी/एड्स नियंत्रण परियोजना-2 (सी आर नं. 4299-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	250	05.07.2007	30.09.2012	–	35	28.271

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	समेकित रोग निगरानी परियोजना (सी आर सं. 3952-आई एन)	राष्ट्रव्यापी	68.00	23.09.2004	31.03.2010	2.008	4.923	5.780
6.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी आर सं. 3867-आई एन)	राजस्थान	89.00	03.06.2004	30.09.2011	12.038	17.7	12.426
7.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना (सी आर सं. 4018-आई एन)	तमिलनाडु	110.83 (119 मिलियन यू एस डी की अतिरिक्त सहायता मांगी गई-डी ई ए ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।)	05.01.2005	31.03.2010	4.378	10.909	20.185
8.	वेक्टर जनित रोग नियंत्रण एवं पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम	राष्ट्रव्यापी	521	13.02.2009	30.04.2014	–	–	5.00
9.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना (सी आर न. 2964)	राष्ट्रव्यापी	108.3	30.07.1997	31.3.2005	4.795	–	–
10.	यू पी स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (सी आर नं. 9338-आई एन)	उत्तर प्रदेश	89.52	26.07.2000	31.12.2008	8.825	9.396	9.092
11.	खाद्य एवं औषध क्षमता निर्माण परियोजना (सी आर नं. 3777 आई एन)	राष्ट्रव्यापी	54.03	29.09.2003	30.06.2008	6.097	5.156	1.851

टीकों की कमी

297. **श्री एंटो एंटोनी:**
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टीकों की भारी कमी से जुझ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में टीका उपलब्ध न होने के कारण हुई मौत की रिपोर्ट का राज्य-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टीकों की खरीद पर सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित और खर्च की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं। देश में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू आई पी) के लिए वैक्सीन की कोई कमी नहीं है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(ग) राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा प्रक्षिप्त आवश्यकताओं के अनुसार यू आई पी वैक्सीनों का प्रापण किया जा रहा है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

यू आई पी वैक्सीनों के प्रापण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आबंटित और खर्च की गई निधियां

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2006-07	215.00	165.00	138.67
2007-08	180.00	160.00	150.86
2008-09	473.00	168.35	150.28*

*अनंतिम

नोट: उपुयक्त आवंटन और व्यय में सुइयां और सिरिंजें, कोल्ड चेन उपकरण और नई वैक्सीन और प्रचालनात्मक अनुसंधान शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

एम्स में रोगियों का उपचार

298. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्यत: देश के विभिन्न भागों से आने वाले रोगियों और विशेषकर घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में समुचित उपचार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रोगियों को विभिन्न जांचें बाहर से करानी पड़ती हैं क्योंकि एम्स में कई जांच उपकरण खराब पड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्ययोजना तैयार की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

देश के विभिन्न भागों से एम्स आने वाले सभी रोगियों का अधिकतम निष्पादन क्षमता के अनुसार विभिन्न स्पेशियलिटी/सुपर स्पेशियलिटी/कैजुअल्टी में उपचार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

सभी उपलब्ध जांचें अधिकतम निष्पादन क्षमता के अनुसार एम्स में विभिन्न प्रयोगशालाओं में की जा रही है। तथापि, एम्स में आने वाले बहिरंग रोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उन्हें या तो अपेक्षित जांचों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है अथवा बाहर से ये जांचें करवानी पड़ जाती हैं।

राजसहायता और मुद्रास्फीति

299. श्री उमाशंकर सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हितधारकों के साथ खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता को युक्तिसंगत बनाने के मामले पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या मुद्रास्फीति और उसमें और ज्यादा गिरावट आने की संभावना के मुद्दे को भी ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) गरीब तबके की जरूरतों, कीमतों तथा राजसहायता के खर्च के स्तर को ध्यान में रखते हुए, 2009-10 के बजट में प्रमुख बजटीय रजासहायताओं से संबंधित कुछ घोषणाएं की गई थीं। इनमें ये शामिल हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अथवा शहरी इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति माह 3 रुपए प्रति किलो की दर पर 25 किलो चावल अथवा गेहूं मुहैया कराना होगा; पोषक तत्व आधारित उर्वरक राजसहायता प्रणाली अपनाने का इरादा तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने की एक कार्यक्षम तथा वहनीय प्रणाली पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करने का सरकार का इरादा।

[अनुवाद]

पी.एस.बी शाखाओं का बंद होना

300. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बंद की गयी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की बैंक शाखाओं का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से बैंकों की शाखाओं को बंद किए जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक-शाखाओं को खोलने/बंद करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा प्राधिकार नीति के द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान नीति के अनुसार, नीतिगत मामले के रूप में एक वाणिज्यिक बैंक-शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा को छोड़कर) पर हानि उठाने वाली शाखाओं को भी बन्द करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि इसे बन्द करने से केन्द्र बैंक सुविधारहित हो जाएगा। एक से अधिक वाणिज्यिक बैंक-शाखा वाले केन्द्र पर किसी ग्रामीण शाखा को बन्द करने का प्रस्ताव बैंकों द्वारा जिला परामर्शी समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, अकेली ग्रामीण शाखा को केन्द्र/ग्राम से बाहर स्थानान्तरित करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसे स्थानान्तरण से केन्द्र बैंक सूविधा-रहित हो जाएगा। तथापि, अपवादात्मक/अप्रत्याशित परिस्थितियों (प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था आदि) में, यदि बैंक किसी अकेली ग्रामीण शाखा को केन्द्र से बाहर स्थानान्तरित करने के लिए मजबूर होता है, जिला परामर्शी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए और इसका प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचारार्थ वार्षिक योजना में शामिल किया जाना चाहिए। अकेली ग्रामीण शाखाओं के विलय के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है अत: ग्रामीण शाखाओं को बन्द करने/स्थानान्तरित करने/विलयित करने संबंधी वर्तमान शाखा प्राधिकार नीति प्रतिबंधात्मक है।

देश में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों के दौरान बन्द/विलयित/परिवर्तित हुई शाखाओं की राज्य-वार एवं बैंक-वार संख्या क्रमश: विवरण I तथा II में दी गई है।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्र समूह के बन्द/विलयित/परिवर्तित कार्यालयों की राज्य-वार जनसंख्या समूह-वार संख्या

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बन्द की गई शाखाओं की संख्या

बैंक का नाम/जनसंख्या समूह	1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007					1 अप्रैल 2007 से 31मार्च 2008					1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009					1अप्रैल 2009 से 30 सितम्बर 2009				
	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
आंध्र प्रदेश	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0	–	–	1	1	2	–	–	–	2	2
असम	–	–	–	–	0	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	0
बिहार	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0
चंडीगढ़	–	–	4	–	4	–	–	–	–	0	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0
दिल्ली	–	–	–	–	0	–	–	–	4	4	–	–	–	5	5	–	–	–	–	0
गोवा	–	1	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
गुजरात	2	–	–	7	9	–	–	–	4	4	–	–	–	2	2	–	–	–	–	0
हरियाणा	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0
झारखंड	–	–	–	–	0	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
कर्नाटक	1	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0
केरल	–	1	2	–	3	–	1	2	–	3	–	–	2	–	2	–	–	–	–	0
मध्य प्रदेश	1	–	–	1	2	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
महाराष्ट्र	1	1	1	18	21	2	2	–	6	10	–	–	–	3	3	–	–	–	1	1
मणिपुर	–	–	–	–	0	1	–	–	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
मेघालय	–	–	–	–	0	1	–	–	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
मिजोरम	–	–	–	–	0	5	–	–	–	5	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
नागालैंड	1	–	–	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
उड़ीसा	1	–	–	–	1	–	–	–	–	0	–	1	1	–	2	–	–	–	–	0
पंजाब	–	–	–	1	1	–	1	–	2	3	–	1	1	–	2	–	–	1	–	1
राजस्थान	–	–	1	1	2	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
तमिलनाडु	–	–	3	6	9	2	–	–	5	7	–	–	2	1	3	–	1	2	–	3
उत्तर प्रदेश	–	1	4	4	9	1	1	–	2	4	2	–	4	2	8	–	–	1	2	3
उत्तराखंड	1	1	–	–	2	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
पश्चिम बंगाल	–	–	1	3	4	–	–	1	7	8	–	–	1	2	3	–	–	–	1	1
सकल योग	8	5	17	42	72	14	6	4	30	54	3	2	15	17	37	–	1	4	6	11

टिप्पणी।. '–' शून्य को दर्शाता है।

2. तारीख से प्रशासनिक कार्यालय शामिल है।

2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या समूह वर्गीकरण

2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या समूह वर्गीकरण। जनसंख्या समूह ग्रामीण 10,000 से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल है। जनसंख्या समूह अर्ध शहरी में 10,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल है। जनसंख्या समूह शहरी में 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल है। और जनसंख्या समूह महानगरीय में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले केंद्र शामिल है।

स्रोत: बैंकों, डीएसआईएम, भा.रि.बैंक पर मास्टर कार्यालय फाईल (नीचतनम अद्यतन रूप)

विवरण II

सरकारी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्र समूह के बंद/विलयित/परिवर्तित हुए कार्यालयों की बैंक-वार तथा जनसंख्या समूह-वार संख्यां

विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बन्द की गई शाखाओं की संख्या

बैंक का नाम/जनसंख्या समूह	1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007					1 अप्रैल 2007 से 31मार्च 2008					1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009					1अप्रैल 2009 से 30 सितम्बर 2009				
	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
इलाहाबाद बैंक	–	–	–	3	3	–	–	–	–	0	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0
बैंक ऑफ बड़ौदा	2	2	5	15	24	1	1	–	4	6	2	–	3	4	9	–	–	1	3	4
बैंक ऑफ इंडिया	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
केनरा बैंक	–	1	7	3	11	–	–	–	–	0	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	–	–	–	1	1	–	–	–	4	4	–	–	–	2	2	–	–	–	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
फेडरल बैंक लिमिटेड	–	–	–	–	0	3	2	–	2	7	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
आईसीआईसीआई बैंक लि.	–	–	–	–	0	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
इंडियन बैंक	–	–	1	3	4	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
इंडियन ओवरसिज बैंक	–	–	–	–	0	1	1	1	10	13	–	–	3	4	7	–	–	–	–	0
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	1	1
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	1	2	1	4
नैनीताल बैंक लि.	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
ओरिअंटल बैंक ऑफ कामर्स	–	2	1	1	4	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
पंजाब नेशनल बैंक	2	–	–	6	8	–	–	–	–	0	–	1	7	1	9	–	–	–	–	0
साउथ इंडियन बैंक लि.	–	–	–	–	0	–	1	1	–	2	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
भारतीय स्टेट बैंक	2	–	–	–	2	8	–	1	–	9	–	–	1	–	1	–	–	–	–	0
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1	–	–	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	–	–	–	–	0	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
सिंडीकेन्ट बैंक	–	–	–	1	1	–	–	–	3	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	–	–	–	–	0	1	–	–	–	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
यूको बैंक	–	–	–	2	2	–	–	–	–	0	–	1	1	–	2	–	–	–	–	0
युनियन बैंक ऑफ इंडिया	1	–	–	4	5	–	1	1	2	4	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
यूनाटेड बैंक ऑफ इंडिया	–	–	–	–	0	–	–	–	3	3	1	–	–	3	4	–	–	–	1	1
विजया बैंक	–	–	–	1	1	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0
सकल कुल	8	5	17	42	72	14	6	4	30	54	3	2	15	17	37	–	1	4	6	11

टिप्पणी:1. '-' शून्य को दर्शाता है।

2. तारीख में प्रशासनिक कार्यालय शामिल है।

2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या समूह वर्गीकरण

2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या समूह वर्गीकरण। जनसंख्या समूह ग्रामीण में 10,000 से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल है। जनसंख्या समूह अर्द्ध शहरी में 10,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल है। जनसंख्या समूह शहरी में 1 लाख से अधिक एवं 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल है और जनसंख्या समूह महानगरीय में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्र शामिल है।

स्रोत: बैंकों, डीएसआईएम, भा.रि.बैंक एवं मास्टर कार्यालय फाईल (नवीनतम अद्यतन रूप)

आयकर की ब्लॉक कर निर्धारण रिपोर्टें

301. डॉ. बलीराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने केतन पारेख शेयर घोटाला कंपनियों हेतु आयकर की ब्लॉक कर निर्धारण रिपोर्टों की मांग की है;

(ख) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में आयकर प्राधिकरण ने ब्लॉक कर निर्धारण रिपोर्टों की मांग की है; और

(ग) उनके परिणाम क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन हेतु राष्ट्रीय परिषद्

302. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन हेतु राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना के मुद्दे पर चर्चा के लिए गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) इस प्रकार की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) कार्य दल ने अन्य बातों के साथ चिकित्सीय और पराचिकित्सीय क्षेत्र में व्यापक विनियामक निकाय के गठन संबंधी सिफारिशें की हैं ताकि विनियामक फ्रेमवर्क में अपेक्षित सुधार लाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्ष मानव संसाधनों की आपूर्ति में बढ़ोतरी संबंधी लक्ष्य हासिल किया जा सके।

(ग) कार्य दल की सिफारिशों के संबंध में राज्य सरकारों और अन्य पणधारियों से अभ्युक्तियां और सुझाव मंगाए गए हैं।

राज्यों को विद्युत का आवंटन

303. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आबंटन में उन राज्यों को अतिरिक्त विद्युत दी जा रही है जहां विद्युत संयंत्र स्थापित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से राय में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के विद्युत संयंत्र के आबंटित हिस्से से अतिरिक्त विद्युत आबंटित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) जी हां। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, जहां पर विद्युत परियोजना स्थापित है उन राज्यों/संघ-शासित राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएसएम) से जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में 12% मुफ्त विद्युत तथा थर्मल पावर परियोजनाओं के मामले में 10% (मुफ्त नहीं) विद्युत आबंटन किया जाता है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, चरण-II (4x500 मे. वा.) से विद्युत के अधिक आबंटन के लिए अनुरोध किया है। उड़ीसा राज्य को ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि. (ग्रिडको) के तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन से विद्युत का आबंटन नहीं किया गया। क्योंकि ग्रिड कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि. (ग्रिडको) ने उच्चतम विद्युत की लागत सीमा पर तथ परियोजना के चालू किए जाने हेतु सुनिश्चित प्रतिबद्धता के अभाव में, परियोजना से विद्युत की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। इसके बावजूद उड़ीसा राज्य को तदंतर उपर्युक्त 10% (200 में. वा.) गृह राज्य हिस्सा आबंटित किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी समिति

304. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:**
श्री रमेश राठौड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय क्षेत्र संबंधी श्री रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समन्वयन समिति की सिफारिशों में प्रत्येक सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की स्थिति सहित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समिति की कुछ सिफारिशों पर सहमति नहीं हो पायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी अथवा की जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) श्री रघुराम राजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति ने सूक्ष्म आर्थिक ढांचे और वित्तीय क्षेत्र विकास, वित्त तक पहुंच का विस्तार और अधिक कुशल वित्तीय बाजारों को निर्माण, विकास अनुकूल विनियामक वातावरण बनाने और ऋण के लिए एक मजबूत संरचना पर व्यापक सिफारिशें की हैं। कुछ प्रस्तावों, जैसे कि बैंकों का सुदृढ़ीकरण और विलयन, घरेलू वित्तीय बाजार में विदेशी निवेशकों की अधिक सहभागिता और एकल

विनियामक के अंतर्गत व्यापार का विनियमन करना आदि पर चर्चा और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। तथापि, अन्य प्रस्तावों पर पहले की कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें बैंकों को कहीं भी एटीएम स्थापित करने की स्वतंत्रता, बैंकिंग सम्पर्की मॉडल का उदारीकरण, एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाना आदि शामिल है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज दरों का उदारीकरण, शाखा लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण तथा गरीबों को उच्च ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र में व्यापार करने का परीक्षण करने के लिए कार्य-समूहों का गठन किया है।

मधुमेह के रोगी

305. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मधुमेह परिसंध (आई.डी. एफ.) की रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह उद्घाटित किया गया है कि वर्ष 2010 तक भारत में मधुमेह के रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस प्रकार के रोगियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में इस बीमारी के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार क्या उपचारी उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है और इस मद में कितनी सहायता मुहैया करायी गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह परिसंघ (आईडीएफ) के अनुसार गत 20 वर्षों से मधुमेह के रोगियों की संख्या विश्व भर में 30 मिलीयन से बढ़कर 230 मिलीयन हो गई है, जिसमें चीन और भारत लीग में शिखर पर हैं।

(ग) मधुमेह की व्याप्तता में वृद्धि विभिन्न कारणों से है जिनमें जन्म के समय कम भार का होना जो विकास होने पर बढ़ जाता है, अस्वास्थ्यकर आहार, मोटापा और सुस्त जीवन-शैली, बुढ़ापा, नैदानिक सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता, पर्यावरणीय अपक्षीणन एवं अंत: स्त्रावी प्रणाली इत्यादि पर उसका प्रभाव आदि शामिल हैं। महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययनों से प्राप्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जातिगत समूह के रूप में भारतीयों में मधुमेह के होने का बहुत अधिक खतरा है। तीव्र शहरीकरण के साथ होने वाला तीव्र आर्थिक विकास, मधुमेह की महामारी में वृद्धि का एक कारण हो सकता है। शहरीकरण का अस्वास्थ्यकर पोषण एवं शारीरिक निष्क्रियता, जिस कारण मोटापा आता है और चिरकालिका रोगों यथा मधुमेह की व्याप्तता में वृद्धि से संबंध पाया गया है।

(घ) मधुमेह के रोगियों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, उच्चतर तृतीय स्तर के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है।

भारत सरकार ने मधुमेह, कार्डियो-वास्कुलर के रोगों एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की 10 राज्यों के 10 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरूआत की है, जो अन्य बातों के साथ इस रोग की समय पूर्व जांच को सुकर बनाने के लिए अन्वेषण करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनपीडीसीएस के लिए 1660.50 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है जो अन्तत: समूचे भारत को शामिल करेगा।

हडको द्वारा किफायती और सस्ते आवास

306. **श्री एम.आई. शानवास:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यावरण अनुकूल और किफायती भवन निर्माण सामग्री उद्योगों के वित्तपोषण और सहयोग देने और इसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में इसके अनुप्रयोग को बढ़ावा देने में आवास और शहरी विकास निगम लि. (हडको) की भूमिका की प्रभावशाली का ब्यौरा क्या है; और

(ख) किफायती और सस्ते आवास विकसित करने में हडको की वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जैसा कि आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) ने सूचित किया है कि अब तक उसने 2901.52 लाख रु. की कुल ऋण सहायता के लिए 30 भवन निर्माण सामग्री स्कीमों को मंजूरी दी है तथा 57.19 लाख रु. की धनराशि हेतु 6 भवन निर्माण सामग्री स्कीमों में इक्विटी के जरिए भागीदारी की।

(ख) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत प्राप्त परियोजनाओं के लिए हडको एक मूल्यांकन एजेंसी है, जो शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं

उप-मिशन (बीएसयूपी) के अंतर्गत 65 विनिर्दिष्ट शहरों में तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत अन्य शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों के लिए आवास तथा बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करता है। स्लमवासियों/शहरी गरीबों/आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणियों हेतु किफायती लागतों पर आवास, इन स्कीमों के अंतर्गत स्वीकार्य घटकों में से एक हैं।

बीएसयूपी के अंतर्गत, हडको ने अब तक 6.09 लाख आवासों के लिए 8352.66 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहयता से, 16761.59 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से 293 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। आईएचएसडीपी के अंतर्गत, हडको ने अब तक 9.42 लाख आवासों के लिए 5412.82 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता से 8101.57 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत से 806 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है।

हडको, बीएसयूपी कार्यक्रम के अंतर्गत, कमजोर वर्ग आवासों के लिए पटना तथा बोध गया में 58 स्थलों पर 1450 आवासों की व्यवस्था के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। लगभग 39 व.मी. के क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाइयों का निर्माण 2.50 से 2.80 लाख रु. की लागत से नवीन और किफायती डिजाइन सोल्यूशन और भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध कराकर किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत मकान के भीतर तथा इसके आस-पास साभी बुनियादी सेवाएं जिनमें समुचित सड़कें, लैंडस्केपिंग, सफाई व्यवस्था तथा जलापूर्ति के साथ-साथ अन्य सामाजिक अवस्थापना शामिल हैं की भी परिकल्पना की जा रही है।

मेडिकल कालेजों में आधुनिक सुविधाएं

307. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों की आधारभूत अवसंरचना के लिए क्या मानदण्ड तय किए गए हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश कालेजों और अस्पतालों की अवसंरचना की स्थिति खराब है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकर का प्रस्ताव देश में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में आधुनिक उपचार सुविधाओं से युक्त बेहतर शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों के लिए निर्धारित और उन्हें जारी की गयी निधियों तथा इस प्रयोजनार्थ तय की गयी समय-सीमा और लक्ष्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) प्रत्येक मेडिकल कॉलेज/संस्थाओं एवं इसके संबद्ध अध्यापन अस्पताल के लिए प्रतिवर्ष 50/100/150 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता विनियम 1999 के अनुसार सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है।

प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एम्स जैसे 6 (छह) संस्थान बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में एक-एक संस्थान, की स्थापना करने तथा 13 (तेरह) मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन को क्रमश: 332 करोड़ रुपये प्रति संस्थान तथा 120/- करोड़ रुपए प्रति कॉलेज की लागत से करने का प्रस्ताव किया है। एम्स जैसे छह संस्थानों का निर्माण फरवरी, 2010 तक शुरू किए जाने की आशा है और तेरह मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन दिसम्बर, 2009 तक पूरा हो जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य		संस्था का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	(i)	निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद
		(ii)	श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरुपति
2.	गुजरात	(i)	बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद
3.	जम्मू और कश्मीर	(i)	*गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू
		(ii)	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर
4.	झारखंड	(i)	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची
5.	कर्नाटक	(i)	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, बंगलौर
6.	केरल	(i)	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम
7.	महाराष्ट्र	(i)	ग्रान्ट्स मेडिकल कॉलेज, मुम्बई
8.	तमिलनाडु	(i)	गवर्नमेंट मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज, सलेम
9.	उत्तर प्रदेश	(i)	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
		(ii)	आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
10.	पश्चिम बंगाल	(i)	कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता

ए.आर.टी. क्लीनिक्स

308. श्री वरुण गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग न असिस्टेड रिप्रोडेक्टिव टेक्नॉलॉजी (ए.आर.टी.) क्लीनिकों को विनियमित करने तथा किराए पर कोख से जुड़े पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परोपकार की भावनावश किराए पर कोख देने की व्यवस्था को कानून सम्मत बनाने और इसके व्यवसायिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विधि आयोग ने इस मामले में स्वप्रेरणा से अध्ययन कराया है और अपनी 228वीं प्रतिवेदन संख्या "असिस्टेड रिप्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी क्लीनिक्स और किराए पर कोख से जुड़े पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों के विनियमन संबंधी विधान की जरूरत" में सिफारिश की है।

(ख) यह प्रतिवेदन भारतीय विधि आयोग की अधिकृत वेबसाइट अर्थात् http://lawcommissionofindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में असिस्टेड रिप्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी विधेयक और नियम, 2009 का प्रारूप तैयार किया है जिसमें किराए की कोख का मसला भी शामिल है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

309. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का विचार वर्ष 2009-10 के दौरान बॉन्डों तथा ऋण के माध्यम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धनराशि जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था के दुष्प्रभावों का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान रूरल इलेक्ट्रिफीकेशन कारपोरेशन लि. 500 मिलियन यूएस डॉलर फंड जुटाने के लिए (विदेशी वाणिज्यिक ऋण) भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन फंड की उगाही करते समय तत्कालीन मार्केट की स्थितियों की शर्तों पर फंड जुटाता रहेगा।

(ग) और (घ) वर्तमान में कोई प्रतिकूल प्रभाव का अनुमान नहीं है।

[अनुवाद]

बच्चों का यौन शोषण

310. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में स्कूलों में बच्चों के विरूद्ध हिंसा तथा उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने बाल-मनोचिकित्सक द्वारा बच्चों के लिए 24 घंटे की ऑन लाइन परामर्श सेवा आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

निर्धन छात्रों को ऋण

311. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्धन छात्रों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना से आगामी वर्षों में कितने छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) निर्धन छात्रों को आसान ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में किसी भी अनुमोदित पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण पर रोक की अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सहयता-अनुदान के लिए एक योजना शुरू की गयी है।

(ग) पूरे देश में छात्रों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक ऑन-लाइन प्रणाली स्थापित करने, उम्र/परिचालन क्षेत्र के आधार पर ऋण आवेदन-पत्रों को अस्वीकार नहीं करने/अन्य बैंक/शाखाओं को न भेजने की सलाह दी गयी है। इसके अलावा, वित्त मंत्री द्वारा बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ तिमाही बैंठकों में, शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

मेगा ताप विद्युत संयंत्र

312. **श्री एन. चेलुवराया स्वामी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मेगा ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण स्वामित्व तथा उन्हें चलाने हेतु विदेशी कंपनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में देश के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या रक्षोपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार, थर्मल उत्पादन का लाइसेंस समाप्त कर दिया है और थर्मल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति की आवश्यकता नहीं है जिसमें निजी क्षेत्र के थर्मल विद्युत संयंत्र भी शामिल है। इसके अलावा, विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं, पारेषण और वितरण (सिवाय परमाणु ऊर्जा के) की परियोजनाओं के लिए अपने स्तर पर भी 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ग) देश के हितों की रक्षा के लिए ताप विद्युत संयंत्रों के विकासकर्ताओं को, संबंधित प्राधिकरण से, संवैधानिक स्वीकृतियां जहां भी लागू हो, प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, इसमें पर्यावरण एवं वन स्वीकृति और अन्य स्वीकृतियां जैसे नागर विमानन और रक्षा स्वीकृति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, विद्युत परियोजनाओं के प्रशुल्क का निर्धारण करने के लिए राज्य/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग गठित किए गए हैं।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश हेतु विशेष उपबंध

313. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से चिकित्सा परिषद नियमों में विशेष उपबंध बनाने का अनुरोध किया है क्योंकि केरल में अनुसूचित जनजातियों के कम छात्रों को ही सामान्य रीति से प्रवेश मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि एक सिविल रिट याचिका सं. 393/2008-विनीत के एवं अन्य-भी माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है जिसमें अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 40% अंको के मानदंडों को चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय ने कमी पर ध्यान देते हुए भारत संघ एंव आठ अन्य राज्यों अर्थात् झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को नोटिस जारी किए हैं। यह मामला न्यायाधीन है।

आवास क्षेत्र में एशियाई विकास बैंक/विश्व बैंक की भूमिका

314. **श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **आवास और शहरी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास क्षेत्र में विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक की भूमिका का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में उनके द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उनकी सहायता से आरंभ की गई आवासीय परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) वर्तमान में ऐसी कोई परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है। जिसमें विश्व बैंक ऋण/उधार स्वीकृति/सहमति हुई हो। तथापि, वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं सुदृढ़ीकरण (एफआईआरएसटी) पहल से 400,000 अमेरिकी डालर (लगभग 1.84 करोड़ रु.) की धनराशि अल्प आय आवासीय वित्त पर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को एक नान-लेंडिंग टेक्निकल सहायता (एनएलटीए) है जो कि जून, 2006 से कार्यान्वयन के तहत है। एनएलटीए के तहत दो पॉयलट योजनाएं-एक अहमदाबाद में 500 आवासों की तथा दूसरी मुम्बई में 330 आवासों की योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) पहल के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सर्वाइकल कैंसर

315. श्रीमती जे. शान्ता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बीमारी की रोकथाम के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने अवसंरचना की न्यूनतम आवश्यकता के साथ इस बीमारी की पुष्टि हेतु त्वरित एवं सटीक जांच परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। भारतीय रजिस्ट्री कार्यक्रम परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाइकल कैंसर के रोगियों की अनुमानित संख्या हर वर्ष लगभग एक लाख है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने एक व्यापक कैंसर नियंत्रण कार्यनीति अर्थात् राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें जागरूकता, रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और उपचार पर जोर दिया गया है। केन्द्र सरकार उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में रेडियोथिरेपी यूनिट स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाती है। देश में व्यापक कैंसर परिचर्चा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र हैं। तथापि, इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलाजी एवं प्रिवेंटिव आंकोलोजी ने क्षेत्रीय स्थितियों के अधीन फास्ट हयूमन पैपिलोमा वायरस नैदानिक जांच की उपयोगिता की जांच करने के लिए पैथ-यू एस ए के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की है।

[हिन्दी]

निदेशक मंडल की नियुक्ति

316. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बैंक निदेशकों की नियुक्ति हेतु कोई मादंड निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन के अनुसार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन के लिए दिशानिर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, इत्यादि के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) के नामांकन के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाए जाएं:

(I) सामान्य

1. संगत अधिनियमों/नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किया जाएगा।

2. औपचारिक शैक्षणिक योग्यता एवं विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा, इत्यादि के संदर्भ मे नामित व्यक्तियों की उपयुक्ततता का आकलन किया जाए। सत्यनिष्ठा एवं उपयुक्तता के आकलन के लिए आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी सूचना, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक ऋणों की वसूली के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश के लिए अस्वीकृति अथवा उससे निष्कासन, विनियामाकों एवं उनके सदृश्य निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एवं पिछला कारोबारी कार्यनिष्पादन जिन पर प्रश्न चिन्ह लगे हों, इत्यादि पर ध्यान रखना होगा।

3. विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, विधि, विपणन, उद्योग एवं सूचना तकनीकी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर सामान्यत: विचार किया जाएगा।

4. जहां तक संभव हो महिलाओं एवं अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से संबंधित लोगों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।

(II) शैक्षणिक योग्यता

1. गैर-सरकारी निदेशक कम से कम स्नातक होना चाहिए। किसानों, जमाकर्ताओं एवं कारीगरों के मामले में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान की जाए।

(III) आयु सीमा

1. निदेशक की आयु नियुक्ति बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश की तिथि से 40 वर्ष से कम नहीं हो तथा अधिकतम 60 वर्ष से कम हो। उत्कृष्ट विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जा सकती है।

(IV) कार्य अनुभव

1. व्यवसायियों, विद्याविदों के पास विशेष क्षेत्र में साधारणतया 10 वर्षों का कार्य अनुभव हो।

(V) अनर्हता

1. किसी बैंक/वित्तीय संस्था में किसी भी संवर्ग में पहले से ही कार्यरत निदेशक पर किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

2. किराया खरीद, वित्तीय मामले, निवेश, पट्टेदारी एवं अन्य सह...बैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्ति, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य एवं शेयर दलाल बैंक/वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएगें।

3. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बैंक/वित्तीय संस्था में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनर्नामित नहीं हो सकता जिसमें उन्होंने किसी भी संवर्ग में पिछले दो कार्यकाल अथवा छ: वर्षों, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।

4. किसी बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामिती के लिए किसी ऐसे गैर-सरकारी निदेशक पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह निदेशक किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में छ: वर्षों के लिए लगातार अथवा समयान्तराल पर गैर-सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक के रूप में रहा हो।

(VI) व्यावसायिक प्रतिबंध

1. गैर-सरकारी निदेशक उस बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक के पद से इस्तीफा देने के बाद दो वर्ष के लिए बैंक/वित्तीय संस्था को कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करेगा/उसे आबंटित नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के पद पर अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा निदेशक सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य (सांविधिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, कानूनी प्रतिधारणीयता या वकील के रूप में सूचीबद्ध होना, आदि) नही करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के मामले में ऐसे नियंत्रण सहायक बैंकों पर भी लागू होंगे। तथापि, किसी अन्य बैंक/बीमा कंपनी के मामले में, फर्म को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते गैर-सरकारी निदेशक फर्म के व्यवसाय के उस भाग, जिसमें हितों का विरोध हो सकता है, से निपटने से बचता है।

3. यदि सहकारी बैंक सहित बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति किसी बैंक के बोर्ड में नामित किए जाने के लिए चुन लिया जाता है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले बैंक के साथ अपना संबंध तोड़ लेना होगा।

4. पेशेवर विशेषज्ञों को सरकारी क्षेत्र के उस बैंक के बोर्ड में नामित नहीं किया जाएगा, जिसके साथ उनका ऐसे नामांकन से पहले पिछले 3 वर्ष के दौरान व्यावसायिक संबंध रहा हो।

(VII) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि देश के सभी 6 अंचलों-उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर-का सरकारी क्षेत्र बैंक बोर्डों में एक साथ प्रतिनिधित्व हो।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

317. श्री के.सी.वेणुगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सहित देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्य-वार कितनी शाखाएं खोली गई तथा शाखाएं खोलने के कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): नई बैंक शाखाएं खोलना, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 23 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वर्तमान शाखा प्राधिकार नीति के अंतर्गत, बैंकों शाखाएं आदि खोलने के लिए अपनी शाखा विस्तार योजनाओं को उनकी मध्यावधि कारपोरेट रणनीति के अनुसार वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन प्रस्तावों के आरबीआई में प्राप्त होते ही, इन पर विचार किया जाता है तथा वर्तमान शाखा प्राधिकार नीति को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। चूंकि, यह एक सतत् प्रक्रिया है, अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों से बैंक शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त कोई भी प्रास्ताव आरबीआई में लंबित नहीं है।

आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में केरल सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खोले गए कार्यालयों की संख्या के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की राज्य वार संख्या

विशिष्ट अवधि के दौरान

राज्य का नाम	1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007	1 अप्रैल, 2007 से 31मार्च 2008	1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च 2009	1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर 2009
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	–	–	–
आंध्र प्रदेश	153	287	203	115
अरुणाचल प्रदेश	2	1	2	1
असम	17	37	42	18
बिहार	42	72	89	49
चंडीगढ़	13	25	12	3
छत्तीसगढ़	25	57	52	27
दादरा और नगर हवेली	2	–	–	1
दमन-दीव	–	–	–	2
दिल्ली	94	100	105	30
गोवा	9	24	12	3

1	2	3	4	5
गुजरात	95	183	134	62
हरियाणा	77	104	94	62
हिमाचल प्रदेश	23	31	40	8
जम्मू और कश्मीर	13	12	6	7
झारखंड	26	70	58	34
कर्नाटक	115	184	175	64
केरल	88	114	90	54
लक्षद्वीप	–	–	1	–
मध्य प्रदेश	52	148	164	57
महाराष्ट्र	124	225	311	128
मणिपुर	1	–	3	–
मेघालय	2	3	7	1
मिजोरम	4	3	2	–
नागालैंड	2	2	3	1
उड़ीसा	68	95	84	31
पुडुचेरी	9	8	5	2
पंजाब	104	134	109	94
राजस्थान	87	127	94	53
सिक्किम	3	7	–	1
तमिलनाडु	186	221	249	93
त्रिपुरा	3	8	3	1
उत्तर प्रदेश	219	398	290	144
उत्तराखंड	21	68	36	19
पश्चिमी बंगाल	78	147	102	27
कुल	1760	2895	2577	1192

टिप्पणी: 1 '-' का अभिप्राय शून्य है।

2. दिनांक में प्रशसनिक कार्यालय शामिल है।

3. सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एस बी आई, तथा इसके सहयोगी, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा आईडीबीआई बैंक आदि शामिल है।

स्रोत: बैंकों, डी एस आई एम, आर बी आई की मुख्य कार्यालय फाइल (नवीनतम अद्यतन रूप)

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

318. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाह्य रोगियों तथा अंत: रोगियों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में अब भी इन सुविधाओं का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा अनुबंध के आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकारों को धनराशि का आबंटन करने के लिए सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ङ) यदि हां। तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कार्यशील बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के दूसरे आम समीक्षा मिशन के अनुसार सांस्थानिक प्रसवों और नैदानिक, रेफरल परिवहन इत्यादि जैसी सहायक सेवाओं के अधिकाधिक उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण-III (डीएलएचएस-III) ने सांस्थानिक प्रसवों संबंधी आंकड़ों में वर्ष 2002-04 के दौरान 40.9% से वर्ष 2007-08 के दौरान 47% तक पर्याप्त बढ़ोतरी दर्शाई है। एसआरएस न एमएमआर में पर्याप्त गिरावट दर्शाई है जो वर्ष 2001-03 की अवधि के दौरान 301 प्रति लाख जीवित जन्मों से घटकर वर्ष 2004-06 की अवधि के दौरान 254 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है। इन स्वतंत्र सर्वेक्षणों ने एनआरएचएम के समीक्षा मिशन के निष्कर्षों की पुष्टि की है।

(ग) जी, हां। देश के दूरस्थ तथा अगम्य क्षेत्रों में उच्च कोटि की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की अपेक्षाकृत कमी है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अपेक्षाकृत कमजोर स्वास्थ्य संकेतकों तथा स्वास्थ्य अवसंरचना वाले राज्यों को उच्च फोकस राज्यों के रूप में अभिज्ञात किया है। इन उच्च फोकस राज्यों को एनआरएचएम के अंतर्गत ज्यादा निधियां आबंटित की गई हैं।

(च) राज्यों ने दूरस्थ तथा अलग-अलग क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न कदमों की पहल की है। इन कदमों में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण संबंधी पहलें अर्थात् रोगी वार्ड, प्रसूति कक्ष, प्रयोगशालाएं और सेवा प्रदायकों इत्यादि के लिए आवासीय क्षेत्र, मानव संसाधन का संवर्द्धन करना अर्थात् मुख्य मानव संसाधन की संविदा पर भर्ती करना, सर्विस डॉक्टरों में बहुदक्षता, आयुष को मुख्य धारा में लाना, प्रशिक्षण क्षमताओं इत्यादि का विस्तार करना, प्रबंधन में सुधार करना शामिल है जिसमें संभातंत्र, आयोजन प्रक्रिया, लेखाकरण, मानीटरन और सामुदायिक स्वामित्व इत्यादि निहित है।

[अनुवाद]

मितव्ययिता अभियान

319. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई मितव्ययिता अभियान चलाया है और अपने व्यय को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अब तक कितनी राशि बचाई गई है;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय सहित सरकारी विभाग स्टेशनरी और सामान्य उपयोग की सामग्री ऊंचे दर पर, यहां तक कि अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) से भी अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है, जिससे बचा जा सकता है;

(ङ) क्या सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(च) क्या स्टेशनरी और सामान्य उपयोग की सामग्रियां केन्द्रीय भंडार में बाजार मूल्य से सस्ती दर पर उपलब्ध हैं और यदि हां, तो सरकारी व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए सरकारी विभागों को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के प्रापण केन्द्रीय भंडार से करने के संबंध में निदेश दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय में सभी मंत्रालयों/विभागों को वर्ष

2009-10 के लिए घरेलू तथा विदेशी यात्रा खर्चों, प्रकाशनों, व्यावसायिक सेवाओं, विज्ञापन एवं प्रचार, कार्यालयी व्ययों, पी.ओ. एल. (सुरक्षा संबंधी जरूरतों के अलावा) तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों पर होने वाले गैर-योजना व्यय में 10 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती करने की सलाह दी है। शेष गैर योजना व्यय का 5 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य कटौती के अधीन होगा। अभी तक की गई बचतों से संबंधित सूचना मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के पास उपलब्ध होगी।

(घ) से (च) मंत्रालयों/विभागों को विविध एवं आकस्मिक व्यय करने का पूरा अधिकार है तथा इन खरीदों से संबंधित डाटा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखा जाता है। चूंकि प्रापण व्यक्तिगत मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है, अत: उससे संबंधित शिकायतें भी उनके द्वारा ही निपटाई जाएंगी।

कार्यालयी उपभोग के लिए जरूरी मदों की खरीद कोटेशन लिए बगैर ही सीधे केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. से करने की अनुमति देने या प्रापण के मूल्य के आधार पर मदों की खरीद में केन्द्रीय भंडार/एन.सी.सी.एफ. को प्राथमिकता दिए जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों को आदेश जारी किए हैं।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

320. श्री तथागत सत्पथी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी बैंक शाखाओं को कंप्यूटरीकृत बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) शेष बैंक शाखाओं को कब तक कंप्यूटरीकृत बनाया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) उड़ीसा में स्थित बैंकों सहित देश में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की सभी शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर के आलोक में ये प्रश्न नहीं उठते।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बसों की खरीद

321. श्री रमेश राठौड़:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों को अपने-अपने शहरों के लिए बसें खरीदने हेतु धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ आबंटित तथा जारी की गई धनराशि का राज्य-वार तथा शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जारी की गई धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा उचित रूप से उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उपयोग का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 के दौरान बसों की खरीद के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान बसों की खरीद हेतु आबंटित जारी धनराशियों का राज्य-वार एवं शहर-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित राज्यों ने अभी बसों की खरीद हेतु जारी पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया हैं:-

(1) अरुणाचल प्रदेश

(2) बिहार

(3) दिल्ली

(4) हरियाणा

(5) जम्मू और कश्मीर

(6) मेघालय

(7) नागालैंड

(8) सिक्किम एवं

(9) त्रिपुरा

विवरण

(रुपए करोड़)

क्र.सं.	राज्य	शहर	स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता	जारी धनराशि 2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	99.40	49.70	
		तिरुपति	8.80	4.40	
		विजयवाड़ा	32.80	18.02	
		विशाखापट्टनम	35.50	18.76	
2.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	3.74	1.96	
3.	असम	गुवाहाटी	47.29	7.11	
4.	बिहार	बोधागया	5.40	2.70	
		पटना	19.95	9.97	
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	11.88	5.94	
6.	दिल्ली	दिल्ली	267.75	115.52	
7.	गोवा	पणजी	6.16	3.08	
8.	गुजरात	अहमदाबाद	88.20	39.08	
9.	हरियाणा	फरीदाबाद	27.30	13.65	
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	6.08	3.04	
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	11.88	–	2.97
	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	11.88	–	2.97
12.	झारखंड	धनबाद	7.15	3.58	
		जमशेदपुर	2.75	1.38	
		रांची	14.00	7.00	
13.	कर्नाटक	बंगलौर	119.50	56.81	
		मैसूर	39.54	15.31	
14.	केरल	कोचि	35.50	17.75	
		त्रिवेन्द्रम	42.72	21.36	
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल	44.38	22.19	
		इंदौर	29.88	14.94	
		जबलपुर	15.50	7.75	
		उज्जैन	11.36	5.68	

1	2	3	4	5	6
16.	महाराष्ट्र	एमएमआर-बेस्ट	99.40	49.70	
		एमएमआर-नवी मुम्बई	14.18	7.34	
		एमएमआर-थाना	16.73	9.94	
		एमएमआर-मिरभयंदर	3.85	0.96	
		एमएमआर-कलन दोम्बिविलि	3.15	0.79	
		नागपुर	31.80	15.90	
		नंदेड	6.08	3.04	
		पीएमपीएमएल-पुणे	116.71	40.50	
		पीएमपीएमएल-पीसीएमएल		16.25	
		नासिक	7.70	–	1.93
17.	मणिपुर	इम्फाल	6.08	3.04	
18.	मेघालय	शिलांग	14.76	–	3.69
19.	मिजोरम	आईजोल	2.93	1.46	
20.	नागालैंड	कोहिमा	2.70	–	0.68
21.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	13.20	6.60	
		पुरी	2.64	1.32	
22.	पंजाब	अमृतसर	16.65	8.33	
		लुधियाना	32.60	16.30	
23.	राजस्थान	अजमेर	6.16	2.98	
		जयपुर	71.41	35.70	
24.	सिक्किम	गंगटोक	2.70	–	0.68
25.	तमिलनाडु	चेन्नई	103.57	51.79	
		कोयंबटूर	44.39	22.19	
		मदुरै	44.59	22.19	

1	2	3	4	5	6
26.	त्रिपुरा	अगरतला	14.65	7.65	
27.	उत्तर प्रदेश	आगरा	24.37	20.97	
		इलाहाबाद	14.35	13.52	
		कानपुर	32.63	31.92	
		लखनऊ	37.52	31.92	
		मथुरा	4.80	4.51	
		मेरठ	15.67	13.45	
		वाराणसी	13.58	14.01	
28.	यू.टी.ऑफ चंडीगढ़	चंडीगढ़	34.20	17.10	
29.	उत्तराखंड	देहरादून	9.12	4.56	
		नैनिताल	10.32	5.16	
		हरिद्वार	2.30	1.15	
30.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	11.00	5.50	
		कोलकाता	134.40	63.00	

[हिन्दी]

अभिघात यूनिट की स्थापना

322. श्री गणेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा सहित विभिन्न शहरों में अभिघात यूनिटों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात परिचर्या केंद्रों की स्थापना करने की योजना को कार्यान्वित करता आ रहा है। इस योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों पर अभिघात परिचर्या केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने की बात सोची गई है।

इस योजना के अधीन अभिघात परिचर्या सुविधाओं की स्थापना के लिए इस मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित अस्पतालों की पहचान की गई है क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्गों के अभिज्ञात गलियारों पर स्थित हैं:-

1. सिविल अस्पताल, शिवपुरी
2. इंदिरा गांधी जिला अस्पताल, सियोनी
3. जिला अस्पताल, सागर
4. जिला अस्पताल, नरसिंहपुर
5. जी.आर. मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ग्वालियर

मध्य प्रदेश में रीवा में स्थित मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों पर स्थित नहीं है और इसलिए इस योजना में शामिल नहीं है।

स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण

323. श्री के.डी. देशमुख: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता सहित ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना के संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में शामिल किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे प्रस्तावों पर राज्यों के साथ परामर्श करके विचार किया जाता है। अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिवर्ष निधियां जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

324. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के क्रियान्वयन में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या योजना आयोग ने एनआरएचएम के बारे में कोई मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) पर अप्रैल 2005 से अमल किया जा रहा है। एनआरएचएम में राज्यों की साझेदारी से स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर विशेष ध्यान देते हुए समग्र देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उन्नत करने की कोशिश की गई है।

सरकार ने एनआरएचएम पर अमल करने में किन्हीं अनियमितताओं को रोकने के लिए बहुमुखी अनुवीक्षण नवाचार लागू किया है। इस नवाचार के भाग के रूप में नियमित वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली, नियमित राज्य समीक्षा दौरे, आवधिक सर्वेक्षण, सामुदायिक प्रतिवेदन और अन्य को एनआरएचएम के अमल में सुधार के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए शामिल किया गया है। सुधारात्मक कदमों, यदि कोई हों, का मूल्यनिरूपण और अनुमोदन संबंधित राज्यों के वार्षिक कार्यक्रम अमल योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता है।

योजना आयोग ने एनआरएचएम के आवधिक मूल्यांकन विगत में किए हैं, और एनआरएचएम का समवर्ती मूल्यांकन चुनिंदा राज्यों में फिलहाल जारी है। मूल्यांकन अध्ययन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार राज्यों में कराया गया जहां यह पाया गया कि अनेक राज्यों में प्रगति असमान है और विभिन्न राज्य विविध मानदंडों पर भिन्न प्रकार से निष्पादन कर रहे हैं। अध्ययन में पाया गया कि एनआरएचएम का संस्थागत ढांचा कार्य कर रहा है और देश में ग्राम स्वास्थ्य ढांचे के लिए आशा की किरण उत्पन्न हो गई है।

विदेशी पर्यटकों का आगम बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन

325. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों को अस्थायी लैंडिंग सुविधा (टी एल एफ) तथा अपने पर वीजा सुविधाएं देना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रोत्साहन के कारण पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) क्या कुछ देशों ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा पर न जाने संबंधी परामर्श जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा राजस्व पर इन परामर्शों का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार उस विदेशी को अधिकतम 72 घंटे तक अस्थायी लैंडिंग सुविधा (टीएलएफ) प्रदान करती है, जो मान्य वीजा के बिना एक नियमित राष्ट्रीय पासपोर्ट पर यात्रा करता है और हवाई अथवा समुद्री मार्ग द्वारा भारत में प्रवेश करता है, बशर्ते कि उनके पास वापसी का कन्फर्मड यात्रा टिकट है और ऐसी स्थिति की शर्त पर, जो आप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई हो। अफगानिस्तान, बंग्लादेश, इथोपिया, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया और श्रीलंका के नागरिक को कोई लैंडिंग परमिट सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। आगमन पर वीजा सुविधा के संबंध में, इसे आने वाले विदेश पर्यटकों को नहीं प्रदान किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) समय-समय पर, विभिन्न देशों द्वारा उनके नागरिकों को यात्रा से बचने अथवा देश के अस्थायी रूप से अशान्त क्षेत्रों की यात्रा करते समय सावधानी बरतने का परामर्श देते हुए यात्रा परामर्श जारी किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय देश के पर्यटन पर किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए, विभिन्न देशों द्वारा यात्रा परामर्शों जब कभी जारी किए जाते हैं, को हटाने के सम्बन्ध में, अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से और विदेशी मंत्रालय एवं विदेश स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से मामला उठाता है।

विदेशों से आने वाले रोगी

326. श्री पी. बलराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपचार और ऑपरेशनों के लिए अन्य देशों से रोगी भारत आ रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत और अन्य देशों में विभिन्न चिकित्सा उपचार की तुलनात्मक चिकित्सा लागत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा और अधिक विदेशी रोगियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी हां। पर्यटन मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न उपायों की शुरूआत देश में चिकित्सा पर्यटन के संवर्धनार्थ की है। पर्यटन मंत्रालय की विपणन विकास सहायता योजना के तहत वित्तीय सहयोग को चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदायकों और चिकित्सा पर्यटन सुविधादाताओं समुद्रपारीय बाजारों में संवर्धन के लिए उपलब्ध कराना; "चिकित्सा वीजा" की अतिरिक्त श्रेणी को चिकित्सीय उपचार हेतु भारत आ रहे विदेशी पर्यटकों के लिए लागू करना, प्रचार सामग्री तैयार करना और पर्यटन मंत्रालय के भारत पर्यटन कार्यालयों और वेवसाइटों के जरिए सूचना का प्रसार करना इन उपायों में शामिल है।

विभिन्न उपचारों में चिकित्सीय लागत अस्पताल-दर-अस्पताल, राज्य-दर-राज्य और विविध देशों में अलग-अलग है।

एनटीपीसी को महारत्न दर्जा

327. श्री प्रदीप माझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के नवरत्न दर्जे को बढ़ाकर महारत्न कंपनी का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ये दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (घ) महारत्न योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

पर्यटन पर स्वाइन फ्लू का प्रभाव

328. श्री मिलिंद देवरा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन उद्योग 'स्वाइन फ्लू' बीमारी से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) वर्ष 2007 की तुलना में 2008 में भारत में विदेशी

पर्यटक आगमन की संख्या में 5.6% की वृद्धि हुई। तथापि, जनवरी से अक्टूबर, 2009 के दौरान वर्ष 2008 की इसी अवधि की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन में 7% की कमी देखी गई। यह कमी एच1एन1 महामारी, वैश्विक मंदी, आदि सहित विभिन्न कारणों की वजह से हो सकती है।

(ग) इस रोग के फैलाव को रोकने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* एयरपोर्ट, सीपोर्ट एवं सीमा पर निगरानी
* सामुदायिक निगरानी
* जांच क्षमता में वृद्धि
* अस्पतालों की तैयारी में सुधार
* वायरल-रोधी दवाइयों एवं व्यक्तिगत बचाव उपकरणों का भंडारण
* निगरानी, आदि।

इसके अतिरिक्त, विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या में वृद्धि करने के लिए पर्यटन मंत्रालय विदेश स्थित अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से अनेक संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित कर रहा है। इन गतिविधियों में विज्ञापन जारी करना, यात्रा मेलों, प्रदर्शनियों, रोड शोज, इंडिया इविनिंग्स संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं, भारतीय खान-पान एवं सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेना, विवरणिकाओं का प्रकाशन करना, और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश की यात्रा पर मीडियाकर्मियों, टूर ऑपरेटरों एवं विचारकों को आमंत्रित करना शामिल है।

आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग

329. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग परियोजनाओं की धीमी प्रगति से कर वसूली तथा आकलन एवं प्रतिदाय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) (i) जी, नहीं। व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम जिसमें सम्पूर्ण देश में सभी आयकर कार्यालयों का नेटवर्किंग और इन्हें सामान्य डाटा केंद्र से जोड़ने का कार्य शामिल है, पूरा हो चुका है। सभी श्रेणियों के करदाताओं/कटौतीकर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से आयकर तथा स्रोत पर कर कटौती विवरणियों की फाइलिंग अपनाई जा रही है।

(ii) पिछले वर्षों की तुलना में प्रत्यक्ष करों से कर संग्रहण कई गुना बढ़ा है, प्रतिदाय तेज गति से जारी किए जा रहे हैं। करदाता की पसंद के अनुसार 15 शहरों में विवरणियों की प्रोसेसिंग तथा प्रतिदाय जारी करने की कार्रवाइ इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली/कागजी पद्धति के माध्यम से की जा रही है। अधिसंख्य करदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से करदाता सेवाओं की इलेक्ट्रानिक तरीके से सुपुर्दगी के विकल्प को चुना है।

(ग) सभी आयकर कार्यालयों को नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है और वे राष्ट्रीय डाटाबेस के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

330. **श्री वैजयंत पांडा:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वितरण का निजीकरण पारेषण तथा वितरण घाटे को कम करने सहित उपाय करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या रूपरेखा तैयार की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) यद्यपि निजी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी नीति 1991 में घोषित की गई थी तथापि निजी निवेश की गति निम्नलिखित के कारण कम रही है:

(1) अन्य निवेशों/स्वीकृतियों पर बेहतर प्रगति के बावजूद भी वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए अधिक स्वतंत्र

विद्युत उत्पादकों (आईपीपीएस) की असमर्थता (2) उन राज्य यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति जिनके पास बिलों की नियमित प्रतिपूर्ति, साख पत्र का आरंभ एस्क्रो लेखा के संबंध में अधिक निजी परियोजनाओं के समर्थन हेतु वित्तीय क्षमता नहीं है, (3) विद्युत क्रय करार को अंतिम रूप देने में विलम्ब और (4) परियोजनाओं के लिए अनुमानित विद्युत का अधिक लागत।

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई विधायी, नीतिगत तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

1. नया विद्युत अधिनियम 2003 का अधिनियमन।
2. थर्मल उत्पादन को गैर लाइसेन्सीकृत करना। इसके अतिरिक्त कैप्टिव उत्पादन को स्वतंत्र अनुमति प्रदान की गई है।
3. राज्य विद्युत बोर्ड के लिए संरचनात्मक सुधार।
4. केन्द्रीय और राज्य विनियामक आयोगों की स्थापना।
5. राष्ट्रीय ग्रिड का प्रतिपादन।
6. पारेषण एवं वितरण में खुली पहुंच।
7. विद्युत व्यवसाय को पृथक गतिविधि के रूप में मान्यता।
8. त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
9. पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।
10. वृहत विद्युत नीति जिसके अंतर्गत अतिरिक्त युक्तिकरण उपायों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
11. विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विकास लाइसेन्सियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति हेतु प्रतियोगी बोली के लिए दिशानिर्देश जारी करना।
12. टैरिफ नीति की अधिसूचना।
13. राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना।
14. जल नीति, 2008 की अधिसूचना।
15. अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (यूएमपीपी) पहल।

उपरोक्त उपयों के परिणामस्वरूप 11वीं योजना में निजी क्षेत्र क्षमता अभिवृद्धि पूर्व योजनाओं की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार ने ए टी एण्ड सी हानि कमी के संबंध में वास्तविक, प्रदर्शनीय निष्पादन पर विशेष बल देते हुए 31.7.2009 को 11वीं योजना हेतु "पुनर्गठित एपीडीआरपी" को अनुमोदन प्रदान किया है। यह कार्यक्रम 51,577 करोड़ रुपए का है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जा रही हैं। भाग क परियोजना आधारभूत ऑकड़ों की स्थापना तथा ऊर्जा लेखा/लेखापरीक्षा एवं आईटी आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों हेतु आईटी आवेदनों के लिए है और भाग ख परियोजना नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण परियोजना है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा

331. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन में लगी कंपनियों के वित्तपोषण हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एयर कंडिशनरों हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग की लागत कुशलता के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। मंत्रालय ने देश में सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित 50 मेवा. की कुल क्षमता के लिए मेगावाट आकार की ग्रिड इंटरएक्टिव सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को सहायता देने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम की घोषणा की है। निजी कंपनी सहित कोई भी पंजीकृत कंपनी, बनाओं, अपनाओं और चलाओं आधार पर सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु पात्र है। प्रत्येक 1 मेगावाट की न्यूनतम क्षमता की एक एकल परियोजना अथवा बहुल परियोजनाओं के माध्यम से 5 मेगावाट की अधिकतम समग्र क्षमता के साथ प्रत्येक परियोजना विकासकर्ता से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। राज्य में अधिकतम 10 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। राज्य विद्युत विनियामक आयोग और यूटिलिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए शुल्क दर को ध्यान में रखते हुए, स्कीमों के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं,

सौर विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा ग्रिड को दी गई सौर तापीय विद्युत हेतु 10 रु. प्रति किवा. घंटा और सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत हेतु 12 रु. प्रति किवा. घंटा तक के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी। यह प्रोत्साहन, अधिकतम 10 वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) और (घ) स्कीमों के तहत, 25 मेवा. क्षमता के सौर पीवी विद्युत और 11 मेगावाट के सौर तापीय विद्युत हेतु परियोजनाएं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र पाई गई हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान (10 मेगावाट), आंध्र प्रदेश (7 मेगावाट), तमिलनाडु (6 मेगावाट), पश्चिम बंगाल (6 मेगावाट), छत्तीसगढ़ (5 मेगावाट) और पंजाब (2 मेगावाट) राज्यों से है।

(ङ) और (च) मंत्रालय प्रदर्शन आधार पर कुछ सौर तापीय आधारित वातानुकूलन प्रणालियों को लगाने में सहयोग कर रहा है। ऐसी परियोजनाओं से उत्पन्न डाटा उनकी लागत प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने में भी सहायक होंगे।

शहरी यातायात की भीड़-भाड़ के बारे में सी आर आर आई द्वारा अध्ययन

332. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मार्ग अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आई) द्वारा हाल में कराए गए **अध्ययन** में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर छह मिलियन वाहन चल रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 900 और वाहनों का इजाफा हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सी आर आर आई द्वारा कराए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरों विशेषकर, दिल्ली में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों का निरीक्षण

333. श्री सज्जन वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुर्वेद, योग-प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष) द्वारा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अंतर्गत महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयुष विभाग द्वारा कितने महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद के सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सा केंद्रीय (सीसीआईएम) कॉलेजों का निरीक्षण करके सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रेषित करती है।

आईएमसीसी अधिनियम के सापेक्ष में, नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना, अध्ययन के नए अथवा उच्चतर पाठयक्रमों को प्रारंभ करने और वर्तमान कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने संबंधी अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास निहित है। प्रस्तावों पर विचार करते समय केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ निर्धारित मानदंडों जैसे शिक्षा के न्यूनतम मानक प्रदान करने संबंधी कॉलेजों की क्षमता, अवसंरचनागत सुविधाओं की उपलब्धता, आवेदक के वित्तीय संसाधनों आदि के संदर्भ में ध्यान दे। आवश्यक होने पर केंद्र सरकार कॉलेजों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दलों की प्रतिनियुक्ति करती है। ताकि वास्तविक स्थिति के बारे में पता लागया जा सके। ऐसे निरीक्षण केवल विशिष्ट मामलों में ही किए जाते हैं और ये निरीक्षण सीसीआईएम द्वारा किए गए निरीक्षण के अतिरिक्त होते हैं।

(ख) 2009-10 और विगत तीन वर्षों के दौरान आयुष विभाग द्वारा 35 कॉलेजों का निरीक्षण कार्य किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही में की गई कुछ अनियमितताओं के संबंध में सीसीआईएम के अध्यक्ष और सीसीआईएम के एक सदस्य के विरूद्ध सीसीआईएम के ही एक सदस्य द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है।

उक्त शिकायत के संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु कहा गया है।

[अनुवाद]

सभी के लिए समान चिकित्सा परिचर्या

334. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में सभी को समान चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण स्वास्थ्य जनशक्ति के सृजन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देश में न्यू आल्टरनेटिव मॉडल एजुकेशन शुरू करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देश में सभी नागरिकों को उचित चिकित्सा परिचर्या मुहैया करने के लिए पहले से कार्यशील बनाया है। लोक स्वास्थ्य प्रदाय पद्धति का व्यापक नवीकरण राज्यों की साझेदारी से एनआरएचएम के तहत किया गया है। एनआरएचएम में पूर्णत: कार्यकर, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय पद्धति की परिकल्पना समुदाय को निवारक, संवर्धक और रोगहर सेवाएं मुहैया कराने के लिए है। एनआरएचएम को सबसे दूरस्थ ग्राम क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुगम, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने हेतु 12 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ किया गया था। एनआरएचएम के तहत असंतोषप्रद स्वास्थ्य संकेतकों वाले कठिन क्षेत्रों को विशेष ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के रूप में आवश्यकतानुसार अधिकतम परिचर्या सुनिश्चित करने हेतु वर्गीकृत किया गया था। मिशन का जोर पूर्णत: कार्यकर, सामुदायिक स्वमित्व वाली, विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय पद्धति को अंतर क्षेत्रीय समन्वय के साथ स्थापित करने पर है ताकि जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के व्यापक रूप से विभिन्न निर्धारकों पर साथ-साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

चिकित्सा शिक्षा में सुधार देश के अंदर धारणीय स्वास्थ्य क्षेत्रक सुधारों के लिए अपरिहार्य है। एनआरएचएम में ग्राम स्वास्थ्य मानव संसाधनों को उत्पन्न करने के राज्य विशेष समाधान परिकल्पित है। राज्यों ने एनआरएचएम के तहत नवाचारी कदम प्रशिक्षित स्वास्थ्य मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए हैं। इन कदमों में सेवा प्रदाय में अल्पकालिक पाठयक्रम शुरू करना, सेवापूर्व प्रशिक्षणों को स्वास्थ्य पद्धति की जरूरतों में कुशल सेवाओं की भागीदारी हेतु तर्क संगत बनाना, सेवा प्रदाय को बहुकुशल बनाना, एसबीई जैसे अतिरिक्त प्रशिक्षण, सीईएमओसी प्रशिक्षण आदि शामिल है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

335. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री पी. लिंगम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को किस सीमा तक लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है आदि यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर लिए हैं।

(ग) संघ सरकार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति का लगातार अनुवीक्षण कर रही है।

[हिन्दी]

पेंशन कोष का प्रबंधन

336. **श्रीमती भावना पाटील गवली:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन विनियामक; पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से पेंशन कोष का प्रबंधन करने

वाली कंपनियों के लिए जल्दी से जल्दी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पीएफआरडीए की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां, नई पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन निधियों का प्रबंधन अनिवार्य आधार पर गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और समय-समय पर यथा संशोधित ग्रेच्युटी निधियों के लिए जारी निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार "पेंशन निधि-प्रबंधकों" द्वारा विनियमित अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जा रहा है। निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले लचीले निवेश पैटर्न का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है:-

	निवेश पैटर्न	प्रतिशत
(प)	केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य प्रतिभूतियां तथा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए जा रहे म्यूच्युअल फंड। बशर्ते कि किसी म्युच्युअल फंड के लिए निवेश किसी भी समय कुल पोर्टफोलियों का 5% से अधिक न होगा।	55% तक
(ii)	विशिष्ट ऋण प्रतिभूतियां, मियादी जमा रसीदें, रुपया बान्ड, जैसा कि निर्धारित है।	40% तक
(iii)	मुद्रा बाजार, म्युच्युअल फंड के एककों सहित मुद्रा बाजार लिखित।	5% तक
(iv)	निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए कंपनियों के शेयर।	15% तक

नई पेंशन योजना 1 मई, 2009 से असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी नागरिकों के लिए, स्वैच्छिक आधार पर बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, अंतरिम पीएफआरडीए द्वारा सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना हेतु निवेश दिशानिर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नई पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) अंशदाता को किसी एक या 3 आस्ति वर्गों नामत: "ई" (इक्विटी) "सी" (कार्पोरेट बॉन्ड) और "जी" (सरकारी प्रतिभूतियां) के संयोजन में निवेश करने का विकल्प देने का प्रावधान है। तथापि, वर्ग "ई" आस्ति के लिए निवेश को 50% तक सीमित किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण/वन क्षेत्रों का विद्युतीकरण

337. श्री निशिकांत दुबे: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश में ग्रामीण/वन क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कुल कितनी धनराशि/अनुदान राशि आवंटित की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में उन दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और ग्रामीण/वन क्षेत्रों में विद्युतीकृत जनगणना गांवों की अविद्युतीकृत बस्तियों की रोशनी/विद्युतीकरण की बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जहां ग्रिड विस्तार व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है और जिन्हें पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत नहीं लिया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रत्येक प्रौद्योगिकी हेतु पूर्व निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन परियोजना लागत के 90% तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	
2006-07	57.14 करोड़ रु.
2007-08	133.04 करोड़ रु.
2008-09	88.81 करोड़ रु.
2009-10 (31.10.2009 तक)	26.92 करोड़ रु.

[हिन्दी]

डी.डी.ए. फ्लैटों का कब्जा

338. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. आवास योजना, 2008 के अंतर्गत फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया में बड़ी धांधली का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जिस जांच का आदेश दिया गया था उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत आवंटियों को कब्जा देने का कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) डी.डी.ए. आवासीय स्कीम की घोषणा 5238 आवासों के आबंटन के लिए दिनांक 6.8.2008 को की गई। फ्लैटों के आवंटन का कम्प्यूटरीकृत ड्रा दिनांक 16.12.2008 को आयोजित किया गया। डी.डी.ए. द्वारा फ्लैटों के आंबटन में विशेषता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों के ड्रा में अनियमितताओं के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में डी डी ए ने फ्लैटों के आबंटन की पूरी प्रक्रिया तथा कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आंतरिक जांच समिति का गठन किया। डी डी ए द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.2.2009 को प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदनों के जांच की पुरी प्रक्रिया, यादृच्छित थी तथा ड्रा के परिणाम में किसी प्रकार की कोई असामान्यता नहीं थी तथा प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष थी। पूरी प्रक्रिया में समिति द्वारा कोई चूक नही पाई गई।

मामले की जांच में लगी आर्थिक अपराध शाखा (ई ओ डब्ल्यू), अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि संदर्भित दस्तावेज के सरकारी जांचकर्ता (जी ई क्यू डी), हैदराबाद ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डी डी ए सर्वर से प्राप्त डी डी ए ड्रा से संबंधित डाटाबेस का डम्प डी डी ए ड्रा हेतु उपयोग किए गए सर्वर के हार्ड डिस्क से प्राप्त डम्प से मेल खाते हैं। डी डी ए ड्रा में उपयोग किए गए कम्प्यूटर के सभी हार्ड डिस्कों, डी डी ए सर्वर, साफ्टवेयर, जी ई क्यू डी रिपोर्ट, एवं जी ई क्यू डी द्वारा लिए गए डाटा के विश्लेषण के बाद सेंटर फार डवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डैक) के विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की है कि उन्हें इस बात का कोई सबूत प्राप्त नहीं हो सका कि साफ्टवेयर को कोई क्षति पहुचाई गई है और न ही बाहरी हेरफेर के किसी सबूत का पता लगा सके। विशेषज्ञ इस बात का कोई सबूत नही पा सके जो यह बताए कि साफ्टवेयर किसी आवेदक विशेष या आवेदकों के लिए पक्षपात दिखाता है। सी-डैक विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि उन्हें ड्रा का साफ्टवेयर डालने के बाद बाहरी फेर बल का कोई सबूत नहीं प्राप्त हुआ।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ई ओ डब्ल्यू) ने तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में आईपीसी की धारा 419/420/467/468/471/201/120-बी/34 के तहत एक एफ आई आर केस सं. 02/09 दिनांक 09.01.2009 दर्ज किया है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है तथा दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पाया कि इन दोषी व्यक्तियों ने अपने अवैध लाभ पाने के लिए एस सी/एस टी एवं सामान्य श्रेणियों के विभिन्न आवेदकों के नाम से धोखेबाजी से आवेदन पत्र भरे थे।

(ग) और (घ) डी डी ए ने सूचित किया है कि 72 सफल आवेदक, जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ई ओ डब्ल्यू) के जांच के दायरे में पाये गये हैं, के अलावा डी डी ए आवास स्कीम, 2008 के सभी सफल आवेदकों को मांग-सह-आवंटन पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्यरत डाक्टरों और कर्मचारियों की मांगें

339. श्री भक्त चरण दास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पश्चिमी उड़ीसा के कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुट (केबीके) क्षेत्रों सहित देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एनआरएचएस) के अंतर्गत कार्यरत डाक्टरों और समूह 'घ' के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में वृद्धि करने संबंधी मांगों पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्यों द्वारा संविदा के आधार पर भर्ती किए गए स्वास्थ्य मानव संसाधनों की परिलब्धियों के मानदण्डों से संबंधित निर्णय राज्यों द्वारा जमीनी परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन की लागत

340. श्री जगदीश शर्मा:
डॉ. मोनाजिर हसन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्टूबर, 2009 से ताप विद्युत की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन लागत में वृद्धि को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) थर्मल उत्पादन स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति हेतु टैरिफ में दो भाग अर्थात निर्धारित लागत की वसूली हेतु क्षमता शुल्क तथा ईधन लागत की वसूली हेतु ऊर्जा शुल्क शामिल हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 15.10.2009 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अपनी कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की कीमतों में वृद्धि की है और संशोधित कीमतें 16.10. 2009 के 00 घंटे से प्रभावी हो गई हैं। थर्मल उत्पादन की लागत में भी कोयले के आयात के कारण वृद्धि हुई है।

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत हैं–

(i) विद्युत अधिनियम 2003 उत्पादन हेतु प्रतियोगी ढांचे का सृजन करता है जो लागत न्यूनतम करने में सहायक होती है।

(ii) राष्ट्रीय विद्युत नीति में व्यवहार्य जल क्षमता के पूर्ण विकास पर अधिकतम बल दिया गया है। जल विद्युत परियोजनाओं से दीर्घकालीन अवधि में विद्युत उत्पादन की लागत में महत्वपूर्ण रूप से कमी होती है।

(iii) थर्मल विद्युत के संबंध में, नीति में व्यवस्था की गई है कि विद्युत के उत्पादन एवं आपूर्ति की अर्थव्यवस्था उपलब्ध विकल्पों के मध्य से ईधन के विकल्प का आधार होनी चाहिए।

(iv) 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति में व्यवस्था की गई है कि विद्युत की समग्र भावी मांग को वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार अथवा जहां राज्य नियंत्रित/स्वामित्व प्राप्त कंपनी चिन्हित विकासकर्ता हो, को छोड़कर वितरण लाइसेंसियों द्वारा प्रतियोगितात्मक रूप से पूरी की जानी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी, सभी नई उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं का टैरिफ पांच वर्षों की अवधि के पश्चात प्रतियोगी बोली के आधार पर निर्धारित किया जाए अथवा विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार की प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए स्थिति एकदम अनुकूल है।

(v) वृहत विद्युत नीति में इस नीति की पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए उत्पादन परियोजनाओं हेतु घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए पूंजी उपकरण एवं निर्यात लाभ के आयात के लिए शून्य कस्टम शुल्क की व्यवस्था की गई है।

विदेशी पर्यटकों को भारतीय गरीबी दिखाना

341. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न टूर आपरेटिंग कंपनियों/संगठनों द्वारा विदेशी पर्यटकों को भारत में व्याप्त गरीबी और झोपड़पट्टियां दिखाई जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप भारत की प्रतिष्ठा और छवि धूमिल हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सस्ते मकानों की सुपुर्दगी में विलंब

342. श्री पी.टी.थॉमस: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सस्ते मकानों की सुपुर्दगी में औसतन कितने कितने दिनों का विलंब होता है;

(ख) सरकार द्वारा निर्माण पूर्व विलंब को कम करना सुनिश्चित करने के साथ-साथ सस्ते मकानों को समय पर सुपुर्द करना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) निर्माण मानदण्डों में सुधार और सस्ते तथा वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों के क्षेत्र में अनुसंधान शुरु करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय शहरी आवास तथा पर्यावास नीति 2007 में, नगरपालिका कानूनों, भवन उप-नियमों, कानूनी और प्रक्रियात्मक ढ़ांचों का सरलीकरण, सम्पत्ति का मालिकाना

सत्यापन प्रणाली और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण शहरी सुधारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तथापि, "भूमि" और "कालोनीकरण" राज्य का विषय होने के नाते, यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे निर्माण पूर्व और प्रक्रियात्मक विलंब को कम करने तथा समय पर किफायती मकानों सहित मकानों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के उपाय करें।

जहां तक शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं तथा आवास की सुविधाओं के लिए इन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) स्कीमों का संबंध है, राज्य सरकारों को स्कीम के घटकों की प्रसंविदा के अनुरुप परियोजनाओं का कार्यान्वयन/शुरू करना है। केन्द्रीय स्तर पर समय पर धनराशि जारी किए जाने की सिफारिश की जाती है और राज्य सरकारों को समय पर परियोजनाएं शुरू करने के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को समय पर केन्द्रीय और राज्य अंश जारी करने की सलाह दी जाती है।

(ग) राष्ट्रीय शहरी आवास तथा पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी): 2007 में, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड, 2005 द्वारा तैयार आदर्श भवन निर्माण उप-नियमों के उपबंधों को राज्यों/यूएलबी द्वारा निर्माण मानकों में सुधार लाने के लिए अपने भवन-निर्माण उप-नियमों में समाविष्ट किया जाए।

मंत्रालय के अधीन भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) एक स्वायत्त निकाय, अपने नेटवर्क सहायोगियों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) प्रयोगशाला इत्यादि, वैकल्पिक सामग्री और प्रौद्योगिकी पर मानदण्डों के निर्माण और प्रकाशनों के जरिए किफायती निर्माण हेतु वैकल्पिक सामग्री और प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रयोग को प्रोत्साहित करता है।

अस्पतालों में मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव्स का आना

343. **श्री एस.आर.जेयदुरई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार अस्पतालों में भीड़भाड़, विशेषकर सुबह के समय विभिन्न दवाई कंपनियों के रिप्रजेन्टेटिव्स के आने के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं क्योंकि इससे रोगियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार अस्पतालों में मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव्स के आगमन को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जहां तक दिल्ली के केंद्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, ऐसी किसी घटना की सूचना इस मंत्रालय को नहीं मिली है।

रोग नियंत्रण हेतु सहायता

344. **श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से विभिन्न रोगों को नियंत्रित करने हेतु और अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सरकार संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मुख्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित रोग निगरानी परियोजना और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के संबंध में राज्य सरकारों से और ज्यादा वित्तीय और तकनीकी सहायता संबंधी प्रावधान के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठाते।

जनसंख्या वृद्धि दर

345. **श्री नारनभाई कछाड़िया:**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विकसित/विकासशील देशों की तुलना में देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, जनसंख्या वृद्धि की दर भारत की तुलना में अभी भी केन्द्रीय अमरीका में सापेक्षतया ऊंची और केन्द्रीय तथा पश्चिमी अफ्रीका में सबसे ऊंची है। विश्व स्वास्थ्य आंकड़े, 2008 में यथासूचित इस संबंध में देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है। यह कार्यक्रम दम्पति को उनको उनकी पसन्द के अनुसार सबसे अधिक अनुकूल बैठने वाली परिवार नियोजन विधियां अपनाने के लिए समर्थ बनाता है।

जनसंख्या स्थिरीकरण अप्रैल, 2005 में चलाए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में से एक है। यह बाल मृत्युदर, मातृत्व मृत्यु दर और प्रजनन दर को कम करने पर जोर देता है।

जनसंख्या को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:-

(i) बांकरण की विफलता, जटिलताओं और इसके कारण होने वाली मौतों के लिए बन्धाकरण कराने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु नवम्बर, 2005 से राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा स्कीम शुरू की गई है और इसमें डाक्टरों को क्षतिपूर्ति बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है।

(ii) परिवार नियोजन में सितम्बर, 2007 में बंधकरण के लिए मुआवजा पैकेज बढ़ा दिश गया अर्थात् सरकारी सुविधा केन्द्रों में नसबन्दी के लिए मुआवजा पैकेज 800 रु. से बढ़ाकर 1500 रु. और नलबन्दी के लिए 800 रु. से बढ़ाकर 1000 रु. और सभी राज्यों में नसबन्दी के लिए सभी श्रेणियों के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मुआवजा पैकेज को समान रूप से बढ़ाकर 1500 रु. कर दिया गया है।

(iii) परिवार नियोजन सेवाओं के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में विशिष्ट कार्यबिन्दुओं/कार्यनीतियों को शामिल कर लिया गया है।

(iv) पुरूष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नो स्केल पल वेक्सटोमी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना।

(v) 10 वर्षों के स्थायीतत्व और अन्य आयोडीन की तुलना में अधिक विशेषताओं के कारण आईयूडी 380 ए को जन्म में अन्तर रखने की विधि के रूप में गहन रूप से बढ़ावा देना।

(vi) सातों दिन 24 घंटों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बढ़ती संख्या और बेहतर कार्य करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सालों भर नियत दिन नियत स्थान परिवार नियोजन सेवाओं को बढावा देना।

(vii) कार्यक्रम में सिलसिलेवार ढंग से और सावधानीपूर्वक नए एवं प्रभावकारी गर्भनिरोधकों को शुरू करके विकल्प बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा और मासिक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के माध्यम से किए जा रहे आउटरीच सेवाओं से भी सहायता मिली है।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य आंकड़े, 2008 जनांकिकी और सामाजिक आर्थिक, आंकड़े

सदस्य राज्य	जनसंख्या									पंजीकरण कवरेज	
	कुल ('000एस) 2006	औसत आयु वर्ष 2006	15 वर्ष से कम (%) 2006	60 से अधिक (%) 2006	वार्षिक वृद्धि दर (%) 1986-1996	1986-2006	शहरी क्षेत्रों में (%) 1990	2000	2006	जन्म 2000-2006	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
अफगानिस्तान	26088	16	47	4	4.5	3.2	18	21	23	6	<25
अल्बानिया	3172	29	26	13	0.3	0.2	36	42	46	>90	50-74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
अल्जीरिया	33351	24	29	7	2.3	1.5	52	60	64	>90	75-89
अंडोरा	74	–	14	22	3.0	1.2	95	93	93	>90	25-49
अंगोला	16557	17	46	4	2.8	2.7	37	50	54	29	<25
अंटीगु अ. स्वं बरबूडा	84	–	28	11	0.5	1.9	35	36	37	–	50-74
अर्जेंटीना	39134	29	26	14	1.4	1.0	87	89	90	>90	90-100
अर्मेनिया	3010	32	20	14	-0.7	-0.5	67	65	64	>90	50-74
आस्ट्रेलिया	20530	37	19	18	1.4	1.2	85	87	88	>90	90-100
अस्ट्रिया	8327	40	16	22	0.6	0.3	66	66	66	>90	90-100
अजरबेजान	8406	28	24	9	1.5	0.6	54	51	52	>90	50-74
बहमास	327	28	27	10	1.8	1.4	84	89	91	–	75-89
बहरीन	739	29	26	5	3.3	2.2	88	95	97	>90	75-89
बांग्लादेश	155991	22	35	6	2.2	1.9	20	23	25	10	<25
बारबादोस	293	36	18	13	0.7	0.4	45	50	53	–	75-89
बेलारूस	9742	38	15	18	0.2	-0.5	66	70	73	>90	90-100
बेल्जियम	10430	41	17	22	0.3	0.3	96	97	97	>90	–
बेलींग	282	21	37	6	2.7	2.5	47	48	48	>90	90-100
बेनिन	8760	18	44	4	3.4	3.1	34	38	40	70	<25
भूटान	649	23	32	7	0.3	2.4	7	10	11	–	<25
बोल्विया	9354	21	38	7	2.3	2.0	56	62	65	82	<25
बोहिनया एवं हरजेगोविना	3926	38	17	19	-2.1	1.4	39	43	46	>90	–
बोत्स्वाना	1858	21	35	5	2.8	1.5	42	53	58	58	<25
ब्राजील	189323	27	28	9	1.7	1.4	75	81	85	89	75-89
बुनेई दारूसालान	382	26	29	5	2.8	2.3	66	71	74	>90	90-100
बुल्गारिया	7693	41	14	23	-0.8	-0.7	66	69	70	>90	90-100
बरकिनाफासो	14359	17	46	4	2.9	3.1	14	17	19	64	<25
बरून्डी	8173	17	45	4	2.2	2.6	6	9	10	60	<25
कम्बोडिया	14797	20	37	5	3.3	1.9	13	17	20	66	<25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
कैमरून	18175	19	41	5	2.9	2.3	41	50	56	70	<25
कनाडा	32577	39	17	18	1.2	1.0	77	79	80	>90	90-100
केपवरडे	519	20	39	5	2.3	2.3	44	53	58	–	–
के. अफ्रीकन गणराज्य	4265	18	42	6	2.5	1.9	37	38	38	49	<25
चाड	10468	17	46	5	3.2	3.5	21	23	26	9	<25
चिली	16465	31	24	12	1.7	1.2	83	86	88	>90	90-100
चीन	1328474	33	21	11	1.2	0.8	28	36	42	–	<25
कोलम्बिया	45558	26	30	8	1.9	1.6	59	71	73	>90	75-89
कैमकन	818	19	42	4	2.9	2.7	28	34	38	83	<25
कांगों	3689	19	42	5	2.9	2.5	54	53	61	81	<25
कुक आईसलैंड	14	–	34	8	0.0	-2.7	57	59	64	>90	>75
कोस्टारिका	4399	26	28	8	2.5	2.1	51	59	62	>90	75-89
कोट डिलवायर	18914	19	41	5	3.4	2.0	40	43	45	55	<25
क्रोएशिया	4556	41	15	22	0.4	-0.2	54	56	57	>90	90-100
क्यूबा	11267	36	19	16	0.8	0.3	73	76	75	>90	90-100
साइप्रस	846	35	19	17	1.3	1.3	67	69	69	>90	75-89
चेक रिपब्लिक	10189	39	14	20	0.0	-0.1	75	74	73	>90	90-100
लो.गण. कोरिया	23708	32	24	14	1.5	0.7	58	60	62	>90	<25
लो.गण. कोंगो	60644	16	47	4	3.3	2.7	28	30	33	34	<25
डेनमार्क	5430	40	19	22	0.3	0.3	85	85	86	>90	90-100
डजीबोउटी	819	20	38	5	4.0	2.4	76	83	87	89	<25
डोनिनिका	68	–	28	11	-0.3	-0.2	68	69	71	>90	>75
डोमिनिका गणराज्य	9615	24	33	8	1.9	1.6	55	62	68	78	50-74
इक्योडोर	13202	24	32	9	2.2	1.3	55	60	63	–	50-74
इजिप्ट	74166	23	33	7	2.0	1.8	43	42	43	>90	75-89
अल्ज्सल्वाडोर	6762	24	34	8	1.8	1.6	49	58	60	>90	75-89
इक्वैटोरोरियल गिनिया	496	19	42	6	2.1	2.4	35	39	39	32	<25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
इरीत्रा	4692	18	43	4	1.2	3.6	16	18	20	–	<25
एस्टोनिया	1340	39	15	22	-0.8	-0.6	71	69	69	>90	90-100
इथोपिया	81021	18	44	5	3.3	2.7	13	15	16	7	<25
फिजी	833	24	33	7	0.8	0.7	42	48	51	>90	90-100
फिनलैंड	5261	41	17	22	0.4	0.3	61	61	61	>90	90-100
फ्रान्स	61330	39	18	21	0.5	0.5	74	76	77	>90-100	
गाबोन	311	22	35	7	2.9	1.9	69	80	84	89	<25
गाम्बिया	1663	20	41	6	3.8	3.2	38	49	55	55	<25
जार्जिया	4433	36	18	18	-0.8	-1.1	55	53	52	>90	90-100
जर्मनी	82641	42	14	25	0.5	0.1	73	75	75	>90	90-100
घाना	23008	20	39	6	2.8	2.3	36	44	51	<25	
ग्रीस	11123	40	14	23	0.7	0.4	59	59	>90	90-100	
ग्रेन्डा	106	23	33	10	-0.1	0.7	32	31	31	>90	–
ग्वाटेमाला	13029	18	43	6	2.3	2.4	41	45	48	>90	75-89
गिनया	9181	18	43	5	3.5	2.0	28	31	33	43	<25
गिनिया बिसाउ	1648	16	48	5	2.9	2.9	28	30	30	39	<25
गुयना	739	27	31	9	-0.1	0.0	30	29	28	>90	75-89
हैती	9446	21	38	6	2.0	1.7	29	36	39	81	<25
हन्डुरास	6969	20	39	6	2.7	2.0	40	44	47	>90	–
हंगरी	10058	39	15	21	-0.2	-0.3	66	65	67	>90	90-100
आइसलैंड	298	35	22	16	1.0	1.0	91	92	93	>90	90-100
भारत	1151751	24	33	8	2.1	1.7	26	28	29	41	<25
इन्डोनेशिया	228864	27	28	8	1.6	1.3	31	42	49	55	<25
ईरान	70270	24	29	6	2.3	1.1	56	64	67	>90	50-74
ईराक	28506	19	41	5	2.9	2.4	70	68	67	>90	<25
आयरलैंड	4221	34	21	15	0.3	1.5	57	59	61	>90	90-100
इजरायल	6810	29	28	13	2.8	2.1	90	91	92	>90	90-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
इटली	58779	42	14	26	0.1	0.2	67	67	68	>90	90-100
जमैका	2699	25	31	10	0.8	0.7	49	52	53	89	–
जापान	127953	43	14	27	0.4	0.2	63	65	66	>90	90-100
जार्डन	5729	21	37	5	4.6	2.5	72	80	83	>90	25-49
कजाकिस्तान	15314	29	24	10	-0.2	-0.3	56	56	58	>90	75-89
केन्या	36553	18	43	4	3.2	2.6	18	21	48	<25	
गिरबाटी	94	–	32	5	2.0	1.8	35	36	42	–	50-74
कुवैत	2779	29	24	3	-0.4	4.6	98	98	98	>90	90-100
किरगीजिस्तान	5259	24	30	7	1.3	1.2	38	35	36	>90	75-89
ले. गण. लाओ	5759	20	39	5	2.8	1.8	15	19	21	59	<25
लात्विया	2289	40	14	22	-0.6	-0.7	69	68	68	>90	90-100
लेबनान	4055	27	28	10	2.1	1.3	83	86	87	>90	<25
लेसोथ्रो	1995	19	40	7	1.5	1.3	17	18	19	26	<25
लाइबेरिया	3579	16	47	4	0.4	4.5	45	54	59	–	<25
लिबयान अरब जमाहिरिया	6039	25	30	6	2.2	2.0	79	83	85	>90	<25
लिथुनिया	3408	38	16	21	0.1	-0.6	69	67	66	>90	90-100
लम्जमबर्ग	461	38	18	19	1.2	1.1	81	84	83	>90	90-100
मेडागास्कर	19159	18	44	5	2.9	2.9	24	26	27	75	<25
मालावी	13571	16	47	5	3.0	2.7	12	15	18	–	<25
मलेशिया	26114	25	31	7	2.7	2.1	50	62	68	>90	–
मालदीव	300	22	33	6	2.9	1.7	26	28	30	73	50-74
माली	11968	16	48	5	2.5	2.9	23	28	31	47	<25
माल्टा	405	38	17	19	0.9	0.6	90	93	96	>90	90-100
मार्सल आइसलैंड	58	–	32	6	2.4	1.2	65	65	66	–	–
मॉरिटानिया	3044	20	40	5	2.6	2.9	40	40	41	55	<25
मारीशस	1252	31	24	10	1.1	1.0	44	43	42	>90	90-100
मैक्सिको	105342	26	30	9	1.8	1.2	72	75	76	–	90-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
माइक्रोनेसिया	111	20	38	5	2.0	0.3	26	22	22	–	–
मोनाको	33	–	18	21	1.0	0.3	100	100	100	>90	>75
मंगोलिया	2605	25	28	6	2.0	0.8	57	57	57	>90	75-89
मोनटेगंरो	601	35	19	18	1.0	-0.5	48	59	61	>90	–
मोरक्को	30853	25	30	8	1.8	1.2	48	55	59	85	–
मोजाम्बिक	20971	18	44	5	2.1	2.4	21	31	35	–	<25
म्यांमार	48379	27	27	8	1.5	1.0	25	28	21	65	<25
नामीबिया	2047	20	38	5	3.7	1.8	28	32	36	71	<25
नाओ	10	–	32	6	1.8	0.1	100	100	100	>90	–
नेपाल	27641	20	38	6	2.4	2.2	9	13	16	35	<25
नीदरलैंड	16379	39	18	20	0.7	0.5	69	77	81	>90	90-100
न्यूजीलैंड	4140	36	21	17	1.3	1.1	85	86	86	>90	90-100
निकारागुला	5532	21	37	6	2.3	1.5	53	57	59	81	50-74
नीगर	13737	16	48	5	3.3	3.6	15	16	17	32	<25
नीगेना	144720	18	44	5	2.9	2.6	35	44	49	33	<25
न्यू	2	–	34	8	-1.8	-3.2	31	31	33	>90	>75
नार्वे	4669	38	19	20	0.5	0.6	72	76	77	>90	90-100
ओमान	2546	23	33	4	3.4	1.3	65	72	71	–	50-74
पाकिस्तान	160943	21	36	6	2.8	2.1	31	33	35	–	<25
पलाऊ	20	–	32	6	2.3	1.4	70	71	70	>90	–
पनामा	3288	26	30	9	2.0	1.9	54	66	72	>90	90-100
पापुआंन्यूगिनी	6202	20	40	4	2.6	2.5	13	13	13	–	–
पाराग्वे	6016	22	35	7	2.5	2.0	49	55	59	–	75-89
पेरू	27589	25	31	8	1.9	1.3	69	72	73	>90	50-74
फिलीपीन्स	86264	22	36	6	2.3	2.1	49	59	63	83	–
पोलैंड	38140	37	16	17	0.3	-0.1	61	62	>90	90-100	
पुर्तगाल	10579	39	16	22	0.0	0.5	48	54	58	>90	90-100
क्वाटर	821	31	21	3	3.3	4.2	92	95	96	>90	75-89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
कोरिया गणराज्य	48050	36	18	14	1.0	0.6	74	80	81	>90	75-89
मोलदोवा गणराज्य	3833	33	19	15	0.2	-1.3	47	46	47	>90	75-89
रोमानिया	21532	37	15	19	-0.1	-0.5	54	55	54	>90	90-100
रसियन फेडरेशन	143221	37	15	17	0.3	-0.4	73	73	73	>90	90-100
रवाण्डा	9461	18	43	4	-0.9	4.8	5	14	20	82	<25
संत किस्टस एवं नेवी	50	–	28	11	0.5	1.3	35	34	33	–	>75
संत लूसिया	163	26	27	10	1.4	1.0	29	28	28	>90	90-100
संत विंसेट एवं किंगनेड	120	25	29	9	0.8	0.5	41	44	46	>90	90-100
समोआ	185	20	40	7	0.8	0.9	21	23	>90	–	
सैन मारिनो	31	–	14	26	1.2	1.7	90	90	93	>90	>75
सावो-येम प्रिंसिप	155	19	41	6	2.1	1.7	44	53	59	69	–
सऊदी अरब	24175	24	34	4	3.2	2.6	77	80	81	–	25-49
सेनेगल	12072	19	42	6	2.8	2.6	39	41	42	55	<25
सरबिया	9851	37	18	19	0.9	-0.4	50	51	52	>90	–
सेकिल्स	86	–	24	10	1.2	1.2	49	50	51	>90	>75
सिपरा लिवोन	5743	18	43	5	1.2	3.2	30	37	41	48	<25
सिंगापुर	4382	38	19	13	2.6	2.0	100	100	100	>90	75-89
स्लोवाकिया	5388	36	16	16	0.4	0.0	56	56	56	–	90-100
स्लोवानिया	2001	41	14	21	0.4	0.2	50	51	51	>90	90-100
सालीमन आइसलैंड	484	20	40	5	2.9	2.6	14	16	17	–	–
सोमालिया	8445	18	44	4	-0.3	2.9	30	33	36	3	<25
साउथ अफ्रीका	48292	24	32	7	2.3	1.3	52	57	60	–	75-89
स्पेन	43887	39	14	22	0.2	1.1	75	76	77	>90	90-100
श्रीलंका	19207	30	24	10	1.2	0.5	17	16	15	>90	–
सूडान	37707	20	40	6	2.5	2.2	27	36	42	64	<25
सूरीनाम	455	26	29	9	0.8	0.8	68	72	74	>90	50-74
स्वीटजरलैंड	1134	19	39	5	2.7	1.5	23	24	53	<25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
स्वीडन	9076	40	17	24	0.5	0.3	83	84	84	>90	90-100
स्वीट्जरलैंड	7455	40	16	21	0.8	0.4	68	73	76	>90	90-100
सीरियन अरब गणराज्य	9408	21	36	5	2.9	2.6	49	50	51	>90	90-100
ताजिकिस्तान	6640	20	39	5	2.2	1.3	32	26	25	88	50-74
थाइलैंड	63444	33	21	12	1.2	0.9	29	31	33	>90	75-89
पूर्व योनोट लबिया मेडोनिया	2036	35	19	16	0.7	0.3	58	65	70	>90	90-100
तिमोर-लेस्टे	1114	17	45	5	2.3	2.7	21	25	27	53	<25
टोगो	6410	18	43	5	2.9	3.2	30	37	41	78	<25
टोंगा	100	21	37	9	0.6	0.2	23	23	24	>90	–
ट्रिनिंडाइ एवं टोबैगो	1328	29	22	10	0.7	0.4	9	11	13	>90	75-89
ट्यूनिसीया	10215	27	25	9	1.9	1.2	60	63	66	>90	25-49
तुर्की	73922	27	28	8	1.8	1.5	59	65	68	–	25-49
टुर्कमेनिस्तान	4899	24	31	6	2.5	1.4	45	45	47	>90	–
तुलायू	10	–	34	8	1.2	0.6	41	44	46	–	>75
यूगांडा	29899	15	49	4	3.6	3.1	11	12	13	4	<25
उक्रेन	46557	39	14	21	-0.1	-0.8	67	67	68	>90	90-100
संत अरब अमीरात	4248	30	20	2	5.4	5.0	79	77	77	–	50-74
ब्रिटेन	60512	39	18	22	0.3	0.4	89	89	90	>90	90-100
सं. तंजानिया गणराज्य	39459	18	44	5	3.1	2.5	19	22	25	8	<25
अमरीका	302841	36	21	17	1.1	1.0	75	79	81	>90	90-100
उरुग्ने	3331	33	24	18	0.7	0.3	89	91	92	>90	90-100
उजबेकिस्तान	26981	23	32	6	2.2	1.5	40	37	37	>90	50-74
वानुवातु	221	20	39	5	2.6	2.3	19	22	24	–	–
वेनेजुएला	27191	25	31	8	2.4	1.9	84	91	94	>90	90-100
वियतनाम	86206	25	29	8	2.1	1.4	20	24	27	87	<25
यमन	21732	17	45	4	4.3	3.0	21	25	28	–	<25
जाम्बिया	11696	17	46	5	2.8	2.1	39	35	35	10	<25
जिम्बाम्बे	13228	19	39	5	2.7	1.0	29	34	36	–	25-49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्र											
अफ्रीकन क्षेत्र	773791	18	43	5	2.8	2.5	32	36	38	–	–
अमेरीका क्षेत्र	894943	30	26	12	1.5	1.3	68	71	73	–	–
दक्षिण-पूर्व एशिया	721049	25	31	8	2.0	1.6	26	29	32	–	–
यूरोपीय क्षेत्र	887455	37	18	19	0.5	0.2	71	72	73	–	–
पूर्व मध्यासन कार्य क्षेत्र	540284	22	35	6	2.6	2.0	44	47	49	–	–
पश्चिम प्रशान्त क्षेत्र	1753399	33	22	12	1.3	0.8	35	42	47	–	–
आय समूह											
कम आय	2470318	22	36	6	2.4	2.0	25	28	30	–	–
कम मध्य आय	2295036	30	25	10	1.4	1.0	36	43	48	–	–
उच्च मध्य आय	817293	30	25	12	1.2	0.8	66	69	70	–	–
उच्च आय	998238	38	18	20	0.7	0.7	73	76	77	–	–
वैश्विक	6580921	28	28	10	1.6	1.3	44	48	50	–	–

मंहगाई को रोकने के लिए मौद्रिक उपाय

346. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए विभिन्न मौद्रिक उपाय बढ़ती हुई मंहगाई और आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने में नाकाम रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों की शुरूआत करना भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य-क्षेत्र के अधीन है। सरकार के राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष से संबंधित मुद्दों का समाधान करते हैं। चूंकि प्राथमिक और विनिर्मित दोनों प्रकार की खाद्य-वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति आपूर्ति से संचालित होती है, इसलिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें गेहूं, दालों, मक्का, कच्ची चीनी इत्यादि पर आयात शुल्क कम करना; धान, चावल, दालों, चीनी के मामले में स्टाक सीमाएं लागू करना; और गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थाओं का उन्नयन

347. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री महेश जोशी:
श्री लालचन्द कटारिया:
श्री पी. कुमार:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थाओं के उन्नयन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, हां। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों से विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बेल्लारी, कर्नाटक और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कोजीकोड, केरल के उन्नयन के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

348. **श्री एल. राजगोपाल:**
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री दत्ता मेघे:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके माध्यम से ऋण के लिए गैर-संस्थागत स्रोतों पर गरीबों और किसानों की निर्भरता कम हुई है तथा देश में इनकी पहुंच बहुत व्यापक है;

(ख) क्या मंत्रालय को राज्य या लोक प्रतिनिधियों से लोगों की ऋण संबंधी सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धनराशि प्रदान करने हेतु कायिक निधि के सृजन संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या तीन वर्षों के दौरान आर आर बी की संख्या में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या हाल के समय के दौरान आरआरबी में अनियमिताओं का पता चला है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी हां, वर्तमान में भारतीय बैंकिंग, प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में 84 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अपनी 15,158 शाखाओं (31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार) के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा दे रहे हैं। आरआरबी की लगभग 95% शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। 2004-05 से 2008-09 के बीच ऋण बकाया बढ़कर 110% तक हो गए हैं। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, आरआरबी 1.88 लाख करोड़ रुपये (जमाराशियां+ऋण) के कारोबारी स्तर पर पहुंच गए हैं।

(ख) और (ग) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, विगत एक वर्ष में इस विभाग को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने आरआरबी को पुन: अर्थक्षम बनाने तथा ग्रामीण ग्राहकों की ऋण संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए उन्हें स्पंदनशील तथा सक्षम बनाने की दृष्टि से विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। प्रमुख पहलों में से एक राज्य में उसी बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के संरचनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया रही है। इसके परिणामस्वरूप, आरआरबी की संख्या 2005 में 196 से घटकर आज की तारीख पर 84 हो गई है, इसमें 26.3.2009 को स्थापित एक नया आरआरबी यथा पुदुवई भरथियान ग्राम बैंक शामिल है।

(च) और (छ) आरआरबी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा आरआरबी के संबंधित प्रायोजक बैंक द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

पर्यटन के विकास हेतु धनराशि

349. **श्री इन्दर सिंह नामधारी:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री प्रेमचन्द गुड्डू:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड गुजरात और मध्य प्रदेश सहित देश में पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य-वार प्राप्त हुई पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए विचारित और प्रत्येक परियोजना को प्रदत्त सहायता धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय सहायता कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) पर्यटन का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए, पारम्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सितंबर, 2009 तक झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित देश में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना (सितंबर, 2009 तक) के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21	12982.06
2.	असम	9	3379.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	28	7956.54
4.	बिहार	15	4132.72
5.	छत्तीसगढ़	5	2407.91
6.	गोवा	3	8624.82
7.	गुजरात	12	2710.24
8.	हरियाणा	18	4755.76
9.	हिमाचल प्रदेश	25	7608.88
10.	जम्मू एवं कश्मीर	78	14170.80
11.	झारखंड	7	1130.47
12.	कर्नाटक	17	9067.05
13.	केरल	22	7393.83
14.	मध्य प्रदेश	32	11332.88
15.	महाराष्ट्र	8	5389.49
16.	मणिपुर	18	5488.18
17.	मेघालय	11	3341.32
18.	मिजोरम	12	2886.15
19.	नागालैंड	37	6087.36
20.	उड़ीसा	20	7446.35
21.	पंजाब	5	2667.61
22.	राजस्थान	15	8228.39
23.	सिक्किम	63	16344.53
24.	तमिलनाडु	34	7792.99
25.	त्रिपुरा	20	2981.28
26.	उत्तराखंड	8	6549.76
27.	उत्तर प्रदेश	14	6713.18
28.	पश्चिम बंगाल	24	8298.97
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
30.	चंडीगढ़	9	1659.86
31.	दादरा और नगर हवेली	3	24.88
32.	दिल्ली	13	2863.10
33.	दमन एवं दीव	1	12.50
34.	लक्षद्वीप	1	782.73
35.	पुडुचेरी	12	1928.85
	कुल	620	195140.95

[हिन्दी]

अफीम की खेती

350. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफीम का लाइसेंस देने की नीति के आधार और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) राज्य-वार किसानों को कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओलावृष्टि, सूखे आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अफीम की फसल को कोई नुकसान हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या हाल में सरकार को परम्परागत अफीम की डोडी के पुनर्रोपण संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी नियमावली का नियम 8 जिला अफीम अधिकारी को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित लाइसेंस प्रदान करने संबंधी समान्य शर्तो के अधीन अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत करता है। इन सामान्य शर्तों को प्रत्येक वर्ष अधिसूचित किया जाता रहा है और इन्हें सामान्यतया 'अफीम नीति' के रूप में उल्लिखित किया जाता है। इस नीति में लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता मानदंडों, लाइसेंस की शर्तों, प्रत्येक लाइसेंसधारी को मिलने वाला अधिकतम क्षेत्र, अधिक खेती के मामले में माफी योग्य सीमाओं, अग्रिम चेतावनी वाली खंडों, आदि का निर्धारण होता है।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान लाइसेंस प्राप्त किसानों की संख्या निम्न प्रकार है:

राज्य का नाम	2006-07	2007-08	2008-09
मध्य प्रदेश	34151	28286	27462
राजस्थान	28233	18439	17337
उत्तर प्रदेश	274	50	22
कुल	62658	46775	44821

(ग) और (घ) जब भी फसल का नुकसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता हैं, कृषकों को विभागीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत कटान शुरू होने से पूर्व अपने फसलों को उखाड़ने का विकल्प होता है। प्राकृतिक कारणों से वर्ष 2006-07 के फसल वर्ष के दौरान 246 हैक्टेयर वर्ष 2007-08 में 1933 हैक्टेयर और वर्ष 2008-09 में 1448 हैक्टेयर के क्षेत्र में विभागीय पर्यवेक्षण में फसल उखाड़ी गयी थी। वर्ष 2009-10 के लिए फसल की बुआई हो रही है।

(ङ) और (च) पारम्परिक अफीम डोडी को फिर से रोपने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कोयला कंपनियों के साथ एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम

351. श्री अमरनाथ प्रधान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने किसी कोयला कंपनी के साथ अपनी फरक्का (पश्चिम बंगाल) और कहलगांव (बिहार) ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला खान विकसित करने हेतु कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयुक्त उद्यम में एनटीपीसी और कोयला कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी, हां। एनटीपीसी ने सूचित किया है कि उन्होंने झारखंड राज्य में स्थित ब्राह्मणी और चिचरो पटसीमल कोयला ब्लॉकों के विकास हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौता (जेवीए) के माध्यम से प्रवेश किया है। इस कोयला ब्लॉक के कोयले का एनटीपीसी की फरक्का और कहलगांव विस्तार परियोजनाओं में प्रयोग किया जाएगा।

(ख) सीआईएल और एनटीपीसी के बीच 12.10.2009 को जेवीए पर हस्ताक्षर हुए हैं।

एनटीपीसी और सीआईएल का इस संयुक्त उद्यम कंपनी में 50:50 का हिस्सा होगा।

चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना

352. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री विष्णु पद राय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) देश में इस समय 300 मेडिकल कालेज हैं जिनमें से 143 कालेज सरकारी क्षेत्र के तथा शेष 157 कालेज निजी क्षेत्र के हैं। इन कालेजों की दाखिला क्षमता लगभग 35252 विद्यार्थी प्रतिवर्ष है। देश में राज्य-वार मेडिकल कालेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

यथा संशोधित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार नए मेडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता का निर्णय लेना राज्य सरकार का विषय है। केन्द्र सरकार नए मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्र और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर दे रही है। तथापि, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार का अल्प सेवित क्षेत्रों में एम्स की तरह के 6 संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड में एक-एक संस्थान स्थापित दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी एम्स की तरह के दो संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मेडिकल कालेज स्थापित करने के संबंध में जब कभी भी संघ राज्य क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त होगा तो उस पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा सकता है।

विवरण

देश में 31.10.2009 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार मेडिकल कालेजों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या		कुल	सीटों की कुल संख्या		कुल
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13	20	33	1775	2600	4375
2.	असम	3	–	3	426	–	426
3.	बिहार	6	3	9	440	220	660
4.	चंडीगढ़	1	–	1	50	–	50
5.	छत्तीसगढ़	3		3	300		300
6.	दिल्ली	5	1	6	630	100	730
7.	गोवा	1	–	1	100	–	100
8.	गुजरात	8	8	16	1255	1000	2255
9.	हरियाणा	1	2	3	150	200	350
10.	हिमाचल प्रदेश	2	–	2	115	–	115
11.	जम्मू और कश्मीर	3	1	4	250	100	350
12.	झारखंड	3	–	3	190	–	190
13.	कर्नाटक	10	29	39	1100	3755	4855
14.	केरल	6	16	22	950	1550	2500

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मध्य प्रदेश	6	5	11	720	650	1370
16.	महाराष्ट्र	19	22	41	2200	2510	4710
17.	मणिपुर	1	–	1	100	–	100
18.	उड़ीसा	3	3	6	464	300	764
19.	पुडुचेरी	1	7	8	100	900	1000
20.	पंजाब	3	5	8	350	470	820
21.	राजस्थान	6	4	10	650	500	1150
22.	सिक्किम		1	1		50	50
23.	तमिलनाडु	16	16	32	1745	2220	3965
24.	त्रिपुरा	2	–	2	200	–	200
25.	उत्तर प्रदेश	10	11	21	1112	1100	2212
26.	उत्तराखंड	2	2	4	200	200	400
27.	पश्चिम बंगाल	9	1	10	1105	150	1255
	कुल	143	157	300	16677	18575	35252

[हिन्दी]

पर्यटन अवसंरचना हेतु विशेष प्रकोष्ठ

353. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को पर्यटन अवसंरचनाओं में सुधार के लिए विशेष प्रकोष्ठों के गठन संबंधी निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने राज्यों ने विशेष प्रकोष्ठों का गठन कर दिया है और कितने राज्यों ने अभी तक उक्त प्रकोष्ठों का गठन नहीं किया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से वैसी पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के रिरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय मॉनीटरिंग समितियां गठित करने के लिए कहा है, जिनके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि

354. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन क्षेत्र में मामूली वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में घरेलू पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रोड शो से पर्यटन क्षेत्र में सुधार करने में कितनी मदद मिलेगी?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) जबकि वर्ष 2008 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीएज) की संख्या में वर्ष 2007 की तुलना में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई, घरेलू पर्यटक आगमन की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि 6.9% थी। यह वृद्धि दर वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में विदेशी पर्यटक आगमन में 14.3% और घरेलू पर्यटक आगमन में 13.9% की वृद्धि दरों से कम है।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शोज आयोजित कर रहा है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत को प्रदर्शित करने के लिए एक रोड शो 12 अगस्त, 2009 को कोलकाता में आयोजित किया गया।

इन रोड शोज का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके विविध पर्यटन उत्पादों के व्यापक प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के अलावा, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों, मीडिया, ग्राहकों आदि के लिए उपलब्ध विविध पर्यटन अनुभावों को प्रदर्शित करना है। ये रोड शोज, क्षेत्र के यात्रा एवं व्यवसाय पार्टनरों की देश के अन्य क्षेत्रों के मध्य वन टू वन बिजिनेस बैठकों के लिए प्लेटफार्म भी प्रदान करते हैं।

राजकोषीय प्रोत्साहन को वापस लिया जाना

355. **श्री राजनाथ सिंह:**
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री देवजी एम. पटेल:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रोत्साहनों की श्रृंखला को वर्ष 2010 के पूर्वार्ध में वापस लेने की रूपरेखा तैयार की है, जिनकी घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मदद मिलेगी जो कि अभी भी दबाव में है; और

(ग) यदि नहीं, तो मुद्रास्फीतिकारक दबावों तथा बढ़ते राजकोषीय घाटे का प्रबंध किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी नहीं। वैयिवक वित्तीय संकट के चलते सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने के इस समय कोई रूपरेखा तैयार नहीं है।

(ग) इस समय अपनाया जा रहा विस्तारवादी राजकोषीय दृष्टिकोण एक अल्पावधिक उपाय है ताकि अर्थव्यवस्था में मांग में आई मंदी का समाधान किया जा सके और वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। उभरती बहुत-आर्थिक स्थिति को मॉनीटर करना और स्फीतिकारी दबावों के प्रबंधन सहित नीतियों का आकलन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सुरक्षा

356. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान उन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाओं में बैंकों को लूटे जाने की घटनाएं हुई हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि चूंकि, उन्हें उन स्थसानों के बारे में जानकारी नहीं है जो सरकारी रुप से "माओवादी प्रभावित क्षेत्रों" में शामिल किए गए हैं, अत: उनके पास माओवादी प्रभावित इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या से संबंधित विशिष्ट सूचना नहीं है जहां विगत एक वर्ष के दौरान बैंकों को लूटने की घटनाएं हुई। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 460 शाखाओं ने, अक्तूबर,2008 से सितम्बर, 2009 के दौरान, चोरी/सेंधमारी/डकैती/लूटपाट की घटनाओं की सूचना दी है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में किए गए/प्रारम्भ किए गए निवारक उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी करता है जिससे उन्हें अधिक जागरुक रहनेख उनलकी शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और लूटपाट/डकैती के लिए निवारक कार्रवाई कमरने की सलाह दी जाती।

(2) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकों की सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु जुलाई, 2004 में बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशनिर्देश परिचालित किए थे।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंकों के परामर्श से बैंक खाखाओं के सुरक्षा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 2008 में भारतीय बैंक संघ से अनुराध किया है जिसमें सुरक्षा प्रबंधन के महत्वपूण्र पहलुओं जेसे पहुंच पर नियंत्रण, आगन्तुकों को नियंत्रण में रखने संबंधी प्रबंधन, चौकसी, चेतावनी, नकदी रखने की सीमा के लिए सख्त मानदंड, नकदी, मूल्यवान वस्तुओं को लाने, ले जाने संबंधी सुरक्षा जेसे

मानदंडों का अनुपालन न करने पर जिम्मेदारी तय करना आदि शामिल है। भारतीय बैंक संघ ने यह सलाह दी है कि उन्होंने बैंकों से प्राप्त सूचना/प्रतिपुष्टि के आधार पर सुरक्षा पहलुओं की पूरी व्यवस्था का अधययन करने के लिए कए कार्यदल का गठन किया है।

(4) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लागू सुरक्षा उपायों की समीक्षा सभी राज्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा समय-समय पर आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकर्स एवं राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा भग लिया जाता है। समिति राज्य में सुरक्षा वातावरण की जांच करती है, बैंकों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए किए जाहने वाले जरुरी उपायों पर चर्चा करती है और बैंकों को अपेक्षित दिशानिर्देश/अनुदेश जारी करने की सलाह देती है।

(5) भारतीय रिजर्व बेंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयशें के क्षेत्रीय निदेशकों को फरवरी, 2007 में यह सलाह दी है कि वे बैंकों की सभी शाखाओं में क्लोस्ड सर्किट टी वी लगाने से संबंधित वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें और वहनीय आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के मामले की जांच भी करें।

[हिन्दी]

बड़े शहरों का जोन में विभाजन

357. श्री संजय सिंह चौहान:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों को जोन में विभाजित करने तथा तद्नुसार इन जोनों के लिए जोनल योजना तैयार करने के लिए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय निधियों को आबंटन करने का हैं; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) जी, नहीं। शहरी विकास मंत्रालय ने बड़े शहरों को जोनों में बॉटने और जोनल स्कीम बनाने या उनका वित्त पोषण करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

वोडाफोन द्वारा कर अपवंचन

358. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री ए. सम्पत:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री रूद्र माधव राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग को हाल ही में कर लगाए जाने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कंपनी की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कंपनी से बकाया कर वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) धन को सायफनिंग अथवा अवैध अंतरण के द्वारा विदेश भेजे जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) दिनांक 30.10.2009 को वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी वी (वीआईएच बीवी) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1) और 201 (1क) के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसके द्वारा कारण बताने की मांग की गई थी कि यह क्यों न माना जाए कि भारतीय टेलीकॉम कम्पनी हचीसन एस्सार लिमिटेड में एचटीआईएल के नियंत्रक हितों और अन्य परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए हचीसन टेली-कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड (एचटीआईएल) को लगभग 11.2 बिलियन अमरीकी डालर के किए गए भुगतान से स्रोत पर कर को न काटे जाने की चूक के लिए उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए आयकर विभाग के पास सक्षम अधिकार क्षेत्र हैं। वीआईएच बीवी को भी इसका कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त कर को काटने अदा करने में असफल रहने पर उसे एक चूककर्ता निर्धारित क्यों न माना जाए। वीआईएच बीवी द्वारा दिनांक 16.11.2009 तक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तथापि वीआईएच बीवी ने दिनांक 29.1.2010 तक और समय दिए जाने के लिए अनुरोध किया है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेश में अदा की गई आय उचित कर अदा किए जाते हैं, किसी अनिवासी भारतीय को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत वसूली योग्य किसी राशि से (वेतन शीर्ष के तहत वसूली योग्य आय होने के कारण नहीं) उक्त अधिनियम की धारा 195 के उपबंधों की शर्तों के अनुसार उस समय लागू दरों पर आयकर काटना अपेक्षित है। प्रेषक को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 37 ख ख के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार किसी

एकाउंटेंट से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रेषण से संबंधित जानकारी को निर्धारित फार्मों में इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश

359. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों में बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं के संबंध में कोई अनुदेश दिए है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में भविष्य के लिए क्या कार्य योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों पर दिनांक 1 जुलाई, 2009 के मास्टर परिपत्र सं. आरपीसीडी सं. आरएलएफएस. बीसी. 1/05.04.02/2009-10 के द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में वर्णित राहत उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

(क) फसल ऋणों और कृषि सावधि ऋणों के बकाए मूलधन और उन पर लगे ब्याज का सावधि ऋणों में रुपांतरण।

(ख) फसल खराब होने/फसलों को हानि की मात्रा की बारंबारता के आधार पर ऋणों एवं इस पर लगे ब्याज का 3 से 10 वर्ष की अवधि के लिए रुपांतरण/ऋण अवधि का पुनर्निर्धारण।

(ग) प्रभावित किसानों के लिए नए फसल ऋण।

(घ) रुपांतरित/पुनर्निर्धारित कृषि ऋणों को चालू बकाया के रुप में मानना।

(ङ) परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों के संबंध में ब्याज पर चक्रबृद्धि ब्याज न लगाना।

(च) शिथिल किए हुए प्रतिभूति एवं मार्जिन संबंधी मानदंड।

(छ) उन कृषि उत्पादकों, जिनकी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, को उपभोग ऋण देने का प्रावधान।

(ज) पुनर्निर्धारण करते समय कम से कम 1 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि।

1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त दिशा निर्देश आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू हैं।

एच.आई.वी. ग्रस्त लोगों का उपचार

360. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपचार तथा परिचर्या में वृद्धि के बावजूद 25 मिलियन एच.आई.वी. ग्रस्त लोगों में से एंटी-रिट्रोवायरल थेरपी (ए. आर.टी.) की आवश्यकता वाले 5 मिलियन लोगों को अभी भी उपचार उपलब्ध नहीं है जैसा कि डब्ल्यू.एच.ओ. की हाल में जारी रिपोर्ट में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में मात्र 16 प्रतिशत गभर्वती महिलाओं को एच.आई.वी. का उपचार मिल पाया तथा एच.आई.वी. ग्रस्त भारतीय महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए 22 प्रतिशत बच्चों को ए.आर.टी. मिल रहा था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एच.आई.वी. पाजिटिव रोगियों को ए.आर.टी. के अंतर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) "सार्वभौमिक पहुंच की ओर: स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिकता वाले एचआईवी/एड्स कार्यकलापों को तेज करने" के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रगति रिपोर्ट 2009 के अनुसार यह कहा गया है कि "एआरटी की आवश्यकता वाले 5 मिलियन से अधिक लोगों को अभी भी उपचार सुलभ नहीं है"। यह वैश्विक आंकड़े हैं। जहां तक भारत का संबंध है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III में हमारा लक्ष्य मार्च, 2012 तक एचआईवी/एड्स से पीड़ित 3,40,000 लोगों को नि:शुल्क एआरटी उपलब्ध कराना है। सितम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार 268180 एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति देश भर में 226 एआरटी केन्द्रों में नि:शुल्क एआरटी प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 21,893 गर्भवती महिलाएं पाजिटिव पाई गई और इनमें से 10,975 (50.3 प्रतिशत) महिलाओं और उनके नवजात बच्चों को मां से बच्चे में एचआईवी के संचरण को रोकने के लिए उपचार प्रदान किया गया। इस समय कुल 59052 बच्चे एआरटी केन्द्रों में पंजीकृत हैं और 16,940 पात्र बच्चे एआरटी प्राप्त कर रहे हैं।

(ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तकनीकी रूप से प्राप्त सभी एचआईवी पाजिटिव रोगियों को एआरटी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रहा है:

* रोग की व्याप्तता और रोगियों की संख्या के अनुसार एआरटी नैदानिक एवं उपचार सेवाओं का विस्तार,

* रोगियों के आवास के पास सेवाएं प्रदान करने के लिए लिंक एआरटी केंद्रों की स्थापना,
* एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की परिचर्या एवं सहयोग के लिए सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों की स्थापना,
* यह सुनिश्चित करना कि एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों में पता लगाए सभी एचआईवी पाजिटिव व्यक्तियों को एआरटी केन्द्रों में भेजा जाता है और उनको सूचित किया जाता है,
* विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों को प्रशिक्षण,
* एआरटी सेवाओं की उपलब्धता के बारे में में इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलाप,
* एआरटी कार्यक्रम में पाजिटिव लोगों एवं गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क की सहभागिता।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाएं

361. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री एम. के. राघवन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल सहित देश में जल विद्युत परियोजनाओं को लगाए जाने हेतु पहचान किए गए स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इन परियोजनाओं के कब तक चालू होने की संभावना है;

(ग) क्या देश में अंतरराज्यीय जल विवादों के कारण जल विद्युत परियोजनाओं को लगाए जाने पर प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) 11वीं योजना की शुरूआत में, योजना आयोग ने 15627 मे.वा. की अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता का अनुमोदन किया है जिसमें 11वीं योजना अवधि के दौरान केरल राज्य के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 8654 मे.वा., राज्य क्षेत्र में 3482 मे.वा. और निजी क्षेत्र में 3491 मे.वा. शामिल है।

केरल राज्य में निम्नलिखित दो जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपीएस) निर्माणाधीन हैं-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावित तारीख
1.	कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार	2x50=100	मार्च, 2010
2.	पल्लीवसल विस्तार	3x20=60	12 वी योजना स्लिपिंग

देश में 11वीं योजना के दौरान लाभ के लिए निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अंतरराज्यीय जल विवादों के कारण प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे की सूची संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ङ) जल विवादों के निपटारे के लिए तंत्र अंतरराज्यीय नदी जल विवादों (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के रूप में पहले से उपलब्ध है। उपर्युक्त अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार ट्रिबूनल द्वारा जल विवादों को समयबद्ध कर दिया गया है।

विवरण I

11वीं योजना के दौरान योजनानुसार पूर्ण होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं-वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम /कार्यान्वित एजेंसी/राज्य	क्षेत्र	रेटींग नौक्स मेवा=मेवा	11वीं योजना के दौरान संभावित क्षमता वृद्धि					लक्ष्य (मेवा)
				2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हिमाचल प्रदेश								
	चालू			शून्य					
	कार्यान्वयानाधीन								
1.	चमेरा स्टे. II एनएचपीसी	सीएस	3x77=231				231		231
2.	पार्वती स्टे. III एनएचपीसी	सीएस	4x130=520				520		520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	कोल डैम एनटीपीसी	सीएस	4x200=800					800	800
4.	एलेन दुहांगन एडीएचपीएल	निजी	2x96=192			192			192
5.	करचम वांगटू जेपीकेएचसीएल	निजी	4x250=1000					1000	1000
6.	बुधील लैंको	निजी	2x35=70				70		70
7.	मलाना-II एवरेस्ट पीसी	निजी	2x50=100			100			100
8.	सोरंग सोरंग पीसी	निजी	2x50=100					100	100
	उप जोड़								3013
	जम्मू व कश्मीर								
	चालू								
9.	बगलीहार जेकेपीडीसी	एसएस	3x150=450		450				450
	उप जोड़								450
	कार्यान्वयानाधीन								
10.	उरी-II एनएचपीसी	सीएस	4x60=240				240		240
11.	सेवा-II एनएचपीसी	सीएस	3x40=120			120			120
12.	नीमू बाजगो एनएचपीसी	सीएस	3x15=45					45	45
13.	चूटक एनएचपीसी	सीएस	4x11=44					44	44
	उप जोड़								449
	उत्तराखंड								
	चालू								
14.	मनेरी भली-II यूजेबीएनएल	एसएस	4x76=304	304					304
	उप जोड़								304
	कार्यान्वयानाधीन								
15.	कोटेश्वर टीएचडीसी	सीएस	4x100=400				400		400
16.	श्रीनगर जीवीकेइंड	निजी	4x82.5=330					330	330
	उप जोड़								730
	मध्य प्रदेश								
	चालू								
17.	ओमकारेश्वर एनएचडीसी	सीएस	8x65=520	520					520
	उप जोड़								520
	कार्यान्वयानाधीन								
18.	महेश्वर एसएमएचपीसीएल	निजी	10x40=400					400	400
	उप जोड़								400
	महाराष्ट्र								
	चालू								
19.	घाट घर डब्लू आर डी	एसएस	2x125=250		250				250
	उप जोड़								250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आंध्र प्रदेश								
	चालू								
20.a.	प्रियदर्शनी जुराला एपीजेनको	एसएस	6x39=234	39	39	39			117
	उप जोड़								117
	कार्यान्वयानाधीन								
20b.	प्रियदर्शनी जुराला एपीजेनको	एसएस	6x39=234			78	39		117
21.	नागार्जुन सागर टीआर एपीजेनको	एसएस	2x25=50				50		50
22.	लोअर जुराल एपीजेनको	एसएस	6x40=240					120	120
23.	पुलीचीनताला एपीजेनको	एसएस	4x30=120					120	120
	उप जोड़								407
	केरल								
	चालू			शून्य					
	कार्यान्वयानाधीन								
24.	कुटीयादी विस्तार केएईबी	एसएस	2x50=100			100			100
	उप जोड़								100
	कर्नाटक								
	चालू								
25.	वराही विस्तार केपीसीएल	एसएस	2x115=230		230				230
	उप जोड़								230
	तमिलनाडु								
	चालू			शून्य					
	कार्यान्वयानाधीन								
26.	भवानी बैराज-II	एसएस	2x15=30					30	30
27.	भवानी बैराज III	एसएस	2x15=30					30	30
	उप जोड़								60
	पश्चिम बंगाल								
	चालू								
28.	पुरूलिया पीएसएस डब्लूबीएसईबी	एसएस	4x225=900	900					900
	उप जोड़								900
	कार्यान्वयानाधीन								
29.	तीस्ता लो डैम-III एनएचपीसी	सीएस	4x33=132				132		132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	तीस्ता लो डैम-IV एनएचपीसी	सीएस	4x40=160					160	160
	उप जोड़								292
	उड़ीसा								
	चालू								
31.	बालीमेला विस्तार ओएचपीसी	एसएस	2x75=150	150					150
	उप जोड़								150
	सिक्किम								
	चालू								
32.	तीस्ता-V एनएचपीसी	सीएस	3x170=510	510					510
	उप जोड़								510
	कार्यान्वयानाधीन								
33.	चुजाचेन गती	निजी	2x49.5=99				99		99
34.	तीस्ता-III तीस्ता यूआरजेए	निजी	6x200=1200					1200	1200
	उप जोड़								1299
	मेघालय								
	चालू			शून्य					
	कार्यान्वयानाधीन								
35.	मिंटडू स्टे-I एमईएसईबी	एसएस	2x42=84			84			84
36.	नई उभतरू एमईएसईबी	एसएस	2x20=40					40	40
	उप जोड़								124
	योग 11वीं योजना			2423	969	713	1781	4419	10305

11वीं योजना के दौरान निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो 12वीं योजना में सरक गई

क्र.सं.	परियोजना का नाम /कार्यान्वित एजेंसी/राज्य	क्षेत्र	रेटिंग नौक्स मेवा=मेवा	11वीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम					12वीं योजना में लाभ
				2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हिमाचल प्रदेश								
	कार्यान्वयानाधीन								
1.	पार्वती स्टे-II एनएचपीसी	सीएस	4x200=800					800	800
2.	रामपुर एसजेवीएनएल	सीएस	6x68.67=412					412	412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	स्वारा कुडु पीवीसी	एसएस	3x36.67=110					110	110
4.	उहल-III एचपीजेवीवीएनएल	एसएस	3x33.3=100					100	100
	उत्तराखंड								
	कार्यान्वयानाधीन								
5.	लोहरीनागपाल एनटीपीसी	सीएस	4x150=600					600	600
6.	तपोवन विष्णुगाड एनटीपीसी	सीएस	4x130=520					520	520
	आंध्र प्रदेश								
	कार्यान्वयानाधीन								
7.	लोअर जुराल एपीजेनको	एसएस	6x40=240					120	120
	केरल								
	कार्यान्वयानाधीन								
8.	पल्लीवसल केएसईबी	एसएस	3x20=60					60	60
	अरुणाचल प्रदेश								
	कार्यान्वयानाधीन								
9.	सुबंसीरी लोअर एनएचपीसी	सीएस	8x250=2000					2000	2000
10.	कामेंग नीपको	सीएस	4x150=600					600	600
	12वीं योजना में छूट गया			0	0	0	0	5322	5322

विवरण II

हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजनाओं में शामिल अंतरराज्यीय पहलू

क्र.सं.	योजना का नाम/स्थापित क्षमता मेगावाट में	कुल स्थापित क्षमता मेवा	स्थान (राज्य)	शामिल राज्य
1	2	3	4	5
ए.	**केरल में हाइड्रो इलेक्ट्रक योजना**			
1.	केरल भवानी (एमपीपी) (3x50=150 मेवा)	150	केरल	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक
2.	मनंथवदी एमपीपी (5x45=225 मेवा)	225	केरल	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक
3.	पंडीआर पुन्नापुझा तेल रेस (105 मेवा)	105	केरल	केरल/तमिलनाडु

1	2	3	4	5
4.	पाम्बर (40 मेवा)	40	केरल	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक
बी.	**तमिलनाडु में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
5.	नीलोथरी (1x50=50 मेवा)	50	तमिलनाडु	केरल/तमिलनाडु
6.	पंडीआर पुन्नापुझा (2x50=100 मेवा)	100	तमिलनाडु	केरल/तमिलनाडु
7.	कावेरी पावर परियोजना (होगनेक्काल व रासीमनाल) (120+360=480 मेवा)	480	तमिलनाडु	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक
8.	चोलातीपुझा (1x60=60 मेवा)	60	तमिलनाडु	केरल/तमिलनाडु
9.	कुंदा पंप्ड स्टोरेज एचईपी (4x125=500 मेवा)	500	तमिलनाडु	तमिलनाडु/कर्नाटक/पुडुचेरी/केरल
सी.	**कर्नाटक में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
10.	वृंदावन (2x6=12 मेवा)	12	कर्नाटक	तमिलनाडु/कर्नाटक
11.	कावेरी पावर परियोजना-मेकाडाटु-(400 मेवा)	400	कर्नाटक	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक
12.	कावेरी पावर परियोजना-विसमुंद्रम सिजनल (2x135=270 मेवा)	270	कर्नाटक	केरल/तमिलनाडु/कर्नाटक
13.	कटला व पालना डायवर्जन (ऑगमेंटेशन)		कर्नाटक	गोवा/कर्नाटक
14.	महादायी (2x10+2x150=320 मेवा)	320	कर्नाटक	गोवा/कर्नाटक
डी.	**आंध्र प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
15.	इंचमपल्ली एमपीपी (13x75=975 मेवा)	975	आं.प्र.	आं.प्र./म.प्र./छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र
ई.	**पंजाब में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
16.	साइल (2x18+2x7=50 मेवा)	50	पंजाब	पंजाब/हरियाणा/राजस्थान
एफ.	**महाराष्ट्र में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
17.	भीवपुरी (निजी) (1x90=90 मेवा)	90	महाराष्ट्र	महा./कर्नाटक/अं.प्र.
जी.	**उड़ीसा में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
18.	सींडोल (5x20+5x20+6x20=320 मेवा)	320	उड़ीसा	म.प्र./छत्तीसगढ़/बिहार/झारखंड/उड़ीसा/महाराष्ट्र
एच.	**उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
19.	किसानु डैम एमपीपी (4x150=600 मेवा)	600	उत्तराखंड	उत्तराखंड/उ.प्र./हि.प्र./राजस्थान
20.	एनएचपीसी द्वारा लखवर व्यासी एमपीपी (3x100+2x60=420 मेवा)	420	उत्तराखंड	राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली

1	2	3	4	5
आई.	**उत्तर प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
21.	पंचनाद एमपीपी (6x15=मेवा)	90	उ.प्र.	उ.प्र./म.प्र./राजस्थान
जे.	**हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
22.	रेनुका डैम (2x20=40 मेवा)	40	हिमाचल प्रदेश	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश
के.	**झारखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
23.	शंख स्टे-II (2x90+2x3=186 मेवा)	186	झारखंड	झारखंड/बिहार/म.प्र./उड़ीसा
एल.	**गोवा में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
24.	दुधसागर (2x15=30 मेवा)	30	गोवा	गोवा/कर्नाटक
एम.	**मध्य प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
25.	ओरछा एमपीपी (2x30+2x15=90 मेवा)	90	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश/म.प्रदेश
26.	केन (2x15+2x10=50 मेवा)	50	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश/म. प्रदेश
एन	**छत्तीसगढ़ में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
27.	मतनार (3x20=60 मेवा)	60	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़/आंध्र प्रदेश/उड़ीसा
ओ.	**असम में हाइड्रो इलेक्ट्रीक योजना**			
28.	करबी लांगपी (अपर बोरपानी) (2x30=60 मेवा)	60	असम	मेघालय/असम

[अनुवाद]

बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा

362. श्री जी. एम. सिद्देश्वर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 5 वर्ष से कम आयु वाले 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बच्चों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में दरिद्र परिवारों को पहुंच वाली, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में आरम्भ किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इन सुविधाओं को बढ़ाया/उन्नयन किया जाता है। देश में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के बगैर रह रहे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में कोई विशिष्ट सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II विस्तृत रूप से विभिन्न कार्यकलाप करता है जिनका उद्देश्य बाल स्वास्थ्य में सुधार लाना और बच्चों में रूग्णता एवं मौत के कारणों का पता लगाना है।

बाल स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न घटकों, जो कि बाल मृत्यु एवं रूग्णता को कम करने में सहायता करते हैं, में शामिल हैं: अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या, प्रतिरक्षण त्वरित श्वसनीय संक्रमणों, डायरिया एवं अन्य संक्रमणों को जल्द पता लगाना एवं समुचित प्रबंधन, नवजात शिशु एवं बाल रूग्णता का एकीकृत प्रबंधन, पूर्व सेवा आईएमएनसीआई सुविधा आधारित नवजात शिशु परिचर्या, कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, प्रतिरक्षण, नवजात शिशु एवं छोटे बच्चों को पोषण, विटामिन ए का सम्पूरण और लौह एवं फोलिक अम्ल का सम्पूरण।

मौद्रिक नीति

363. श्री एम.के. राघवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा क्या मौद्रिक नीति अपनाई गई है;

(ख) क्या इससे प्रत्याशित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2008-09 के पूर्वार्द्ध में बढ़े हुए स्फीतिकारी दबावों की प्रतिक्रिया स्वरूप मौद्रिक कठोरता के अपने नीतिगत दृष्टिकोण में बदलाव लाकर कम होते स्फीतिकारी दबावों और उभरती वैश्विक आर्थिक स्थिति से उत्पन्न विकास में संतुलन को देखते हुए इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में मौद्रिक लचीलेपन की ओर रूख किया। वर्ष 2009-10 का नीतिगत दृष्टिकोण अप्रैल, 2009 के वार्षिक नीति विवरण में दिखाया गया है और उसके बाद जुलाई, 2009 तथा अक्टूबर 2009 में क्रमश: मौद्रिक नीति की पहली और दूसरी तिमाही की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीतिगत दृष्टिकोण इस प्रकार है कि इससे मूल्य स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता के अनुरूप मौद्रिक और ब्याज दर व्यवस्था बनाए रखी जा सके और यह विकास प्रक्रिया में सहायक हो। इसका उद्देश्य ऋण की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पादनकारी क्षेत्रकों की ऋण संबंधी जरूरतें व्यवहार्य दरों पर पूरी करना सुनिश्चित करना भी है; तथा मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और संकेतों पर नजर रखना और नीतिगत समायोजनों के माध्यम से उपयुक्त कार्रवाई करना भी है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय उपाय पुरक स्वरूप के होते हैं ताकि आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखी जा सके। देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि जो 2008-09 की तीसरी तिमाही में गिरकर 5.8 प्रतिशत पर आ गई थी, 2008-09 की चौथी तिमाही में 5.8 प्रतिशत के उसी स्तर पर बनाए रखी गई। आर्थिक विकास में सुधार देखा गया जब यह वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही में 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गया।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा कृषि ऋण

364. श्री महेश जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक कृषि ऋण देने के लिए इच्छुक नहीं हैं;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए अन्य ऋणों की तुलना में कृषि ऋण का तुलनात्मक राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18 प्रतिशत या तुलनपत्र बाह्य निवेश की राशि के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो, कृषि क्षेत्र को ऋण हेतु घरेलू वाणिज्यिक बैंकों (गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित) के लिए निर्धारित किया गया है। जहां तक भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों का संबंध है, कृषि ऋण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

पिछले तीन वर्ष में गैर-सरकारी क्षेत्र के घरेलू वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अन्य ऋणों की तुलना में कृषि ऋणों का तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परिशिष्ट: गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को अग्रिम
(सूचना देने की तारीख के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	मार्च 2007		मार्च 2008		मार्च 2009@	
	राशि	एएनबीसी का प्रतिशत	राशि	एएनबीसी का प्रतिशत	राशि	एएनबीसी का प्रतिशत
प्राथमिकता क्षेत्र जिसमें से	1,44,54	42.9	1,64,068	47.8	1,90,20	46.8
1. कृषि	52,034	12.7	58,567	15.4	76,062	15.9
2. लघु उद्योग	13,136	3.9	–	–	–	–
3. लघु उद्यम	–	–	46,912	13.7	47,916	12.0
4. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	76,919	22.9	–	–	–	–
5. खुदरा व्यापार	–	–	8,037	2.4	7,325	1.8
6. सूक्ष्म ऋण	–	–	2,494	0.7	4,612	1.1
7. शिक्षा	–	–	509	0.1	797	0.2
8. आवास	–	–	47,516	13.8	53,463	13.2

@:आंकड़े अनन्तिम है।

#प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अग्रिमों की व्यापक श्रेणियों में कृषि, लघु उद्यम क्षेत्र, खुदरा व्यापार, सूक्ष्म ऋण, शिक्षा और आवास शामिल है।

*:प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम संबंधी नये दिशा-निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार, लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषाओं को ध्यान में रखा गया है।

टिप्पणी: 1. कृषि के लिए प्रतिशत की गणना हेतु एएनबीसी के 4.5 प्रतिशत तक अप्रत्यक्ष कृषि को गणना में लिया गया है।

2.. एएनबीसी-30 अप्रैल, 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण या तुलन पत्र बाह्य निवेश की राशि के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो।

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक: बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़े

मिलावटी खाद्य पदार्थ

365. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री भक्त चरण दास:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश के विभिन्न भागों से मिलावटी दुग्ध उत्पादों, खाद्य वनस्पति तेल, मसालों, दालों, सब्जियों तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की बिक्री के काफी मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य में शामिल कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं तथा उनके विरूद्ध राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के कार्यकलाप को रोकने के लिए एक समन्वित खाद्य कानून तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली, 1955 को कार्यान्वित करने का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सौंपा गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें नियमित रूप से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेती हैं और अपमिश्रित खाद्य की शिकायतों के मामले में समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। गत वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री के मामलों की संख्या दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 सहित विभिन्न खाद्य नियमों को समेकित करके और अधिक व्यापक उपबंधों से उनको प्रतिस्थापित करने तथा खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात विनियमित करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक नया अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है। तदनुसार सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्थापित कर लिया है और इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। देश में खाद्य नियमों के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने वाले विभिन्न प्राधिकरणों को एक छत्र खाद्य प्राधिकरण के अधीन लाया गया है।

तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक

366. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष विज्ञापनों पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या तम्बाकू कंपनियां अभी भी अपने उत्पादों का विभिन्न पत्रिकाओं तथा विज्ञापन के अन्य माध्यमों में विज्ञापन दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.गांधीसेलवन): (क) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के सभी प्रकार के विज्ञापनों (प्रत्यक्ष/परोक्ष) का प्रतिषेध करती है।

(ख) इस मंत्रालय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.2.2009 की जीएसआर संख्या 138 (ई) के अंतर्गत अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2009 की जानकारी है जो ब्राण्ड का नाम अथवा लोगों के प्रयोग की अनुमति देता हैं जो कि सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद के लिए भी प्रयोग होता है। तथापि, चूंकि यह सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधान का उल्लंघन करता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त नियमों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के विधिक प्रावधनों के अनुरूप संशोधित किया जाए।

(ग) राज्यों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 के उल्लंघन की विशिष्ट घटनाओं पर ध्यान देने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर निगरानी/संचालन समितियां स्थापित करने के निदेश दिए गए हैं।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सुविधाएं/नियम

367. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा हाल में आयोजित 'इंडिया इलेक्ट्रिसिटी 2009' सेमिनार में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में वित्तीय सुविधाओं एवं नियमों में परिवर्तन के लिए मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए वित्तीय सुविधाओं एवं नियमों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (घ) फिक्की द्वारा "इंडिया इलैक्ट्रिसिटी 2009" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। विचार-विमर्श के दौरान विद्युत

क्षेत्र को दीर्घकालीन वित्त मुहैया कराने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए। अब तक, इस मामले में फिक्की से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

ठंड तथा दर्द की दवाओं पर प्रतिबंध

368. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ठंड तथा दर्द के लिए कुछ लोकप्रिय दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दवाओं के विनिर्माण, बिक्री तथा विज्ञापन को रोकने के लिए सरकार द्वारा तथा कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सांसदों और मीडिया ने निमेसुलाइड, फेनिलप्रोसेनोलेमाइन इत्यादि जैसे कतिपय औषध योगों, जिनको कुछ अन्य देशों में हटा लिया गया है। प्रतिबंधित कर दिया गया है, के निरन्तर विपणन करने के बारे में चिंता प्रकट की है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक बोर्ड, औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है। औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एच.आई.वी/एड्स संबंधी विधेयक को अंतिम रूप दिया जाना

369. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एच.आई.वी/एड्स संबंधी विधेयक को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) इस समय एचआईवी/एड्स के बारे में विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, इस अवस्था में इसको अंतिम रूप देने की कोई पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र

370. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों (आर.एच.सी.) की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र अर्ह चिकित्सा अधिकारी के साथ कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या कई ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की इन अकार्यशील ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों को पुन: कार्यशील बनाने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इन ग्रामीण लोगों को क्या अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदान करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रहे उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अर्हता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ही प्रदान किए जाते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार, मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नियमित पदों के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 24375 चिकित्सक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 4279 विशेषज्ञ कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 31.8.2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 2344 विशेषज्ञ, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 9874 चिकित्सा अधिकारी और 6660 आयुष चिकित्सा संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्य कर रहे उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप केन्द्र	प्रा.स्वा.केन्द्र	सा.स्वा.केन्द्र
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12522	1570	167
2.	अरुणाचल प्रदेश	592	116	44
3.	असम	4592	844	103
4.	बिहार	8858	1641	70
5.	छत्तीसगढ़	4741	721	136
6.	गोवा	172	19	5
7.	गुजरात	7274	1073	273
8.	हरियाणा	2433	420	86
9.	हिमाचल प्रदेश	2071	449	73
10.	जम्मू और कश्मीर	1907	375	85
11.	झारखंड	3958	330	194
12.	कर्नाटक	7143	2195	323
13.	केरल	5094	909	107
14.	मध्य प्रदेश	8834	1149	270
15.	महाराष्ट्र	10579	1816	407
16.	मणिपुर	420	72	16
17.	मेघालय	401	103	26
18.	मिजोरम	366	57	9
19.	नागालैंड	397	86	21
20.	उड़ीसा	6688	1279	231
21.	पंजाब	2858	484	126
22.	राजस्थान	10742	1503	349
23.	सिक्किम	147	24	4

1	2	3	4	5
24.	तमिलनाडु	8706	1215	206
25.	त्रिपुरा	579	76	11
26.	उत्तराखंड	1765	239	55
27.	उत्तर प्रदेश	20521	3690	515
28.	पश्चिम बंगाल	10356	924	349
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	114	19	4
30.	चंडीगढ़	14	0	2
31.	दादरा और नगर हवेली	38	6	1
32.	दमन और दीव	22	3	1
33.	दिल्ली	41	8	0
34.	लक्षद्वीप	14	4	3
35.	पुडुचेरी	7	39	4
	अखिल भारत	146036	23458	4276

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों को वित्तीय सहायता

371. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में राज्य-वार कुल कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा जारी की गई राशि तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा इनके उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निधियों के दुरुपयोग/विपथन को रोकने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण को और कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में 19,92,098 महिलाएं (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रिया और सहायिकाएं) कार्यरत हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www.wcd.nic.in) के बाल विकास खण्ड में 'डेटा टेबल ऑन आई.सी.डी.एस.' में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) आई.सी.डी.एस. (सामान्य) तथा पूरक पोषण हेतु राशि की निर्मुक्ति राज्य सरकारों को की जाती हैं, न कि अलग-अलग आंगनवाड़ी केंद्रों को। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त राशि और उनके द्वारा उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www.wcd.nic.in) के बाल विकास खण्ड में 'डेटा टेबल ऑन आई.सी.डी.एस., में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा राशि के उपयोग की मानीटरन व्यय विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्रों के माध्यम से नियमित रूप से किया जाता है। इसके अलावा, सामान्य लेखा परीक्षा, निरीक्षण और सतर्कता ढांचा भी उपलब्ध है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र

372. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सहित देश में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष कितने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहले से कार्यरत तथा नई भर्ती की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण की जरूरत के आधार पर खोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 66 आंगवनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक कुल 512 आंगवनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक नये आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रश्न है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रशिक्षण की जरूरतों की समीक्षा की प्रक्रिया जारी है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रस्तावों के आधार पर जहां जरूरत समझी जाती है वहां नये आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का अनुमोदन किया जाता है।

(ग) प्रतिवर्ष प्रशिक्षित की जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या का प्रस्ताव, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार की गई अपनी-अपनी वार्षिक राज्य प्रशिक्षण कार्य योजनाओं में निर्दिष्ट होता है। तथापि, इस वित्तीय वर्ष में, विद्यमान 512 आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 325782 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा 269885 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को विविध प्रकार के प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

विवरण

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए दिनांक 16.11.2009 तक कार्यरत प्रशिक्षण केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/वार राज्य क्षेत्र	कार्यरत आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	66
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	45
4.	बिहार	65
5.	छत्तीसगढ़	14
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	17
8.	हरियाणा	10
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू और कश्मीर	8
11.	झारखण्ड	15
12.	कर्नाटक	20
13.	केरल	13
14.	मध्य प्रदेश	25
15.	महाराष्ट्र	35
16.	मणिपुर	4
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	1
20.	उड़ीसा	26
21.	पंजाब	9
22.	राजस्थान	12
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु*	*
25.	त्रिपुरा	5
26.	उत्तर प्रदेश	66
27.	उत्तराखंड	7
28.	पश्चिम बंगाल	30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	0
31.	दमन व दीव	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दिल्ली	5
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुडुचेरी	0
	कुल	512

*तमिलनाडु में कोई आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, क्योंकि यहां से प्रशिक्षण बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षकों द्वारा दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

स्टेम सेल बैंकिंग

373. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेम सेल बैंकिंग विनियामक ढांचे के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में स्टेम सेल बैंकिंग के प्रशासन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) से (ग) स्टेम सेल बैंकिंग के लिए कोई पृथक विनियामक ढांचा स्थापित नहीं किया गया है। अब तक केवल स्टेम सेल बैंकिंग को कोर्ड ब्लड बैंकिंग के रूप में सन्दर्भित किया जाता है। ब्लड बैंकिंग की ही तरह कोर्ड ब्लड अथवा कोर्ड ब्लड स्टेम सेल बैंकिंग को समान विनियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत विचार किया जाता था जिसके लिए भारतीय महाऔषध नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है।

(घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और जैवप्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से वर्ष 2007 में स्टेम सेल अनुसंधान और थिरेपी के लिए दिशा-निर्देश किए हैं। यह दिशानिर्देश दस्तावेज केवल मानव स्टेम सेल लाइन्स की बैंकिंग और रजिस्ट्री को कवर करता है। स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में हाल ही के क्षेत्रीय विकास और प्रमुख विषयों पर जनता के मत को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों पर देश के चारों क्षेत्रों में विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

374. श्री संजय धोत्रे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य स्वास्थ्य सचिवों तथा परिवार कल्याण के प्रभारी निदेशकों की एक बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य स्वास्थ्य सचिवों और परिवार कल्याण के प्रभारी निदेशकों की समय-समय पर बैठकें बुलाता है जिसमें राज्यों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी सामयिक विषयों पर चर्चा की जाती है।

(ग) और (घ) परिवार नियोजन कार्यकलापों में भाग लेने के लिए मान्यताप्राप्त निजी क्षेत्र के प्रदायकों को प्रोत्साहित करने हेतु नसबन्दी एवं नलबंदी करने के लिए 1500 रु. की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ङ) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है जिससे दम्पति अपनी पसन्द से सर्वाधिक उपयुक्त परिवार नियोजन विधिया अपना सकते हैं।

जनसंख्या स्थिरीकरण अप्रैल, 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में से एक है। इसमें बाल मृत्यु, मातृ मृत्यु और प्रजननता दर में कमी लाने पर जोर दिया जाता है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:-

(1) बंध्यकरण की विफलता, जटिलताओं और इसके कारण होने वाली मौतों के लिए बंध्यकरण कराने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु नवम्बर, 2005 से राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा स्कीम शुरू की गई है और इसमें डाक्टरों को क्षतिपूर्ति बीमा भी प्रदान किया जाता है।

(2) परिवार नियोजन में सितम्बर, 2007 में बंध्यकरण के लिए मुआवजा पैकेज बढ़ा दिया गया अर्थात् सरकारी सुविधा केन्द्रों में नसबन्दी के लिए मुआवजा पैकेज 800 रु. से बढ़ाकर 1500 रु. और नलबन्दी के लिए 800 रु. से बढ़ाकर 1000 रु. और सभी राज्यों में नसबन्दी के लिए सभी श्रेणियों के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मुआवजा पैकेज को समान रूप से बढ़ाकर 1500 रु. कर दिया गया है।

(3) परिवार नियोजन सेवाओं के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में विशिष्ट कार्यबिन्दुओं/कार्यनीतियों को शामिल कर लिया गया है।

(4) पुरूष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नो स्केलपल वेसेक्टोमी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना।

(5) 10 वर्षों तक कामयाब रहने और अन्य आईयूडी की तुलना में अधिक विशेषताओं के होने के कारण आईयूडी 380 ए को जन्म में अन्तर रखने की विधि के रूप में गहन रूप से बढ़ावा देना।

(6) सातों दिन 24 घंटे कार्य करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बढ़ती संख्या और बेहतर कार्य करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अन्य स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सालों भर दिन नियत स्थान पर परिवार नियोजन सेवाओं को बढ़ावा देना।

(7) कार्यक्रम में सिलसिलेवार ढंग से और सावधानीपूर्वक नये एवं प्रभावकारी गर्भनिरोधकों को शुरू करके गर्भनिरोधकों को विकल्प बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं और मासिक स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के माध्यम से किए जा रहे आउटरीच सेवाओं से भी सहायता मिल है।

[हिन्दी]

कुपोषण संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदण्ड

375. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कोई नए मानदण्ड प्रस्तावित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन मानदण्डों का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदण्डों को स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विहित और भारतीय मानदण्डों में क्या अंतर है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के विकास के मानीटरन के लिए नए बाल विकास मानकों का सुझाव दिया है।

इन मानकों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अल्पपोषण के मौजूदा अनुमानों में इस प्रकार परिवर्तन आएगा:

(क) सामान्य वजन वाले कुल बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी,

(ख) अत्यधिक कम वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि,

(ग) 0-6 माह की आयु-वर्ग के मामूली तथा अत्यधिक अल्पवजनी बच्चों की संख्या में वृद्धि।

(घ) जी, हां। सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा स्कीम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बच्चों के विकास के मानीटरन के लिए 15 अगस्त, 2008 से नए मानक अंगीकार कर लिए हैं।

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मानक स्तनपान करने वाले शिशुओं पर आधारित हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी मानक केंद्र के इससे पहले वाले मानक स्तनपान करने वाले तथा ऊपरी आहार लेने वाले बच्चों पर आधारित थे। स्तनपान करने वाले बच्चे स्वस्थ विकास माप के सर्वोत्तम मानक हैं।

नए मानक दर्शाते हैं कि सभी क्षेत्रों के समस्त बच्चे सही आहार पद्धतियों से लम्बाई, वजन तथा विकास के एक समान मानक प्राप्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

376. श्री जयराम पांगी:
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यक्तियों/संगठनों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनको इस सूची में शामिल करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा सूची को अंतिम रूप कब तक दे दिया जायेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय को वर्षों से विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ओर से 1000 से अधिक प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 342 तथा इन उद्देश्यों के लिए दिनांक 15.06.1999 को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रविधियों के अलोक में केवल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशें ही प्रक्रियान्वित की जाती हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन और विलोपन एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

नैदानिक अनुसंधान बोर्ड

377. श्री उमाशंकर सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी नैदानिक अनुसंधान बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रारूप तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बोर्ड क्या कार्य करेगा; और

(ङ) इस बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) से (ङ) इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

पोषण कार्यक्रम

378. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार देश के कितने जिलों में किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु पोषण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है;

(ख) चालू-वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु आबंटित निधियों एवं प्रस्तुत निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी लड़कियों को लाभग्राही बनाने का लक्ष्य है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम को देश के अन्य जिलों में भी लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित देश के कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोरियों हेतु दो स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, मानत: (1) किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम, जो देश के 51 अभिनिर्धारित जिलों में 11-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा है; और (2) किशोरी शक्ति योजना, देश के सभी जिलों में 11-18 वर्ष की किशोरियों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए चलाई जा रही है, जिसमें प्रति आंगनवाड़ी केंद्र 2-3 किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है। किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले जिलों तथा किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत आने वाले ब्लॉकों की राज्य-वार संख्या मंत्रालय की वेबसाइट (www.wcd.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत 162.77 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है, जिसमें से 51.04 करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक निर्मुक्त किए जा चुके हैं। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 20.25 लाख रुपये निर्मुक्त किए जा चुके हैं।

(ग) किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम तथा किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत लाभान्वित की जाने वाली किशोरियों की संभावित संख्या क्रमश: 27 लाख और 21 लाख है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने किशोरियों के सशक्तीकरण हेतु सबला (राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम) नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव रखा है, जिसमें मंत्रालय की दो मौजूदा स्कीमों, अर्थात् किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम तथा किशोरी शक्ति योजना का विलय कर नए घटक शामिल किए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन इस स्कीम को देश की सभी आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

टीका उत्पादन

379. डॉ. बलीराम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के रेबीज रोधी टीका सहित कुछ टीकों का उत्पादन भारतीय भेषज महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टीकों का उत्पादन रोकने से बाजार में इन टीकों की कमी हो गई है जिसके कारण निजी कंपनियों ने इनके मूल्य बढ़ा दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के तीन एककों नामत: केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (हिमाचल प्रदेश), पाश्वर इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर (तमिलनाडु) और बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी, चेन्नई (तमिलनाडु) जो कि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन है, के विनिर्माण लाइसेंसों पर महाऔषध नियंत्रक (भारत) द्वारा जनवरी, 2008 से रोक लगा दी गई थी क्योंकि यह पाया गया कि ये एकक औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची एम के अन्तर्गत यथाव्यवस्थित उत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं (जीएमपी) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहे थे।

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन एककों का योगदान बाजार में नगण्य था इसलिए इनके लाइसेंसों पर रोक लगाने का प्रभाव बाजार में वैक्सीनों की कीमतों पर नहीं पड़ सकता है। वर्ष 2008 में कुछ महीनों के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ वैक्सीनों की कमी थी जिसे सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त तीन एककों जिनके लाईसेंसों पर रोक लगाई गई है, को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों से अधिप्राप्त कर पूरा किया गया।

(घ) सरकार ने इन एककों को पुनर्जीवित करने तथा जीएमपी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के बाद वैक्सीन का उत्पादन करने का निर्णय लिया है।

सरकारी-निजी भागीदारी

380. श्री एम.आई. शानवास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्रालय के सरकारी-निजी भागीदारी प्रभाग के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) पहल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केरल को राजमार्ग क्षेत्र के अतिरिक्त कोई सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) पहल का आवंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके अंतर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संभाव्यता अन्तर वित्तपोषक (वीजीएफ) जिसे इस समय 200 करोड़ रुपये पर स्थिर रखा गया है, को पीपीपी पहल के अंतर्गत बढ़ाया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वीजीएफ की परिधि में किन क्षेत्रों को शामिल करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजना (पीपीपी) के लिए एक समर्थकारी ढांचा तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा की गई पहलों में सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की स्थापना करना [137 परियोजनाएं अनुमोदित की गई-कुल परियोजना लागत 144644.06 करोड़ रुपये]; पीपीपी परियोजनाओं (35928.10 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से अनुमोदित 50 परियोजनाओं) के अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण के लिए अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू करना और "भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि" (आईआईपीडीएफ) से संबंधित योजना [29 परियोजनाएं अनुमोदित की गई] शुरू करना शामिल है। विश्वसनीय पीपीपी परियोजनाओं की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए तेजी से कार्यवाही करने के लिए पूर्व-अर्हक संव्यवहार संचालकों का एक पैनल स्थापित किया गया है। उन राज्य सरकारों और केन्द्रीय अवसंरचना मंत्रालयों को जो पीपीपी परियोजनाओं को राज्य स्तर पर और केन्द्रीय संबंधित मंत्रालयों में मुख्यधारा में लाने के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने के कार्यक्रम का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, आन्तरिक पीपीपी विशेषज्ञों, एमआईएस विशेषज्ञों और फर्मों के वैध पैनल तक पहुंच के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं और नीतियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए वेबसाइट www.pppinidia.com और अवसंरचना क्षेत्र की सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए वेबसाइट www.pppindiadatabase.com शुरू की गई है। आर्थिक कार्य विभाग ने फास्ट ट्रैक परियोजना पहलों और प्रायोगिक परियोजना पहलों के तहत 30 परियोजनाओं का चयन किया है।

(ख) और (ग) आज की तारीख तक, केरल सरकार से एक परियोजना प्राप्त हुई है और उसे भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के तहत अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता। इस समय वीजीएफ 200 करोड़ रुपए पर स्थिर नहीं है। अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता की योजना के तहत भारत सरकार से कुल वीजीएफ कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक उपलब्ध है।

डीयूएसी द्वारा मेट्रो स्टेशन को अस्वीकृत करना

381. श्री एस. एस. रामासुब्बू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बनने वाले कुछ मेट्रो स्टेशनों की आयोजना उचित रुप से नहीं बनाई गई है एवं इन्हें दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लाइनों की सुरक्षा एवं समयबद्ध रुप से इन्हें पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) लि. ने सूचित किया है कि मेट्रो स्टेशनों की आयोजना पर दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूसी) को काई आपत्ति नहीं है। तथापि, डीयूएसी ने स्टेशनों के नीचे के क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्र की आयोजना के बारे में कुछ चिंता व्यक्त की है। डीएमआरसी ने डीयूएसी को स्पष्ट किया है कि इस आयोजना को संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में शुरु किया जाना चाहिए। इस संबंध में डीएमआरसी सभी तरह का सहयोग प्रदान करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) डीएमआरसी ने सूचित किया है कि लाइनों की सुरक्षा एवं समयबद्ध रुप से इन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय एवं सावधानियां अपनाई हैं जो निम्नानुसार है:–

(1) ठेकेदार द्वारा स्व नियंत्रण की संकल्पना तथा डीएमआरसी द्वारा निगरानी जिसके तहत सभी संविदाकारी पक्ष डीएमआरसी की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं संविदा की पर्यावरण (एसएचई) संबंधी शर्तों का पालन, अनुपालन, कार्यान्वयन करने हेतु बाध्य हैं।

(2) ठेकेदार की संगठनात्मक क्षमता एवं सक्षमता जिसके तहत कार्य की जांच करने हेतु प्रत्येक ठेकेदार योग्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण व्यावसायिकों की एक टीम की नियुक्ति करता है।

(3) सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी हेतु सामान्य परामर्शदाता के सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा स्थल का निरीक्षण।

(4) बाह्य सरुक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी लेखा परीक्षा जिसके अंतर्गत प्रत्येक ठेकेदार को बाह्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी लेखा परीक्षा करने हेतु डीएमआरसी द्वारा विधिवत अनुमोदित किसी बाह्य एजेंसी की नियुक्ति करनी चाहिए।

(5) उपरोक्त सभी लेखा परीक्षण तथा निरीक्षण कार्यकलापों का डीएमआरसी स्थल टीम द्वारा निगरानी तथा उचित अनुदेश देना जहां निष्पादन की कमी है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का दुरुपयोग

382. श्री एन. चेलुवरया स्वमी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के दुरुपयोग से निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा करने हेतु उसकी समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, हां।

(ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन के संबंध में सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

कन्या भ्रूण हत्या

383. श्रीमती जे. शांता: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक गैर सरकारी संगठन द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से किए गए अध्ययन के अनुसार देश विशेषकर दिल्ली में क्या भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर अभी भी चल रही हैं जिससे राजधानी में स्त्री-पुरुष अनुपात अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कुछ चयनित गर्भपातों की घट्ना को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना/रणनीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियों का है।

लिंग अनुपात के लगातार निम्न स्तरों के स्पष्टीकरण में सामान्य रूप से दिए जाने वाले कुछ कारणों में बेटे की अधिक चाहत, बेटी की उपेक्षा जिसके परिणामस्वरूप कम आयु में उनकी अधिक मृत्यु होती है, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूणहत्या, उच्च मातृ मृत्यु और जनगणना में पुरुषों पर अधिक ध्यान देना शामिल है।

(ख) से (घ) सेंटर फॉर सोशल रिसर्च को दिल्ली में कन्या भ्रूणहत्या की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया कि विशेषकर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कन्या भ्रूणहत्या की अधिक घटना हो रही है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में लिंग अनुपात 868 है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में अधिनियम के उल्लंघन का पता लगाने एवं छापा मारने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मानीटरिंग समिति का गठन, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में पर्यवेक्षीय बोर्ड के माध्यम से मानीटरिंग, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण संबंधी विभिन्न तंत्रों के जरिए इस विषय पर जागरूकता पैदा करना, न्यायिक एवं लोक अभियोजकों सहित संबंधितों को विषय से अवगत कराना, सहायक नर्स धात्री (ए एन एम) और मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के जरिए कार्यशालाएं/सेमिनार और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना और क्लिनिकों द्वारा 'फार्म एफ' को ऑन लाइन भरने की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन आतिथ्य संस्थान

384. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में किसी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन आतिथ्य संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी नहीं, वर्तमान में, मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवास की आवश्यकता

385. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एण्ड ब्रेकाफास्ट इस्टाबलिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 2007 के अंतर्गत कुछ संपत्तियों को पंजीयन किया है:

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी संपत्तियों का पंजीकरण किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने आगन्तुकों को आवास मुहैया कराने हेतु गेस्ट हाउसों के लिए कोई किराया एवं अन्य शर्तें निर्धारित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी हां,। दिल्ली सरकार ने 'नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इस्टाबलिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 2007' के अंतर्गत अभी तक 1067 कमरों वाले 346 इस्टाबलिशमेंट का पंजीयन किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय व्यापार में निवेश

386. श्री वरूण गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक भारतीय व्यापार में निवेश करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) विगत में सेबी से, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों से 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

मेट्रो रेल परियोजनाएं

387. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष एवं आज की तारीख में केरल सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में मेट्रो रेल परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) वित्तपोषण पद्धति सहित इन परियोजनाओं की कुल प्राक्कलित लागत कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने एवं पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) केन्द्र सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान हरियाणा सरकार से मुंडका से बहादुरगढ़ तक दिल्ली मेट्रो रेल विस्तार हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। केरल सरकार से दिनांक 12.9.2005 को काच्ची मेट्रो रेल परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य/परियोजना	दूरी किमी. में	लागत करोड़ रु. में	वित्तपोषण पद्धति	वर्तमान स्थिति
हरियाणा: बहादुरगढ़ तक दिल्ली मेट्रो का विस्तार	11.781	1432	राज्य सरकार से कोई स्थायी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।	हरियाणा सरकार ने दिनांक 10.3.09 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदनार्थ अग्रेषित कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपना अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को लागत में अपने अंश इत्यादि को वहन करने के लिए लागत अनुमान, लागत अंशदान और कटिद्धता समेत स्थायी प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार, प्रस्ताव अभी पूरा नहीं हुआ है।
केरल: कोच्ची मेंट्रो रेल परियोजना	25.3	2991.5	भारत सरकार और केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन माध्यम द्वारा 50:50 के इक्विटी अंशदान आधार पर	योजना आयोग ने कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रस्ताव का समर्थन किया है तथा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना है तथा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना हेतु अंतिम केबिनेट नोट, केबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया है। केबिनेट द्वारा अनुमोदन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(घ) इन परियोजनाओं को आरंभ और पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि अभी ये प्रस्ताव स्तर पर है।

तृतीय पक्ष एटीएम का प्रयोग

388. श्री मिलिंद देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) वाले बैंकों तथा तृतीय पक्ष के उपयोग की सुविधा वाले एटीएम की राज्य-वार तथा बैंक-वार संख्या और इन मशीनों की अव स्थिति और इस सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एलवीपी लाइसेन्स

389. श्री के.डी. देशमुख: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य औषध नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से स्वीकृत एलवीपी लाइसेन्सों को जारी करने संबंधी सैकड़ों आवेदन भारत के औषध महानियंत्रक के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन लाइसेंसों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जनवरी, 2009 से अक्टूबर, 2009 के दौरान औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय ने अतिरिक्त उत्पादों के अनुमोदन सहित एल.वी.पी. के लाइसेंसों से संबंधित कुल 153 आवेदन प्राप्त किए हैं। 148 आवेदनों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी हैं और 143 अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। 5 आवेदनों के लिए कमी से संबंधित पत्र जारी किए जा चुके हैं और 5 आवेदनों पर अनुमोदन प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इन पांच मामलों में, इस शर्त पर कि इनमें किसी का, पता न लगे, अनुमोदन प्रदान करने हेतु एक महीने का समय लग सकता है।

[अनुवाद]

कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) का क्रियान्वयन

390. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर सूचना आदान प्रदान प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) का क्रियान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इस कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को लागू करना सुगम हो जाएगा;

(घ) जीएसटी के क्रियान्वयन संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ङ) कर सूचना आदान प्रदान प्रणाली के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) भारत सरकार और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटरीकरण परियोजना जो "कर सूचना विनियम प्रणाली" कहलाती है, उसको समान आधार पर वित्त पोषित करते हैं जिससे कि राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय विशेष सूचना का विनियम हो सके। इसे राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा क्रियान्वित किया गया है।

(ग) कर सूचना विनियम प्रणाली पहले से ही प्रचालन में हैं। यह वर्तमान में उन अंतर्राज्यीय संव्यवहारों का पता लगाती हैं जिन पर केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) लगाया जाता है। केन्द्रीय बिक्री कर को उद्गम आधारित कर होने के कारण गंतव्य आधारित माल एवं सेवा कर लाने से पूर्व समाप्त किया जाना है। अतएव, कर सूचना विनियम प्रणाली को माल एवं सेवा कर शासन में वर्तमान रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से देश में माल एवं सेवा कर (जी एस टी) लागू करने की अपनी नीतिगत मंशा की घोषणा की है। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने देश भर में माल एवं सेवा कर को लागू करने के लिए उसका स्वरूप एवं तरीका विकसित कर लिया है। अधिकार प्राप्त समिति ने दावा कर्त्ताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए 10 नवम्बर, 2009 को माल एवं सेवा कर पर पहली चर्चा का पत्र जारी किया है। इस पत्र में इंगित किए गए नमूने के विवरणों का वर्तमान में केन्द्र द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के एक संयुक्त कार्यदल का गठन संवैधानिक संशोधन विधेयक का मसौदा और माल एवं सेवा कर के लिए केन्द्र एवं राज्यों के विधानों का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया है।

(ङ) कर सूचना विनियम प्रणाली वह परियोजना है जिसे राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है।

"विजिट इंडिया 2009"

391. श्री वैजयंत पांडा: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऑस्कर, ग्रेमी एवं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे "बिग टिकट इवेन्ट्स" में अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में "अतुल्य भारत" स्पॉट को लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "विजिट इंडिया-2009" के फीड बैक क्या हैं तथा इसके परिणामस्वरूप हम भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने में कहां तक सफल रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, हां।

(ख) एक आकर्षक पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए विदेशी बाजारों में अतुल्य भारत प्रचार एवं संवर्धनात्मक गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय केन्स फिल्म उत्सव, दावोस में विश्व आर्थिक फोरम आदि जैसे लोकप्रिय उत्सवों की उच्च दर्शक संख्या का लाभ प्राप्त करता है।

(ग) विजिट इंडिया ईयर 2009 योजना का फीडबैक यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान भारत के प्रति अत्यधिक रूचि एवं जागरूकता पैदा हुई है। जनवरी-मार्च, 2009 की अवधि के दौरान पर्यटन क्षेत्र से रूपयों के मामले में प्राप्त विदेशी मुद्रा आय में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में-13. 2% की नकारात्मक वृद्धि देखी गई। तथापि, अप्रैल-अक्टूबर, 2009 की अवधि में विदेशी मुद्रा आयु के आंकड़ों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.98% की वृद्धि देखी गई।

बाल विवाह

392. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री भास्कारराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनिसेफ) की हाल ही की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व में बाल विवाह के मामलों में से एक तिहाई से अधिक भारत में हैं एवं इससे बच्चे के शोषण का खतरा बढ़ जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे रोकने के लिए उक्त रिपोर्ट में संस्तुत उपचारी उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा बाल विवाह को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का विचार हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनिसेफ) ने 96 देशों के अध्ययन के आधार पर सितम्बर, 2009 में एक रिपोर्ट जारी की है। इन 96 देशों में विश्व की 61% जनसंख्या है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वभर में 20-24 वर्ष की आयु वर्ग में जिन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु तक हो गया था, उनमें से 50% महिलाएं दक्षिण एशिया में रहती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्वभर में जिन महिलाओं का विवाह बचपन में हो गया था, उनमें से एक तिहाई से भी अधिक महिलाएं भारतीय हैं। यह रिपोर्ट वर्ष 2000 के वर्ष 2007 तक की अवधि के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

(ग) भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए इस रिपोर्ट में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है। किंतु इसमें यह मांग की गई है कि बच्चों के लिए संरक्षणात्मक परिवेश तैयार करने के लिए कार्रवाई की जाए, जिसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।

(घ) बाल विवाहों को निषिद्ध करने तथा इस विषय से संबंधित अधिनियम के उपबंधों को कारगर बनाने और अपराधियों को दंडित करने के लिए 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' नामक नया कानून भारत के राजपत्र में 11 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम को 01.11.2007 से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण स्कीम शुरू की है। मंत्रालय इस विषय में जागरूकता फैलाने तथा जनमत तैयार करने के उपाय भी निरंतर कर रहा है।

[हिन्दी]

प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण

393. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994 के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे कितने मामलों, की राज्य-वार सूचना प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा कानून को संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड कार्यालय के अनुसार वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 के दौरान क्रमश: कुल 86, 125, 96 और 122 मामलों की सूचना दी गई थी।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में सूचित किए गए कन्या भ्रूण-हत्या की घटना दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने के लिए केंद्रीय पर्यवक्षी बोर्ड की 16वीं बैठक में संशोधनों पर विचार-विमर्श किया गया था जिसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत दंड को बढाना शामिल था।

विवरण I

वर्ष 2005-07 के दौरान कन्या भ्रूण हत्या के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, जिन मामलों के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया, दोषसिद्ध मामलों, दोषसिद्ध मामलों का अनुपात, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया, दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005							2006							2007						
	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. आंध्र प्रदेश	1	0	0	–	1	0	0	5	5	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
3. असम	1	1	1	100	1	1	1	1	1	1	100	1	1	1	0	0	0	–	0	0	0
4. बिहार	0	0	0	33.3	0	0	0	0	1	0	–	0	1	0	0	0	0	–	0	0	0
5. छत्तीसगढ़	21	8	1	–	8	8	0	5	1	0	0	1	1	0	10	4	2	40	8	7	3
6. गोवा	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
7. गुजरात	4	1	0	–	1	0	0	6	2	0	–	5	5	0	1	1	0	0	1	1	0
8. हरियाणा	8	5	0	0	0	9	0	9	2	0	0	9	9	0	4	1	0	0	1	1	0
9. हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	-	5	4	0	1	0	0	0	0	1	0
10. जम्मू व कश्मीर	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11. झारखंड	0	0	0	–	0	0	0	1	0	0	–	15	13	0	0	0	0	–	0	0	0
12. कर्नाटक	7	0	0	–	0	0	0	13	0	0	–	0	0	0	7	0	0	–	0	0	0
13. केरल	1	0	0	–	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	–	0	0	0
14. मध्य प्रदेश	12	3	2	33.3	7	7	3	14	4	2	25	6	6	1	10	7	0	0	11	11	0
15. महाराष्ट्र	4	3	1	50	3	9	1	10	5	0	0	11	11	0	1	0	0	–	0	0	0
16. मणिपुर	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
17. मेघालय	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
18. मिजोरम	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
19. नागालैंड	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
20. उड़ीसा	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	5	4	0	–	8	8	0
21. पंजाब	12	3	0	0	14	7	0	22	2	0	0	7	2	0	35	8	0	0	9	8	0
22. राजस्थान	10	1	0	0	3	3	0	25	3	1	33.3	8	8	1	16	0	0	–	0	0	0
23. सिक्किम	1	1	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
25. त्रिपुरा	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
26. उत्तर प्रदेश	0	0	0	–	0	0	0	2	2	1	100	5	5	2	1	1	1	100	2	2	1
27. उत्तराखंड	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
28. पश्चिम बंगाल	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	1	0	0	–	0	0	0
कुल	83	26	5	26	49	45	5	118	30	5	16	77	73	5	92	26	3	19	40	39	4
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
30. चंडीगढ़	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
31. दादरा और नगर हवेली	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. दमन और दीव	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
33. दिल्ली	3	3	0	–	6	6	0	7	5	0	0	0	0	0	4	1	0	–	1	1	0
34. लक्षद्वीप	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
35. पुदुचेरी	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0
कुल संघ राज्य क्षेत्र	3	3	0	–	6	6	0	7	5	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	1	0
कुल (अखिल भारत)	86	29	5	26	55	51	5	125	35	5	15	77	73	5	96	27	3	18	41	40	4

विवरण II

वर्ष 2008-09 में कन्याभ्रूण हत्या (भारतीय दंड संहिता की धारा 315 और 316) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार घटना-दर (अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	अभ्युक्तियां (वर्ष 2009 के माह तक के आंकड़े हैं)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5	4	अगस्त
अरुणाचल प्रदेश	0	0	जून
असम	0	0	अगस्त
बिहार	3	3	अगस्त
छत्तीसगढ़	10	9	अगस्त
गोवा	0	0	सितम्बर
गुजरात	8	15	अगस्त
हरियाणा	8	3	जुलाई
हिमाचल प्रदेश	2	1	सितम्बर
जम्मू और कश्मीर	0	0	जुलाई
झारखंड	0	0	अगस्त
कर्नाटक	3	1	अगस्त
केरल	0	0	अगस्त
मध्य प्रदेश	35	19	अगस्त
महाराष्ट्र	9	6	अगस्त
मणिपुर	0	0	अगस्त
मेघालय	0	3	जुलाई
मिजोरम	0	0	सितम्बर
नागालैंड	0	0	अगस्त
उड़ीसा	0	0	उपलब्ध नहीं
पंजाब	6	7	अगस्त
राजस्थान	29	18	अप्रैल
सिक्किम	0	0	अगस्त
तमिलनाडु	0	0	जून
त्रिपुरा	0	0	सितम्बर
उत्तर प्रदेश	1	0	जुलाई
उत्तराखंड	0	0	सितम्बर
पश्चिम बंगाल	2	0	मई
कुल (राज्य)	121	89	
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	अगस्त
चंडीगढ़	0	0	जुलाई
दादरा और नगर हवेली	0	0	सितम्बर
दमन और दीव	0	0	जुलाई
दिल्ली	1	0	जून
लक्षद्वीप	0	0	अगस्त
पुडुचेरी	0	0	सितम्बर
कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1	0	
कुल (अखिल भारत)	122	89	

स्रोत: मासिक आपराधिक आंकड़े

एन.ए.-आंकड़े अनुपलब्ध

[अनुवाद]

चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा कैपिटेशॅन शुल्क की मांग

394. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के दो चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा कथित रूप से कैपिटेशॅन शुल्क मांगने के मामलों की जांच करने के लिये गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई जांच समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों को सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में से मेधावी विद्यार्थियों के नाम प्राप्त करने चाहिए।

आई ओ सी में लगी आग का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

395. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में जयपुर में इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई ओ सी) के टैंकरों में लगी आग से निकले धुंए से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सहायता प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) से (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अधीन संस्थान है, ने जयपुर में भारतीय तेल निगम के टैंकरों पर आग के पर्यावरणिक स्वास्थ्य प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजा था। उन्होंने इस क्षेत्र के स्वास्थ्य सर्वेक्षण का संचालन किया है और विश्लेषण के लिए वायु प्रदूषकों के लिए पर्यावरणिक नमूने एकत्र किए हैं।

राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग

396. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री बिभू प्रसाद तराई:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 प्रत्येक राज्य में राज्य आयोगों के गठन को अधिदेशित करता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऐसे आयोगों का गठन किया है/नहीं किया है;

(ग) ऐसे आयोगों का गठन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि सरकारें राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन करें।

(ख) अब तक दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा सिक्किम में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित किए गए हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभी राज्य आयोगों का गठन करना है।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोगों का यथाशीघ्र गठन करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करता रहा है। कुछ राज्य आयोगों का गठन कर रहे हैं।

जाली नोट

397. **श्री रमेश राठौड़:**
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाली नोट की समस्या का आकलन करने हेतु गठित नाइक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है;

(ग) क्या जाली नोट अभी भी चल रहे हैं और खतरा बने हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक प्राप्त शिकायतों, जाली नोटों का पता लगाने/जब्ती, अभियोजन और दोषसिद्धि का बैंकवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(च) जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) जाली नोटों के चलन को एक समयबद्ध तरीके से रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) मुद्रा प्रबंधन के गतिशील तत्वों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1988 में नाइक समिति गठित की गई थी। समिति ने नकली नोटों के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया।

(ग) और (च) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान बरामद किए गए और जब्त किए गए जाली करेंसी नोटों की कुल संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	मूल्यवर्ग					
	1000 रुपए	500 रुपए	100 रुपए	50 रुपए	20 रुपए	10 रुपए
2006	19,606	81,399	2,20,419	30,570	1,392	3,653
2007	21,130	1,22,858	2,23,505	19,778	834	349
2008	59,631	3,49,380	2,20,380	31,257	604	269
2009 (30.9.09 तक)	28,916	1,64,252	1,25,856	10,370	438	149

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक-वार और स्थान-वार अभियोजन और दोषसिद्धि की सूचना का रिकार्ड नहीं रखा जाता। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने बताया है कि उनके पास भी इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) देश में नकली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में नकली नोटों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बढ़ाना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सुरक्षा विशेषताओं संबंधी सूचना का प्रसार करना और बैंकों के सभी प्रधान कार्यालयों में नकली नोट सतकर्ता प्रकोष्ठों की स्थापना करना शामिल हैं। नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल करने के लिए 2005 में बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं को शामिल किया गया है। बैंक नोटों की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए नवीनतम सुरक्षा विशेषताओं के समावेशन की प्रक्रिया चल रही है। नकली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन की मानीटरी करने और उनका परिचालन रोकने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें केन्द्रीय एजेंसियों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। राज्यों में भी इसी तरह के निकाय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नकली करेंसी नोटों के मामलों की जांच-पड़ताल की मानीटरी करने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नकली नोटों का पता लगाने के तंत्र को भी सुदृढ़ किया है।

[हिन्दी]

गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा

398. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो जिन अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अस्पतालों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों के संबंध में ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। केन्द्रीय सरकार केवल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्रीय अस्पतालों नामत: सफदरजंग अस्पताल, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, रोगियों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा प्रदान करने के श्रेष्ठ प्रयास किए जाते हैं। इन अस्पतालों में उपलब्ध औषधियां रोगियों को नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं जिनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले रोगी भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन

399. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्य सरकारों को चेताया है जो उनके कारणों से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है, उसमें क्या शर्तें रखी गई हैं और ऐसी परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उनके विलंबन के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और प्रयोग में लाई गई; और

(ङ) इन परियोजनाओं को परियोजना-वार कब तक पूरा करे लिया जाएगा?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) पर्यटन अवसंरचना का विकास और संवर्धन मुख्यरूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता की शर्त पर उनके साथ परामर्श और परस्पर संवाद से पहचानी गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है।

परियोजनाओं के निष्पादन एवं कार्यान्वयन को मॉनीटर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा एवं समय पर कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति के गठन का सुझाव दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय परियोजनाओं के स्थल पर दौरों और समय-समय पर समीक्षा बैठकों/सम्मेलनों के द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के वास्तविक और वित्तीय विकास को मॉनीटर भी करता है।

[हिन्दी]

आयकर छापे

400. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री सुदर्शन भगत:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में छापें मारे हैं और आपत्तिजनक दस्तावेज तथा करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्ष 2008-09 और 2009-10 में आज की तारीख तक आयकर छापों में हवाला कारोबार तथा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति के अर्जन के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय के सहयोग से आयकर विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में हाल ही में तलाशी और अभिग्रहण अभियान चलाया है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न लॉकरों, बैंक खाते और परिसर निषेधक आदेशों के तहत हैं। जब्त किए गए दस्तावेजों/सामग्रियों की और जांच की जा रही हैं।

(ग) और (घ) कुछ मामलों में तलाशी कार्यवाहियों से प्रथम दृष्टता हवाला कारोबार और यह कि संपत्तियों अर्जित आय से अधिक हैं, का संकेत मिलता है। तालाशी और अभिग्रहण कार्रवाई आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निरन्तर और चलने वाली प्रक्रिया है। तलाशी और अभिग्रहण कार्रवाई के, दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों को आयकर अधिनियम के अनुसार संगत व्यक्तियों के निधारण अथवा पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों में उपयोग किया जाता है। यह तब अंतिम रूप प्राप्त करता है जब निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारण और आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपील अधिकरण (आई टी ए टी), उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील पूरी हो जाती है। दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य परिचर्या जागरूकता कार्यक्रम

401. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चलाए जा रहे स्वास्थ्य परिचर्या जागरूकता कार्यक्रमों तथा उसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में स्वास्थ्य परिचर्या जागरूकता का स्तर काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के विभिन्न राष्ट्र स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जो राज्य की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के भाग होते हैं, के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मिशन फलैक्सी पूल और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फलैक्सी पुल के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती है। सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों सहित सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत एक सतत अनुमोदित एवं सतत चलने वाला कार्यकलाप है। इस कार्यकलाप में लक्षित जनसंख्या में स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर निश्चित एवं नियोजित कार्यनीति है। राज्य कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलाप करते हैं। इसके अलावा मंत्रालय भी मलटीमीडिया साधनों, प्रदर्शनियों, स्वास्थ्य मेलों, कार्यशालाओं, विश्व स्वास्थ्य दिवस आदि जैसे विशेष स्वास्थ्य दिवस के आयोजनों के माध्यम से विभिन्न सामान्य एवं नये सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान चलाता है।

एड्स नियंत्रण विभाग ने भी एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने और सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जारेशोर से अभियान चलाया है। आयुष विभाग ने भी आयुर्वेद और होम्योपैथी आदि में लोगों के उपचार प्राप्त करने के व्यवहार में सुधार लाने के लिए अभियान शुरू किया है। सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियानों की उपलब्धियों को मात्रात्मक संदर्भों में नहीं आंका जा सकता हैं। तथापि, इसका प्रभाव लोगों पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सतत सूचना, शिक्षा एव संप्रेषण अभियानों के जरिए देश के कौन-कौन में कार्यान्वित किया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 18 राज्यों नामत: बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(घ) विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित श्रोता/दर्शक को ध्यान में रखते हुए सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान तैयार किए जाते हैं और समय-समय पर इनको परिवर्तित किया जाता है। इस संबंध में इस क्षेत्र की विभिन्न व्यावसायिक एजेंसियों की सेवाएं भी ली जाती हैं।

[अनुवाद]

एफआईआई द्वारा शेयर बाजार में निवेश

402. श्री निलेश नारायण राणे:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में आज की तारीख तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेश की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इनके मूल देश कौन-कौन से थे तथा किन देशों के माध्यम से प्रत्येक ऐसे निवेश अंतर्प्रवाह, घरेलू वित्तीय संस्थानों तथा वैयक्तिक/खुदरा निवेशकों द्वारा भेजे गए;

(ख) मारीशस के द्वारा तथा ऐसे अन्य माध्यमों द्वारा निवेशकों को अपने निवेश करने से क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) एफआईआई के निवेश के भाग में वृद्धि/कमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के सभी निवेशों की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सूचना सलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) सामान्यतया विदेशी संस्थागत निवेशक, विशेष अधिकार क्षेत्रों के माध्यम से निवेश करने का चयन करते समय सुप्रचालन, प्रशासनिक और कर कुशलता के संबंध में अधिकार क्षेत्रों के सापेक्ष लाभ/हानि की तुलना करते हैं।

(ग) उपर्युक्तानुसार भाग (ख) के उत्तर में दिए गए कारकों के अतिरिक्त, उनके निवेश निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिकार क्षेत्र के निवेश माहौल, अन्य अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त सापेक्ष प्रतिलाभ दर और अन्य वृहत तथा सूक्ष्म वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। वैयक्तिक विदेशी संस्थागत निवेशक अपने निवेश/विनिवेश निर्णय स्वयं लेते हैं।

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 सेबी को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफाआईआई) को पंजीकृत और विनियमित करने की शक्ति देता है। इस अधिनियम के तहत, सेबी ने सेबी (एफआईआई) विनियम, 1995 तैयार किए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय स्टॉक बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने इस भागीदारी के लिए एक नीति तैयार की है और निवेश के इस अवसर के किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं/चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए नीति की सतत समीक्षा की जाती है।

विवरण I

एनएसई और बीएसई में उपलब्ध कारोबार आंकड़ों के आधार पर, 2006 से 2009 (31 अक्टूबर, 2009 तक) की अवधि के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों, घरेलू संस्थागत निवेशकों, (जिसमें बैंक, विकास वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन निधियां शामिल हैं) (01 सितम्बर 2009 से) मालिकाना क्लाईट और अन्य (जिसमें वैयक्तिक, भागीदारी फर्में, एचयूएफ, सरकारी और निजी कंपनियां, न्यास, संघ, सांविधिक निकाय और एनएसई में अनिवासी भारतीय तथा बीएसई में क्लाईट और अनिवासी भारतीय शामिल हैं, द्वारा निवल निवेश निम्नानुसार सारणीबद्ध हैं:–

(राशि करोड़ रुपए में)

निवल निवेश

कैलेन्डर वर्ष	2006	2007	2008	2009
एफआईआई	-4152.75	-9557.26	-105585.54	8354.37
डीआईआई	27280.21	32364.55	78108.31	25061.56
मालिकाना क्लाईट	528.97	443.16	-1978.51	-1020.55
अन्य	-23656.43	-23250.28	29455.75	-32395.39

विवरण II

वर्ष 2009 (10 नवम्बर, 2009 तक), 2008, 2007 और 2006 के लिए उनके उप-खातों के साथ देश-वार एफआईआई निवेश

10 नवम्बर, 2009 तक वर्ष 2009 के लिए शीर्ष 10 देश और उनके इक्विटी निवेशक

क्र.सं.	देश का नाम	निवल निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	संयुक्त राज्य अमरीका	21344.9
2.	लक्जमबर्ग	12275.3
3.	फ्रांस	11765.7
4.	मारीशस	9401.8
5.	यूनाईटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन	4974.6
6.	संयुक्त अरब अमीरात	4862.5
7.	हांग-कांग	3438.3
8.	आस्ट्रेलिया	3282.6
9.	नॉर्वे	1518.8
10.	कनाडा	868.4
11.	अन्य	-3549.9
	जोड़	70182.9

वर्ष 2008 के लिए शीर्ष 10 देश और उनके इक्विटी निवेशक

क्र.सं.	देश का नाम	निवल निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	सिंगापुर	12417.69
2.	यूनाईटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन	9442.86
3.	नॉर्वे	8539.32
4.	स्विटजरलैंड	3156.41
5.	कनाडा	2485.67
6.	नीदरलैंड	1253.82
7.	जापान	327.81
8.	चीन	305.15
9.	आस्ट्रेलिया	300.40
10.	इटली	232.83
11.	अन्य	-91449.23
	जोड़	-52987.27

वर्ष 2007 के लिए शीर्ष 10 देश और उनके इक्विटी निवेशक

क्र.सं.	देश का नाम	निवल निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	दक्षिण कोरिया	12234.29
2.	हांग-कांग	9404.27
3.	मारीशस	9349.51
4.	सिंगापुर	8176.98
5.	यूनाईटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन	7212.39
6.	स्विट्जरलैंड	4088.70
7.	संयुक्त अरब अमीरात	4081.51
8.	कनाडा	8089.63
9.	स्पेन	2328.34
10.	स्वीडन	1959.83
11.	अन्य	9560.00
	जोड़	71485.46

वर्ष 2006 के लिए शीर्ष 10 देश और उनके इक्विटी निवेशक

क्र.सं.	देश का नाम	निवल निवेश (करोड़ रुपए में)
1.	लक्जमबर्ग	12606.79
2.	सिंगापुर	10478.68
3.	हांग-कांग	4115.28
4.	संयुक्त अरब अमीरात	3594.51
5.	संयुक्त राज्य अमरीका	3335.95
6.	नीदरलैंड	3070.19
7.	यूनाईटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन	2887.92
8.	दक्षिण कोरिया	2333.22
9.	स्विटजरलैंड	1190.84
10.	स्पेन	1066.12
11.	अन्य	-8159.45
	जोड़	36540.06

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

403. **श्री भक्त चरण दास:**
श्री प्रबोध पांडा:
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री रामकिशुन:
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में जिन सभी गांवों में विद्युत नहीं है उन्हें विद्युतीकृत कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कितने गांवों को अभी विद्युतीकरण किया जाना बाकी है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के बाकी गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की राज्यवार संचयी उपलब्धि और 31.10.2009 की स्थिति के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं के लिए जारी बीपीएल कनैक्शन का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) आरजीवीवाई के अंतर्गत 118499 गैर-विद्युतीकरण गांवों की मंजूरी की तुलना में 31.10.2009 तक देश में 69793 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(घ) आरजीजीवीवाई की मंजूरी परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल शेष गांवों को 11वीं योजना अवधि के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ङ) आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

i. भारत सरकार ने एक अंतरमंत्रालयी निगरानी समिति की स्थापना की है जो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने तथा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक का आयोजन करती है।

ii. राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला समितियों की स्थापना करने की सलाह दी गयी है।

iii. राज्यों से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक रूप से एक बैठक के आयोजन हेतु वित मंत्री द्वारा अनुरोध भी किया गया है।

iv. भारत सरकार के साथ-साथ रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन जो कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए नोडल एजेंसी है, निर्धारित समय के अनुसार योजना के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सभी स्टेक होल्डरों संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों का आयोजन करती है साथ ही कई राज्यों का दौरा भी किया गया है जहां बड़ी संख्या में गैर विद्युतीकृत गांवों अथवा बीपीएल कनेक्शन शामिल किए जाने हैं।

v. परियोजनाओं के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उनका निष्पादन टर्नकी आधार पर शुरू किया गया है।

vi. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्ता परक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत एक तीन स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की गई है।

vii. बीपीएल कनेक्शन की अनुदान राशि को दसवीं योजना में 1500 रुपये से बढ़कर 11वीं योजना में 2200 रुपये तक कर दिया गया है।

viii. लागत वृद्धि का बनाए रखने के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लागत मानदंडों में निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु लागत मानदंड

1. गैर विद्युतीकरण गांवों कर विद्युतीकरण	लागत (रुपये लाखों में)
क. सामान्य क्षेत्र में	13
ख. पर्वतीय, आदिवासी क्षेत्रों में	18

विवरण

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अविद्युतीकृत गांवों और जारी बीपीएल कनैक्शनों की राज्यवार संचयी उपलब्धि 31.10.2009 के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांव	बीपीएल कनैक्शन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	2118023
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	647
3.	असम	1070	107113
4.	बिहार	17269	809474

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	63	148094
6.	गुजरात	0	255383
7.	हरियाणा	0	66100
8.	हिमाचल प्रदेश	0	516
9.	जम्मू और कश्मीर	53	13021
10.	झाखंड	9095	607649
11.	कर्नाटक	58	707298
12.	केरल	0	13989
13.	मध्य प्रदेश	85	129783
14.	महाराष्ट्र	0	406260
15.	मणिपुर	103	3356
16.	मेघालय	120	12134
17.	मिजोरम	0	0
18.	नागालैंड	0	236
19.	उड़ीसा	2581	402569
20.	पंजाब	0	17201
21.	राजस्थान	2094	582548
22.	सिक्किम	0	0
23.	तमिलनाडु	0	215059
24.	त्रिपुरा	0	3690
25.	उत्तर प्रदेश	27732	800975
26.	उत्तराखंड	1441	193007
27.	पश्चिम बंगाल	3913	226575
	कुल	65797	7840700

मोबाइल हैल्थ वैन

404. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल हैल्थ चैकअप सेंटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, हां। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अल्पसेवित और जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के घरों पर स्वास्थ्य परिचर्या करने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिटों (एम एम यू) वाले जिलों की संख्या की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 31.8.2009 तक की स्थिति के अनुसार हुई प्रगति

क्र.सं.	राज्य	ऐसे जिलों की संख्या जिनमें एमएमयू चल रहे हैं
1	2	3
1.	बिहार	12
2.	छत्तीसगढ़	
3.	हिमाचल प्रदेश	1
4.	जम्मू और कश्मीर	2
5.	झारखंड	24
6.	मध्य प्रदेश	50
7.	उड़ीसा	0
8.	राजस्थान	34
9.	उत्तर प्रदेश	0
10.	उत्तराखंड	13
11.	अरुणाचल प्रदेश	16
12.	असम	23
13.	मणिपुर	9
14.	मेघालय	7

1	2	3
15.	मिजोरम	9
16.	नागालैंड	11
17.	सिक्किम	4
18.	त्रिपुरा	4
19.	आंध्र प्रदेश	17
20.	गोवा	2
21.	गुजरात	25
22.	हरियाणा	6
23.	कर्नाटक	29
24.	केरल	7
25.	महाराष्ट्र	0
26.	पंजाब	16
27.	तमिलनाडु	29
28.	पश्चिम बंगाल	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	1
33.	दिल्ली	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुडुचेरी	2
	कुल	354

बैंकों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

405. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के राज्य-वार और बैंक-वार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदकों को नियुक्ति प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों को हाल ही में बदला गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

'आशा' कार्यकर्ताओं को मानदेय

406. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किसी समिति ने प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा),जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, को प्रतिमाह 500/- रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। मिशन संचालन समूह की चौथी बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों को यह सूचित किया है कि आशा को 500/-रु. प्रतिमाह की दर से मासिक मानदेय देने का क्रियान्वयन, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा।

(ख) तथापि, वित्त मंत्रालय ने यह बताया है कि की आशाओं को नियत मासिक पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव, विभाग द्वारा पहले अपनाई गई और मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2006 में अनुमोदित कार्यनिष्पादन से संबद्ध पारिश्रमिक की अवधारणा के विपरीत है। नीति में प्रस्तावित परिवर्तन करने के यौक्तिक का कोई औचित्य नहीं है इसलिए इस प्रस्ताव का समर्थन करना कठिन है। इसलिए इसे अनुमोदित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश से प्राप्त अनुरोध

407. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से योजना आयोग को राजीव आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य योजना का अतिरिक्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की एक व्यवस्था बीमा योजना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष मामले के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। चूंकि राज्य की विशेष स्कीमों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए इस स्कीम को अलग से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार की आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शीघ्र निर्धारण करने के लिए प्रो. अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी. वाई.) के साथ आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना के बीच तालमेल स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाएगी; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ इस स्कीम के फंडिंग संबंधी लिंकेज की व्यवहार्यता का आकलन करेगी; तथा इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव देगी।

[हिन्दी]

वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा

408. श्री पन्नालाल पुनिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त के दौरान एलोपैथी प्रणाली की तुलना में इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा हर्बल दवाओं के वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित कर रही है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित क्रियाकलाप निष्पादित किए जा रहे हैं।

i. औषधियों का मानकीकरण।

ii. कच्ची सामग्री (औषधीय पादपों) का उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण।

iii. औषधियों का गुणवत्ता आश्वासन संबंधी उत्पादन।

iv. अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी मानकों में वृद्धि।

v. जागरूकता उत्पन्न करना।

आयुष और एलोपैथिक पद्धति के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष हेतु आवंटन/परिव्यय निम्नवत हैं–

रुपये करोड़ों में

	योजना	योजनेत्तर	कुल
आयुष	734.00	188.00	922.00
एलोपैथी पद्धति	18380.00	2733.33	21113.33

(ग) 1. हर्बल औषधियों के वैश्विक बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-

i. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, रोड शो आदि में भाग लेने के लिए आयुष उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों आदि को व्यय की गई 50 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रुपये तक सीमित है।

ii. औषधि डोजियरों, के निर्माण तथा यूएस-एफडीए/ईएमईए/यूके-एमएचआरए द्वारा एएसयू एण्ड एच उत्पादों के पंजीकरण पर वहन किए गए व्यय की 50 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति निर्यात

हेतु उनके उत्पादों के पंजीकरण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु आयुष एकांशों को प्रति उत्पाद 5.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक उपलब्ध करायी जाती है।

iii. बाजार विकास संबद्ध क्रियाकलापों एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के आयोजन अथवा सहायता प्रदान करने, बाजार सर्वेक्षण एवं अध्ययन संचालित करने आदि हेतु 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iv. राष्ट्रीय प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान केंद्र (एनसीएनपीआर), मिसीसिपी विश्वविद्यालय, अमेरिका में एक भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान केंद्र (सीआरआईएसएम) की स्थापना की गई है। एनसीएनपीआर का यूएस-एफडीए के साथ सांस्थानिक व पारस्परिक संबंध है, इससे आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधि विनिर्माण कंपनियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी की वे अपने हर्बल औषधियों/खाद्य संपूरकों को सीआरआईएसएम और एएसयू उद्योग भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए सामान्य तकनीकी डोजियरों के आधार पर पंजीकरण करा सकें।

v. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, यूएनसीटीएडी/डबल्यूटीओ, जनेवा के साथ सहयोग संबंधी रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि भारतीय पारंपरिक औषधीय उत्पादों एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो सके।

vi. पारंपरिक जड़ी-बूटियों औषधीय उत्पद निदेश (टीएचएमपीडी) के अंतर्गत विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ईयू में बाजार प्राधिकार हेतु डोजियरों को तैयार करने हेतु एक सहयोगात्मक परियोजना प्रारंभ की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड

409. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले दो वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य-वार कितने किसानों को, जिन्होंने केसीसी के लिए आवेदन किया था, कार्ड जारी किया गया और इस संबंध में कितने आवेदन लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि वे किसान क्रेडिट कार्डों के जरिए सभी पात्र किसानों को कृषि ऋण दें, ताकि किसानों के लिए समय पर और वहनीय ऋण सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जिन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए है, उनकी संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या
2006-07	48,07,964
2007-08	46,05,775
2008-09	58,33,981

भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) का उपयोग करने वाले किसानों की संख्या या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में किसान क्रेडिट कार्डों के लिए आवेदन-पत्रों के लंबित होने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, किसान क्रेडिट कार्डों के लिए आवेदन-पत्रों के लंबित होने के कारण सामान्यत: किसानों द्वारा अपूर्ण आवेदन-प्रपत्र दिया जाना, समुचित प्रलेखीकरण न होना, आदि है।

मूल्य ढांचा संबंधी समिति

410. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य ढांचे की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य उत्पादों के मूल्य ढांचे की समीक्षा हेतु ऐसी समितियां गठित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की एक व्यवहार्य और स्थायी प्रणाली पर सलाह देने हेतु एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना करने के लिए 6.7.2009 को बजट भाषण में की गयी घोषणा के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा. कीर्ति एस. पारिख की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त, अन्य उत्पादों के लिए इसी प्रकार के अधिदेश से ऐसी अन्य कोई समिति गठित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

शिशु वैक्सीन डाटा

411. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें पोलियों जैसी बीमारियों के उन्मूलन हेतु जिन शिशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है उनके गलत आंकड़े पेश कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को वैक्सीन दिए गए शिशुओं की सही संख्या का पता लगाने के लिए वैक्सीन डाटा को नाम आधारित डाटा में बदलने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिलों से संकलित रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन रिर्पोटों को स्वास्थ्य संगठन राष्टीय पोलियों निगरानी परियोजना (डब्ल्यू एच ओ-एन पी एस पी) द्वारा संकलित किया जाता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रायल को प्रेषित किया जाता है।

(ग) जी, हां। बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों को पल्स पोलियों अभियान में रोग प्रतिरक्षित बच्चों का डाटा आधार तैयार करने को कहा गया है।

(घ) राज्य सरकारों का उत्तर सकारात्मक रहा है।

विद्युत की मांग

412. श्री तथागत सत्पथी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेजी से होते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण अगले पांच वर्षों में विद्युत की मांग का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक (एडीबी) देश में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) से (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा आवधिक इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के जरिए ऊर्जा मांग का पूर्वानुमान लगाया था। सीईए ने 17वें ईपीएस के जरिए 2011-12 तक अल्पावधि मांग अनुमान और 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों में अर्थात 2016-17 और 2021-22 में दीर्घावधिक ऊर्जा मांग का पूर्वानुमान लगाया है। विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	ऊर्जा अनुमान (मिलियन कि.वा.घं. में)	वयस्ततमकालीन मांग (मेगावाट में)
2010-11	8,91,203	1,37,960
2011-12	9,68,659	1,52,746
2016-17	13,92,066	2,18,209
2021-22	19,14,508	2,98,253

(ग) और (घ) एशियन डेवलेपमेंट बैंक (एडीबी) देश में निम्न विद्युत परियोजनाओं को सहायता देने के लिए सहमत हुआ है-

क्र.सं	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर)
1.	पावरग्रिड पारेषण (क्षेत्र) परियोजना-3	पीजीसीआईएल	400.00
2.	नेशनल पावरग्रिड डेवलेपमेंट निवेश कार्यक्रम	पीजीसीआईएल	600
3.	असम विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम	एईजीसीएल/डिस्कॉम	200.00
4.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम	एमपीपीटीसीएल/डिस्कॉम	620.00
5.	हिमाचल प्रदेया स्वच्छ ऊर्जा निवेश कार्यक्रम	एचपीपीसीएल	800.00
6.	उत्तराखंड विद्युत विकास कार्यक्रम	यूजेवीएनएल/पीटीसीयूएल	300.00

[हिन्दी]

ब्लड बैंकों की कमी

413. **श्री जगदीश ठाकोर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या देश में ब्लड बैंकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश में ब्लड बैंकों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ब्लड बैंकों की संख्या को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 के नियोजन के दौरान चलाए गए मूल्यांकन के अनुसार देश में नए सृजित किए गए 39 जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्त बैंक नहीं थे। तब से 8 जिलों में रक्त बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार, राज्य सरकारों, की सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार एक बार उपकरण और एक प्रयोगशाला तकनीशियन के वेतन के लिए वार्षिक आवर्ती अनुदान तथा किटों तथा उपभोज्यों इत्यादि के लिए धन प्रदान करके शेष 31 जिलों में रक्त बैंक स्थापित करने के लिए सहायता कर रही है।

इस योजना के अंतर्गत जिन रक्त बैंकों को सहायता दी जा रही है, उनकी राज्य/संघ क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जिलों में रक्त बैंक स्थापित करने के लिए सहायता कर रही है।

क्र.सं.	राज्यों/संघ क्षेत्रों के नाम	रक्त बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	92
3.	अरुणाचल प्रदेश	12
4.	असम	32
5.	बिहार	47
6.	चंडीगढ़	4
7.	छत्तीसगढ़	14
8.	दादरा और नगर हवेली	1
9.	दमन और दीव	1
10.	दिल्ली	14
11.	गोवा	3
12.	गुजरात	67
13.	हरियाणा	20
14.	हिमाचल प्रदेश	13
15.	जम्मू और कश्मीर	20
16.	झारखंड	21
17.	कर्नाटक	64
18.	केरल	45
19.	लक्षदीप	1
20.	मध्य प्रदेश	59
21.	महाराष्ट्र	96
22.	मणिपुर	3
23.	मेघालय	5
24.	मिजोरम	8
25.	नागालैंड	8
26.	उड़ीसा	56
27.	पुडुचेरी	5
28.	पंजाब	51
29.	राजस्थान	45
30.	सिक्किम	2
31.	तमिलनाडु	94
32.	त्रिपुरा	6
33.	उत्तर प्रदेश	69
34.	उत्तराखंड	15

1	2	3
35.	पश्चिम बंगाल	62
36.	केन्द्रीय संस्थान	3
37.	स्वायत्त संस्थान	1
38.	रक्षा	26
39.	रेलवे	16
	कुल	1103

[अनुवाद]

आईटीडीए

414. श्री पी. बलराम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान समेकित जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए)द्वारा धनराशि के आवंटन और उसके उपयोग का योजना/परियोजना-वार और राज्य-वार पृथक, पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में आईटीडीए के कार्यकरण का पुनर्मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) यह मंत्रालय संबंधित राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य सरकारों को निधि यां आबंटित करता है और राज्य बदले में योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आई.टी.डी.ए और अन्य लाइन विभागों को निधियां आबंटित करता है। आई.टी.डी.ए और अन्य लाइन विभागों द्वारा ऐसे आबंटन और उपयोगिता के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) से (घ) हाल में मंत्रालय में द्वारा आई.टी.डी.ए के कार्यकरण का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है, चूंकि संबंधित राज्य सरकार आई.टी.डी.ए को प्रशासित करती है।

[हिन्दी]

वित्तीय घाटा

415. श्री संजय सिंह चौहान:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसमें क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ख) लक्ष्य, यदि कोई है, उनमें असफल रहने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक मंदी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए प्रोत्साहन उपाय किए गए थे जिनमें 2007-08 के राजकोषीय घाटे के स्तर की तुलना में 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत का बड़ा राजकोषीय विस्तार किया जाना शामिल है। वर्ष 2009-10 के बजट में राजकोषीय विस्तार की प्रक्रिया जारी रखने की परिकल्पना की गई और पूरे वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का हिसाब 4,00,996 करोड़ रुपए (स. घ.उ. का 6.8 प्रतिशत) लगाया गया। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केन्द्रीय लेखा के अनुसार प्रथम छह महीनों (अप्रैल-सितम्बर, 2009) के दौरान राजकोषीय घाटा 1,97,775 करोड़ रुपए है जो 2009-10 (ब.अ.) का 49.3 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग

416. श्री मधुगौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन, सांसदों और उद्योगविदों, ने आई-पिल, अन्वांटेड 72, प्लेसेट्रक्स लोशन व जैल तथा लेक्ट्रोजोल जैसी दवाओं, जो विश्व के कुछ भागों में तो प्रतिबंधित हैं लेकिन भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त हो रही है, से होने वाले दुष्प्रभावों व प्रतिकूल असर के प्रति चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में इन दवाओं के विनिर्माण, विक्रय तथा विज्ञापन को प्रतिबंधित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सांसदों और मीडिया ने आपाती गर्भनिरोधक गोली के विपणन/विज्ञापन तथा लेढ़ोजोल, प्लेसेंटा इत्यादि जैसे कतिपय औषध योगों, जिनको कुछ अन्य देशों में हटा लिया गया है/प्रतिबन्धित कर दिया गया है, के विपणन के बारे में चिंता प्रकट की है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक बोर्ड, औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है। औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन

417. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
श्री नीरज शेखर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री मिलिंद देवरा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दान किए जाने वाले अंगों की संख्या देश में इसकी मांग के सापेक्ष पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे मरीजों की संख्या कितनी थी जिन्हें अंग प्रतिरोपण की आवश्यकता हुई और इस अवधि में कितनी संख्या में अंग प्रतिरोपण किया गया;

(ङ) देश में समय पर अंग प्रतिरोपण की उपलब्धता के अभाव में प्रतिवर्ष मरने वाले मरीजों की कुल संख्या कितनी है;

(च) क्या सरकार देश में अंग प्रतिरोपण को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रतिरोपण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) अधिनियम के संशोधन में शामिल में मुख्य क्षेत्र हैं:–

1. अधिनियम का नाम बदलकर 'मानव अंग एवं टिश्यूज् प्रत्यारोपण अधिनियम' करना।
2. 'करीबी संबंधी' शीर्ष की परिभाषा को बढ़ाकर इसमें ग्रैंड पैरेन्टस और ग्रैंड चिल्ड्रेन को शामिल करना।
3. एक प्रशिक्षित तकनीशियन द्वारा कॉर्निज के एन्यूक्लिशन की व्यवस्था करना।
4. मानसिक रूप से मृत्यु के प्रमाणन के लिए न्यूरोसर्जन/न्यूरोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड में एक सर्जन/फिजिशियन और एक एनेस्थैटिस्ट/इंटैन्सिविस्ट को शामिल किया जाना।
5. आईसीयू/उपचार करने वाले चिकित्सा स्टॉक के लिए मानसिक रूप से मृत व्यक्ति के संबंधियों से अंग दान करने के अनुरोध को अनिवार्य बनाना।
6. अंगों के स्वैप डोनेशन की व्यवस्था करना।
7. केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण समितियों की संरचना निर्धारित करने के लिए शक्ति प्रदान करना तथा संघ क्षेत्रों को अपनी प्राधिकरण समितियां गठित करने के लिए शक्ति प्रदान करना।
8. विदेशी नागरिकों के लिए अंगों के प्रत्यारोपण को विनियमित करना।
9. अवयस्कों के शोषण को रोकना।
10. उपर्युक्त प्राधिकरणों के लिए परामर्श समितियां स्थापित करने की व्यवस्था करना।
11. उपर्युक्त प्राधिकरणों को व्यक्तियों को बुलाने, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा जांच वारंट जारी करने आदि की शक्तियां प्रदान करना।
12. एक राष्ट्रीय अंग पुन: प्राप्ति, बैंकिंग और प्रत्यारोपण नेटवर्क स्थापित करना।

13. अंग प्रत्यारोपण के प्राप्तकर्ताओं की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अनुरक्षण की व्यवस्था करना।

14. अंग पुन: प्राप्ति और अथवा प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत सभी अस्पतालों में एक 'प्रत्यारोपण समन्वक' के पद का सृजन करना।

15. किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से अंग की पुन: प्राप्ति और अथवा अंग प्रत्यारोपण करने के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण की व्यवस्था करना।

16. इस अधिनियम के अंतर्गत दंड बढ़ाना।

17. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्तियां बढ़ाना।

(ग) से (छ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए अंग प्रत्यारोपण संबंधी आंकड़ें केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

होमियोपैथिक कॉलेजों की स्थापना

418. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में होमियोपैथिक कॉलेज स्थापित करने की निर्धारित प्रक्रिया व मानदंड क्या हैं;

(ख) किसी संस्था के कॉलेज के रूप में परिवर्तित करने की पात्रता-शर्तों तथा आवश्यक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किस एजेंसी को नियत किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्यों में होमियोपैथिक कॉलेजों की स्थापना हेतु मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 12क के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार को छोड़कर किसी भी विश्वविद्यालय अथवा न्यास से प्राप्त आवेदन पत्रों को केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को इस आशय के साथ भेज दिया जाता है कि वे इस संबंध में अपनी टिप्पणियां दें।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की अनुशंसा पर विभाग द्वारा विचार करने के बाद उसे समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया जाता है।

नए होम्योपैथिक कॉलेजों को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नीचे दिए गए मानदंडों के अनुरूप अमल किया जा रहा है।

1. भूमि की आवश्यकता: 50 छात्रों के दाखिलें के लिए एक ही चक वाला 7.50 एकड़ और 100 छात्रों के दाखिले के लिए एक ही चक वाला 10 एकड़ का भूखंड अनिवार्यत: खोले जाने वाले कॉलेज के स्वामित्वाधीन अथवा उसके नाम से 99 वर्षों के पट्टे पर होना चाहिए।

2. आवश्यक प्रमाण पत्र: संबंधित राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किया जाना चाहिए।

3. संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करने संबंधी सहमति पत्र होना चाहिए।

4. कम से कम 50 बिस्तरों वाला स्वयं का होम्योपैथी अस्पताल होना चाहिए।

5. केंद्र सरकार की अनुमति से पहले न्यास/सोसाईटी द्वारा कोई भी दाखिला नहीं किया जाना चाहिए।

6. 50 छात्रों के लिए 100.00 लाख रुपये की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पक्ष में होनी चाहिए जो 5 वर्ष की अवधि के लिए वैद्य हो और 50 से लेकर 100 दाखिलों की क्षमता से ऊपर प्रति 10 अथवा उससे कम दाखिलों के लिए 20.00 लाख रुपये की प्रत्याभूति होनी चाहिए।

7. केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के पक्ष में 3.50 लाख रुपये का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क होना चाहिए।

(ख) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 तदोपरांत 2002 में संशोधित इस अधिनियम में संस्थानों को कॉलेजों में परिवर्तित करने संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 12क के अंतर्गत होम्योपैथिक के नए कालेजों को खोलने संबंधी प्रदत्त केंद्र सरकार की अनुमति

क्र.सं.	होम्योपैथिक कॉलेज	राज्य	पाठयक्रम/विषय	वार्षिक प्रवेश क्षमता	प्रदत्त अनुमति संबंधी वर्ष
1.	महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक सांइस, नैल्लीमरला, विजयानगरम	आंध्र प्रदेश	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)	50	2007
2.	डा.एम.एल.धावले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मियागावं, बड़ौदरा	गुजरात	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)	50	2008
3.	अरिहन्त होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेंधवा जिला बरवानी	मध्य प्रदेश	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)	50	2008
4.	गुरू मिश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शैलगांव, जिला जलना	महाराष्ट्र	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)	50	2008
5.	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गांधीग्राम, गोड्डा, झारखंड	झारखंड	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएचएमएस)	50	2009

[अनुवाद]

एनटीपीसी का विनिवेश

419. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के विनिवेश से 18,800 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस लाभार्जक कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटा लेने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) सरकार ने घरेलू बाजार में सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड की अपनी हिस्सेदारी में से 5% इक्विटी के विनिवेश का निर्णय लिया है। यह सार्वजनिक प्रस्ताव 31 मार्च, 2010 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इससे प्राप्त होने वाली राशि अनेक कारकों जैसे बाजार की स्थिति, वास्तविक विनिवेश के समय निवेशक की रूचि पर निर्भर करेगी। इसलिए विनिवेश से प्राप्त होने वाली संभावित राशि का उल्लेख करना संभव नहीं होगा। एनटीपीसी में शेयर में कमी किए जाने के कारण विनिवेश पर सरकार की मौजूदा नीति के अनुरूप है।

केन्द्र के हिस्से से विद्युत

420. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाल में आई बाढ़ के कारण वहां के अनेक विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन में भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्र के हिस्से से इस राज्य को और अधिक विद्युत प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य को यह अतिरिक्त विद्युत स्थायी आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में दो विद्युत संयंत्रों पर विद्युत उत्पादन हाल ही में आये बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई थी। आंध्र प्रदेश में श्रीसेलम राइट बैंक हाइड्रो पॉवर स्टेशन (770 मेगावाट-7x110 मेगावाट) पर विद्युत उत्पादन करने वाली मशीने पूरी तरह जलमग्न हो गई थीं और अभी इसका प्रचालन किया जाना है। जबकि इस स्टेशन की एक यूनिट (110 मेगावाट) दिसंबर, 2009 के प्रथम सप्ताह तक प्रचालन किए जाने की संभावना है, अन्य छह यूनिटों के जनवरी 2010 के अंत तक प्रचालन किये जाने की संभावना है।

श्रीसेलम लेफ्ट बैंक पम्पड स्टोरेज (900 मेगावाट-6x150 मेगावाट) की उत्पादन यूनिटें भी बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। तथापि, छह यूनिटों में से पांच यूनिटें वर्तमान में चालू है। शेष बची यूनिट का दिसंबर, 2009 के अंत तक प्रचालन किये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश के विद्युत स्टेशनों में आई बाढ़ से उत्पन्न राज्य की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश को 15.10.2009 से पूर्वी क्षेत्र (ईआर) में एनटीपीसी स्टेशनों की अनावंटित विद्युत से 100 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत आबंटन किया गया, जिससे पूर्वी क्षेत्र में कुल आबंटन 150 मेगावाट तक बढ़ गया और 100 मेगावाट का आबंटन 15.11.2009 से जारी रखा गया है।

(ङ) से (छ) अनावंटित विद्युत का आवंटन स्थाई आधार पर नहीं है क्योंकि इसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी मौसमी एवं तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आबंटित किया जाता है।

अंग पुनर्प्राप्ति बैंक संगठन की स्थापना

421. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अंग पुनर्प्राप्ति बैंक संगठन (आर्गन रिट्रीवल बैंक आर्गनाइजेशंस) बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में ओआरबीओ की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(घ) इस हेतु बजट आकलन क्या है;

(ङ) क्या उक्त संगठन धर्मार्थ रूप से अथवा व्यावसायिक रूप से कार्य करेंगे;

(च) यदि हां, तो ऐसे अंग पुनर्प्राप्ति बैंक संगठनों हेतु अंग-प्रापण की प्रस्तावित कार्यविधि क्या रहेगी;

(छ) क्या विज्ञापन कानून में मानव अंगों के इस प्रकार प्रतिरोपण की अनुमति है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो विद्यमान अधिनियम में इस हेतु प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (झ) अंग पुनर्प्राप्ति बैंक संगठन (ओ आर बी ओ), जो कि एक राष्ट्रीय सुविधा और देश के लिए नोडल केन्द्र है, पहले से ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में कार्य कर रहा है। दिल्ली में अंग दान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के लिए सुचारू कार्यकरण एवं समन्य हेतु अंग पुनर्प्राप्ति बैंक संगठन के साथ 15 अस्पतालों (सरकारी, सार्वजनिक एवं धर्मार्थ) का नेटवर्क बनाया गया है। मानव अंगों के निकालने/प्रत्यारोपण का कार्य मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का संख्या 42) में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता है और अंग पुनर्प्राप्ति बैंक संगठन को इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य करना होता है।

इस अधिनियम की धारा 5 एवं 6 अस्पतालों एवं बन्दी गृहों में लावारिस पड़े शरीरों से अंग निकालने और चिकित्सकीय-विधिक या विकृतिविज्ञानीय प्रयोजनों के लिए मृत्यु उपरांत जांच हेतु भेजे गए शरीरों से मानव अंग निकालने का प्राधिकार प्रदान करती है। इस अधिनियम की धारा 9 (नौ) मृत्यु से पहले दाता से मानव अंग निकालने एवं प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध लगाती है।

कर दायरे में आने वाले लोग

422. श्री संजय धोत्रे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के आयकर दाताओं की संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान वृद्धि की दर में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में कर दायरे को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक आयकर दाताओं की संख्या का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े लाख में)

वित्तीय वर्ष	कंम्पनी	गैर-कंपनी	जोड़
2006-07	3.98	315.05	319.03
2007-08	4.98	331.64	336.62
2008-09	3.35	320.63	323.98

(ख) और (ग) जी, नहीं। आयकर दाताओं में वृद्धि/कमी की दर बदलती रहती है। वित्तीय वर्ष 2007-08 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तविक आयकर दाताओं की संख्या में कमी आई है। उक्त आंकड़े, विवरणियों के संसाधन के दौरान आयकर दाताओं की पहचान से प्राप्त किए गए हैं जिसमें कर्मचारियों की कमी, साफ्टवेयर को लागू करने में समस्या और प्रणाली एकीकरण जैसे तकनीकी कारणों के कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 (वित्तीय वर्ष 2007-08 की तुलना में) में बाधा आयी है। इसमें अब चालू वित्तीय वर्ष में व्यवस्था में स्थिरता आने के परिणामस्वरूप विवरणियों के शीघ्र संसाधन के कारण सुधार होने की संभावना है।

(घ) सरकार का यह लगातार प्रयास रहता है कि वह कर आधार को बढ़ाए। कर आधार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) एआईआर (वार्षिक सूचना विवरणी) डाटा का उपयोग।

(2) सीआईबी (केन्द्रीय सूचना शाखा) डाटा का उपयोग।

(3) विभिन्न उच्च मूल्य वाले लेन-देनों में "पैन" का अनिवार्य उल्लेख।

(4) कटौती कराने वाले की पहचान करने तथा कर आधार को बढ़ाने के लिए भी टीडीएस सर्वेक्षण/निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(5) आयकर विभाग का व्यापक कम्प्यूटरीकरण।

(6) प्रारूप कर कोड, जिसे सार्वजनिक बहस के लिए रखा गया है, में कराधान के तरीके में प्रस्तावित परिवर्तन।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

423. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों व झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में हाल ही में विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र की आरे से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है तथा उपलब्ध कराए गए वित्तीय पैकेज, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। केंद्र सरकार को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के दो घटकों नामत: शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत शहरी गरीबों/स्लम वासियों का आवास मुहैया कराने हेतु राज्यों सें, विशेषतया महाराष्ट्र से विभिन्न परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अनुमोदित परियोजनाएं तथा निधि जारी करने हेतु की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 31.10.2009 की स्थिति के अनुसार शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवाएं (बी एस यू पी) के तहत प्राप्त एवं अनुमोदित राज्य-वार डी पी आर

(रु. करोड़ों में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य का नाम	प्राप्त डी पी आर			अनुमोदित परियोजनाएं							अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	जारी कुल एसीए
		डीपीआर प्राप्त शहरों की सं.	प्राप्त डीपीआर की सं.	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजना लागत	केंद्रीय अंश	केंद्रीय अंश की प्रथम किस्त (25%)	स्वीकृत द्वितीय किस्त	स्वीकृत किस्त	स्वीकृत चतुर्थ किस्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	3	43	3,863.08	36	3010.18	1497.42	374.35	188.81	110.76	0.00	134694	673.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	56.77	2	49.25	43.95	10.99	0.84	0.00	0.00	852	11.83
3.	असम	1	8	179.18	2	108.44	97.60	24.40	12.14	0.00	0.00	2260	36.54
4.	बिहार	2	18	699.16	18	709.98	312.76	78.19	0.00	0.00	0.00	22372	78.19
5.	चंडीगढ़	1	2	564.93	2	564.94	396.13	99.03	99.03	0.00	0.00	25728	99.03
6.	छत्तीसगढ़	1	5	419.68	5	420.23	335.21	83.80	0.00	0.00	0.00	28864	78.05
7.	दिल्ली	1	17	2,244.26	15	1814.49	768.73	192.18	0.00	0.00	0.00	65504	173.50
8.	गुजरात	4	17	1,496.64	16	1436.88	691.74	172.94	132.17	80.50	16.41	95084	402.02
9.	हरियाणा	1	5	226.90	2	64.23	31.18	7.79	7.79	7.79	0.00	3248	23.39
10.	हिमाचाल प्रदेश	1	2	27.90	2	24.01	18.27	4.57	0.00	0.00	0.00	636	4.57
11.	जम्मू व कश्मीर	2	5	155.50	5	162.39	134.44	33.61	0.00	0.00	0.00	6677	33.61
12.	कर्नाटक	2	25	994.51	18	747.18	407.97	101.99	0.00	0.00	0.00	28118	101.99
13.	केरल	2	7	383.86	7	343.67	233.56	58.39	11.79	0.00	0.00	23577	70.18
14.	मध्य प्रदेश	4	37	1,222.91	22	704.65	344.26	86.07	17.95	13.27	0.00	41446	117.29
15.	महाराष्ट्र	5	62	8,446.58	55	5874.75	2755.12	2766.12	691.53	186.69	46.36	0.00	168518
16.	मेघालय	1	3	57.32	3	51.74	40.35	10.09	5.94	0.00	0.00	768	16.03
17.	मिजोरम	1	4	92.07	4	91.32	80.11	20.03	0.00	0.00	0.00	1096	20.03
18.	नागालैंड	1	1	147.77	1	134.50	105.60	26.40	26.40	0.00	0.00	3504	52.80
19.	उड़ीसा	2	6	74.61	6	74.62	54.18	13.54	0.00	0.00	0.00	2508	13.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	पंजाब	2	3	77.38	2	72.43	36.15	9.04	8.32	0.00	0.00	5152	9.04
21.	पुडुचेरी	1	3	139.40	3	135.98	83.20	20.80	0.00	0.00	0.00	2964	20.80
22.	राजस्थान	2	2	277.05	2	277.14	169.20	42.30	0.00	0.00	0.00	17337	42.30
23.	सिक्किम	1	4	42.97	3	33.58	28.06	7.26	0.00	0.00	0.00	254	7.26
24.	तमिलनाडु	3	65	2,475.71	51	2327.32	1041.80	260.45	55.25	13.41	0.00	91318	315.70
25.	त्रिपुरा	1	1	16.73	1	16.73	13.96	3.49	3.49	0.00	0.00	256	6.98
26.	उत्तर प्रदेश	7	70	2,473.85	67	2330.84	1138.84	284.67	40.72	7.40	0.00	67992	319.23
27.	उत्तराखंड	3	9	533.79	8	36.12	28.01	7.00	0.00	0.00	0.00	773	7.00
28.	पश्चिम बंगाल	2	93	3,815.93	91	3293.04	1607.42	402.21	104.38	19.35	0.00	140052	473.29
29.	गोवा	1	1	10.22	1	10.22	4.60	1.15	0.00	0.00	0.00	155	1.15
30.	झारखंड	3	11	382.78	11	370.67	251.59	62.90	0.00	0.00	0.00	12226	42.90
31.	मणिपुर	1	1	51.23	1	51.23	43.91	10.98	0.00	0.00	0.00	1250	10.98
	कुल	63	533	31,650.67	462	25342.77	12807.32	3202.14	901.73	298.84	16.41	995183	4191.15
	डीपीआर तैयारी शुल्क				9								3.35
	पीएमयू				23								4.12
	पैआईयू				101								13.69
	सकल योग												4212.31

31.10.09 की स्थिति के अनुसार एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत राज्यवार प्राप्त एवं अनुमोदित डीपीआर

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	प्राप्त डीपीआर		अनुमादित परियोजनाएं			केंद्रीय सहायता की प्रथम किस्त	केंद्रीय सहायता की द्वितीय किस्त	केंद्रीय सहायता की तृतीय किस्त	केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कुल एसीए
		प्राप्त डीपीआर की सं.	प्रस्तावित परियोजना लागत	परियोजनाओं की सं.	कुल अनुमोदित लागत	अनुमोदित केंद्रीय अंश				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	108	1725.95	77	1139.13	764.57	382.28	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	182.78	1	9.95	8.96	4.33	33.79	47896	416.08
3.	असम	20	131.82	15	67.07	56.48	28.24		176	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बिहार	2	15.36	2	15.15	13.64	6.82		7377	28.24
5.	चंडीगढ़	16	194.13	16	194.11	123.97	61.99		40	4.33
6.	छत्तीसगढ़	27	314.11	18	225.60	158.83	79.41		9764	61.98
7.	दादरा और नगर हवेली	1	0.46	1	0.50	0.45	0.23	5.96	17922	85.36
8.	दमन और दीव	1	0.52	1	0.69	0.58	0.29		0	0.23
9.	गुजरात	38	384.11	37	365.90	232.67	119.49		16	0.29
10.	हरियाणा	61	588.24	13	272.26	209.70	104.85		27168	119.35
11.	हिमाचल प्रदेश	6	53.33	6	55.34	37.07	18.54		16426	104.85
12.	जम्मू और कश्मीर	36	131.14	27	91.23	68.11	31.29		1616	18.54
13.	झारखंड	8	171.79	7	143.34	87.98	41.12		6670	31.29
14.	कर्नाटक	50	737.57	34	379.66	222.69	111.34		7868	41.12
15.	केरल	37	190.44	37	192.20	146.13	72.94		17237	111.34
16.	मध्य प्रदेश	46	294.45	37	270.37	192.96	96.48	20.38	18691	91.74
17.	महाराष्ट्र	109	1837.28	103	1789.29	1130.60	565.07		18870	96.48
18.	मणिपुर	6	43.22	4	28.59	21.01	10.66	6.36	89955	572.47
19.	मिजोरम	8	36.23	8	39.27	29.78	14.89		1906	10.66
20.	मेघालय	3	41.46	3	41.48	22.43	11.21		1950	14.89
21.	नागालैंड	2	90.38	2	90.13	44.74	22.67		912	11.21
22.	उड़ीसा	32	267.62	31	267.68	176.33	88.18	7.25	2761	29.92
23.	पंजाब	3	74.41	3	63.42	32.62	16.31		12593	88.18
24.	पुडुचेरी	1	17.10	1	17.03	5.48	2.74		4658	16.31
25.	राजस्थान	51	542.08	37	480.61	326.90	161.57		432	2.74
26.	सिक्किम	4	66.58	0	0	0	0	2.80	28043	164.37
27.	तमिलनाडु	248	631.77	83	495.00	335.39	169.41		0	0.00
28.	त्रिपुरा	3	24.11	3	27.20	23.94	11.97	22.00	36706	191.41
29.	उत्तर प्रदेश	179	856.34	133	805.05	533.99	255.10		1550	11.97
30.	उत्तराखंड	2	6.34	2	5.85	2.91	1.45	14.13	31969	267.55
31.	पश्चिम बंगाल	95	924.56	95	944.36	681.19	340.67		231	1.45
32.	लक्षद्वीप	1	1.29	0	0	0	0	65.84	52686	406.51
	योग	1210	10576.97	842	8517.45	5692.08	2831.55	178.51	464089	3000.87

*दिनांक 29.10.2009 को आयोजित सीएससी की 67वीं बैठक तक अनमोदित परियोजनाएं।

[अनुवाद]

विविध बीमा कंपनियों के उत्पादों का वितरण

424. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का बैंकों को विविध बीमा कंपनियों के उत्पाद वितरित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ बैंकों ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया है यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि विविध बीमा कंपनियों के उत्पादों को वितरित करने के लिए बैंकों को अनुमति देने की संभावनाओं की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दीर्घावधिक निवेश

425. श्री वरूण गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीर्घावधिक निवेश के अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्याप्तता तथा परिसंपत्तिगत गुणवत्ता की निगरानी करने से भारतीय अवसंरचना वित्त कं. लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के लिए कोई वित्तीय विनियामक रखने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकार अवसंरचना के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियों सहित उत्पादक परिसम्पत्तियों में अधिकाधिक दीर्घकालिक निवेश जुटाने के लिए अनवरत प्रयास कर रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) आईआईएफसीएल सीधे ही सरकार द्वारा विनियमित होती है, इसलिए अलग से किसी वित्तीय विनियामक की आवश्यकता नहीं है।

पर्यटन परियोजनाएं

426. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चालू पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की परियोजनाओं की समीक्षा न करने के कारण क्या हैं;

(घ) अगले पांच वर्षों के लिए पर्यटन उद्योग में विकास की क्या संभावनाएं हैं; और

(ङ) निजी क्षेत्र और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सहित चालू तथा नई परियोजनाओं पर किए जा रहे निवेश का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग एवं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु उन्हें राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति गठित करने की भी सलाह दी गई है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय स्थल दौरों एवं समीक्षा बैठकों/सम्मेलनों के माध्यम से परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को भी मॉनीटर करता है, जो कि एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कैलेंडर वर्ष 2009 के लिए-6% से -4% तक की वृद्धि दर प्रोजेक्ट की है।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय ने वर्तमान वर्ष के दौरान, सितम्बर, 2009 तक पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 398.33 करोड़ रु. की 106 पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। अप्रैल 2000 से अगस्त 2009 की अवधि के दौरान देश के होटल तथा पर्यटन उद्योग में 1614.61 मिलियन यू एस डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने का अनुमान है।

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा

427. श्री वैजयंत पांडा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश विशेषकर उड़ीसा में जनजातीय बालिकाओं के लिए शिक्षा पूरी करने में बालिकाओं के लिए अवसरों का सृजन नामक कार्यक्रम प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से आवासीय विद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) जी, नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जन्म-पंजीकरण

428. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनिसेफ) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विश्वभर में जन्म का पंजीकरण न होने से आधे से अधिक मामले अकेले भारत में ही हैं जिसके कारण बच्चे राज्य-सेवाओं की पहुंच तथा संरक्षा के दायरे से बाहर और स्कूल या बुनियादी स्वास्थ्य-सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जन्म-पंजीकरण कम होने के कारणों की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो जन्म के समय पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) सितम्बर, 2009 में 'प्रोग्रैस फॉर चिल्ड्रेन: ए रिपोर्ट कार्ड ऑन चाइल्ड प्रोटैक्शन' शीर्षक से जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2007 में विश्वभर में जन्में जिन बच्चों के जन्म का पंजीकरण नहीं कराया गया, उनमें से लगभग 47% बच्चे दक्षिण एशिया के हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चे स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा जैसी सेवाओं तथा संरक्षण सुविधाओं की पहुंच से बाहर रहते हैं, जिन्हें पाने का उन्हें अधिकार है।

(ख) गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना और अनुसार, जन्म के पंजीकरण के कम स्तर के प्रमुख कारण इस प्रकार है:

* जन्म के पंजीकरण के महत्व और जरूरत के विषय में जन-सामान्य में जागरूकता की कमी।
* राज्यों द्वारा सिविल पंजीकरण कार्य को कम प्राथमिकता देना।
* राज्यों के बजट में इस कार्य के लिए अपर्याप्त आबंटन।
* पंजीकरण कर्मियों में प्रक्रिया संबंधी जानकारी की कमी।
* स्थानीय स्तरों पर पंजीकरण के लिए कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या।

(ग) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि जन्म के पंजीकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत के महापंजीयक का कार्यालय कई उपाय कर रहा है। ये उपाय इस प्रकार हैं:

* 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के संबंध में जारी किए जाने वाले जन्म प्रमाण-प्रत्रों को तुरन्त जारी करने के लिए नवम्बर, 2003 में राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। मार्च, 2005 तक पहले चरण में लगभग 3 करोड़ 73 लाख जन्म प्रमाण पत्र और अक्टूबर, 2007 तक दूसरे चरण में 2 करोड़ 60 लाख जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए।
* जन्म के पंजीकरण के महत्व/जरूरत के विषय में जन-समान्य में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रचार के कई उपाय किए गए। रेडियों तथा टैलीविजन पर प्रचार अभियानों में तेजी लाई गई है।
* क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा, संचार सामग्री तैयार करके इस सामग्री का व्यापक पैमाने पर वितरण किया गया।

* जिन राज्यों में जन्म के पंजीकरण का स्तर कम है, उन राज्यों में पंजीकरण प्रणाली का प्रसार बढ़ाने तथा इस प्रणाली का कारगर कार्यकरण और राज्यों से रिपोर्टों की प्राप्ति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए मासिक मानीटरन प्रणाली स्थापित की गई है।

* पंजीकरण से जुड़े कर्मचारियों को सिविल पंजीकरण की जानकारी प्रदान करने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं।

* विभिन्न राज्यों में सिविल पंजीकरण प्रणाली के कामकाज की समेकित समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएं/सम्मेलन आयोजित किए गए।

पॉलीमर करेंसी नोट

429. **श्री प्रदीप माझी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में उच्च सुरक्षा विशेषता वाले पॉलीमर करेंसी नोट को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पॉलीमर करेंसी और वर्तनान कागज के नोटों की तुलनात्मक उत्पादन लागत कितनी है; और

(घ) इन नोटों से देश में जाली करेंसी के चलन पर किस हद तक रोक लगाने में सहायता मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकार ने परीक्षण के आधार पर दस रुपये मूल्यवर्ग के 1 बिलियन अदद पॉलीमर बैंक नोट शुरू का निर्णय लिया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने परीक्षण के आधार पर पॉलीमर नोटों की खरीद करने की कार्रवायी शुरू की है और इस अवस्था में वर्तमान कागज की तुलना में पालीमर करेंसी की तुलनात्मक उत्पादन लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) पॉलीमर नोट 10 रुपये के मूल्यवर्ग में शुरू किए जा रहे हैं जहां जालसाजी नगण्य है। पॉलीमर नोट शुरू करने का मुख्य आशय बैंक नोटों के जीवन को बढ़ाना है।

भारत की कर नीति

430. **श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की कर नीति में बढ़ती अनिश्चतता और उच्चायुक्तों ने संयुक्त रूप से भारत की अवनतिकारी कर प्रणाली की विशेषताओं को विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सात धनी देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने संयुक्त रूप से भारत की अवनतिकारी कर प्रणाली की विशेषताओं का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) भारत की वर्तमान कर नीतियों से न केवल राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है अपितु इससे आर्थिक विकास में भी तेजी आई है। निवेश के लिए साधन जुटाने के परम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरलीकरण एवं यौक्तिकीकरण पर जोर दिया गया है। समानता के साथ संवृद्धि को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए ही प्रस्तावित कर उपायों की परिकल्पना नये प्रत्यक्ष कर कोड के अनुसार की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं संदर्भित देशों से भारत की कर प्रणाली की विशेषताओं के संबंध में कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी देने हेतु विश्व बैंक निधि

431. **श्री गुरुदास दासगुप्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता के जरिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजीगत राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंक विनियामक जोखिम भारित आस्ति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) का एक सुदृढ़ एवं सहज स्तर बनाए रखते हुए, अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर सके, इस उद्देश्य से सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजीगत निधियां प्रदान करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर के बैंकिंग क्षेत्र सहायता ऋण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) के साथ एक करार किया है।

मुद्रास्फीति-दर

432. **श्री रमेश राठौड़:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) विगत छह महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर कितनी दर्ज की गई;

(ख) उक्तावधि के दौरान मुद्रास्फीति-दर में वृद्धि या कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का मुद्रास्फीति-दर के आकलन के लिए वर्तमान प्रणाली में बदलाव करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति-दर की घोषणा साप्ताहिक के बदले मासिक आधार पर करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) आधार 1993-94 पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित पिछले छह महीनों में दर्ज वर्षानुवर्ष मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें निम्नलिखित हैं:

मई, 09	जून, 09	जुलाई, 09	अगस्त, 09	सितम्बर, 09	अक्टूबर, 09
1.38	-1.01	-0.67	-0.17	0.50	1.34

(ख) जून, 2009 से अगस्त, 2009 के दौरान ऋणात्मक मुद्रास्फीति का कारण ईधन समूह और खाद्य-भिन्न वस्तुओं (धातुएं इत्यादि) की घरेलू कीमतों में हुई गिरावट और पिछले वर्ष के तदनुसार महीनों में थोक मूल्य सूचकांक के ऊंचे सांख्यिकीय आधार का प्रभाव था।

(ग) और (घ) मुद्रास्फीति दर के मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार ने डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति को मासिक आधार पर जारी करने का निर्णय लिया है ताकि डब्ल्यूपीआई में शामिल विनिर्मिता उत्पादों, जिनका 63.75 प्रतिशत भारांश है, में कम अनुक्रिया के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

बैंकों में भ्रष्टाचार

433. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने के मामले में अनियमितता/कदाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों में भ्रष्टाचार के प्रघटन को रोकने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने एहतियाती कदम बरतने के मार्गनिदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मार्गनिदेशों पर अमल की स्थिति दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं: और

(ङ) भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिवर्ज बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें बैंकों के मंडल स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही है। ज्यादातर आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के होते हैं। जहां कहीं भी ये आरोप स्पष्ट होते हैं और बैंककारी संबंधित विषय मामले के संबंध में होते हैं, निरीक्षण/संवीक्षा की जाती हैं और सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (जून 2009 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नवत् है:

बैंक के नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
बैंक ऑफ बड़ौदा	1	11	–	–
बैंक ऑफ इंडिया	–	–	1	–
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	–	1	–	–

1	2	3	4	5
केनरा बैंक	1	–	–	–
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	–	–	3	–
कारपोरेशन बैंक	1	1	–	–
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1	1	–	–
पंजाब नैशनल बैंक	4	5	6	–
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	–	–	–
सिंडिकेट बैंक	1	7	1	1
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1	–	–	–
विजया बैंक	1	–	–	–
कुल	12	26	11	1

(टिप्पणी: अनाम या छद्म नाम वाली शिकायतें इस सूची में शामिल नहीं है।)

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पर्यवेक्षी जिम्मेदारी के भाग के रूप में, बैंकों को समय-समय पर सामान्य धोखाधड़ी संभावित क्षेत्रों के बारे में और बैंकों में धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव देता रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को अनेक पूर्वोपाय कार्रवाई करने को सलाह दी है।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाने वाली त्रिमासिक विवरणी में अपचारीत कर्मचारियों के विरुद्ध उनके भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त होने के कारण की गई कार्रवाई को ब्यौरा भी देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनके अपचारी कमचारियों के विरुद्ध वर्ष 2008, 2007 और 2008 और सितंबर 2009 को समाप्त तिमाही तक की गई ऐसी कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	बड़ा/गौण जुर्माना किए गए कर्मचारियों की संख्या	कॉलम II में से वर्खास्त/ से सेवामुक्त कर्मचारियों की संख्या	दोष मुक्त कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध अभियोजना न्यायालय में लंबित है। (31 दिसंबर तक की स्थिति के अनुसार)	कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है। (32 दिसंबर तक की स्थिति के अनुसार)
2006	34	529	82	22	262	592
2007	77	437	60	16	268	429
2008	88	450	75	6	273	686
सितंबर 2009 तक	2	468	79	16	860	1809

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना

434. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से सहायता प्राप्त पहले से ही चालित तथा हाल ही में चिन्हित ग्रामीण पर्यटन सर्किटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूएनडीपी गुजरात राज्य के अमरेली, वड़ोदरा, राजकोट एवं पंचमहल जिलों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई सहायता दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कला, शिल्प, संस्कृति, हथकरघा/वस्त्र आदि में संपूर्ण दक्षता रखने वाले ग्रामीण स्थलों में अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे ग्रामीण स्थलों में कौशल उन्नयन सहित सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण को भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंतर्जात पर्यटन परियोजना और मंत्रालय की सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना द्वारा सहायता दी जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने अभी तक 36 स्थलों सहित,

जिसके लिए यूएनडीपी ने क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की है, 151 ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास के लिए परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अभी तक स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

151 स्थलों की सूची में गुजरात के अमरेली वड़ोदरा, राजकोट और पंचमहल जिले सम्मिलित नहीं है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 में गुजरात के अमरेली जिले में अमबारड़ी वन्य जीव इंटरप्रिटेशन पार्क के विकास के लिए 474.25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की सं.	लाख रुपए में स्वीकृत राशि (अवसंरचना + क्षमता निर्माण)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	429.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	246.78
3.	असम	4	230.08
4.	बिहार	1	70.00
5.	छत्तीसगढ़	7	438.80
6.	दिल्ली	2	46.08
7.	गुजरात	5	365.03
8.	हरियाणा	1	70.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3	170.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	20	1294.76
11.	झारखण्ड	2	134.77
12.	कर्नाटक	5	300.00
13.	केरल	6	376.80
14.	मध्य प्रदेश	7	451.31
15.	महाराष्ट्र	2	140.00
16.	मणिपुर	3	149.75
17.	मेघालय	2	123.29
18.	नागालैंड	10	665.15
19.	उड़ीसा	8	489.25
20.	पंजाब	5	261.46
21.	पुडुचेरी	1	65.17
22.	राजस्थान	3	209.32
23.	सिक्किम	8	520.50
24.	तमिलनाडु	10	557.18
25.	त्रिपुरा	5	295.83
26.	उत्तराखण्ड	11	668.31
27.	उत्तर प्रदेश	4	205.92
28.	पश्चिम बंगाल	5	327.30
	कुल	151	9302.04

[हिन्दी]

राज्यों को वित्तीय सहायता

435. श्री के.डी. देशमुख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से हाल के वित्तीय संकट से उबरने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों ने अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण राहत जिसमें वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों का समेकन तथा पुनर्निर्धारण शामिल है, ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के तहत लाभ खोए बगैर राजकोषीय घाटा लक्ष्यों में छूट और इसके साथ बड़े हुए वेतनमानों से पड़ने वाले भार को वहन करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है।

डी.सी.आर.एफ. स्कीम के तहत 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा 31.03.2005 को बकाया केन्द्रीय ऋणों का समेकन कर दिया गया है जिससे ब्याज में राहत मिली है। राज्यों को उनके राजकोषीय निष्पादन के आधार पर ऋण माफी प्रदान की जाती है।

भारत ने वर्ष 2009-10 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य में छूट दे दी है और राज्यों के संबंधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दिया है जिससे कि राज्य अपने संबंधित जी.एस.डी.पी. के 4 प्रतिशत तक ऋण उगाही, जो कि पूंजीगत व्यय करने के लिए डी. सी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों में प्रक्षेपित है, करने में समर्थ हो सकें। राज्यों को वर्ष 2009-10 के लिए उनकी संबंधित संशोधित ऋण की उच्चतम सीमा की सूचना दे दी गई है। चूंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान देने का मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है, अत: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अथवा संबंधित राज्य वेतन आयोगों को स्वीकार करने या न करने अथवा किस हद तक स्वीकार करना है, यह निर्णय राज्य सरकारों को स्वयं ही लेना होगा।

[अनुवाद]

सी.एफ.एल. का उच्च मूल्य

436. श्री एम.एस. रामासुब्बू: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सी.एफ.एल. की अवहनीयता से परिचित है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में इसकी उत्पादन लागत को कम करने तथा सभी उपभोक्तओं को रियायती दरों पर सी.एफ.एल. उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई निदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भरतसिंह सोलंकी): (क) जी हां,।

(ख) और (ग) घरेलू उपयोग में प्रचलित तापदीप्त बल्बों के बदले में ऊर्जा दक्षता एवं उच्च गुणवत्ता वाले कॉम्पेक्ट फ्लूरोसैंट लैम्पो (सीएफएलएस) के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु बचत लैंप योजना (बीएलवाई) शुरू की गई है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक प्रयासों का समन्वय कर रही है जिसमें तापदीप्त बल्बों की तुलनात्मक दरों पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीएफएलएस उपलब्ध कराना है। क्योटों प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) का उपयोग करते हुए मूल्य में कमी के लक्ष्य हासिल किये जायेंगे जिसके माध्यम से सीएफएल आपूर्तिकर्ता कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन ह्रास के आधार पर प्रमाणित उत्सर्जन ह्रास (सीईआर) अर्जित करेंगे जो तापदीप्त बल्बों की तुलना में सीएफएल की कम विद्युत खपत की वजह से संभव होगा।

(घ) और (ङ) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने समय-समय पर राज्य सरकारों को पत्र जारी किये हैं। जिसमें उनसे अपने अधिकार-क्षेत्र के अंदर इस योजना का कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान राज्यों ने पहले से इस परियोजना का कार्यान्वयन कर लिया है। गोवा व त्रिपुरा ने बीएलवाई में अभिरूचि दिखाई है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पहले से ही घरेलू उपयोग के लिये 60 लाख से अधिक सीएफलएस का वितरण किया है।

स्वाइन फ्लू की जांच

437. श्री एल. राजगोपाल:
श्री एम.के. राघवन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में स्थापित की गई प्रयोगशालाओं में स्वाइन फ्लू के मामलों की जांच करने की परिशुद्धता दर क्या है तथा इनके द्वारा अब तक कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार को देशभर में स्वाइन फ्लू की जांच करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं द्वारा उच्च तथा अलग-अलग दरें वसूलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी प्रयोगशालाओं में स्वाइन फ्लू की जांच करने के लिए तर्कसंगत दर वसूलने के संबंध में विनियम बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पहचानी गई प्रयोगशालाओं के कर्मियों को इन्फलूएंजा ए एच1एन1 के लिए आरटी-पीसीआर जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहचानी गई प्रयोगशालाओं को यह जांच करने के लिए नमूनों का एक पैनल दिया गया है कि क्या वे इस जांच को उचित रूप से कर सकते हैं। नैदानिक नमूनों की जांच करने के लिए ऐसी प्रयोगशालाओं को अनुमति देने से पहले जांच के परिणाम की 100 प्रतिशत सुसंगता सुनिश्चित करना आवश्यक था। पहचानी गई प्रयोगशालाओं द्वारा 15,550 रोगियों की पहचान की गई है (16.11.2009 की स्थिति के अनुसार)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण

438. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न जनजातियों की घटती जनसंख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार जनजातीय-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी): (क) और (ख) जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एन.एस.ओ.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी) सहित, सभी सामाजिक समूहों से संबंधित सम्पूर्ण देश के आधार पर तथा क्रमिक चरणों के रूप में सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी, औद्योगिक एवं कृषि सांख्यिकी के संबंध में बहु विषयक एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है।

(ग) से (ङ) जी नहीं।

स्कूलों द्वारा मुफ्त शिक्षा मानदंडों का उल्लंघन

439. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को मुफ्त सीट प्रदान करने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें रियायती दरों पर आबंटित की गई भूमि के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों की सूची क्या है;

(ग) इन स्कूलों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि 394 स्कूलों रियायती दर भूमि दी गई थी, में से 3 स्कूल नि:शुल्क शिक्षा कोटा के अनुपालन के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं कर रहे हैं। जीएनसीटीडी ने यह भी सूचित किया है कि इन तीन स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियम, 1973 के तहत करण बताओं नोटिस जारी किया गया है तथा 139 अन्य स्कूलों जिन्होंने आंशिक रूप से नि:शुल्क शिक्षा कोटा का अनुपालन किया है, से भी यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि वे इसका अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तीन स्कूलों के नामों की जो किसी प्रकार की सूचना नहीं दे रहे हैं तथा नि: शुल्क शिक्षा कोटा का आंशिक अनुपालन करने वाले 139 स्कूलों के नामों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	निःशुल्क शिक्षा कोटा के संबंध में सूचना नहीं प्रदान करने वाले स्कूलों का नाम
1	2
1.	माडर्न स्कूल बराखम्भा रोड़
2.	द फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल, लाजपत नगर
3.	इंडियन स्कूल, सादिक नगर नई दिल्ली
	आंशिक रूप से निःशुल्क शिक्षा कोटा का पालन करने वाले स्कूलों का नाम
4.	भाई जोगा सिंह ख. गर्ल्स सीनीयर सेकण्डरी स्कूल, डी-4, फैज रोड करोल बाग, नई दिल्ली 5
5.	भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय कस्तूरबा गांधी मार्ग
6.	सी आई भल्ला दयानन्द माडल स्कूल
7.	चौगुले पब्लिक स्कूल डी-4, फैज रोड करोल बाग, नई दिल्ली 5
8.	गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल पुराना किला रोड
9.	गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल फैज रोड करोल बाग
10.	जे डी टाइटल्स स्कूल न्यू राजेन्द्र नगर आर ब्लाक के पीछे, नई दिल्ली
11.	रामयश पब्लिक स्कूल पूसा रोड नई दिल्ली
12.	संस्कृति स्कूल चाणक्य पुरी
13.	सरस्वती बाल मंदिर झण्डेवलान, नाच सिनेमा के सामने नई दिल्ली 55
14.	विद्या पब्लिक स्कूल बंगला साहिब रोड़
15.	बाल भवन पब्लिक स्कूल मयूर विहार
16.	बाल भवन एस.विहार
17.	भाई परमानन्द विद्या मंदिर सूर्या निकेतन
18.	भारती पब्लिक स्कूल स्वास्थ्य विहार
19.	दशमेश पब्लिक स्कूल
20.	डी ए वी पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार
21.	माया इन्टरनेशनल स्कूल
22.	मदर टेरसा पब्लिक स्कूल प्रीत विहार
23.	साई मेमोरियल स्कूल
24.	सद्देद राज पाल डी ए वी पब्लिक स्कूल दयानन्द नगर
25.	सोमर विले स्कूल
26.	सेंट जोशफ एकेडमी सरिता विहार
27.	सेंट लारेंस स्कूल गीता कालोनी
28.	स्टार इंटरनेशनल स्कूल दल्लू पुरा
29.	द बैपटिस्ट कंवेंट स्कूल आई पी एक्सटेंशन
30.	बनस्थली पब्लिक स्कूल मयूर विहार
31.	विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल कोंडली मयूर विहार
32.	नवजीवन पब्लिक स्कूल
33.	नवजीवन अदारसी पब्लिक स्कूल गौतम पुरी
34.	सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ईस्ट आफ लोनी रोड
35.	ए जी डी ए वी पब्लिक मांडल टाउन
36.	डी ए डी ए वी शालीमार बाग
37.	जी टी वी स्कूल मांडल टाउन
38.	हैपी स्कूल शालीमार बाग
39.	कस्तूरी राम इंटरनल स्कूल नरेला
40.	लिटिल फेयरी पब्लिक स्कूल जी टी वी नगर
41.	माडर्न पब्लिक स्कूल शालीमार बाग
42.	माउन्ट आबू पब्लिक स्कूल
43.	नव जीवन स्कूल जी टी वी नगर
44.	प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल
45.	क्यू एम एस माडल स्कूल
46.	क्रीसेंट पब्लिक स्कूल पीतमपुरा
47.	दरबाली लाल डी ए वी स्कूल एन डी ब्लाक पीतमपुरा

1	2
48.	डी ए वी पब्लिक स्कूल पुष्पाजंलि इनक्लेव पीतमपुरा
49.	डी ए वी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी दिल्ली
50.	दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल
51.	दिल्ली पब्लिक सकूल
52.	जी डी गोयनका पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 22
53.	लिटिल फेयरी पब्लिक स्कूल अशोक विहार
54.	महाराजा अग्रसेन माडल स्कूल सी डी ब्लाक प्रीतमपुरा
55.	महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार
56.	मानवी पब्लिक स्कूल
57.	माता शिव देवी पब्लिक स्कूल ए/2 केशव पुरम दिल्ली
58.	एम एम पब्लिक स्कूल वसुंधरा इन्क्लेव पीतमपुरा
59.	मदरलैंड पब्लिक स्कूल सी यू ब्लाक पीतमपुरा
60.	मुनी माया राम पब्लिक स्कूल पी पी ब्लाक पीतमपुरा
61.	नव भारती पब्लिक स्कूल दीपाली पीतमपुरा
62.	प्रींस पब्लिक स्कूल
63.	क्वीन मेरी स्कूल
64.	राजा राम मोहन राय पब्लिक स्कूल
65.	रविन्द्रा पब्लिक स्कूल पीतमपुरा
66.	राइजिंग स्टार एकेडमी राज
67.	स्प्रिंग फील्ड स्कूल एफ डी ब्लाक पीतमपुरा दिल्ली
68.	सेंट एन्जल स्कूल
69.	सेंट प्रयाग पब्लिक स्कूल 4/5 पीतमपुरा
70.	सेंट स्टीफन स्कूल पी-यू- ब्लाक पीमतपुरा
71.	द हेरिटेज स्कूल
72.	तीतीक्षा पब्लिक स्कूल रोहिणी
73.	त्यागी पब्लिक स्कूल बी 3 केशव पुरम दिल्ली
74.	अमृता विद्यालयम् पुष्प विहार
75.	ब्लू बेल्स स्कूल इंटरनेशनल ईस्ट आफ कैलाश
76.	कैम्ब्रीज प्राइमरी स्कूल न्यू फ्रैन्डस कोलोनी
77.	कैम्ब्रीज स्कूल श्रीनिवासपुरी
78.	कोल. सतसंगी किरण मेमोरियल पब्लिक स्कूल सतबारी
79.	डी ए पब्लिक स्कूल ईस्ट आफ कैलाश
80.	देव समाज माडर्न स्कूल नेहरू नगर
81.	देव समाज माडर्न स्कूल सुकदेव विहार
82.	डा. कृष्णनन इन्टरनल स्कूल डिफेंस कालोनी
83.	जी एल टी सरस्वती बाल मंदिर नेहरू नगर
84.	ज्ञान भारती स्कूल साकेत
85.	हेमनानी पब्लिक स्कूल लाजपत नगर नई दिल्ली
86.	मदर्स इन्टरनेशनल स्कूल श्री अरविन्दों आश्रम
87.	न्यू ग्रीन फील्ड साकेत
88.	रेड रोज पब्लिक स्कूल साकेत
89.	सहोदया स्कूल एस डी ए हौज खास
90.	साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल डिफेन्स कालोनी
91.	श्री सत्य साई विद्या विहार कालका जी
92.	सेंट जान स्कूल, जी के III
93.	सेंट मैरी स्कूल,
94.	टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, ईस्ट आफ कैलाश
95.	द बनयान ट्री स्कूल लोदी रोड
96.	चिन्मया विद्यालय बसन्त विहार
97.	डी ए वी पब्लिक स्कूल, वी 01 बंसत कुंज
98.	दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल
99.	जी डी गोयनका पब्लिक स्कूल बंसत कुंज
100.	गुरु हरिकिशन पब्लिक स्कूल बसन्त विहार
101.	हिल ग्रोव पब्लिक स्कूल
102.	होप हाल फाउन्डेसन
103.	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक एस एस एस

1	2
104.	माडर्न स्कूल बसंत विहार
105.	रामजस पब्लिक स्कूल
106.	रतनचन्द्र आर्य पब्लिक स्कूल
107.	संजय बाल विद्यालय
108.	इस्प्रींगडेल्स
109.	सेन्ट मैरी स्कूल
110.	टैगोर पब्लिक स्कूल नारायणा विहार
111.	द हैरिटेज स्कूल बंसत कुंज
112.	विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल
113.	बसावा इन्टरनेशनल स्कूल सेक्टर 23 द्वारका
114.	वी जी एस इन्टरनेशनल स्कूल सेक्टर 5 द्वारका
115.	आई टी एल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 द्वारका
116.	इन्द्र प्रस्थ इंटरेनशनल स्कूल सेक्टर 10 द्वारका
117.	एम डी एच इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 6 द्वारका
118.	पैरामाउन्ट इंटरनेशनल से. 23 द्वारका
119.	सचदेवा ग्लोवल पब्लिक स्कूल सेक्टर 18 ए द्वारका
120.	सैम इंटरनेशनल स्कूल से. 12 फेज 1 द्वारका
121.	सरस्वती माडल स्कूल से. 10 द्वारका
122.	सेन्ट ग्रेगोरियस स्कूल से. 11 द्वारका
123.	वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल से. 10 द्वारका
124.	गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल तिलक नगर
125.	एम सी एल सरस्वती बाल मंदिर आर्य नगर
126.	मीरा माडल स्कूल जनकपुरी
127.	न्यू इरा पब्लिक स्कूल मायापुरी रोड
128.	एस डी पब्लिक स्कूल कीर्ति नगर
129.	आदर्श पब्लिक स्कूल सी ब्लाक विकास पुरी
130.	डी ए वी पब्लिक स्कूल आर बी आई इन्क्लेव पश्चिम विहार
131.	डी ए वी पब्लिक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल चन्दर नगर
132.	इंद्रप्रस्थ कान्वेंट एस एस एसव पश्चिम विहार
133.	झब्बनलाल डी ए वी एस एस एस पश्चिम विहार
134.	कमल कान्वेंट स्कूल विकासपुरी
135.	कमल पब्लिक स्कूल विकासपुरी
136.	एस एल सूरी डी ए वी पब्लिक स्कूल जनकपुरी
137.	शाह इंटरनेशनल स्कूल अंबिका विहार
138.	सेंट मार्क्स गर्ल्स पब्लिक स्कूल मीराबाग
139.	सेन्ट मार्क्स एस एस पब्लिक स्कूल पश्चिम विहार
140.	सेन्ट मार्क्स एस एस स्कूल जनक पुरी
141.	वेद ब्यास डी ए वी पब्लिक स्कूल विकास पुरी
142.	विशाल भारती पब्लिक स्कूल ए 1 पश्चिम विहार

[अनुवाद]

बच्चों का टीकाकरण

440. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**
श्री उदय सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अधिकांश बच्चों को टीकाकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल टीकाकरण के अभाव में, मूल टीकाकरण की निर्धारित अवधि में ही अधिकांश बच्चों को बीमारी होने का खतरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों से परामर्श करके ऐसी नीति विकसित करने का है ताकि निर्धारित अवधि के दौरान ही प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) वर्ष 2007-08 के हाल ही के जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार 54.1 प्रतिशत बच्चों (12 से 23 महीने) ने पूर्ण प्रतिरक्षण प्राप्त किया था और केवल 11.3 प्रतिशत बच्चे (12 से 23 महीने) 'प्रतिरक्षण' रहित पाये गए।

केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो और विश्व स्वास्थ्य संगठन-राष्ट्रीय पोलियों निगरानी परियोजना द्वारा सूचित वैक्सीन द्वारा रोकथाम वाले रोगों की वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत जन्म/पहले प्रतिरक्षण के समय प्रति एक लाभार्थी को प्रतिरक्षण कार्ड जारी किये जाते हैं और ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों तथा घरों के दौरों के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी की जाती है ताकि समय से प्रतिरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

वैक्सीन से रोके जाने वाले रोगों के सूचित मामले

वर्ष	डिप्थीरिया मामले	पूर्टूसिस (हूपिंग खांसी) मामले	खसरा मामले	नवजात शिशु टेटनस मामले	टेटनस अन्य मामले	पोलियो-माइलाइटिस मामले
2006	2834	30088	64185	625	2815	676
2007	3812	46674	41144	1076	7491	874
*2008	3977	43532	44247	876	2956	559

स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो/राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना/विश्व स्वास्थ्य संगठन
*आंकड़े अंनतिम हैं।

बुनियादी शाखा खोलने संबंधी नीति

441. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नई शाखा खोलने संबंधी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों ने इस नीति को अनुमोदित कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने, अधिक लचीलापन, बढ़ी हुई व्याप्ति तथा वित्तीय स्थिरता सहित प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्षमता प्रदान करने की दृष्टि से वर्तमान शाखा प्राधिकार पालिसी की समीक्षा करने के लिए एक कार्यकारी समूह के गठन के संबंध में वार्षिक पालिसी विवरण 2009-10 में घोषणा की थी। समूह ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत कर दी है जो आरबीआई की वेबसाइट की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। विदेशी बैंकों के संबंध में, समूह ने यह सिफारिश की है कि विदेशी बैंकों के संबंध में शाखा प्राधिकार पालिसी, विदेशी बैंकों के लिए रुपरेखा (रोडमैप) की समीक्षा किए जाने तक अपरिवर्तित रहेगी। कार्यकारी समूह की सिफारिशों की आरबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

शहरी गरीबों के लिए आवासों का निर्माण

442. **श्री संजय सिंह चौहान:**
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों तथा निजी कंपनियों की साझीदारी से विभिन्न राज्यों में शहरी गरीबों हेतु आवासों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने 5000 करोड़ रु. के परिव्यय से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी के लिए, खासकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए न्यूनतम 25% सहित एक मिलियन मकानों को निर्माण करने के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास की स्कीम आरंभ की है। स्कीम का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों यथा सरकार/पैरास्टेटलों/शहरी स्थानीय निकायों तथा विकासकर्ताओं के बीच भागीदारी करना है।

[अनुवाद]

चावल पर निर्यात शुल्क

443. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चावल पर निर्यात शुल्क लगाया था;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात शुल्क लगाने से घरेलू निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ आयातकों ने भारतीय चावल निर्यातकों के विरूद्ध कानूनी मुकदमें चलाने की धमकी दी है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 10 मई, 2008 की अधिसूचना सं. 66/2008-सीमा शुल्क द्वारा 8000/रु. प्रति टन की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया था। 2 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. 10/2009-सीमा शुल्क के द्वारा निर्यात शुल्क हटा दिया गया।

(ग) और (घ) बासमती चावल के निर्यात के लिए संविदा का पंजीकरण कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) द्वारा किया जाता है। निर्यात के लिए पंजीकृत मात्रा मई, 2008 से जनवरी, 2009 के दौरान जब निर्यात शुल्क लागू था, 13.52 लाख मैट्रिक टन की तुलना में मई, 2007 से जनवरी, 2008 के दौरान 10.57 लाख मैट्रिक टन थी जो दर्शाता है कि निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

(ङ) केंद्र सरकार के पास ऐसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सक-मरीज अनुपात

444. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री पी. बलराम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में प्रत्येक 1500 मरीजों पर केवल एक चिकित्सक है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 250 मरीजों पर एक चिकित्सक की सिफारिश करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार और ग्रामीण चिकित्सा तैयार करने के लिए एक विशेष एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम लाने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) निकित्सक-रोगी अनुपात मामला दर मामला अलग होता है जोकि विभिन्न कारणों जैसे रोग का प्रकार, विशिष्टता की प्रकृति, अपेक्षित उपचार का प्रकार अर्थात इंडोर/आउटडोर पर निर्भर करता है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार देश में पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों की कुल संख्या 7,48,757 है। इस प्रकार जनसंख्या के अनुपात में एलोपैथिक चिकित्सकों का प्रतिशत इस समय लगभग 0.06 प्रतिशत है और एलोपैथिक चिकित्सक जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1584 बनता है। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथिक के 6 लाख से अधिक व्यवसायिक भी है। इन सभी संख्याओं को इकट्ठा करने पर जनसंख्या अनुपात लगभग 1:860 है। इस समय भारतीय चिकित्सा प्रणाली के शिक्षण के लिए देश में 35,252 की वार्षिक दाखिला क्षमता के साथ 300 चिकित्सा महाविद्यालय हैं जो मौजूदा चिकित्सा जनशक्ति को बढ़ाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत पद सरकारी सेवा के उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं जो कम से कम तीन साल दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में सेवा कर चूके हैं। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारियों को और 2 वर्ष दूरदराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करना होगा।

इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर में दाखिले की मेरिट और प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित करने के लिए दूरदराज के और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त किये गए अंकों के 10 प्रतिशत की दर से अंकों में बढ़ोत्तरी का एक प्रोत्साहन दिया जाएगा जोकि प्राप्त अंकों का अधिकतम 30 प्रतिशत होगा।

जल-जनित रोग

445. **श्रीमती जे. शांता:**
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने केरल सहित पूरे देश में व्यापक स्तर पर जल-जनित रोगों तथा डेंगू जैसी बीमारियों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार द्वारा ऐसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए दी गई निधियों को अन्य प्रयोजनार्थ लगाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जब कभी भी देश किसी भी विभाग में कोई प्रकोप होता है तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) द्वारा जल और वैक्टर जनित रोगों सहित विभिन्न प्रकोपों की जांच करने के लिए एक केंद्रीय दल को प्रतिनियुक्त किया जाता है। भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (आईसीएमआर) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे प्रकोपों के कारणों का पता लगाने के लिए कोई एकल अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम

446. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री उमाशंकर सिंह:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे सिद्धांत तथा मापदंड क्या हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का है जहां न्यूनतम स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए पृथक प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों तथा नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राज्यों/संघ क्षेत्रों को जनसंख्या को आधार के रूप में उपयोग करके एक पारदर्शी सूत्र के आधार पर धन आवंटित किया जाता है। उच्च ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले राज्यों को 1.3 का महत्व घटक, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड और उत्तराखंड को 1.5 का महत्व घटक, पूर्वोत्तर राज्यों को 3.2 का महत्व घटक और शेष राज्यों को 1 का महत्व घटक दिया जाता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को ग्रामीण जनसंख्या विशेष तौर से देश के असुरक्षित वर्गों को, पहुंच योग्य वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए वार्षिक आधार पर धन जारी किया जाता है। राज्यों/संघ क्षेत्रों को अतिरिक्त धन भी प्रदान किया जाता है, जो कि उनकी समुपयोजन स्थिति और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) यद्यपि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, तथापि ग्रामीण जनसंख्या विशेष तौर से असुरक्षित वर्गों को कवर करने के लिए प्रयास किये जाते हैं।

(छ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों/संघ क्षेत्रों से वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं प्राप्त करती है और मंत्रालय में उनकी जांच की जाती है तथा मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा उनको अनुमोदित किया जाता है। उचित मूल्यांकन और अनुमोदन के पश्चात् धन जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए एक विस्तृत ढांचे को प्रचालित किया गया है। इस कार्यक्रम की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए राज्यों में समय-समय पर समीक्षा मिशन भी चलाए जाते हैं। समीक्षा मिशन दलों में भारत सरकार के अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, एनएचएसआरसी, के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, विकास भागीदार और राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा भी की जाती है और उसको मिशन विषय निर्वाचन दल, अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति, सामुदायिक कार्रवाई पर परामर्शी दल तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित आशा मेन्टरिंग दल जैसे उच्च स्तरप के निकायों द्वारा मॉनीटर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति को लेखबद्ध करने के लिए विषयक और भौगोलिक आधार पर सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन भी संचालित किये जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय मॉनीटरिंग रिपोर्टों की प्रक्रिया, नियमित प्रबंध सूचना प्रणाली, सर्वेक्षण रिपोर्टों और उपयोगकर्ता अनुक्रियाओं के माध्यम से मूल कार्यक्रम संघटकों के सामुदायिक स्तर के वैधीकरण का कार्य भी चलाया जाता है।

एक समेकित वेब आधारित स्वास्थ्य प्रबंधक सूचना प्रणाली जो विभिन्न स्तरों मूल पैरामीटरों के बारे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति को संकलित करता है, को प्रचालित किया गया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक कार्यदल का गठन किया गया था और इस दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को पहले ही राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:– डॉक्टरों की सेवानिवृति की आयु में वृद्धि करके 65 वर्ष तक करना, अधिमानत: उनकी तैनाती उनके घर के पास हो, जिला स्तर पर भर्ती का विकेन्द्रीकरण, वॉक-इन-इन्टरव्यू और डॉक्टरों की संविदीय नियुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के लिए वेतन को एक तिहाई तक बढाना; संवेदनाहरण के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता बढ़ाना, संवेदनाहरण में डिप्लोमा पाठयक्रम को पुनर्जीवित करना, इस समय इस प्रणाली पत्र पाठयक्रम शुरू करना, जो कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा दिया जाएगा, उपर्युक्त पाठयक्रम संचालित करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु 500 बिस्तरों वाले अस्पतालों को मान्यता प्रदान करना तथा मामला दर मामले के आधार पर निजी चिकित्सा व्यवसायियों को भाड़े पर रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों ने 6660 आयुष डॉक्टरों, 24,494 स्टाफ नर्सों और 44,561 सहायक नर्स अर्ध धात्रियों को संविदीय आधार पर भाड़े पर भाड़े पर रखा है।

विवरण

दिनांक 31.8.2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रगति

क्र.सं	राज्य	24x7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	उपकेन्द्र में 2 एएनएम	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 स्टाफ	प्रथम रेफरल एकक की संख्या	ऐसे जिला अस्पतालों की संख्या जिनका संख्या किया गया	ऐसे जिलों की संख्या जहां एमएमयू कार्य भौतिक उन्नयन	आईडीएचए पी वाले जिलों की संख्या कर रहे हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिहार	533	5880	105	76	25	12	37
2.	छत्तीसगढ़	418	0	0	55	16		16
3.	हिमाचल प्रदेश	95	0	0	51	7	1	12
4.	जम्मू और कश्मीर	96	295	42	53	14	2	22
5.	झारखंड	194	3958	0	16	10	24	22
6.	मध्य प्रदेश	182	726	214	87	50	50	50
7.	उड़ीसा	64	703	48	48	32	0	30
8.	राजस्थान	380	2202	511	104	33	34	26
9.	उत्तर प्रदेश	648	1158	252	124	50	0	71
10.	उत्तराखंड	67	25	0	72	12	13	13
11.	अरुणाचल प्रदेश	55	28	10	10	14	16	16
12.	असम	300	2540	149	60	9	23	27
13.	मणिपुर	20	420	12	1	2	9	9
14.	मेघालय	14	49	14	3	3	7	7
15.	मिजोरम	56	138	52	8	8	9	9
16.	नागालैंड	33	155	33	11	11	11	11
17.	सिक्किम	24	58	0	3	3	4	4
18.	त्रिपुरा	56	115	42	5	2	4	4
19.	आंध्र प्रदेश	800	9505	690	194	0	17	23
20.	गोवा	13	25	13	2	0	2	0
21.	गुजरात	331		74	148	23	25	25
22.	हरियाणा	160	2260	160	139	6	6	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	कर्नाटक	974	134	974	174	7	29	29
24.	केरल	178	0	99	65	2	7	14
25.	महाराष्ट्र	278	4441	374	469	23	0	33
26.	पंजाब	211	946	211	137	20	16	20
27.	तमिलनाडु	1215	0	1215	291	27	29	29
28.	पश्चिम बंगाल	168	2871	168	61	15	0	18
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	81	19	1	2	0	3
30.	चंडीगढ़	0	5	0	3	0	1	1
31.	दादरा और नगर हवेली	6	18	5	2	1	0	0
32.	दमन और दीव	2	5	2	3	2	1	2
33.	दिल्ली	1		8	25	8	0	9
34.	लक्षद्वीप	4	14	4	9	0	0	0
35.	पुडुचेरी	20	77	20	4	0	2	4
	कुल	7613	38832	5520	2514	438	354	617

दिनांक 31.8.2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रगति

क्र.सं.	राज्य	आशा			गठित वी एचएससी	उप-केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति में खोले गए संयुक्त खाता	पंजीकृत रोगी कल्याण कल्याण समिति
		चयन	प्रक्षिण (चौथे मॉड्यूल तक)	औषध किट			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	69246	7335	0	0		508
2.	छत्तीसगढ़	60092	60092	59489	18570	22256	855
3.	हिमाचल प्रदेश	2512	0	2500	2071	2071	564
4.	जम्मू और कश्मीर	9764	8930	9500	6788	5215	474
5.	झारखंड	40788	34412	36659	30011	10000	429
6.	मध्य प्रदेश	43038	23379	35000	24520	33179	1203
7.	उड़ीसा	34252	32352	34188	42949	37279	1444

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	राजस्थान	42385	40361	31547	40478	10742	1927
9.	उत्तर प्रदेश	135522	109443	124309	51515	71525	3778
10.	उत्तराखंड	9923	9873	8055	0	1634	85
11.	अरुणाचल प्रदेश	3545	2711	1680	2827	2827	123
12.	असम	26225	26225	26225	26816	24085	987
13.	मणिपुर	3878	3000	3000	3498	2760	101
14.	मेघालय	6258	5199		5568	2309	133
15.	मिजोरम	978	943	943	813	813	80
16.	नागालैंड	1700	1700	1700	1278	643	160
17.	सिक्किम	636	636	553	637	784	32
18.	त्रिपुरा	7352	6988	7215	1040	930	101
19.	आंध्र प्रदेश	70700	70700	51201	21916	21916	1827
20.	गोवा	0	0		303	474	14
21.	गुजरात	25861	12413	0	17751	17429	1216
22.	हरियाणा	14000	14000	0	6282	6280	2948
23.	कर्नाटक	39000	39000	13756	23026	20000	3137
24.	केरल	30501	0	8450	18003	18003	1164
25.	महाराष्ट्र	14195	8765	8134	39699	39699	2281
26.	पंजाब	17056	0		12642	2858	167
27.	तमिलनाडु	2650	0	0	15158	15158	1683
28.	पश्चिम बंगाल	16021	6969	0	13312	6670	1362
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65	0	49	263	377	26
30.	चंडीगढ़	200	0	0	22	16	3
31.	दादरा और नगर हवेली	107	0	87	70	38	2
32.	दमन और दीव	107	0	0	28	28	7
33.	दिल्ली	2266	0	2266	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	86	0	0	9	0	9
35.	पुडुचेरी	Q	0	0	92	92	47
	कुल	730909	525426	466506	427955	378090	288

दिनांक 31.8.2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के अंतर्गत प्रगति

क्र.सं.	राज्य	संविदात्मक कार्मिक शक्ति					
		विशेषज्ञ	डाक्टर	आयुष डाक्टर	स्टाफ नर्स	एएनएम	परामेडिक्स
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	381	1763	0	2906	5896	0
2.	छत्तीसगढ़	0	369	325	152	0	
3.	हिमाचल प्रदेश	0	315	0	239	0	237
4.	जम्मू और कश्मीर	13	221	352	309	375	494
5.	झारखंड	0	1710	18	429	3204	1200
6.	मध्य प्रदेश	59	161	0	45	1359	0
7.	उड़ीसा		9	1406	372	703	29
8.	राजस्थान	43	1754	573	3704	2429	7423
9.	उत्तर प्रदेश	189	0	428	2250	1411	138
10.	उत्तराखंड	0	0	140	138	100	0
11.	अरुणाचल प्रदेश	0	57	26	79	152	0
12.	असम	117	178	232	2112	4334	661
13.	मणिपुर	0	37	73	81	420	621
14.	मेघालय	1	11	49	46	126	
15.	मिजोरम	0	36	15	178	373	53
16.	नागालैंड	1	67	21	103	258	55
17.	सिक्किम	4	32	3	53	58	15
18.	त्रिपुरा	0	0	60	0	32	0
19.	आंध्र प्रदेश	0		726	121	9505	118
20.	गोवा	2	0	19	0	25	0
21.	गुजरात	865	544	773	271	0	283
22.	हरियाणा	11	77	137	318	2465	260
23.	कर्नाटक	59	514	701	3670	1126	98
24.	केरल	19	1048	176	1790	0	357
25.	महाराष्ट्र	407	0	273	50	5045	36

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	पंजाब	102	197	98	736	1400	736
27.	तमिलनाडु	0	385	0	4179	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	29	54			2871	51
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	28	0	21	81	112
30.	चंडीगढ़	0	5	4	17	58	94
31.	दादरा और नगर हवेली	1	6	7	5	34	34
32.	दमन और दीव	4	1	1	0	0	3
33.	दिल्ली	29	266	0	73	630	155
34.	लक्षद्वीप	0	13	0	14	14	13
35.	पुडुचेरी	5	6	24	33	77	2
	कुल	2344	9874	6660	24494	44561	13278

बैंकों की नई शाखाएं और एटीएम काउंटर खोलना

447. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में बैंकों की शाखाओं/ए टी एम का कम प्रयोग करने वाले ब्लॉकों का अध्ययन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा सहित देश में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के जिलों सहित देश में नई शाखाएं खोलने के लिए किन स्थानों की पहचान की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती हे कि वे नए व्यवसाय केन्द्र खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। मौजूदा शाखा प्राधिकरण नीति के महत्व पर निर्भर करते हुए, बैंकों को ऐसे अनुमोदन दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, अनुमोदन देते समय यह सुनिश्चित करना है कि अनुमोदनों में ग्रामीण केन्द्र/कम बैंक वाले जिले भी शामिल हों। नई शाखाएं खोलने के लिए केन्द्र/स्थान का चयन बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिसका निर्णय बैंक लाभप्रदता, अर्थक्षमता, अवसंरचना की उपलब्धता, आदि सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर करते हैं।

भारत में कम बैंक वाले 375 जिले हैं (जिनमें से 24 उड़ीसा में हैं)। कम बैंक वाले जिलों की सूची बैंकों को भेज दी गई है, ताकि वे ऐसे जिलों में शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों की पहचान कर सकें। इसके अतिरिक्त, बैंकों से प्राप्त बैंक शाखाएं खोलने संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक विशेषत: कम बैंक वाले क्षेत्रों में सामान्य व्यक्तियों को बैंकों द्वारा दी गई बैंकिंग सुविधाओं की प्रकृति एवं क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण की वास्तविकता उपलब्धता, उत्पादों की कीमतों तथा वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए समग्र प्रयासों को महत्व देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 अप्रैल, 2009 से 30 सितम्बर 2009 तक की अवधि के दौरान 1553 वाणिज्यिक बैंक कार्यालय खोले गए हैं, जिनमें से 34 उड़ीसा में हैं।

ब्याज से अर्जित आय पर कर

448. श्री मनोहर तिरकी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्याज से अर्जित सभी आय पर कर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा किस प्रकार से करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने ब्याज से प्राप्त सभी आयों पर कर लगाने का निर्णय नहीं लिया है। ऐसे विभिन्न मामले हैं, जिनमें ब्याज से अर्जित आय पर कुछ दशाओं में कराधान से छूट है। ऐसी छूटें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (4) (i) , 10 (4) (ii), 10 (4ख) तथा 10(15) आदि में उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार ने पेंशनभोगियों/वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न कर लाभ/छूटें, प्रदान की हैं। इसकी गणना निम्नवत है:-

वरिष्ठ नागरिकों के लिए

(i) भारत में वरिष्ठ नगारिकों के लिए मूलभूत छूट सीमा 2,40,000 रुपये है जबकि अन्य मामलों में यह 1,60,000 रुपये हैं।

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80घ (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर) के अन्तर्गत कटौती 15,000 रुपये है जबकि अन्य मामलों में यह 10,000 रुपये हैं।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए धारा 80घ घख (चिकित्सा उपचार के लिए) के अन्तर्गत कटौती 60,000 रुपये हैं जबकि अन्य मामलों में यह 40,000 रुपये हैं।

पेंशनभोगियों के लिए

(i) पेंशन भोगियों के लिए इस अधिनियमम की धारा 10 (10) (i) (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ती उपदान), 10 (10 क) (पेंशन अभिकलन), 10 (18) (केद्र/राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पेंशन/फेमिली पेंशन अथवा शौर्य पदक विजेता), 10 (19) सशत्र बलों के सदस्य के परिवार द्वारा प्राप्त फेमिली पेंशन जहां ऐसे सदस्य की मृत्यु फौजी कार्रवाई के दौरान हुई है।

वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना

449. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां सरकार को नियमित आधार पर अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन बीमा कंपनियों के क्या नाम हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में असफल रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपेक्षित मापदंडों को कठोरता से लागू करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कानून के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण को आवश्यक तथा नियमित रूप से जमा नहीं करने के लिए बीमा कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां अपने वार्षिक वित्तीय विवरण नियमित तौर पर सरकार को प्रस्तुत कर रहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विवरणियों को दाखिल किया जाना

450. श्री हरिन पाठक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी आयकर विवरणियां दाखिल की गई हैं;

(ख) आयकर विवरणियों को दाखिल करने के लिए किस अंतिम तिथि की घोषणा, की गई तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) ने विशिष्ट लेन-देन संख्या (यूटीएन) जारी करने के लिए कोई समय-समा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दाखिल की गई आयकर विवरणियों की संख्या निम्नवत है:

समाप्त वित्त वर्ष	दाखिल की गई आयकर विवरणियों की संख्या
31.03.2007	27547599
31.03.2008	27354339
31.03.2009	29038265

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अंतर्गत आयकर विवरणियां दाखिल करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। इस धारा में आयकर विवरणियां दाखिल करने की देय तिथि का प्रावधान किया गया है। मोटे तौर पर, निम्नलिखित के लिए आयकर विवरणियां दाखिल करने की देय तिथि:

(क) (i) किसी कंपनी;

(ii) किसी कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति जिसके खातों की लेखा परीक्षा आयकर अधिनियम के अंतर्गत की जानी आवश्यक है।

(iii) किसी फर्म का कोई सक्रिय भागीदार जिसके खातों की लेखा परीक्षा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत की जानी आवश्यक है।

उस पूर्ववर्ती वर्ष जिसके लिए विवरणी दाखिल की जानी थी, के लिए कर-निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर है।

(ख) किसी अन्य कर-निर्धारिती के मामले में, कर-निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई है।

तथापि कोई कर-निर्धारिती आयकर विवरणियां दाखिल करने की देय तिथि की समाप्ति के पश्चात भी विलंबित अथवा संशोधित विवरणियां दाखिल कर सकता है और इन विलंबित अथवा संशोधित विवरणियों की समय सीमा संगत कर-निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व अथवा कर-निर्धारण के पूरा होने से पूर्व, जो भी पहले हो, है।

संविधि के अनुसार आयकर विवरणियां दाखिल करने के लिए घोषित की गई अन्तिम तिथियां वही हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अन्तर्गत नियत की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता है।

कार्पोरेट कर तथा आयकर संग्रहण

451. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार कार्पोरेट कर तथा आयकर की कुल निवल बकाया राशि कितनी है;

(ख) क्या कुछ उद्योगों और व्यक्तियों द्वारा कर-अपवंचन के कोई मामले हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के सर्वतोंमुखी विकास की दृष्टि से सरकार का सभी स्रोतों से त्वरित कर-संग्रहण सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार कुल निवल बकाया मांग 1,98,506 करोड़ रुपये है। इसमें 1,33,232 करोड़ रुपये निगमित आयकर तथा 65,274 करोड़ रुपये वैयक्तिक आयकर शामिल है।

(ख) और (ग) करों के अपवंचन से उद्भूत होने वाली बकाया मांग की सही-सही राशि केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार निगमित आयकर तथा वैयक्तिक आयकर में वसूली के लिए मुश्किल कुल बकाया मांग 1,85,437 करोड़ रुपये है। इन मामलों में विभिन्न कारणों जैसे विशेष न्यायालयों के अन्तर्गत अधिसूचित मांग, परिसमापन के अधीन कंपनियों जिनके पास वसूली के लिए कोई परिसंपत्तियां नहीं हैं अथवा अपर्याप्त परिसंपत्तियां हैं, विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगनों आदि की वजह से मांग की वसूली नहीं की जा सकी है। अत: बकाया राशि में से इस प्रकार निवल वसूली योग्य मांग केवल 13,069 करोड़ रुपये हैं।

(घ) और (ङ) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा विहित देय बकाया करों की वसूली (जिनमें बैंक खातों की कुर्की, अचल संपत्ति की कुर्की तथा बिक्री आदि भी शामिल

है), के लिए किए गए सांविधिक उपायों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर की बकाया राशियों की तेजी से वसूली करने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

(i) कृतिक बल द्वारा बड़े मामलों में धनराशि की वसूली की निगरानी करना।

(ii) आयुक्तों (अपील) तथा आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित पर्याप्त धनराशि वाले मामलों की पहचान करना और इन प्राधिकारियों से अनुरोध करना कि वे ऐसी अपीलों का जल्द से जल्द निपटान करें ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही उक्त धनराशि की वसूली की जा सके।

(iii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा वसूली निदेशालय द्वारा 10 करोड़ से अधिक के सभी बकाया राशि के मामलों की निगरानी करना।

[हिन्दी]

दवा-वितरण के संबंध में शिकायतें

452. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में स्थित स्वास्थ्य-केन्द्रों पर मरीजों को दवाइयां वितरित ने किए जाने की शिकायतों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश सहित देश में स्थित स्वास्थ्य-केंद्रों पर मरीजों को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, इसलिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। तथापि, शिकायतों प्राप्त होने पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उनकों संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भेजा जाता है।

(ग) और (घ) दवाओं के प्रापण हेतु निधियों सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कवर किये गए विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा किया जाता है तथा इसे उनकी वार्षिक कार्यान्वयन योजना में दर्शाया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का उपयोग अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार किया जाता है।

उत्पाद और सीमा शुल्क के भ्रष्ट अधिकारी

453. श्री अंजनकुमार एम. यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दुरुपयोग के मामलों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस मामलें में उत्पाद और सीमा शुल्क अधिकारियों को भी संलिप्त पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

निर्यात संवर्धन स्कीम

निर्यात संवर्धन स्कीमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(1) **अग्रिम लाइसेंस स्कीम:** यह स्कीम 15% की न्यूनतम मूल्य वृद्धि के साथ परिणामी निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियों के आयात की अनुमति प्रदान करती है।

(2) **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) स्कीम:** यह स्कीम 20% की न्यूनतम मूल्य वृद्धि के साथ परिणामी निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियों के आयात की अनुमति प्रदान करती है।

(3) **शुल्क पात्रता पासबुक (डी ई पी बी) स्कीम:** यह स्कीम निर्यात उत्पाद के सम आयात वस्तु पर शुल्क के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करती है।

(4) **पुरस्कार स्कीम:** इन स्कीमों के अंतर्गत निर्यातक को उसके द्वारा निर्यातित माल/सेवाओं के प्रकार अथवा देश जिनको इन माल/सेवाओं का निर्यात किया गया है; के आधार पर शुल्क मुक्त स्क्रिप प्रदान किया जाता है। शुल्क मुक्त स्क्रिप का उपयोग विनिर्दिष्ट माल के आयात के लिए किया जा सकता है। वर्तमान समय में छः पुरस्कार स्कीमें हैं जो निम्न प्रकार हैं;

(i) **भारत से प्रदत्त सेवा स्कीम (एसएफआईएस):** यह स्कीम सेवाओं के निर्यात को प्रोत्याहन देती हैं।

(ii) **विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई):** यह स्कीम फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वन उत्पाद और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों तथा ग्राम उद्योग उत्पादों को प्रोत्साहन देती है।

(iii) **कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्कीम (एआईआईएस):** यह स्कीम स्टेटस होल्डरों के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देती है।

(iv) **फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस):** यह स्कीम अधिसूचित देशों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन देती है।

(v) **फोकस उत्पाद स्कीम (एफ पी एस):** यह स्कीम सभी देशों को अधिसूचित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देती है।

(vi) **स्टेटस होल्डरों के लिए प्रोत्साहन स्कीम (एस एच आई एस):** यह स्कीम स्टेटस होल्डरों से निर्यात को प्रोत्साहन देती है।

(5) **निर्यात संवर्धन कारखानागत माल (ईपीसीजी) स्कीम:** यह स्कीम 3% के रियायती शुल्क और विनिर्दिष्ट निर्यात देयता के लिए शून्य प्रतिशत पर कारखानागत माल के आयात की अनुमति प्रदान करती है।

निम्नलिखित निर्यात संवर्धन स्कीमें समाप्त हो गई हैं; तथापि इन स्कीमों के लाभाग्राहियों को जारी स्क्रिप के लिए आयात जारी है।

1. **स्टेटस होल्डरों के लिए शुल्क मुक्त क्रेडिट पात्रता (डीएफसीई) स्कीम:** यह स्कीम निर्यात में विनिर्दिष्ट क्रमिक वृद्धि वाले स्टेटस होल्डरों को प्रोत्साहन देती है।

2. **शुल्क मुक्त नई आपूर्ति प्रमाण (डी एफ आर सी) स्कीम:** यह स्कीम निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए नई आपूर्ति के रूप में उत्तर निर्यात आधार पर निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करती है।

3. **टार्गेट प्लस स्कीम (टीपीएस):** यह स्कीम निर्यात में विनिर्दिष्ट क्रमिक वृद्धि वाले स्टेटस होल्डरों को प्रोत्साहन देती है। यह स्कीम डी एफ सी ई स्कीम के स्थान पर आई थी।

4. **उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (एचटीपीईपीएस):** यह स्कीम अधिसूचित उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देती है।

[अनुवाद]

आर्थिक अपराध

454. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में कितनी भारतीय और विदेशी कंपनियां आर्थिक अपराधों में संलिप्त रही हैं और इनके अपराधों को ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उक्त कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चीनी वस्तुओं की तस्करी

455. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के विभिन्न भागों में लहसुन तथा सुपारी जैसी चीनी वस्तुओं की भारी मात्रा में तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के मधुबनी जिले में लौकाहा में सीमशुल्क कार्यालय होने के बावजूद चीनी वस्तुओं से भरे दर्जनों ट्रक नेपाल से भारत आते हैं और इनमें से लगभग 14 ट्रकों को अक्टूबर में सकरी में सीमाशुल्क विभाग के विशेष दल द्वारा जब्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) सीमाशुल्क निवारक कार्यालयों द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर बिहार के विभिन्न भागों में नेपाल से भारत में लहसुन और सुपारी जैसी चीनी वस्तुओं की तस्करी के मामलों का पता लगाया गया है। वर्ष 2006-07 से बाद की अवधि के लिए दर्ज किए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय, लखनऊ इकाई के अधिकारियों ने 13 ट्रक जब्त किए हैं जिसमें से 11 ट्रक सुपारी के और 2 ट्रक चीनी लहसुन के थे। यह जब्ती अक्टूबर, 2009 माह में सकरी, मधुबनी, बिहार में की गई थी। इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

विवरण I

वर्ष	लहसुन			सुपारी			अन्य चीनी माल	
	मामलों की सं.	जब्त माल की मात्रा (मी.टन में)	जब्त माल का मूल्य (लाख रु. में)	मामलों की सं. (मी.टन में)	जब्त माल की मात्रा	जब्त माल का मूल्य (लाख रु. में)	मामलों की सं.	जब्त माल की मात्रा (लाख रु. में)
2006-07	6	1.62	0.75	24	3.928	3.83	31	83.27
2007-08	143	185.99	116.94	58	131.139	153.96	28	54.15
2008-09	16	17.6	8.40	122	240.192	231.84	65	53.61
2009-10 (अक्टूबर, 09 तक)	14	46.643	29.47	57	272.517	248.65	23	20.24

विवरण II

जब्त माल/मात्रा का ब्यौरा	जब्त माल का मूल्य (लाख रुपये में)
13 ट्रक	133.35
178.73 मी.ट. सुपारी	178.43
33.45 मी.ट. चीनी लहसुन	23.42

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने हेतु आयकर में छूट

456. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनियों को आय कर एवं अन्य करों में छूट देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने के संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) खनिज तेल के शोधन या वाणिज्यिक उत्पादन से प्राप्त होने वाले लाभ और अभिलाभ से संबंधित कटौती के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1ख की उपधारा (9) के तहत प्रावधान किया गया है। एक उपक्रम को इस उपधारा के तहत कटौती आरम्भिक कर निध

रिण वर्ष सहित क्रमिक कर-निर्धारण वर्षों के लिए प्राप्त होती हैं जिसमें:–

(i) जिसमें उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत वाणिज्यिक उत्पादन पहले आरंभ हो चुका हैं; या

(ii) जिसमें खनिज तेल का शोधन आरंभ हो चुका है;

लेकिन इस उपधारा के तहत ऐसे उपक्रम को कटौती प्राप्त नहीं है जो खनिज तेल का शोधन अप्रैल, 2009 के पहले दिन को या इसके बाद आरम्भ करता है बशर्ते कि ऐसे उपक्रम शर्तो को पूर्ण करता हो।

उपधारा (9) के प्रावधानों को इसलिए संशोधित किया गया है कि उपक्रमों को तीन वर्षो की अवधि अर्थात 31 मार्च, 2012 तक खनिज तेल का शोधन करने और कर लाभ उठाने की अनुमति दी जा सके। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के लिए नयी आवधिक तिथि एक ही होगी।

पुनश्च, आयकर अधिनियम में संशोधन इसलिए भी किया गया है कि कर अवकाश जो अब तक वाणिज्यिक उत्पादन या खनिज तेल के शोधन से प्राप्त होने वाले लाभ के लिए ही उपलब्ध था, वह अप्रैल, 2009 के पहले दिन को या उसके बाद प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए तथा उन ब्लाकों से प्राकृतिक गैस जो समन्वेषण संविदा दिये जाने के लिए होने वाली बोली के आठवें चक्र के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त है, उनको भी उपलब्ध हो सके। यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव 1 अप्रैल, 2000 से प्रभावी है और तदनुसार यह कर-निर्धारण वर्ष 2000-01 तथा परवर्ती वर्षो के संबंध में लागू रहेगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं को अप्रत्यक्ष करों के तहत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) जैसा ऊपर (क) में वर्णित है, कानून के तहत दिये जाने वाले प्रोत्साहन पर्याप्त हैं। अन्य कोई प्रोत्साहन विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सीमा शुल्क

क्र.सं	अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक	माल का विवरण	मानक दर	उत्पाद शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क दर	शिक्षा उपकर	4 प्रतिशत की विशेष सीवीडी प्रति शुल्क	अधिसूचना संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	84, या अन्य कोई अध्याय	भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम या ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1 अप्रैल, 1999 को जारी या नवीनीकृत और प्रदत्त पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए विशिष्ट माल जिनकी यथास्थिति पेट्रोलियम समंवेषण लाइसेंस या खनन हेतु पट्टे के लिए आवश्यकता है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	21/2002-सीमा शुल्क दिनांक 1.3.2002
2.	84, या अन्य कोई अध्याय	अपतटीय तेल खोज या दोहन के उद्देश्य के संबंध में आपूर्ति किये जाने वाले माल के विनिर्माण के लिए भाग एवं कच्ची सामग्री	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	84, या अन्य कोई अध्याय	विनिर्दिष्ट संविदा के अंतर्गत किए गए पेट्रोलियम प्रचालनों के संबंध में सूची-12 अपेक्षित में विनिर्दिष्ट माल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
4.	84, या अन्य कोई अध्याय	नई समवेषण अनुज्ञाप्ति नीति के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संविदा के अंतर्गत किए गए पेट्रोलियम प्रचालनों के संबंध में सूची-12 में अपेक्षित विनिर्दिष्ट माल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
5.	84, या अन्य कोई अध्याय	कोयला तल मिथेन नीति के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संविदा के अंतर्गत किए गए कोयला तल मिथेन प्रचालनों के संबंध में अपेक्षित सूची 13 में विनिर्दिष्ट माल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-
6.	84, या अन्य कोई अध्याय	कच्चे पेट्रोलियम की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए सूची 17 में अपेक्षित विनिर्दिष्ट माल	5 प्रतिशत	8 प्रतिशत	जैसे प्रायोज्य	जैसे प्रायोज्य	-वही-
7.	9801	द्रवीकृत प्राकृतिक गैस के पुनः गैस बनाने के संयंत्र के लिए अपेक्षित माल	5 प्रतिशत	8 प्रतिशत	जैसे प्रायोज्य	जैसे प्रायोज्य	-वही-
8.	9801	मैसर्स रत्नागिरी गैस एवं पॉवर प्राइवेट लिमिटेड डाभोल स्थित पॉवर परियोजना के लिए द्रवीकृत प्राकृतिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-वही-

उत्पाद शुल्क

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उप शीर्षक	उत्पाद शुल्क योग्य माल का विवरण	दर	शिक्षा उपकर
1.	27111100	द्रवीकृत प्राकृतिक गैस	शून्य	शून्य
2.	27111100	प्राकृतिक गैस (दबाव वाली प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त)	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

पूर्वाह्न 11.01$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष महोदया: अब, सभापटल पर पत्र रखे जाएगें।

पूर्वाह्न 12.0$^{1}/_{4}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): अध्यक्ष महोदया, में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी), (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, जो 1 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 298 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, जी 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 547 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) (संशोधन) विनियम, 2009, जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 548 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009, जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 741/15/09]

(2) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 610 (अ) जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 5 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 13 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा.का.नि. 611 (अ) जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 25 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 209(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तीन) सा.का.नि. 612 (अ) जो 28 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 15 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 91(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 742/15/09]

अपराह्न 12.0$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री धनश्याम अनुरागी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2008-09 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 743/15/09]

(2) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 'होमी भाभा की जन्म शताब्दी' के अवसर की स्मृति में ढाले गए एक सौ रुपए और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2009 को 17 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 'सैंट अल्फोंसा की जन्म शताब्दी' के अवसर की स्मृति में ढाले गए एक सौ रुपए और पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2009 जो 12 अगस्त, 2009 के भारत राजपत्र में अभिसूचना संख्या सा. का.नि. 570 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 744/15/09]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवाओं का निर्यात (संशोधन) नियम, 2009, जो 19 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 583 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 617(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के रेल परिवहन को कर योग्य सेवाओं से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 618(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 619(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय वस्तुओं के राष्ट्रीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जल और तटवर्ती पोत परिवहन मार्ग से परिवहन को कर योग्य सेवा से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 625(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सब-ब्रोकरों की बीएएस से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 626(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भेषज उत्पाद, दवा, सुगंधित द्रव्य, कॉस्मेटिक अथवा अल्कोहल युक्त प्रसाधन निर्मितियां जिन पर औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, को बीएएस के अंतर्गत कर योग्य सेवा से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 627(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रेल से माल के परिवहन को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 628(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 634(अ) जो 3 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 16/2009-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 654(अ) जो 9 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 28/2009-सेवा-कर को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से प्रदान की गई और भारत में प्राप्त) दूसरा संशोधन नियम, 2009, जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 694(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सेवाओं का निर्यात (दूसरा संशोधन) नियम, 2009, जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 696(अ), जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के निर्माण या प्रसंस्करण के दौरान सेवा प्राप्तकर्ता के लिए या उसकी और से उतने मूल्य से जो उन आदानों, जो उसी सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त हुए हों, के मूल्य के बराबर हो, पूंजीगत माल को छोड़कर, कतिपय शर्तों के अध्ययनधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त कर योग्य सेवा से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 712(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-सेवा-कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 776(अ) जो 23 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य और उद्योग के प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से उपयोग की गई नहरों से अलग नहरों के संबंध

में कर योग्य सेवा से छूट प्रदान की गई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 745/15/09]

(4) वित्त अधिनियम, 2009 की धारा 113 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) जो 19 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 746/15/09]

(5) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 557(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ओमान, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर में उद्भूत या वहां से निर्यातित पॉलीप्रोपिलीन के सभी आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 558(अ) जो 30 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, रूप और थाईलैंड में उद्भूत या वहां से निर्यातित रबड़ अनुप्रयोगों में उपयोग में लाए जाने वाले कार्बन ब्लैक के सभी आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों से अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 564(अ) जो 4 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यातित टाईटेनियम डॉयक्साईड, एनाटेस ग्रेड के सभी आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों से लगाए गए प्रतिपादन शुल्क को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 604(अ) जो 27 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डायमेथोएट टेक्नीकल के आयात पर उसमें उल्लिखित दर से अंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 605(अ) जो 27 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 23 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 25/2009-सीमा शुल्क का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 621(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और चीनी ताईपेई में उद्भूत या वहां से निर्यातित फ्लोक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा के फलस्वरूप उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 702(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 75/2006-सीमा-शुल्क का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 709(अ) जो 29 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीनी ताइपे (ताइवान) और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सन/डस्ट कंट्रोल पालिएस्टर फिल्म के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षा के परिणामस्वरूप उक्त अधिसूचिना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 713(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 109/2004-सी.शु. को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 720(अ) जो 1 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या

107/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 724(अ) जो 6 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 104/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 734(अ) जो 8 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'प्लेन मीडियम डेन्सिटी फाइबर बोर्ड' के आयातों पर प्रतिपादन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई दूसरी निर्णायक समीक्षा जांचों में अंतिम निष्कर्षों पर आधारित प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 749(अ) जो 13 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 105/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 758(अ) जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से आयातित फास्फोरस पेन्टाक्लोराइड के आयातों पर विनिर्दिष्ट दरों पर अंनतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 759(अ) जो 16 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित स्टाइरीन बुटाडीन रबड़ 1900 सीरिज के आयातों पर प्रतिपादन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही निर्णायक समीक्षा जांचों के पूरा होने तक, 27 जून, 2010 तक तथा उसके समेज प्रतिपादन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 792(अ) जो 30 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बेलारूप में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन कोर्ड फैब्रिक के आयातों पर अभिहित प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसरण में अनंतिम प्रतिपादन शुल्क की तारीख अथवा 29 अप्रैल, 2009 से 5 वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 797(अ) जो 5 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयात के समय सोडा भस्म के आयातों पर अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए 20% मूल्यानुसार की दर से अंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना है जो 19 अप्रैल, 2010 तक और उसके समेत प्रभावी रहेगी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 747/15/09]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 657(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रदाताओं द्वारा भारत से प्रदान की गई सेवा योजना के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट पर्ची के एवज में आयातित कतिपय माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 658(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फोकस प्रोडेक्ट स्कीम के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट पर्ची के एवज में आयतित कतिपय माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 659(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फोकस मार्केट स्कीम के अंतर्गत जारी शुल्क क्रेडिट पर्ची के एवज में आयातित कतिपय माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 660(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत

जारी एग्री-इन्फास्ट्रक्चर इन्सेंटिव स्क्रिप्ट के एवज में आयातित विनिर्दिष्ट पूंजीगत माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 661(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत जारी शुल्क प्रत्यय प्रमाण पत्रों के एवज में आयाजित वस्तुओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 662(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा एडवांस अथॉराइजेशन स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 664(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथॉराइजेशन स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 665(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एडवांस अथॉराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में वार्षिक आवश्यकता के लिए भारत में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 666(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों में अवस्थित सामान्य सेवा प्रदाताओं के लिए 3% की शुल्क की दर से पूंजीगत माल के आयातों को अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 667(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों में अवस्थित सामान्य सेवा प्रदाताओं के लिए शून्य शुल्क पर पूंजीगत माल के आयातों को अनुमोदित दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 668(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत शून्य शुल्क पर पूंजीगत माल के आयातों को अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 669(अ) जो 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्सपोर्ट प्रोमोशन कपिटल गुड्स स्कीम के अंतर्गत 3% शुल्क पर पूंजीगत माल के आयातों को अनुमति दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 674(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्टेट्स होल्डर इन्सेन्टिव स्क्रिप के एवज में आयातित पूंजीगत माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 675(अ) जो 14 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 559(अ) जो 31 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 567(अ) जो 6 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 644(अ) जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अंटार्कटिका से भारत में आयातित सभी वस्तुओं को, यदि उक्त वस्तुएं भारतीय अंटार्कटिक अभियान अथवा इंडियन पोलर साइंस प्रोग्राम के लिए प्रयुक्त की गई हैं या उनसे संबंधित है, को कतिपय शर्तों के

अध्ययधीन सम्पूर्ण सीमा-शुल्क और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 697(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 67/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 698(अ) जो 23 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 68/2006-सी.शु. में कतिपय किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 701(अ) जो 24 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 154/1994-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 710(अ) जो 29 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एडवांस अथॉराइजेशन स्कीम फॉर डीम्स एक्सपोर्ट के अंतर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के एवज में आयातित सामग्रियों को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 751(अ) जो 14 अक्टूबर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 663(अ) जो, 11 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ड्यूटी एग्जेम्पशन पासबुक स्कीम के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट पर्ची के एवज में आयातित माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 748/15/09]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (12 वीं संशोधन) नियम, 2009 जो 2 तिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2227 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 749/15/09]

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48,117 और 139 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2292(अ) जो 9 सितम्बर, 2009 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2413(अ) जो 22 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1281 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 2480(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलूर) को मुख्य आकर आयुक्त, बेंगलूर, कर्नाटक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 2481(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलूर) को मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलूर) के अधीनस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 2482 (अ)जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। जिसके द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलूर) को आयकर आयुक्त (केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलूर) के संबंध में शक्तियों को प्रयोग करने तथा कार्य का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 2483(अ) जो 30 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

आयकर आयुक्त (केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलूर) को उन सभी मामलों, जिनमें आयकर विवरणी (एक) जहां धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत मूल विवरणी कागज फार्म में प्रस्तुत की गई है उसे छोड़कर इलेक्ट्रानिक फार्म, तथा (दो) कागज फार्म में प्रस्तुत किए गए हैं, के संबंध में ऐसी विवरणी पर अधिकार क्षेत्र वाले कर्नाटक राज्य और गोवा राज्य में मौजूदा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 750/15/09]

(9) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सेनवेट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 571(अ) जो 12 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 623(अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 578(अ) जो 18 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा शीर्ष संख्या 1905 के अंतर्गत बेकर वेयर्स बनाने वाले सनी मिट्टी को 28.2.2005 से 27.5.2008 तक की अवधि के दौरान कतिपय शर्तों के अध्यधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 751/15/09]

(10) स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी अधिनियम, 1985 की धारा 9क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 12(अ) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों का विनियम) आदेश, 1993 स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो की नवनिर्मित क्षेत्रीय इकाइयों सहित, में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2862 (अ)से का.आ. 2864(अ) जो 11 दिसम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तटरक्षक (राजपत्रित रैंक) के अधिकारियों को अनन्य आर्थिक जोन में समुद्र के रास्ते ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध यातायात को रोकने के लिए कार्रवाई करने हेतु शक्ति प्रदान की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 752/15/09]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (कुमारी सैलजा): महोदया, मैं श्री सुल्तान अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.पी. अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 753/15/09]

(ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 3007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 754/15/09]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधी सेलवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 755/15/09]

अपराह्न 12.01½ बजे

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मैं 3 जून, 2009 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2009;

(2) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009;

(3) झारखंड विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2009;

(4) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2009;

(5) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009; और

(6) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 756/15/09]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 7-माननीय मंत्री श्री मुरली देवरा सभा पटल पर अपना वक्तव्य रखें।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जयपुर राजस्थान के सांगानेर में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के पीओएल डिपो में आग की घटना*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): महोदया, सबसे पहले मैं इस दु:खद घटना में हताहत हुए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं।

जयपुर के सांगानेर, में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) का टर्मिनल 1995 में चालू हुआ था और यह 105 एकड़ भूमि में फैला है। टर्मिनल में मोटर स्प्रिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और सुपीरियर केरोसिन ऑयल (एसकेओ) के 11 भण्डारण टैंक हैं। आग 29 अक्टूबर, 2009 को सायंकाल

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 757/15/09

लगभग 7.15 बजे लगी थी। ऐसा अनुमान है कि लगभग 191 करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद नष्ट हो गए थे तथा भवनों और मशीनरी की प्रतिस्थापन लागत 160 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। डिपो में सभी 11 टैंक पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। उत्पाद का बीमा किया गया है और टर्मिनल में आधारभूत ढांचे का पुनर्निर्माण करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा। 11 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है जिसमें से 6 आईओसी के कर्मचारी हैं। 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं जिनमें से 7 को गंभीर चोटें आई हैं। जब 1995 में इस टर्मिनल को चालू किया गया था तो यह नगर से दूर तथा अलग-थलग स्थल में स्थित था। इस टर्मिनल से सटे सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास राजस्थान औद्योगिक निवेश कॉर्पोरेशन (आरआईआईसीओ) द्वारा 1997 में किया गया था, जिसके बाद इस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ।

यह रिपोर्ट दी गई है कि डिपो में हुए विस्फोट से आसपास की फैक्टरियों, शापिंग काम्पलैक्स, कुछ आवासीय भवनों आदि की छत, खिड़कियों के शीशे और दीवारों क्षतिग्रस्त हो गई। तत्पश्चात् स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आसपास की फैक्टरियों के कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों को उस क्षेत्र से हटा दिया गया था। इस अग्निकांड से राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (जयपुर-टोंक-कोटा रोड) पर यातायात का आवागमन तथा जयपुर-सवाई-माधोपुर मार्ग पर रेल यातायात भी प्रभावित हुआ।

29.10.2009 की रात को इस दु:खद दुर्घटना की जानकारी मिलने पर मैंने तेल कंपनियों के अधिकारियों को सभी घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा मथुरा, दिल्ली, पानीपत और हजीरा जैसे आसपास के स्थलों से विशेषज्ञ और उपकरणों को भेजकर आग पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाने के लिए निर्देश दिए थे। तत्काल उसी रात को आईओसी के अधिकारियों को उस स्थल पर भिजवाया गया।

मैंने आईओसी के अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आग पर काबू पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने, राज्य सरकार के साथ बातचीत करने तथा घायलों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को आपूर्तियों में कोई बाधा न हो, 30.10.2009 की सुबह जयपुर का दौरा किया था। मैं घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल गया था।

मुख्य मंत्री, राजस्थान से विचार-विमर्श के बाद, आईओसी ने उसी दिन राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त, इस दुर्घटना में अपनी जान खोने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए तथा मामूली रुप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की अदायगी करने की घोषणा की।

मंत्रालय द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच करने तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए 30.10.2009 को एचपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.बी.लाल की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय जांच समिति का गठन तत्काल किया गया था। समिति 60 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

राजस्थान सरकार के अनुरोध पर आस-पास के उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए आईओसी ने 50 करोड़ रुपए की राशि के एक तदर्थ राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसे राजस्थान राज्य औद्योगिक निवेश कॉर्पोरेशन (आरआईआईसीओ) को अग्निकांड में बुरी तरह प्रभावित लघु और मध्यम उद्योगों को अंतरिम राहत के रूप में जारी करने के लिए दिया गया है।

मैं इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह डिपो तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) के दिशा-निर्देशों और सांविधिक मानदण्डों के अनुरूप आपदा प्रबंधन योजना सहित अग्निशामक उपकरणों और सुविधाओं से लैस था। आपदा प्रबंध न योजना होने तथा ओआईएसडी के अनुसार स्थल पर सभी सुरक्षा उपकरणों तथा भारत सरकार के विस्फोटक विभाग के मानदण्डों के बावजूद आपदा के स्वरूप, विशालता को देखते हुए आग को काबू में करने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने के लिए समय ही नहीं मिला।

अग्निकांड के दौरान राजस्थान के मुख्य मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर निगरानी रखी थी। राज्य सरकार द्वारा गठित आपदा प्रबंधन समूह, जिसमें प्रधान सचिव, गृह, राजस्थान सरकार, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, जयपुर, राज्य फायर ब्रिगेट, क्लेक्टर जयपुर, राज्य पुलिस तथा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के कार्यकारी निदेशक द्वारा स्थिति की लगातार मौकाएं समीक्षा की जा रही थी। सेना, एस्सार, ओएनजीसी, गेल तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों के अग्निशामक दल किसी भी आकस्मिक घटना से निपटाने के लिए उपलब्ध थे। मौके पर मौजूद विशेषज्ञों की राय थी कि उत्पाद को जलने दिया जाए तथा आग बुझाने के प्रयास, जिससे नुकसान की संभावनाएं और बढ़ सकती थी, की बजाय टर्मिनल के बाहर के स्थल के आस-पास जीवन और संपत्ति को और अधिक संभावित नुकसान से रोका जाए।

इन सभी संस्थापनों की ओआईएसडी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से नियमित रूप से जांच की जाती है। तथापि, देश में तेल और गैस संस्थापनों में सुरक्षा और रक्षा की आगे और समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में 3.11.2009

को एक बैठक बुलाई थी जिसमें देश में प्रचालन कर रही सभी सार्वजनिक और निजी तेल कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भाग लिया था। सभी कंपनियों ने ऐसी घटनाओं से निपटने के अपने अनुभवों का अदान-प्रदान किया, वे मामलों, पर सूचना को परस्पर बांटने के लिए सहमत हुए तथा उन्होंने भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटित होने पर संसाधनों/आधारभूत ढांचे को आदान-प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक में लिए गए निर्णय अनुबंध में दिए गए हैं।

इस दु:खद घटना के पश्चात् यह सुनिश्चित किया गया है कि अग्निकांड के कारण आईओसी के सांगानेर डिपो द्वारा पूर्ति किए जा रहे क्षेत्रों में आम जनता को एमएस और एचएसडी की आपूर्तियों की कोई कमी न हो। भरतपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ स्थित आईओसी के डिपुओं तथा बागडू में एचपीसीएल के डिपो जिसका फरवरी, 2009 में उद्घाटन हुआ था और जो जयपुर के अत्यंत समीप है, से वैकल्पिक आपूर्तियां की जा रही है।

दिनांक 11.11.2009 को प्रात: 6.00 बजे तक आग पूरी तरह समाप्त हो गई थी और धुंआ निकलना पूरी तरह बंद हो गया था। आईओसी क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों, आदि में जमा पेट्रोलियम उत्पादों के कारण आगे और आग लगने/विस्फोट होने से रोकने के लिए उपाय कर रही है। ओआईएसडी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं।

मैं इस सम्मानित सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार प्रभावित परिवारों की मदद करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपने उत्कृष्ट प्रयास कर रही है।

अनुबंध

नई दिल्ली में 03.11.09 को हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय

1. सभी कंपनियां सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सभी स्तरों पर सुरक्षा की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए उपाय करेंगी। सुरक्षा के मामलों में लापरवाही बर्दास्त नहीं करने का सन्देश सभी संबंधितों को दिया जाना है।

2. देश में सभी तेल और गैस संस्थापन और परिवहन प्रणालियां 31.12.2009 तक तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) मानकों सहित सांविधिक मानदंड और जोखिम मूल्यांकन के अनुरूप स्व सुरक्षा जांच करेंगी। तेल कम्पनियां ओआईएसडी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

3. ओआईएसडी को सांविधिक हैसियत से अधिकार सम्पन्न बनाने के सम्बन्ध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 18 सितम्बर, 2009 को आयोजित सुरक्षा परिषद की 27वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। ओआईएसडी को तेल कंपनियों से अतिरिक्त जन शक्ति देकर और सुदृढ़ किया जाएगा।

4. सुरक्षा परिषद का निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों और अपतट और अन्य संस्थापनों को शामिल करके विस्तार किया जाना है।

5. देश की तेल और गैस की सभी कंपनियां, देश और विदेश में प्रचलित सर्वोत्तम व्यवहारों का लाभ उठाने के लिए उचित तकनीकी पर्यवेक्षण और मनोयोग के तहत देश व्यापी सभी संस्थानाओं/संगठनों के लिए कार्यचालन और अनुरक्षण व्यवहारों हेतु अपने मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपीएस) को अवश्य ही अद्यतन करें। ऐसे मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपीज) का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। तेल और गैस की सभी कंपनियां एसओपीज पर रिपोर्टें और समुपयुक्त क्रियान्वयन ओआईएसडी को 31.12.2009 तक भेजेंगी।

6. तेल और गैस के सभी संस्थापन अपने सुरक्षा जांच तिमाही आधार पर कराएंगे। निजी कंपनियों सहित देश के ऐसे संस्थापनों/संगठनों में बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट ओआईएसडी को दी जाएगी।

अपराह्न 12.02½ बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 23 नवम्बर 2009 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किए जाएंगे:-

1. आज की कार्य-सूची से अग्रसारीत सरकारी कार्य का कोई भी मद पर विचार करना।
2. कर्मकार मुआवजा (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार तथा पारित किया जाना।
3. लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008, राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के वाद, पर विचार करना तथा पारित किया जाना।

अध्यक्ष महोदया: सदस्यों द्वारा किए गए निवेदन को सभा पटल पर रखा समझा जाए।

[हिन्दी]

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाये:-

1. सूखे की मार झेल रहे बिहार राज्य के सभी जिलों के राजकीय टयूबवेल को चालू एवं रख-रखाव करने के लिए एक विशेष केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।
2. बिहार राज्य में रबी फसल के लिए डी.ए.पी. खाद की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नेफेड के सहकारिता स्टोर के माध्यम से उचित दर पर किसानों को डी.ए.पी. खाद को उपलब्ध करवाया जाये।

***श्री हुक्मदेव नारायण यादव** (मधुबनी): अगले सप्ताह की कार्यसूची में इन विषयों को विचार के लिए सम्मिलित किया जाए। मैं इसके लिए प्रस्ताव करता हूं।

सरकारी खर्च में कटौती कर सादगी और संयम बरता जाए ऐसा माननीय वित्त मंत्री ने कई बार सार्वजनिक घोषणा की है। मेरा आग्रह है कि इस संबंध में इन विषयों पर चर्चा की जाए।

(क) सरकारी, अर्द्ध सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों के अधिकारी तथा कर्मचारियों के वेतनभत्ते में संतुलन एवं समरूपता रखी जाए।

(ख) न्यूनतम एक और अधिकतम दस का अंतर रखा जाए।

(ग) खर्च पर सीमा लगाकर फिजूल खर्ची को रोका जाए।

(घ) निजी कंपनियों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों तथा प्रबंध मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ता तथा निजी खर्चे पर रोक लगायी जाए तथा सीमा निर्धारित की जाए। इसके लिए सदन में चर्चा की जाए।

***श्री रामकिशुन** (चन्दौली): महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलत किया जाये।

1. उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र पूर्वांचल के विकास हेतु अलग से विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने की आवश्यकता।
2. उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु सिंचाई संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री जय प्रकाश अग्रवाल** (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाये।

1. राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पर बढ़ते हुए भारी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी पर अविलम्ब पुल का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. राजधानी दिल्ली में विशेषत: उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नियमित की गई कालोनियों में सीवर, जल, विद्युत, सड़क की सुविधायें अविलम्ब उपलब्ध करवाये जाने के बारे में।

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): महोदय, निम्नलिखित लोक महत्व के मामले को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनरोध करता हूं।

1. देश में सिकलसेल और थैलेसेमिया रक्त संबंधित रोगियों की बढ़ती संख्या और अनुपात में इसके उपचार की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा इन बीमारियों के रोगियों के उपचार हेतु सर्वत्र उपचार तथा उन्हें मुफ्त में दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाये।
2. देश में मतिमंद बच्चों की देखभाल, शिक्षा और उनके रोजगार की कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उनके अभिभावकों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अत: सरकार इसका संज्ञान लेकर मतिमंद बालकों के शिक्षा व रोजगार हेतु आवासीय विद्यालय और बच्चों के जीवनयापन हेतु अभिभावकों को उचित आर्थिक सहायता देने हेतु कदम उठाये।

***श्री दिनेश चन्द्र यादव** (खगड़िया): महोदय, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाये।

1. पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत प्रमण्डलीय मुख्यालय सहरसा से पटना तक रात में आने-जाने के लिए एक्सप्रेस गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
2. पूर्व मध्य रेलवे के खगड़िया जंक्शन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

[अनुवाद]

***श्री प्रबोध पांडा** (मिदनापुर): महोदया, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:

1. आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पूरे देश में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा तत्काल उपचारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2. केंद्र सरकार द्वारा बड़े-बड़े आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी देश में किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाएं रूकी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, रसायनों और उर्वरकों की उच्च कीमतें, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की अनुपलब्धता, कृषि उत्पादों का अलाभकारी कृषि ऋणों से संबंधित समस्याओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जिसने कृषकों की स्थिति को और दयनीय बना दिया है और इस पर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

[हिन्दी]

***श्री घनश्याम अनुरागी** (जालौन): महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाये।

1. उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी,-ललितपुर चित्रकुट जिलों के समग्र विकास के लिए तथा मध्य प्रदेश के छत्तरपुर, टीकमगढ़, दमोह, दतिया आदि पिछड़े जिलों के लिए 7222 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्र सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए स्वीकृत की है। उक्त जिलों का तुरंत विकास सुनिश्चित कराया जाये। निगरानी समिति में क्षेत्रीय सांसदों को भी शामिल किया जाये।

2. बुंदेलखंड के जालौन जिले पर प्रस्तावित पचनदा बांध का तुरंत निर्माण कराया जाये तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु आवश्यकता के अनुसार गहरे नलकूप शीघ्र लगाये जायें।

अपराह्न 12.03 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग की शासी परिषद

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3 (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद, के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमों के नियम 4 (ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) भारत की क्षय रोग संस्था की केंद्रीय समिति

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत की क्षय रोग संस्था के निमयों के नियम 3(सात) (क) और विनियमों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए उपनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि भारत की क्षय रोग संस्था के निमयों के नियम 3(सात) (क) और विनियमों के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए उपनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सभा सोमवार 23 नवम्बर, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 नवम्बर, 2009/2 अग्रहायण, 1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े श्री पी. लिंगम	21
2.	श्री एस. अलागिरी श्री पन्ना लाल पुनिया	22
3.	श्री रामसिंह राठवा	23
4.	श्री वैजयंत पांडा	24
5.	श्री गणेश सिंह श्री मधु गौड यास्खी	25
6.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री विलास मुत्तेमवार	26
7.	श्रीमती मेनका गांधी श्री वरुण गांधी	27
8.	श्री प्रहलाद जोशी	28
9.	श्री जोस के. मणि	29
10.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	30
11.	श्री प्रदीप माझी श्री निलेश नारायण राणे	31
12.	श्री सज्जन वर्मा श्री ए.टी. नाना पाटील	32
13.	श्री आनंदराव अडसुल श्रीमती सुशीला सरोज	33
14.	श्री गुरुदास दासगुप्त	34
15.	श्री रमेश राठौड़ श्री तथागत सत्पथी	35
16.	श्रीमती भावना पाटील गवली श्री नृपेन्द्र नाथ राय	36
17.	श्री निशिकांत दुबे श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	37
18.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री संजय सिंह चौहान	38
19.	श्री भक्त चरण दास श्री के.डी. देशमुख	39
20.	श्री जगदीश शर्मा श्री राजनाथ सिंह	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	286
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	334, 395, 430
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	257, 274, 361
4.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	232
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	227, 268, 272, 375, 423
6.	अनुरागी, श्री घनश्याम	294, 372
7.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	270, 282, 366, 418
8.	एंटोनी, श्री एंटो	297
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	244
10.	बाबर, श्री गजानन ध.	334, 395, 430
11.	बैस, श्री रमेश	287
12.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	302
13.	बलीराम, डॉ.	301, 379
14.	बलराम, श्री पी.	249, 326, 414, 444
15.	भगत, श्री सुदर्शन	400
16.	चौहान, श्री संजय सिंह	357, 415, 442
17.	चौहान, श्री प्रभात सिंह पी.	252
18.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	234, 268, 365, 371
19.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	291
20.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	357, 415, 442
21.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	452
22.	दास, श्री भक्त चरण	339, 365, 403
23.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	335, 396, 431
24.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	273, 393, 446
25.	देवरा, श्री मिलिंद	229, 250, 328, 388, 417
26.	देशमुख, श्री के.डी.	257, 323, 389, 435
27.	धोत्रे, श्री संजय	296, 329, 374, 422
28.	दुबे, श्री निशिकांत	337, 399, 433
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	310, 358, 392, 416, 444

1	2	3
30.	गांधी, श्रीमती मेनका	332, 392, 428
31.	गांधी, श्री वरुण	253, 308, 386, 425
32.	गवली, श्रीमती भावना पाटील	336, 398
33.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	304
34.	गुड्डू, श्री प्रेमचन्द्र	349
35.	हसन, डॉ. मोनाजिर	340
36.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	251, 402, 432
37.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	307, 324, 393, 401
38.	जयाप्रदा, श्रीमती	255, 365
39.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	256, 343
40.	जिन्दल, श्री नवीन	264
41.	जोशी, श्री महेश	278, 347, 364
42.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	251, 402
43.	जोशी, श्री प्रहलाद	264, 309, 393
44.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	258, 345, 404, 434
45.	करुणाकरन, श्री पी.	276
46.	कटारिया, श्री लालचन्द	347
47.	खैरे, श्री चंद्रकांत	262, 295, 355
48.	खान, श्री हसन	266
49.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	358, 392, 416, 444
50.	कुमार, श्री विश्व मोहन	259
51.	कुमार, श्री पी.	284, 347
52.	कुमारी, श्रीमंती चन्द्रेश	347
53.	लागुरी, श्री यशवंत	400
54.	लिंगम, श्री पी.	335
55.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	233, 347, 349, 352, 456
56.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	279, 365
57.	महतो, श्री नरहरि	270
58.	महताब, श्री भर्तृहरि	295, 373
59.	माझी, श्री प्रदीप	327, 394, 429
60.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	270, 347

1	2	3
61.	मंडल, श्री मंगनी लाल	298, 403, 455
62.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	238, 270, 318, 409, 438
63.	मेघे, श्री दत्ता	280, 348
64.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	271
65.	मुत्तेमवार, श्री विलास	305, 385, 424, 449
66.	नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	261
67.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	257
68.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	264, 349
69.	नटराजन, श्री पी.आर.	259, 290, 370, 403, 421
70.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	260, 271, 272, 360, 417
71.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	240, 346, 405
72.	पांडा, श्री वैजयंत	330, 391, 427
73.	पांडा, श्री प्रबोध	270, 356, 403
74.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	338, 400
75.	पांगी, श्री जयराम	245, 259, 270, 376
76.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	292, 417, 444
77.	पटेल, श्री देवजी एम.	262, 295, 355
78.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	253, 341
79.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	394
80.	पाठक, श्री हरिन	450
81.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	272, 285, 367
82.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	248, 359
83.	प्रधान, श्री अमरनाथ	265, 351
84.	प्रधान, श्री नित्यानंद	262, 295, 355
85.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	350, 408
86.	पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	269
87.	राघवन, श्री एम.के.	275, 361, 363, 437
88.	राजगोपाल, श्री एल.	263, 348, 407, 437
89.	राजेश, श्री एम.बी.	280, 297, 300
90.	राम, श्री पूर्णमासी	259, 319

1	2	3
91.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	230, 311, 381, 397, 436
92.	रामकिशुन, श्री	283, 403
93.	राणे, श्री निलेश नारायण	314, 402
94.	राव, श्री नामा नागेश्वर	289, 369, 420
95.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	293
96.	राठौड़, श्री रमेश	304, 321, 397, 432
97.	रावत, श्री अशोक कुमार	267, 353, 410, 439
98.	राय, श्री विष्णु पद	352
99.	राय, श्री रुद्रमाधव	288, 358, 368, 419
100.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	330, 331
101.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	243, 260, 321, 451, 454
102.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	270
103.	सेम्मलई, श्री एस.	271
104.	सम्पत, श्री ए.	246, 358
105.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	376, 446
106.	सरोज, श्रीमती सुशीला	334, 348, 395, 430
107.	सत्पथी, श्री तथागत	303, 320, 412, 441
108.	शानवास, श्री एम.आई.	306, 380
109.	शांता, श्रीमती जे.	228, 315, 383, 445
110.	शर्मा, श्री जगदीश	340
111.	शेखर, श्री नीरज	273, 417
112.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	334, 395, 430
113.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	242, 362
114.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	305, 330
115.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	247, 378
116.	सिंह, श्री दुष्यंत	290, 307
117.	सिंह, श्री गणेश	322
118.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	260, 347, 406
119.	सिंह, श्री राजनाथ	281, 355
120.	सिंह, श्री उदय	440
121.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	403
122.	सिंह, श्री रेवती रमन	394
123.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन	432
124.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	262
125.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	288, 303, 446, 447
126.	सिंह, श्री उमाशंकर	299, 377, 446
127.	शिवासामी, श्री सी.	270
128.	सुगावनम, श्री ई.जी.	241, 325, 348
129.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	257, 268, 354, 411, 440
130.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	235, 313, 387, 446
131.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	231, 312, 382, 443
132.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	396
133.	तिवारी, श्री मनीष	281
134.	ठाकोर, श्री जगदीश	236, 316, 413
135.	थामराईसेलवन, श्री आर.	257, 344
136.	थॉमस, श्री पी.टी.	254, 331, 342
137.	तिरकी, श्री मनोहर	270, 448
138.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	403
139.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	229
140.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	237, 317, 384, 445
141.	वर्मा, श्री सज्जन	333
142.	विश्वनाथ, श्री पी.	239, 255
143.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	257, 277, 294, 345, 348
144.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	329, 390, 426
145.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	229, 453
146.	यादव, श्री निदेश चन्द्र	348
147.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	267, 305, 403
148.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	255
149.	यास्खी, श्री मधु गौड	358, 392, 416, 444

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	21, 30, 32, 34, 35, 38
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	25, 26, 29, 31, 36,
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	22, 23
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	24
विद्युत	:	28, 33, 37, 40
पर्यटन	:	
जनजातीय कार्य	:	39
शहरी विकास	:	
महिला और बाल विकास	:	27

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	228, 231, 238, 239, 240, 242, 248, 250, 251, 254, 262, 265, 277, 278, 281, 289, 291, 292, 295, 299, 300, 301, 304, 311, 316, 317, 319, 320, 329, 336, 346, 348, 350, 355, 356, 358, 359, 363, 364, 380, 386, 388, 390, 397, 400, 402, 405, 407, 409, 410, 415, 422, 424, 425, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 441, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	227, 229, 230, 236, 243, 253, 258, 260, 264, 271, 272, 275, 282, 283, 285, 287, 290, 294, 296, 297, 298, 302, 305, 307, 308, 313, 315, 318, 322, 323, 324, 326, 333, 334, 339, 343, 344, 345, 347, 352, 360, 362, 365, 366, 368, 369, 370, 373, 374, 377, 379, 383, 389, 393, 394, 395, 398, 401, 404, 406, 408, 411, 413, 416, 417, 418, 421, 437, 440, 444, 445, 446, 452
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	247, 306, 314, 342, 423, 442
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	244, 288, 331, 337
विद्युत	:	252, 256, 257, 261, 267, 268, 303, 309, 312, 327, 330, 340, 351, 361, 367, 403, 412, 419, 420, 436
पर्यटन	:	246, 249, 276, 286, 293, 325, 328, 341, 349, 353, 354, 384, 385, 391, 399, 426, 434
जनजातीय कार्य	:	234, 235, 245, 266, 270, 280, 376, 414, 427, 438
शहरी विकास	:	232, 233, 237, 241, 255, 263, 269, 274, 284, 321, 332, 338, 357, 381, 387, 439
महिला और बाल विकास	:	259, 310, 335, 371, 372, 375, 378, 382, 392, 396, 428.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/5/2/2009 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।